लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 5th LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
12-8-87
Digitized On 8-2-84
Parliament Library

दूसरा सत्र
Second Session

सत्यमेव जयते

खंड 7 में अंक 51 से 59 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 51 to 59

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 56, सोमवार, 9 अगस्त, 1971/18 श्रावण, 1893 (शक)
No. 56, Monday, August 9, 197 1/Sravana 18, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
निधन-संबंधी उल्लेख	Obituary Reference	... 1— 4

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1621. विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र	Indian Cultural Centres in Foreign Countries	... 5— 7
1623. अंधेपन के मामले	Cases of Blindness	... 7—10
1624. पश्चिम बंगाल में सैनिक	Armymen in West Bengal	... 10—13
1625. दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए नियत की गई राशि	Amount allocated for Jhuggi Jhonpri Dwellers in Delhi	... 13—15
1626. भारत में विदेशी तेल कम्पनियों का भावी ढाँचा	Future structure of Foreign Oil Companies in India	... 15—16
1629. यमुनापार पटपड़गंज रोड की बस्तियों के निवासियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by the residents of Trans-Yamuna Patparganj Road Colonies	... 16—18

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1622. छावनी बोर्डों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट की क्रियान्विति	Implementation of Award of National Industrial Tribunal for Cantonment Boards	... 18—19
1627. किराये संबंधी विवरण भेजने के लिए प्रक्रिया में सुधार	Streamlining the procedure for sending Rent Demand statements	... 19—20
1628. निरोध अभियान	Nirodh Campaign	... 20—22
1630. गदर पार्टी के वीरों के स्मारक के निर्माण के लिए प्रारूप	Blue print for the construction of a Memorial for the Ghadar Party Heroes	... 22

* किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1631. राजधानी में दन्त चिकित्सा कालेज	Dental College in the Capital	22
1632. गोल्ड स्पाट के बारे में विज्ञापन फिल्में	Advertising Films on 'Gold Spot'	... 22—23
1633. मध्य प्रदेश में गाँवों में पीने के पानी के लिए नई परियोजना	New Project for Rural Drinking Water Scheme in Madhya Pradesh	23
1634. कलकत्ता में आर्डिनेंस कारखानों के महानिदेशक का पद समाप्त करना	Abolition of Post of Director General Ordnance Factories, Calcutta	... 23—24
1635. बंगला देश के मामले में भारत को सोवियत संघ का परामर्श	Advice of U. S. S. R. to India in respect of Bangla Desh Issue	24
1636. इकनामिक एण्ड बिजनेस डिवेलपमेंट फाउन्डेशन और सी० एम० डी० ए० कलकत्ता के बीच विवाद	Dispute between Economic and Business Development Foundation and CMDA, Calcutta	... 24—25
1637. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए बनाये जा रहे मकानों के निर्माण की धीमी गति	Slow pace of construction of DDA Houses for Low-Income and Middle-Income Groups	... 25—26
1638. भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के अत्यधिक मूल्य	Exorbitant Prices of Petroleum Products in India	... 26—27
1639. कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी	Acute Scarcity of Drinking water in Calcutta and its surrounding areas	27
1640. पश्चिम बंगाल में कुष्ट रोग के मामले	Incidence of Lepprosy in West Bengal	... 27—28
1641. मानव गर्भ निरोधक के रूप में यूरिया का प्रभावशाली सिद्ध होना	Efficacy of Urea as a Human Contraceptive	28
1642. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् की बैठक तथा बंगला देश के शरणार्थी	ECOSOC Meeting and Bangla Desh Refugees	29
1643. ग्रेटर कैलाश भाग 2, नई दिल्ली में मकानों का निर्माण	Construction of Houses in Greater Kailash Part II, New Delhi	... 29—30
1644. सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) में ठेका प्रणाली का समाप्त किया जाना	Abolition of Contract System in MES	30
1645. अमरीका में गदर पार्टी स्मारक के लिए बजट में व्यवस्था	Budget Provision for Ghadar Party Memorial in USA	... 30—31
1646. पूर्वी क्षेत्र में भारतीय तेल निगम के उत्पादों की चोरी	Pilferage of IOC Products in the Eastern Region	... 31—32

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
1647. श्री टुन्कू अब्दुल रहमान द्वारा भारत तथा पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश	Offer by Mr. Tunku Abdul Rehman for Mediation between India and Pakistan	32
1648. संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रवेश	Chinese Admission in UNO	... 32—33
1649. शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	Ceiling on Urban Property	33
1650. हिन्दुस्तान लेटेक्स, त्रिवेन्द्रम में भ्रष्टाचार	Corruption in Hindustan Latex, Trivandrum	... 33—34
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7175. दिल्ली की आवासीय कालोनियों से डेरियों का हटाया जाना	Removal of Dairies from Residential Colonies of Delhi	... 34—35
7176. भारत-श्रीलंका समझौते संबंधी इकरारनामे को पूरा करने के फलस्वरूप हुए राज्यविहीन व्यक्ति	Stateless People after fulfilment of Indo- Ceylon Treaty Obligations	35
7177. सामुदायिक विकास योजनाओं पर व्यय	Expenditure on Community Development Schemes	35
7178. परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres	... 36—37
7179. पैराफिन मोम का उत्पादन	Manufacture of Parafin Wax	... 37—38
7180. असम पेट्रो केमिकल उद्योग समूह की स्थापना	Location of Petro Chemical Complex in Assam	... 38—39
7181. नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में पुनर्वास केन्द्र	Rehabilitation Centre in Safdarjang Hospital, New Delhi	39
7182. दिल्ली के पुलिस विभाग के लिए अंशदायी सरकारी स्वास्थ्य सेवा	CGHS for Police Department, Delhi	39
7183. दिल्ली विकास प्राधिकरण का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को प्लाटों का आबंटन	Allotment of Plots to Scheduled Castes and Scheduled Tribes by DDA	40
7184. युनानी तिब्बी औषधियों का विकास	Development of unani Tibbi Medicine	... 40—41
7185. आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले में एक बेरियम रसायन संयंत्र का लगाया जाना	Setting up a Barium Chemical Plant in Cuddapah District, Andhra Pradesh	41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7186. दक्षिण दिल्ली की सरकारी कालोनियों की मार्किटों में अनधिकृत निर्माण	Unauthorised construction in markets of Government Colonies of South Delhi	... 41—42
7187. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Scheduled Caste/Scheduled Tribes in All India Institute of Medical Sciences	42
7188. जयपुर में ग्राम्य आवास मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Ministers of Rural Housing at Jaipur	... 43—44
7189. भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए मकान	Houses for Landless Agricultural Workers	... 44—45
7190. हथकरघा बुनकरों के लिए आवास योजना	Housing Scheme for Handloom Weavers	45
7191. गृह निर्माण सहकारी समितियों को रोहतक रोड पर भूमि का आबंटन	Allotment of land to House Building Co-operative Societies at Rohtak Road, Delhi	... 45—46
7192. दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र मोतिया खान में भू-स्वामियों द्वारा भूमि का हस्तान्तरण	Transfer of Land by occupants in the area of Motia Khan under the jurisdiction of DDA	... 46—47
7193. गृह निर्माण संबंधी ऋण देने की अधिकतम सीमा का बढ़ाया जाना	Raising of Ceiling for grant of House Building Loans	... 47
7194. आदिवासियों के लिए परिवार नियोजन	Family Planning for Adivasis	... 47—48
7195. बंगला देश के शरणार्थियों के लिए ब्रिटिश सहायता	British aid for Bangla Desh Refugees	48
7196. श्रीनगर-लद्दाख सड़क	Srinagar-Ladakh Road	... 48—49
7197. इसरायल के साथ राजनयिक संबंध	Diplomatic Relations with Israel	... 49
7198. राजदूतों की नियुक्ति के लिए मानदंड	Criteria for appointment of Ambassadors	... 49
7199. दीरक और तेंगपाणी पर पुल का निर्माण	Construction of Bridge over Dirak and Tengapani	... 50
7200. भारत द्वारा विदेशों को दी गयी वित्तीय सहायता	Financial Assistance given by Indians to Foreign Countries	... 50—53
7201. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	Engineers India Limited	... 53—54
7202. अंधता को रोकने के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh for Prevention of Blindness	55

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
7203.	नायलोन कपड़ा तन्तु रेशा के निर्माण के लिए उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम का आवेदन-पत्र	Application of Orissa Industrial Development Corporation for manufacture of Nylon Filament Yarn 55
7204.	फिल्में दिखाने हेतु विदेशी मिशनों के लिए आचार संहिता	Code of Conduct for Foreign Missions to Exhibit films ... 55—56
7205.	लद्दाख में तेल अनुसंधान प्रयोगशाला के मुर्तसी फार्म में अनुसंधान	Research at Murtsi Farm of the Field Research Laboratory in Ladakh ... 56—57
7206.	शरणार्थियों के लिए हैजे के टीकों की कमी	Shortage of Chollera vaccine for Refugees 57
7207.	लेह मनाली सड़कों को पक्की सड़क बनाना	Conversion of Leh-Manali Road into a Pucca Road 57
7208.	होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का विकास	Development of Homoeopathic system ... 57—58
7209.	नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक अटैची का पद	Post of Cultural Attache in Indian Embassy in Nepal ... 58—59
7210.	बिहार में आवास योजनाएँ	Housing Schemes in Bihar 59
7211.	चण्डीगढ़ में विवाहित व्यक्तियों के लिए आवास स्थानों का निर्माण	Construction of Married Accommodation in Chandigarh 60
7212.	गैर-प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नसबन्दी	Sterilisation by untrained Medical Officers 60
7213.	मधुबनी, दरभंगा में शिक्षित बेरोजगारों को पेट्रोल पम्पों के लाइसेंस देना	Issue of Licences of Petrol Pumps to educated unemployed in Madhubani, Darbhanga 61
7214.	पेट्रोल, गैस और तेल संबंधी छिद्रण कार्य के लिए ठेके	Contracts for drilling of petrol, gas and oil 61
7215.	गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा के कर्मचारियों के बच्चों के लिए परिवहन व्यवस्था	Transport arrangement for children of employees of Guard Training Centre, Kota 62
7216.	कलकत्ता में बंगला देश के अधिकारियों से इंटरव्यू	Interview of Bangla Desh Mission officials at Calcutta ... 62
7217.	केन्द्र चालित अस्पतालों के कार्यकरण संबंधी समिति का अंतरिम प्रतिवेदन	Interim report of the committee on working of Centrally run Hospitals in New Delhi 63

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7218. अमरीका में हृदय शल्य चिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भारतीय डाक्टर	Indian doctors to be trained in U.S.A in Heart Surgery	63
7219. भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान मारे गए/घायल हुए जवानों के परिवारों को भूमि का आबंटन	Allotment of Land to Families of Jawans killed/wounded during Indo-Pak Conflict	... 63—64
7220. भारतीय सेना के लिए आयुर्वेदिक डाक्टरों की नियुक्ति	Appointment of Ayurvedic Doctors for Indian Army	64
7221. दिल्ली के नागरिकों को शुद्ध जल की सप्लाई	Pure water supply to the citizens of Delhi	... 64—65
7222. नई दिल्ली स्थित सर गंगा राम अस्पताल के एक कर्मचारी की मृत्यु	Death of an employee of Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi	65
7223. गदर पार्टी के स्मारक के बारे में अमरीका में भारतीयों की माँग	Demand of Indians in USA re : Memorial for Ghadar Party	... 65—66
7224. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के लिए बजट व्यवस्था	Budget provision of I.C.M.R.	66
7225. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के लेखों की लेखा परीक्षा	Auditing of Accounts of I.C.M.R.	... 67
7226. मध्य प्रदेश के इन्दौर डिवीजन में पेय जल की समस्या	Problem of drinking water in Indore Division in Madhya Pradesh	... 67—68
7227. मदुरै मेडिकल कालेज में ग्लेकोमा क्लिनिक की स्थापना	Setting up of Glaucoma Clinic at Madurai Medical College	68
7228. उड़ीसा में चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता	Financial assistance for Medical Post Graduate course in Orissa	... 68—69
7229. माध्यमिक स्कूलों में परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा देना	Teaching of Family Planning in Secondary Schools	... 69
7230. परिवार नियोजन का प्रचार करने के लिए संगठनों को विदेशी सहायता	Foreign assistance to organizations for Propagation of Family Planning	... 69—70
7231. बालासोर प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेन्ट सेन्टर सिविल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति	Posting of a Civilian Welfare Officer at Balasore Proof and Experiment Centre	70
7232. सूनाबेदा में प्रशिक्षुओं द्वारा आत्महत्या की घटनायें	Suicide Committed by apprentices in Sunabeda	... 70—71

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7233. हल्दिया में उर्वरक, लुबरीकेटिंग तेल, सोडा ऐश, मैथेनोल तथा नेप्था क्रेकर संयंत्रों का स्थापित किया जाना	Setting up of Fertilizers, Lubricating oil, Soda Ash, Methanol and Naphtha cracker plants at Haldia	... 71—72
7234. दिल्ली के मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० के छात्रों का प्रवेश	Admission to M. B. B. S. students in Medical Colleges of Delhi	72
7235. भारतीय सुरक्षा दल के विरुद्ध आन्दोलन को तीव्र करने के लिए नागा नेता द्वारा दिये गये निदेश	Directives given by Naga Rebel Leader for intensification of movement against Indian Security Force	... 72—73
7236. मनाली में उर्वरक उद्योग समूह के विलम्ब से चालू करने के कारण परामर्शदाताओं की अमरीकी फर्म द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा	Claiming of Damages by the American Firm of consultants due to delay in Commissioning of the Fertilizer Complex at Manali	73
7237. रक्षा कर्मचारियों को राजनीतिक साहित्य सप्लाई करने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Supply of Political Literature to Defence Employees	... 73—74
7238. कास्टिक सोडे के उत्पादन में वृद्धि	Augmentation of the Production of Caustic Soda	74
7239. दिल्ली और बम्बई में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय	C. G. H. S. Dispensaries in Delhi and Bombay	... 74—75
7240. केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय	C. G. H. S. Dispensaries	... 75—76
7241. कलकत्ता नगर के विकास के लिए परियोजनाओं की प्रगति	Progress of Projects for Improvement of Calcutta City	76
7242. पश्चिम बंगाल के आदिवासियों में टी० बी० का फैलना	Spreading of Tuberculosis amongst Tribals of West Bengal	... 76—77
7243. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपने कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे पर खर्च की गयी धनराशि	Amount spent by ONGC on Litigation in fighting cases against its Employees	77
7244. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण के लिए केरल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala for Constructing Houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	... 77—78
7245. मानवीय स्वास्थ्य पर फैनिल पेय का प्रभाव	Effect of Aerated water on Human Health	... 78—79
7246. मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेट द्वारा गुजरात में उर्वरक कारखाने की स्थापना	Construction of Fertilizer Factory in Gujarat by M/s. Tata Chemicals Ltd.	79

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7247. संश्लिष्ट प्रक्षालकों का निर्माण करने वाली फर्में	Firms engaged in manufacturing of Synthetic Detergents	... 79—80
7248. इंडियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में इंजीनियरी की मान्यता प्राप्त डिग्रीधारी अधिकारियों की संख्या	Number of Officers holding Recognised Degree in Engineering in Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited	80
7249. डी० टी० टी० के हानिकारक प्रभाव के बारे में विचार-विमर्श	Discussion on Harmful effects of D. D. T.	81
7250. कृत्रिम रेशे और कृत्रिम रबड़ उद्योग का विकास	Development of Synthetic Fibre and Synthetic Rubber Industry	... 81—82
7251. बम्बई स्थित होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज में वित्तीय संकट	Financial Crisis in the Homoeopathic Medical College, Bombay	82
7252. पश्चिम बंगाल और बिहार में मलेरिया के मामले	Cases of Malaria in West Bengal and Bihar	... 82—83
7253. इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्माक्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा कच्चे माल का आयात	Import of Raw materials by Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	83
7254. आसनसोल कोयला क्षेत्र में पीने के पानी की भारी कमी	Acute Scarcity of Drinking Water in Asansol Coal Fields Area	83
7255. आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में पीने के पानी के लिए नलकूपों का लगाना	Sinking of Drinking Water Tube-wells in Asansol-Raniganj Area	... 83—84
7256. बच्चों की कल्याण सेवा को प्रोत्साहन	Promotion of Welfare Services to Children	84
7257. कैंसर की रोकथाम के लिए अनुसंधान योजना	Plan for Research for checking of cancer	... 85—86
7258. डाक्टर रहित ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र	Rural Health Centres without Doctors	... 86—87
7259. बंगला देश के मामले को राष्ट्र मण्डल में उठाने के लिए कनाडियन संसदीय प्रतिनिधि मंडल का सुझाव	Suggestion of Canadian Parliamentary Delegation for raising Bangla Desh Issue in Commonwealth	87
7260. कलकत्ता में हनुमान अस्पताल और मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी का बन्द होना	Closure of Hanuman Hospital and Marwari Relief Society	88
7261. भारत द्वारा अमरीका से बेकार युद्ध उपकरणों की खरीद	Purchase of obsolete war equipment by India from USA	88

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7262. सेना में काम कर रहे लोअर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नतियाँ	Promotions of L. D. Cs. working in the Army	89
7263. वियतनाम में शान्ति	Peace in Vietnam	89
7264. उत्तरी/दक्षिण कोरिया में भारतीय पर्यटक	Indian visitors to North/South Korea	... 89—90
7265. 1971-72 में नए मेडिकल कालेज	New Medical Colleges in 1971-72	90
7266. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण	Manufacture of Missile by Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad	90
7267. जापान में नेफ्था का निर्यात किये जाने के कारण मद्रास तेल शोधक कारखाने को हानि	Loss to Madras Rafinery due to export of Naphtha to Japan	... 90—91
7268. अमरीका द्वारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर लाइन्स को विमानों की सप्लाई	Supply of planes by USA to Pakistan International Airlines	91
7269. तेल की खोज में लगी एजेंसियाँ	Agencies engaged in Oil Exploration	... 91—92
7270. मनीपुर में श्रमिकों के लिए कम मजूरी दर	Low rate of wages for labour in Manipur	... 92
7271. मनीपुर से डाक्टरों का स्थानांतरण	Transfer of Doctors from Manipur	... 92—93
7272. जनरल अस्पताल, मनीपुर में आपरेशन थियेटर	Operation Theatres in the General Hospital, Manipur	93
7273. देश में रक्तदान	Blood Donations in the country	... 93—94
7274. ल्युकेमिया के उपचार के लिए अनुसंधान	Research for cure of Leukaemia	... 94
7275. देश में शिशु चिकित्सा अस्पताल खोलने के लिए विशेष योजना	Special Scheme for opening of Paediatric Hospitals in the country	... 94
7276. बने बनाये मकान उपलब्ध कराने के लिए बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	Incentive for cooperative societies formed by Unemployed Engineers for producing prefabricated houses	... 94—95
7277. वायु सेना के पुराने विमानों के स्थान पर नये विमानों का लाया जाना	Replacement of obsolete Planes of Air Force	95
7278. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में कर्मचारियों की सेवाओं का समाप्त किया जाना	Termination of the Services of workmen in Oil and Natural Gas Commission	... 95—96

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

7279. संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् में बंगला देश के शरणार्थियों के बारे में प्रिंस सदरुद्दीन द्वारा पाकिस्तानी मत का समर्थन किया जाना	Supporting the Pakistani argument by Prince Saddruddin in UN Economic and Social Council Re : Discussion on Bangla Desh Refugees ...	96—97
7280. मध्य प्रदेश में पीने के पानी की सुविधाएँ	Drinking Water Facilities in Madhya Pradesh	97
7281. मध्य प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की व्यवस्था	Houses in Urban and Rural Areas of Madya Pradhesh ...	97—98
7282. मध्य प्रदेश में आवास सुविधाएँ	Housing Facilities in Madhya Pradesh ...	98—99
7283. मध्य प्रदेश के लिए मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	Malaria Eradication Programme for Madhya Pradesh ...	99
7284. गुजरात राज्य उर्वरक निगम का कार्यकरण	Working of the Gujarat State Fertilizer Corporation ...	99—100
7285. बंगला देश के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही	Action to be taken in respect of Bangla Desh ...	100
7286. दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन बिस्तर	Casualty Beds in Government Hospital in Delhi ...	100
7287. गवर्नमेंट आर्डिनेंस फैक्टरी इण्टर कालेज, कानपुर में काम करने वाले अध्यापकों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading the post of teachers working in Government Ordnance Factory Inter College, Kanpur	101
7288. कोठारी आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Recommendation of Kothari Commission	101
7289. विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधि मंडल	Delegation sent Abroad	102
7290. भारत के दौरे पर विदेशी शिष्ट मंडल	Foreign Delegation visiting India ...	102
7291. पंजाब की ग्रामीण जनता में कुकरों का रोग	Trachoma Disease among Rural Population of Punjab ...	102—103
7292. अमरीका में गदर पार्टी की सम्पत्ति का उत्तराधिकार	Succession to Ghadar Party Property in USA	103
7293. गदर पार्टी के वीरों के लिए एक स्मारक बनाने संबंधी पत्र व्यवहार	Correspondence relating to construction of a Memorial for Ghadar Party Heroes ...	103—104
7294. निजी मकान वाले अधिकारियों को सरकारी मकानों का आबंटन	Allotment of Government Accommodation to Officers owning Houses ...	104

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

7295.	छावनी बोर्ड अधिनियम, 1924 में संशोधन	Amendment of Cantonement Board Act, 1924 ...104—105
7296.	दानापुर छावनी में सेना में भर्ती किये गये व्यक्ति	Persons recruited in Army in Danapur Cantonement 105
7297.	अमरीकी नीति के संदर्भ में बंगला देश की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन	Reappraisal of the situation of Bangla Desh in view pf USA Policy ...105—106
7298.	संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा पुनः तैयार करना	Re-drafting of U. N. Charter ... 106
7299.	लाल किला, दिल्ली के सामने नेता जी की मूर्ति का लगाया जाना	Installation of Netaji statue infront of Red Fort, Delhi ... 106
7300.	दिल के दौरे की आयुर्वेदिक चिकित्सा का आविष्कार	Invention of Ayurvedic Treatment for Heart Attack ... 107
7301.	एस० ए० 315 हैलीकोप्टरों का निर्माण	Manufacture of S. A. 315 Helicopters 107
7302.	मद्रास उर्वरक उद्योग समूह का निर्माण कार्य विदेशी फर्म को सौंपा जाना	Erection work of Madras Fertilizer Complex entrusted to a foreign concern ...107—108
7303.	नई दिल्ली स्थित केरल के हस्तशिल्प एम्पोरियम के लिए वैकल्पिक प्लाट	Alternative Plot for Handicraft Emporium for Kerala located in New Delhi ... 108
7304.	नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल में प्रेम कुमारी की मृत्यु	Death of Prem Kumari in Willingdon Hospital, New Delhi ...108—109
7305.	ओपिन टेंडर बेसिस गवर्नमेंट साईकिल कांटेक्टर्स एसोसियेशन	Open Tender Basis Government Cycle Contractors Association ...109—110
7306.	दिल्ली में निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन साईकिल स्टेंड	Cycle stands in Delhi under the control of Ministry of Works and Housing 110
7307.	मुनीरका, नई दिल्ली के ग्रामवासियों की दयनीय स्थिति	Plight of the villagers of Munirka, New Delhi ...110—111
7308.	चीनी सैनिक द्वारा भारतीय सेना के समक्ष आत्म समर्पण	Chinese soldier surrendered to Indian Army ... 111
7309.	राष्ट्रपति भवन शिमला के मुख्य द्वार पर ब्रिटिश राज्य चिह्न	British emblem on main gate of Rashtrapati Bhavan, Simla 111
7310.	दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत होम्योपैथी के औषधालय	C. G. H. S. Homoeopathic Dispensaries in Delhi ...111—112

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7311. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में खुदाई कार्य में लगे हुए रूसी वैज्ञानिक	Russian Scientists engaged for exploration work in Oil and Natural Gas Commission	112
7312. बंगला देश के शरणार्थियों के लाने, ले जाने के लिए अमरीकी परिवहन विमानों का प्रयोग बन्द करना	Discontinuance of use of U. S. Transport planes for transporting of Bangla Desh refugees	.. 112—113
7313. पोदीने के सत्त का उत्पादन और उपभोग	Production and consumption of Menthol	113
7314. कलकत्ता स्थित मैसर्स स्मिथ स्टेनीस्टीड एण्ड कम्पनी में कदाचार और कुप्रबन्ध के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding malpractice and mis-management of M/s Smith Stanistreet Company, Calcutta	...113—114
7315. के० जी० मेडीकल कालेज, लखनऊ को उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए अनुदान	Grants to the K. G. Medical College, Lucknow for Advanced Studies and Research	114
7316. कानपुर स्थित कैंसर के जे० के० संस्थान को अनुदान	Grants to J. K. Institute of Cancer, Kanpur	...114—115
7317. ब्रिटेन में भारतीयों को तंग किया जाना	Harassment to Indians in U. K.	115
7318. दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक डाक्टर	Ayurvedic and Homoeopathic Doctors in CGHS Scheme in Delhi/New Delhi	...115—116
7319. स्थल सेना में पुनर्नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन में तदर्थ वृद्धि का लाभ	Benefit of Ad Hoc increase in Pension to Re-employed Army men	...116—117
7320. आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने के संबंध में मानकीकृत विशिष्टियाँ	Standardized specification of Ayurvedic Medicinal Preparations	117
7321. सेना में एक आदिवासी रेजीमेंट का गठन	Raising of an Adivasi Regiment in Army	117
7322. चकराता में स्थल सेना के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत	Complaint regarding alleged corrupt practices adopted by Senior Army Officers at Chakrata	118
7323. नागाओं द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के मारे गये कर्मचारी	Personnel of Central Reserve Police killed by Nagas	118
7324. भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा अधिनियम	Indian Medical and Health Services Act	119
7325. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की दूरस्थ क्षेत्रों में नियुक्ति	Posting of Doctors of Central Health Service to remote areas	..119—120

अता॰ प्र॰ संख्या

U. S. Q. Nos.

7326.	दिल्ली में केन्द्रीय अस्पतालों के मेडीकल सुपरिटेंडेंटों की पदावनति	Demotion of Medical Superintendents of Central Hospitals in Delhi	.. 120—122
7327.	बैरल निर्माताओं को कच्चा माल देना	Issue of raw material to the Barrel Fabricators	...122—123
7328.	भारतीय तेल निगम द्वारा बैरल व्यापार	Barrel deal by Indian Oil Corporation	123
7329.	निर्माताओं को अलाट की गई इस्पात चादरों में से उनके द्वारा निर्मित बैरलों का आबंटन	Allotment of Barrels manufactured by the Fabricators out of the Steel Sheets allotted to them	...124—125
7330.	बंगला देश के शरणार्थियों में ब्रिटिश पासपोर्ट धारी	British Passport holders among Bangla Desh Refugees	125
7331.	बम्बई में नौसेना के सिविल कर्मचारियों के काम के घंटे	Working Hours of Naval Civilian Employees of Bombay	...125—126
7332.	दिल्ली स्थित राजघाट समाधि और शान्तिवन में भित्ति चित्रों की खुदाई और अन्य कार्यों का निर्माण	Inscription of Murals and other works at Rajghat Samadhi and Shanti Vana, Delhi	126
7333.	ध्रुवक और चिल्का पर काम करने वाले व्यक्तियों को समयोपरि भत्ते का न दिया जाना	Non-payment of Overtime Allowance to Naval Crew of Dhruvak and Chilka	...126—127
7334.	बम्बई में डाकयार्ड सहकारी बैंक के धन का तथाकथित दुर्विनियोग	Alleged misappropriation of funds of Dockyard Cooperative Bank in Bombay	127
7335.	नौसेनिक डाकयार्ड औद्योगिक कैंटीन बम्बई के लेखों के लेखापरीक्षित विवरण का तैयार किया जाना	Preparation of audited statement of accounts of Naval Dockyard Industrial Canteen, Bombay ...	127
7336.	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति	Delhi School Teachers Cooperative House Building Society, Delhi	...127—128
7337.	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति के सदस्यों को प्लाटों का आबंटन	Allotment of plots to the members by the Delhi School Teachers Cooperative House Building Society	...128—129
7338.	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली में कथित अनियमितताएँ	Alleged irregularities in Delhi School Teachers' Co-operative House Building Socieity, Delhi ...	129

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7339. दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति के सदस्यों और प्रबन्धकों के बीच विवाद	Dispute between the Members and the Management of Delhi School Teachers' Co-operative House Building Society	...129—130
7340. भर्ती कार्यालयों के माध्यम से सेना में भर्ती का तरीका	Method of recruitment in the Army through Recruitment offices	... 130
7341. स्थल सेना के रिजर्व अफसरों के वेतन मान	Pay Scale of Reserve Officers of Army	...130—131
7342. बिहार रेजीमेंट में आदिवासी और संथाल लोगों की भर्ती	Recruitment of Adivasis and Santhals in Bihar Regiment	131
7343. त्रिपुरा पुलिस द्वारा त्रिपुरा सरकार प्रेस की सामग्री का कथित पकड़ा जाना	Alleged seizure of Tripura Government Press Materials by Tripura Police	... 131
7344. जी० बी० अस्पताल, अगरतल्ला का विस्तार	Expansion of G. B. Hospital, Agartala	... 132
7345. नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिये जाने वाले एक कमरे वाले क्वार्टरों का दो कमरों वाले क्वार्टरों में बदला जाना	Conversion of Single Room Class IV Quarters into Double Room Quarters in New Delhi	... 132
7346. दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियों को रात्रि भत्ता	Night Duty Allowance for Employees of CGHS in Delhi	...132—133
7347. शिमला मेडिकल कालेज को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना	Taking over of Simla Medical College	... 133
7348. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लाभ में कमी	Decline in the profits of Oil and Naturai Gas Commission	...133—134
7349. दिल्ली में कोढ़ से पीड़ित भिखारी	Beggers suffering from leprosy in Delhi	... 134
7350. अमरीकी दूतावास द्वारा जारी किया गया वक्तव्य	Statement issued by the US Embassy	... 134
7351. नासिक में औजूर स्थित मिग फैक्टरी द्वारा पंचायत को कर का भुगतान	Payment of tax to Panchayat by MIG Factory at Ozur in Nasik	... 135
7352. नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में विधेयक	Bill Re: Ceiling on Urban Property	135
7353. कोचीन तेल शोधक कारखाना चालू होने से लेकर अब तक फिलिप्स कम्पनी द्वारा लाभ की राशि को स्वदेश भेजा जाना	Repatriation of profits by Philips Company since the commissioning of Cochin Refinery	...135—135

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

7354. कोचीन तेल शोधक कारखाने में विदेशी	Foreigners in Cochin Refinery	136
7355. विदेशों में भारतीय उच्चायुक्तों में कर्मचारी	Staff in Indian High Commissions Abroad	...136—137
7356. चकरी हवाई अड्डे से मिग विमान की बैटरियों की चोरी	Theft of batteries of MIG Aircraft from Chakari Airport ...	138
7357. दिल्ली में गैर सरकारी इमारतों में सरकारी उपक्रमों के अधिकारी	Officers of Public Undertakings accommodated in Private Buildings in Delhi ...	138
7358. सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के कब्जे में क्वार्टर	Quarters in occupation of Retired Government Employees ...	139
7359. विदेशों में भारतीय राजनयिक प्रतिनिधि	Indian Diplomatic Representatives in foreign countries ...	139
7360. भारत स्थित विदेशी मिशनों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ	Journals and periodicals published by foreign missions in India ...	139
7361. विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ	Journals and Periodicals published by Indian Missions Abroad	140
7362. भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन पत्र देने हेतु समयावधि को बढ़ाना	Extension of time limit for applying for Indian Citizenship ...	140
7365. बंगला देश के शरणार्थियों के शिविरों में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों का तैनात किया जाना	Posting of U. N. Observers in Refugee camps of Bangla Desh	...140—141
7366. दिल्ली में आवास तथा गन्दी बस्ती संबंधी विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on Housing and Slum in Delhi	...141—142
7367. दिल्ली के अस्पतालों में औषधियों की कमी	Shortage of Medicines in Delhi Hospitals ...	142
7368. "रेबीज़" रोग के उपचार के लिए टीकों की भारी कमी	Acute shortage of rabies vaccine	...142—143
7369. चीनियों द्वारा चुम्बी घाटी में लम्बी दूरी तक मार करने वाली बन्दूकों का लगाया जाना	Setting up long range Chinese Guns in Chumbi valley ...	143
7370. कोसीपुर स्थित जी० एस० फैक्टरी में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Shooting by Police at Cossipur G. S. Factory	...143—*144*

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7371. उत्तर प्रदेश में संस्थाओं/कालेजों/स्कूलों को आबंटित फालतू सैनिक गाड़ियाँ	Surplus Army vehicles released to Societies/Colleges/Schools in U. P.	144
7372. मंगलौर उर्वरक कारखाना	Mangalore Fertilizer Plant	...144—145
7373. उत्तर प्रदेश में नगरीय सामुदायिक विकास क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शी योजना	Pilot Project for Urban Community Development Areas in U. P.	... 145
7374. एडवर्ड केवेन्टर, दिल्ली की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Edward Keventer, Delhi	... 145
दिनांक 12·7·71 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4511 के उत्तर में शुद्धि	Correcting statement to U. S. Q. No 4511 dated 12-7-71	146
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
शेख मुजीबुर्रहमान को फाँसी दिये जाने के बारे में पाकिस्तान के प्रेसीडेन्ट याह्या खाँ का कथित वक्तव्य	Reported statement by President Yahya Khan of Pakistan to execute Sheikh Mujibur Rehman	...146—151
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	...151—152
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	153
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
ग्यारहवाँ प्रतिवेदन	Eleventh Report	153
भारतीय गणतन्त्र तथा सोवियत समाजवादी गणतन्त्र के बीच शान्ति, मित्रता तथा सहयोग की सन्धि के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Treaty of Peace, Friendship and Cooperation between India and USSR	...153—158
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	
संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) विधेयक पुरः स्थापित	Constitution (Twenty-Sixth Amendment) Bill Introduced	...158—159
भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक—	Indian Telegraph (Amendment) Bill—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किये जाने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	...159—161
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
खण्ड 2 से 4 तथा 1	Clauses 2 to 4 and 1	...161—162
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	... 162
श्री ज्योतिमय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	...162—163
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	163
श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri N. N. Pandey	... 163
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	...163—164
डा० लक्ष्मीनारायण पांडे	Dr. Laxminarain Pandey	164
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	164
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	...164—165
अनुदानों की अनुपूरक माँगें (सामान्य) 1971-72	Supplementary Demands for Grants (General) 1971-72	...165—174
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	...165—166
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	...166—167
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Mukerjee	...167—169
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	...169—171
श्री शिब्बन लाल सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	171
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	...171—172
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	... 172
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	...172—173
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	...173—174
विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1971—	Appropriation (No. 3) Bill, 1971—	
पुरःस्थापित तथा पारित	Introduced and passed	175
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	175
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	175
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	175
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	176
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	176
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	...176—177
पूर्वी रेलवे पर रेल दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा—	Discussion Re. Accidents on the Eastern Railway	.. 178—186
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	...178—173
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Mukerjee	...179—180
श्री माधुर्य हालदार	Shri Madhuryya Haldar	...180—181
श्री पी० आर० दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	...181—182

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malviya	182
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	...182—183
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai ...	183
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	...183—184
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	...184—186
बिड़ला बन्धुओं और अन्य द्वारा वर्ष 1969-70 में कर अपवंचन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion Re: Tax Evasion by Birlas and Others in 1969-70	.. 187—190
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	...187—188
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	...189—190

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 9 अगस्त 1971/18 श्रावण, 1893 (शक)

Monday, August 9, 1971/ Sravana 18, 1893 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन-संबंधी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सभा को पंडित विनोदानन्द झा के दु:खद निधन की सूचना देनी है जिनका निधन कल रात केरल के कोटकल नामक स्थान पर हुआ । वे 71 वर्ष के थे ।

पंडित विनोदानन्द झा इस सभा के वर्तमान सदस्य थे । वे बिहार के दरभंगा निर्वाचन से निर्वाचित होकर आये थे । वे 1949-50 में संविधान सभा के सदस्य थे । 1936 में वे बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और 1936 से 1938 तक बिहार में संसदीय सचिव रहे । बाद में 1946 में वे बिहार मंत्रिमंडल में मंत्री बने । तत्पश्चात्, वे बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1963 तक उस पद को संभाला । वे एक ख्यातिप्राप्त विद्वान थे तथा आदिवासियों तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए वे सदैव आगे रहे । वे एक महान स्वतन्त्रता सेनानी तथा सम-सामयिक स्वतंत्रता प्रेमियों में अग्रगण्य थे । वे एक ऐसे महान भारतीय थे जिन्होंने अपने देश के लोगों और देश से सर्वाधिक प्यार किया । कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था परन्तु इसके बावजूद भी वे कुछ दिन पीछे तक सभा की कार्यवाही में भाग लेते रहे । उनके निधन से देश ने एक सम्माननीय महान राजनेता खो दिया है ।

हमें इस विशिष्ट साथी के निधन पर गहरा शोक है तथा मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करने में मेरा साथ देगी ।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना व प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, मुझे श्री विनोदानन्द झा के निधन पर गहरा दु:ख और सदमा पहुँचा है । उनके

निधन से हमारे में से एक महान देशभक्त और विद्वान तथा विशिष्ट साथी उठ गया है जिसकी सत्यनिष्ठा और कर्त्तव्यपरायणता का हम बहुत आदर करते थे ।

श्री विनोदानन्द जी आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से थे । उन्होंने राज्य में विधायक तथा मुख्यमंत्री के रूप में तथा देश की एक राजनीतिज्ञ के रूप में जो सेवा की है, वह सर्वज्ञात है । जैसाकि आपने भी व्यक्त किया है, लगातार अस्वस्थ रहने तथा चलने-फिरने में असमर्थ होने पर भी वे मानसिक रूप से बड़े सक्रिय रहे तथा एक सच्चे राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में वे अपने बहुमुखी कार्यक्रमों को चलाते रहे । बुद्धिमत्ता तथा महान आदर्शों पर अडिग रहना उनके जीवन तथा कार्य के मार्गदर्शी सिद्धान्त रहे तथा उनके साथ कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों पर उन्होंने गहरा प्रभाव छोड़ा है । उनके निधन से जो अभाव हुआ है उसे केवल बिहार में ही नहीं बल्कि सारे देश में हमारा दल बहुत महसूस करेगा ।

कुछ दिन पूर्व वे इस सभा में हम सब के साथ थे तथा कल सांयकाल को ही मुझे पता चला कि वे बीमार हो गये हैं । यदि हम उन्हें यहाँ लाकर उनका इलाज करा सकते तो शायद वे स्वास्थ्य लाभ कर सकते । परन्तु बाद में जब उनके निधन का समाचार मिला तो हमें एक गहरा धक्का लगा ।

श्रीमन्, शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करने में हम आपके साथ हैं ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्री विनोदानन्द झा के निधन पर इस सभा में जो शोक-पूर्ण उद्धार व्यक्त किये गये हैं, मैं अपने दल की ओर से उनका समर्थन करता हूँ और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ । अपनी सार्वजनिक सेवा के कारण वे एक लोकप्रिय नेता बन गये थे । अतः उनके निधन से देश को बड़ी हानि हुई है और इसके लिये हमें हार्दिक दुःख है ।

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : Sir, on behalf of my party, I also share the sentiments of sorrow expressed by the Prime Minister and our other colleagues on the sad demise of Pandit Vinodanand Jha. I had been in close contact with Shri Jha for a very long time. During the freedom movement when I was young I had some opportunities to stay with him in prisons and remaining in his close contact. I could see how he encouraged and led the freedom fighters during those days. After independence, he continuously served our Bihar State as a leader. He was also Chief Minister of Bihar State for some years and served the country, particularly Bihar State, well. He also worked as Chairman of Peace Council of which I was Secretary. I found that he had always tried to take part in every sort of movement and encouraged the workers to his utmost. Thus, the sad demise of such a stalwart is a great loss to our country, particularly to the Bihar State at a time when it is affected by floods. Under the prevailing circumstances his presence among us was most necessary but he has left us. I, on behalf of my party, again pay our homages to him and request to convey our condolences to the bereaved family.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Sir, today we have assembled here under a deep shadow of death. Vinoda Babu has left for his heavenly abode. A day back we had seen him occupying his seat near that gate. He was not keeping good health. Even his advanced age with continuing ill-health he wanted to dedicate even last moment of his

life in the service of his country. Today on 9th August when we are celebrating a day of revolutions, passing away of a freedom fighter, away from his family in Kerala State, leaves a lesson for the new generation. He could have easily retired from the public life but he continued to work to the last moment of his life. I had observed Vinoda Babu from many angles and on many occasions. He was well behaved, very polite, had a team spirit and used to create congenial atmosphere wherever he participated. Even having political differences he did never doubt the bonafides of opposition. He did never behave in an inproper manner. Our public life is being deprived of such personalities. We pay our tributes to him and in fact the best tribute to him would be to pray the Almighty to give us required strength to serve the country to the last moment of our life. On behalf of my party and my own behalf I pay tributes to him. It is a great loss to Bihar State. I request you to convey our feelings to the bereaved family. On this sad moment they are not alone, the whole country is mourning Vinoda Babu. Though he is not between us now but we will always remember him.

श्री सेझियान (कुम्बाकोणम) : महोदय, श्री विनोदानन्द झा की दुखद मृत्यु के संबंध में जिन भावनाओं को सभा के नेता ने, आपने तथा हमारे दूसरे सदस्यों ने व्यक्त किया है मैं उन भावनाओं के साथ अपने दल को भी सम्बद्ध करता हूँ। उनके निधन पर हमने एक साहसी स्वतंत्रता सेनानी और संसदीय प्रणाली का एक अनुभवी ज्ञाता खो दिया है। मैं आपसे शोक संतप्त परिवार को हमारी ओर से भी संवेदनाएँ व्यक्त करने का अनुरोध करता हूँ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : Sir, today when the state of Bihar is passing through an ordeal, the passing away of its top leader Shri Vinoda Babu will prove a hard blow to it. Sir, you might recall that last time when he came here to take oath a very pathetic scene was created. He was not keeping good health. But for some days when we saw him sitting in the House we felt that he was gaining health and it was a matter of relief for us, his followers.

Today, when we all are celebrating the Revolution Day, the death of Shri Vinoda Babu has proved a fatal blow to us on the occasion. He was a true follower of Dr. Rajendra Prashad and was among firm supporters & colleagues of our leading leaders in Bihar like Dr. Shrikrishna Sinha & Dr. Anugraha Narayan Sinha. Last time when China attacked our country, he was the Chief Minister of Bihar State. The feeling of awakening which he aroused among the people in Bihar State at that time it cannot be described here in detail. Few people know that his field of activities was of varied nature and he worked even among the labourers very sincerely. No other congress leader could have contributed so much for the Jamshedpur Labour Union as he contributed for it. Many a people do not know that he was the most talented leader next to Professor Abdul Bari. The interest which he was showing in reading the latest thoughts, is not seen in the public leaders of today. He was a man of balanced views. Our members of Bihar Lagistative Assembly had observed that he was a perfect Parliamentarian. He was so soft spoken that every body who came in contact with him was impressed by him. We feel ourselves among one of the members of breaved family. Hence we need to be consoled. On behalf of my party and my own behalf, I offer my condolences to the bereaved family and pray to God that his soul may in rest.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : महोदय, मैं श्री विनोदानन्द झा को 1937 से जानता हूँ। जब मैं पटना में छात्र था तो वे बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनके निधन से इस देश को बड़ी हानि पहुँची है। एक मूर्धन्य राजनीतिज्ञ को खोकर देश अकिंचन हो गया है। इस समय देश को मार्ग दर्शन के लिए उनकी उपस्थिति की अति आवश्यकता थी। स्वतंत्र

पार्टी की ओर से मैं स्वयं को आपके द्वारा और दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त दुखद भावनाओं से सम्बद्ध करता हूँ और शोक संतप्त परिवार के प्रतिसंवेदना प्रकट करता हूँ ।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : महोदय, श्री विनोदानन्द झा की दुखद मृत्यु पर व्यक्त समवेदनाओं से अपने को संबद्ध करते हुए मैं एक तथ्य पर प्रकाश डालता हूँ जिसका कि बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं है । श्री विनोदानन्द झा प्रथम विश्व युद्ध के दिनों से ही इस देश में गुप्त क्रान्तिकारी आन्दोलन के एक सक्रिय सदस्य रहे थे । उनके राजनीतिक जीवन के इस पहलू से बहुत से व्यक्ति अनभिज्ञ हैं । बाद में महात्मा गांधी के आह्वान पर वे काँग्रेस में शामिल हो गये और जैसे अभी श्री मिश्रा ने बताया वे डा० राजेन्द्र प्रसाद के अभिन्न अनुयायी तथा सहयोगी बन गए । बंगाली होने के नाते मुझे गहरा दुःख है क्योंकि मुझे याद है कि वे हमारे वरिष्ठ बिहारी मित्रों में से एक थे जिन्होंने सदैव बंगाली-बिहारी मित्रता के लिए कार्य किया और वे उन बिहारी नेताओं में से एक थे जो बंगला निवासियों की तुलना में अधिक शुद्ध और सुन्दर बंगाली बोल सकते थे । मित्रों और राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों के प्रति उनके मृदुल स्वभाव के बारे में प्रत्येक व्यक्ति ने उल्लेख किया है । मैं अपने आपको आपके द्वारा, प्रधान मंत्री द्वारा, और हमारे दूसरे साथियों द्वारा प्रकट भावनाओं से पुनः संबद्ध करता हूँ ।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : महोदय, तेलंगाना प्रजा समिति की ओर से मैं कहना चाहूँगा कि श्री विनोदानन्द झा को मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ । वे राजनीतिक क्षेत्र में अग्रगण्य व्यक्ति, बिहार के नेता, विद्वान और प्रतिष्ठावान व्यक्ति थे । मैं सदन के नेता द्वारा, आपके द्वारा और दूसरे सदस्यों द्वारा व्यक्त भावनाओं से स्वयं को पूरी तरह संबद्ध करता हूँ और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि शोक संतप्त परिवार को हमारी ओर से संवेदनाएं व्यक्त करें ।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : महोदय, इस सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री विनोदानन्द झा के निधन पर व्यक्त की गई भावनाओं से संयुक्त स्वतंत्र संसदीय ग्रुप की ओर से हम अपने आपको संबद्ध करते हैं । वे संसदीय मामलों के ज्ञाता, बड़े ही सरल और कोमल हृदय के व्यक्ति थे । हम आपसे शोक संतप्त परिवार को हमारी ओर से संवेदनाएँ व्यक्त करने का अनुरोध करते हैं ।

श्री एम० मोहम्मद इसमाइल (मंजेरी) : महोदय, योग्य साथी श्री झा के निधन पर सभा में व्यक्त की गई भावनाओं और प्रकट किए गए शोक से अपने दल मुसलिम लीग की ओर से तथा अपनी ओर से मैं अपने आपको संबद्ध करता हूँ । वे संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य थे और उनके बहुमूल्य अनुभव की, विशेषकर इतिहास के इस मोड़ पर, देश को भारी आवश्यकता थी । अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएँ व्यक्त करते समय हमारी संवेदनाएं भी शामिल करली जाएँ ।

अध्यक्ष महोदय : सभा के सदस्य अपना शोक व्यक्त करने के लिए कुछ समय के लिये मौन खड़े हों ।

इसके पश्चात सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे ।
The members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Indian Cultural Centres in Foreign Countries

*1621. SHRI S. D. SINGH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of foreign countries where Indian Cultural Centres have been set up; and

(b) whether the officers working therein are required to have special knowledge of Indian culture ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार के तत्वावधान में विदेश में अभी तक किसी भी भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है। लेकिन विदेश स्थित हमारे अधिकांश मिशनों में पुस्तकालयों और वाचनालयों की व्यवस्था है और वहाँ फिल्म दिखाने की भी व्यवस्था है तथा हमारे जनसम्पर्क अधिकारी और सूचना अधिकारी सांस्कृतिक मामलों पर विशेष ध्यान देते हैं, जिनके लिए उनके पास पर्याप्त सामग्री होती है।

SHRI S. D. SINGH : I would like to know the number of countries with their names where our Cultural Attaches have been appointed and whether they possess sufficient knowledge of Indian Literature and Culture ?

SHRI SURENDRA PAL SINGH : The names of all these countries are not readily available with me but Cultural Attaches have been appointed in our Embassies in a number of places viz., London, Moscow, New York and Washington. Similarly, there are many other places also. As I have already sated in reply to the question, those working in foreign missions are well acquainted with the cultural affairs. They are doing a good job.

SHRI S. D. SINGH : A noted journalist and writer of Hindi Shri Sachchidanand Hiranand Vatsyayan, who is also the editor of the 'Dinman' has written in one of his articles that when ne visited the Indian Missions abroad, he was introduced as "आप हैं 'कामसूत्र' के प्रसिद्ध लेखक।" This shows that our foreign missions and the people put on this job, whether higher officials or lower ones, do not have adequate knowledge of Indian culture. I want to know whether it is a fact that the Indian people in foreign countries do not have proper knowledge of Indian culture and literature and even if some of them possess this knowledge, they feel proud in forgetting it when they go abroad. So, do the Government make any arrangements to equip them with the background of Indian Culture before they are sent abroad ?

SHRI SURENDRA PAL SINGH : All of our officials who are sent abroad for this job are made familiar with all aspects of our culture and history. It is possible that all employees may not be possessing the same degree of knowledge. It may be that some are more informed while others are not so. It is our effort to see that the people put on this job are fit for this work.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Reply to the (b) part of the question is not very

clear. It is true that we are not having any Cultural Centres but in our Embassies, Cultural Attaches are there. The question is that while selecting candidates for the posts of Cultural Attaches, is there any arrangement to ascertain whether they will be able to carry out the responsibility entrusted to them. If people who cannot distinguish between culture and civilization are sent abroad as Cultural Attaches, it is doubtful if they will be able to propagate our culture ?

SHRI SURENDRA PAL SINGH : I am trying to find out the basis of the members' allegation that our men posted there are incompetent ? Our endeavours are to see that whosoever is put on this job should be well acquainted with our culture. If some particular persons are pointed out we could investigate and reply for them. Our endeavour remains that the best men are sent to shoulder this work and they are working very well. It is possible that there is difference of degree in the ability of these people but to say that they are all incompetent is wrong.

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, विदेशों में हमारे देश की संस्कृति का प्रसार कार्य घटिया होने के कारण क्या सरकार अन्य देशों में, विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में तथा अन्य सभी देशों में जिनके साथ हमारी सांस्कृतिक निकटता है, 'भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद' की शाखाएँ खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमारे सूचना अधिकारियों और सांस्कृतिक सहचारियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भी इसी प्रकार का कार्य कर रही है तथा क्या परिषद ने कई योजनाएँ तैयार कर रखी हैं । उदाहरण के लिए परिषद ने भारतीय विद्या के केन्द्र खोल रखे हैं और विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति के पीठ भी स्थापित किये हुये हैं । परिषद ने फिजी में सुआ और गियाना में जार्जटाउन नामक स्थानों पर दो सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव रखा है ।

SHRI R. S. PANDEY : Indian Culture consists of five fine arts. I would like to know as to what is the criterion of eligibility and ability of the Cultural Wings which are attached to our Embassies for the purpose of propagating our culture ? Do you hold some sort of test before sending these people abroad.

SHRI SURENDRA PAL SINGH : The work of promoting the cultural relations is done mainly by I. C. C. R. In fact this subject relates to the Ministry of Education. They have entered into many cultural agreements. They send many troupes of singers, musicians, dancers abroad. Similarly, foreign troupes also visit this country. Thus this work is carried on by I. C. C. R. and Ministry of Education. In addition to this, some work is carried out by our Embassies also. In fact plans and schemes are prepared by the Ministry of Education and implementation is done by us. Endeavour is made to carry out this work effectively in coordinateon with the Ministry of Education and I think the work is going on very well. If the Hon'ble Member has some instance in mind that there is something wrong someowhere, that should be brought to our notice. We will try to set it right.

श्री एच० एन० मुकर्जी : महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि विदेशों में जाने वाले या वहाँ कुछ समय तक रहने वाले लोगों में यह आम धारणा है कि ये अधिकारी सामान्यत: सूचना अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं जो कि प्रधान मंत्री के भाषणों जैसे कागज़ातों के वितरण कार्य में ही लगे रहते हैं तथा उन देशों के

सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के साथ जहाँ उनकी नियुक्ति हुई है सम्पर्क बनाने, या इस प्रकार का आयोजन करने वाले जिससे कि विदेशों में भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी मिल सके, भारतीय संस्कृति के प्रवक्ताओं के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह माननीय सदस्य का विचार है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ।

डा० मेलकोटे : क्या यह सच है कि भारत से बाहर जाने वाले लोगों—जिनमें अधिकांशत: छात्र होते हैं—से विदेशी लोग भारत की संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं ? प्राय: इन भारतीयों से, जिनमें हिन्दू, ईसाई और मुस्लिम सभी शामिल हैं, भारत की संस्कृति के बारे में कुछ बताने के लिए कहा जाता है और ये लोग भारतीय संस्कृति का विकृत चित्र उनके सामने रखते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इन बातों में सुधार लाने के लिए सांस्कृतिक विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यह सच है कि बहुत से भारतीय छात्र विभिन्न देशों में जाते हैं। अत: यह महत्वपूर्ण है कि ये लोग यहाँ से जाने से पहले भारतीय संस्कृति के बारे में उपयुक्त ज्ञान प्राप्त कर लें जिससे कि वे वहाँ पर भारत का बेहतर चित्र प्रस्तुत कर सकें। इस उद्देश्य के लिए सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय परिषद ने एक नई योजना का, जिसे उन्होंने 'भारतीय विद्वानों का अनुस्थापन' कहा है, प्रस्ताव रखा है। इस योजना के अन्तर्गत किसी छात्र को विदेश जाने से पहले एक 'अनुस्थापन पाठ्यक्रम' पूरा करना होगा जिसमें उसे भारतीय संस्कृति के सभी पहलुओं से अवगत कराया जायेगा जिससे कि उसे हमारी संस्कृति की उपयुक्त जानकारी प्राप्त हो सके और वह विदेश में जाकर अपने देश का बेहतर चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके।

श्री श्यामनंदन मिश्र : जब भारतीय विदेश सेवा के लिए चयन किया जाता है तो क्या उस चयन में, विशेषकर सांस्कृतिक सहचारियों के चयन में, किन्हीं मानदण्डों का निर्धारण किया जाता है जैसा कि वाणिज्यिक सहचारियों के पदों के लिए अनिवार्य है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सांस्कृतिक सहचारी शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी होते हैं। उनका चयन शिक्षा मंत्रालय करता है तथा बाद में उन्हें विदेश स्थित हमारे मिशनों से सम्बद्ध किया जाता है। ये अधिकारी काम तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से करते हैं किन्तु जब तक वे मिशनों में रहते हैं, वे हमारे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होते हैं।

श्री श्यामनंदन मिश्र : यह स्थिति अत्यन्त असंगत है।

अन्धेपन के मामले

*1623. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य एशियाई देशों की तुलना में अपने देश में अन्धेपन की प्रतिशत दर और कारणों के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने अन्धेपन की प्रतिशतता पर नियन्त्रण लाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या कार्यवाही की और उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). अन्य एशियाई देशों की तुलना में हमारे देश में खासतौर पर कितने व्यक्ति अन्धे हैं और इसके क्या कारण हैं इसके संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ने 'देश में अन्धता की व्यापकता और प्रकोप के संबंध में एक समन्वित अध्ययन' शुरू किया है। इस पर अभी काम चल ही रहा है।

(ग) रोहे, चेचक, पौष्टिक तत्वों की कमी, मोतियाबिन्द, चोटें आदि अन्धता के प्रमुख कारण हैं। एक राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है। चेचक उन्मूलन के लिये भी एक कार्यक्रम है। बच्चों में विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाली अन्धता के निवारण के लिये रोगनिरोध की एक योजना इस आयोजन में शुरू की गयी है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण बच्चों में बहुत बड़ी संख्या में अंधापन पाया जाता है। बच्चों में अन्धेपन को दूर करने के लिए अभी तक सरकार का क्या कार्यक्रम रहा है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मूल प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि कुछ मामलों में अन्धेपन का कारण पौष्टिक तत्वों की कमी है। चौथी पंचवर्षीय योजना में 1-5 वर्ष की आयु के लगभग 1 करोड़ 20 लाख बच्चों को खाने वाले तेलों के रूप में विटामिन 'ए' दिये जाने का विचार है, जिसमें से 1971-72 तक 48 लाख बच्चों को यह लाभ पहुँचाया जा सकेगा। इस आयु-समूह के बच्चों के भोजन में विटामिनों की मात्रा बढ़ाने के लिए कुछ अन्य सहायक भोजन कार्यक्रमों को भी आरम्भ किया गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पश्चिमी देशों में वहाँ की सरकारें आँखों की पुतलियाँ लगाने की पद्धति को अपना रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार भी देश में इस प्रकार की कोई योजना लागू करने पर विचार कर रही है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जी हाँ, महोदय।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि विशेष रूप से उत्तर-पूर्व भारत में बच्चों की काफी बड़ी संख्या पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण अन्धेपन की शिकार हो जाती हैं, इसे स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार को इस बात का पता हाल ही में लगा है या नहीं कि जहाँ तक हमारे देश के बच्चों का संबंध है, हम जन स्वास्थ्य के इस पहलू की अभी तक उपेक्षा करते रहे हैं और इस विषय में कुछ करने के लिए हम वर्तमान योजना अवधि में ही सचेत हुए हैं ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : सरकार इस समस्या के प्रति काफी समय से जागरूक है।

इस समस्या से निपटने के लिए समय के साथ-साथ सरकार योजना और वित्तीय आबंटनों में वृद्धि करती रही है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि सरकार इस समस्या से अवगत है और धन के नियतन में वृद्धि सरकार की इस समस्या के प्रति सजगता को स्पष्ट करती है।

श्रीमती शीला कौल : किन अभिकरणों के माध्यम से इस कार्यक्रम को पूरा किया जाता है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस संबंध में कई कार्यक्रम हैं। स्कूली बच्चों का पोषण 'लंच-पैकटों' के द्वारा किया जाता है। बालवाड़ी कार्यक्रम तथा अनुपूरक पोषण कार्यक्रम भी हैं। इस प्रकार के चार या पाँच कार्यक्रम हैं।

श्रीमती शीला कौल : मैं अभिकाणों के बारे में जानना चाहती हूँ।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न पर्याप्त है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : We have a system of imparting education to the blind children in our country. There are schools also. Will the Hon'ble Minister state whether the aid given by the Central Government to these schools is adequate and what is the amount of the aid ? Have the schools approached for the increased amount of aid ? Is it a fact that in the matter of employment, priority is not given to the trained blind children ? What arrangement Govt. has made for them ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नेत्रहीनों की संख्या के बारे में है, उन्हें प्रशिक्षण देने के बारे में नहीं।

श्री त्रिदिब चौधरी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अंधेपन के प्रकोप के बारे में खोजबीन करते हुए हाल ही में फैले 'नेत्र-फ्लू' के प्रभावों के बारे में भी अध्ययन किया गया था ? यह रोग अब पूरे भारत में फैल चुका है। यह रोग बम्बई से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली में फैला। अब इस रोग ने सांघातिक रूप ले लिया है। क्या इस बारे में अध्ययन किया गया है ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस रोग से अंधेपन में वृद्धि होने की आशंका है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस प्रश्न का उत्तर सदन में कई बार दिया जा चुका है। 'नेत्र-फ्लू' का अंधेपन पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। समस्या का अध्ययन किया जा रहा है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : उत्तर पूर्व में अंधेपन की अधिकता का एक कारण दूध और दूध उत्पादों की कमी है। अतः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में दूध और दूध उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि करने की कोई योजना है ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : छात्रों के पोषण का एक कार्यक्रम है और उसके अंतर्गत दिये जाने वाले भोजन में दूध के तत्वों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जहाँ तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए किसी विशेष योजना का संबंध है। अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : डालडा के कारण भी अंधापन आता है।

डा० मेलकोटे : चेचक, तपेदिक आदि कई बीमारियों को रोकने तथा उनका निदान करने पर काफी धन व्यय किया जा रहा है। क्या यह सच है कि इस की तुलना में बच्चों में अंधेपन को रोकने की आवश्यकता पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता और उससे ठीक तरह से नहीं निपटा जाता। इस कार्य पर काफी धन भी व्यय नहीं किया जा रहा है।

श्री डी० पी चट्टोपाध्याय : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समस्या की गम्भीरता को पूरी तरह से समझा गया है और सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि विशेषकर एशियाई देशों में मधुमेह से आँख की पुतली पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि हाँ तो इस दिशा में अनुसंधान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मेरे पास मधुमेह और अंधेपन के संबंध में इस समय कोई विशेष सूचना नहीं है। मैं इस बारे में जाँच करूँगा।

पश्चिम बंगाल में सैनिक

*1624. **श्री प्रियरंजनदास मुंशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में तैनात किये गये सैनिकों को कानून तथा व्यवस्था की समस्या को काबू करने में पुलिस का सहयोग प्राप्त हो रहा है; और

(ख) इस कार्यवाही में अब तक कितने सैनिक घायल हुए अथवा मारे गये ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सेना केवल सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए कार्य कर रही है तथा ऐसी सहायता दे रही है जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता कानून तथा व्यवस्था के लिए सिविल प्रभारी प्राधिकारी को होती है।

(ख) 31-7-1971 तक इन संक्रियाओं के दौरान 6 सेना के कार्मिक मारे गये तथा 19 घायल हुए।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मेरा प्रश्न विशिष्ट था कि क्या सेना को कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस का सहयोग मिल रहा है। किन्तु उसका जो उत्तर दिया गया है वह बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं है। इस बात को देखते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या रक्षा मंत्रालय को यह पता है कि वीरभूमि तथा बर्दवान जिलों में तैनात सेना को वहाँ की कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को ठीक बनाये रखने के लिए विशेष रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पुलिस इसमें असफल रही है। तथा क्या रक्षा मंत्रालय को यह पता है कि साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) तथा अन्य उग्रवादी पार्टियों के लोग पुलिस दल में घुस गये हैं तथा इससे सेना को पुलिस का सहयोग पाना उत्तरोत्तर कठिन हो गया है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : वास्तव में यह प्रश्न गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिये था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले भी कह चुका हूँ पुलिस तथा सेना एक ही असैनिक प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे हैं। वे जिस स्थान पर भी तैनात हैं, वे वहाँ के असैनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन हैं। इस प्रकार सहयोग की कोई कमी नहीं है किन्तु माननीय सदस्य ने कुछ स्थानों पर असैनिक पुलिस के संबंध में जिस कठिनाई की ओर ध्यान दिलाया है वह कठिनाई अनुभव की गई है इसलिए कुछ स्थानों पर सशस्त्र सेना का उपयोग किया जाना आवश्यक हो गया तथा इस बात से ही कि वहाँ सशस्त्र सेना लगाई गई है हमारी कठिनाई का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : माननीय मंत्री द्वारा यह बात स्पष्ट कह दिये जाने से मुझे प्रसन्नता हुई है। कलकत्ता में, बेसियाघाट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में, जब बमों तथा अन्य विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने के लिए सेना को बुलाया गया तो पुलिस ने सेना को केवल उन्हीं विशेष स्थानों की जाँच करने का आदेश दिया जहाँ पर कि बम बिल्कुल भी नहीं थे तथा जिन स्थानों पर बम रखे हुए थे सेना को वहाँ जाकर जाँच करने का आदेश नहीं दिया गया। इस संबंध में सेना ने पुलिस के इस रवैये का विरोध किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन सभी कार्यवाहियों का समन्वय तथा निदेशन पश्चिम बंगाल का असैनिक प्रशासन करता है। ऐसे एक दो उदाहरण हो सकते हैं जहाँ कि ऐसी बातें हुई हों। किन्तु कुल मिलाकर ये दोनों दल पूर्ण समन्वय से काम कर रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : जबकि हममें से हर एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार चाहता है, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या उन्हें इस बात का पता है कि पश्चिम बंगाल में, विशेषकर नगरों में, सेना की उपस्थिति से प्रोत्साहित होकर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस ने कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है और वह मनमानी कर रही है तथा विद्यार्थियों को अंधाधुंध गोली से उड़ा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सेना को ऐसे आदेश दिये गये हैं कि वह केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के हाथों में न खेले।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य का यह आरोप ठीक नहीं है। केन्द्रीय आरक्षित पुलिस पश्चिम बंगाल में बड़ी कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रही है तथा उसे अनेकों अप्रिय कार्य करने पड़ते हैं। वे अनेक उत्तेजनात्मक और कठिन परिस्थितियों में बड़े संयम से कार्य कर रहे हैं। इसलिये उन्हें इस संबंध में इस प्रकार के कोई आदेश आदि देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री बी० एन० रेड्डी : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि इस सिलसिले में कितने व्यक्ति घायल हुये, कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मूल विचारणीय प्रश्न सेना को पुलिस का सहयोग मिलने के संबंध में हैं।

श्री बी० एन० रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितने व्यक्ति मारे गये, कितने व्यक्ति पकड़े गये तथा कितने व्यक्ति घायल हुये ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का भाग (ख) यह है कि कितने सैनिक कर्मचारी घायल हुये अथवा मारे गये । माननीय सदस्य ने सैनिक कर्मचारियों के बारे में पूछा है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उसका उत्तर मैंने दे दिया है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह प्रश्न मारे गये तथा घायल सैनिकों के बारे में है । माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि सेना द्वारा कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने व्यक्ति घायल हुए ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो बिलकुल विशिष्ट है । मेरा विचार है कि इस संबंध में आपको एक पृथक प्रश्न पूछना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा विचार है कि कितने सैनिक मारे गये तथा कितने घायल हुए इसके आँकड़े माननीय मंत्री के पास हैं तो उनके पास इसके भी आँकड़े होंगे कि सेना द्वारा कितने व्यक्ति मारे गये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री इसका उत्तर दे सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यह प्रश्न तो बिल्कुल विशिष्ट था । आपको इसके दूसरे पहलू के संबंध में भी पूछना चाहिए था ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यदि माननीय सदस्य इस संबंध में पृथक प्रश्न की सूचना दें तो उसका उत्तर देने में मुझे प्रसन्नता होगी ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूँ कि क्या उन्हें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि पुलिस के उन व्यक्तियों की इसमें काफी साँठ-गाँठ है जो पश्चिम बंगाल में साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की सरकार के दौरान पुलिस के सिपाहियों में घुस गये । कुछ मामलों में तो सेना को, जो बड़ी ही उत्तेजनात्मक परिस्थितियों में काम कर रही है, सहयोग नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ भिन्न बात पूछ रहे हैं । आपका प्रश्न किसी और विषय के संबंध में है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मैं केवल यही पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि पुलिस के कुछ कर्मचारियों द्वारा उग्रवादी तत्वों से साँठ-गाँठ कर लेने के कारण सेना कानून तथा व्यवस्था नहीं बनाये रख पा रही है जिससे कि उग्रवादियों का पलड़ा भारी होता जा रहा है और जिससे कि लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न बहुत ही सीधा था किन्तु आपने अपने प्रश्न में कई नई बातें आरम्भ कर दी हैं।

श्री पीलू मोदी : वे अभी भी पिछली लोक सभा के ख्यालों में डूबे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न पूछा जाये।

Amount allocated for Jhuggi-Jhonpri Dwellers in Delhi

*1625. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the amount allocated for Jhuggi-Jhonpri dwellers in Delhi under Jhuggi-Jhonpri Removal Scheme; and

(b) the number of plots proposed to be allotted to them together with the sizes of the plots and the terms and conditions governing their allotment ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 1970-71 तक 9·68 करोड़ रुपये की रकम योजना पर निम्नलिखित प्रकार से खर्च की गई थी :

मार्च 1967 तक	7·06 करोड़ रुपये
1967-68	0·32 करोड़ रुपये
1968-69	0·60 करोड़ रुपये
1969-70	0·90 करोड़ रुपये
1970-71	0·80 करोड़ रुपये
कुल	9·68 करोड़ रुपये

1971-72 के बजट में 80 लाख रुपये की रकम की व्यवस्था की गई है।

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार जब कभी ऐसे क्षेत्रों को सफाई के लिए लिया जाता है, जिन पर अनधिवास हुआ है, सभी अनधिवासियों को लगभग 25 वर्ग गज के वैकल्पिक प्लाट किराया-आधार पर आबंटित किये जाते हैं।

SHRI ONKAR LAL BERWA : From the reply given by the hon. Minister it reveals that an expenditure of Rs. 9·68 crores has been incurred during the last fifteen years. May I know from the hon. Minister that in view of the fact that the problem of Jhuggi-Jhonpris in Delhi is very complicated one, have Government conducted any survey to ascertain the number of people residing in Jhuggi-Jhonpri as about 90 percent of them are members of scheduled castes ?

SHRI I. K. GUJRAL : I have stated many a time that when this scheme was introduced in Delhi the total number of Jhuggi-Jhonpri in Delhi was considered to be about 50 thousand. Since then we have been able to provide alternate accommodation for about 60 thousand people so far. And the total number of Jhuggi-Jhonpri dwellers, for whom we have still to make arrangements, exceeds one lakh.

SHRI ONKAR LAL BERWA : The hon. Minister has just now stated that they have made arrangements for 50 thousand people sofar. But the total number of Jhonpris in Delhi is about 8 lakh.

ONE HON. MEMBER : It is nine lakhs.

SHRI ONKAR LAL BERWA : It may be nine lakhs. It is one lakh more than what I stated. May I know the time by which Government would be able to provide accommodation to all these remaining Jhuggi-Jhonpri dwellers ?

SHRI I. K. GUJRAL : I may correct the figures, there are about one lakh Jhuggi-Jhonpri in Delhi and not nine lakhs. We have to solve their problem. But the difficulty is that more the problem is solved it is assuming greater proportion. As I have already stated that in the beginning their total number was about 50 thousand. We have so far tackled the problem of 60 thousand and at present total number is more than one lakh. I may add that this problem is connected with the housing problem, which is really a very serious problem and, therefore, it is very difficult to say that how much time it would take to tackle this problem.

SHRI PANNA LAL BARUPAL : In addition to the problem of Jhuggi-Jhonpris, we find that people are living like pigeons in the rented houses for the last 60-70 years. Has any scheme been formulated for them also so that they may not be required to live in rented houses ? Plots should be alloted to them also so that their problem may also be solved.

MR. SPEAKER : Hon. Member has put a very good question but it has got no connection with the problem of Jhuggi-Jhonpris.

SHRI PANNA LAL BARUPAL : Their condition is worse than the condition of Jhuggi-Jhonpri dwellers.

SHRI B. P. MAURYA : Hon. Minister has just now stated that with the increasing efforts of the Govt. to settle these Jhuggi-Jhonpri dwellers the number of Jhuggi-Jhonpris is also increasing proportionately. Is it a fact, that while one reason for their increase is that the agriculture labourers are coming to cities from villages, the other is that the alternative accommodation offered to them is more than eight miles a way or so from their place of work and as they cannot come to their place of work from such a distance, they leave that place and come to live in Jhuggis again, if so, will the hon. Minister see that the alternative accommodation offered to them is near to their place of work.

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : यह समस्या का केवल एक ही अंग है । इस समस्या के कई पहलू हैं । एक समस्या तो उनके लिये भूमि प्राप्त करने की है जहाँ पर कि उन्हें बसाया जा सके और हम उन लोगों को समीप के स्थानों में ही आवास स्थान देने के संबंध में इस समस्या पर फिर से विचार कर रहे हैं । किन्तु एक ऐसे शहर में, जिसका प्रसार तथा नगरीयकरण बहुत तेजी से हो रहा है वहाँ ऐसा करना भी बहुत सरल नहीं है ।

श्री पीलू मोदी : यदि उन्होंने उस सेमिनार में, जो कि दो दिन पहले हुआ था, भाग लिया हो तो उन्होंने इस संबंध में कुछ सीख लिया होता ।

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I want to know the number of Jhuggi-Jhonpri dwellers who have been shifted from the city area and settled at some other places and

whether the Central Government and the Jan Sangh Administration in Delhi are following a common policy or a different policy in this regard. In case there is difference, what is that ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : झुग्गी झोंपड़ी के निवासियों की समस्या का हल करने का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण के हाथ में है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना इन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए की गई थी। इस समस्या के राजनीतिक समाध्ययन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। समस्या उनके बसाने की है और मेरे विचार से ऐसी नीति बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुख्य समस्या इसके लिए धन राशि जुटाने की है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Is it a fact that the problem of Jhuggi-Jhonparis could not be solved as large number of persons are coming every month from outside to settle in Delhi ? Is it also a fact that a large number of the Jhuggi-Jhonpri dwellers are government servant who have got registered many Jhuggi-Jhonparis in their own names and rented them to other persons and when these Jhuggi-Jhonpri are demolished the actual dwellers, who are residing there for the last so many years, do not get any accommodation and if so, have government made any scheme so that when these Jhuggi-Jhonpri are removed the actual dwellers may get the plot, even if they may be tenants ?

SHRI I. K. GUJRAL : Yes, there is such a scheme.

श्री एन० के० जी० साल्वे : माननीय मंत्री महोदय का उत्तर स्पस्ट नहीं है। इस समस्या के अनेकों कारणों में से जिसकी वजह से वे इन निर्धन लोगों के लिए एक विशाल भवन निर्माण कार्यक्रम आरम्भ नहीं कर पा रहे हैं, क्या एक कारण यह नहीं है कि वे इस कहावत में विश्वास रखते हैं कि मूर्ख मकान बनवाते हैं तथा अक्लमंद उनमें रहते हैं ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं समझता हूं कि श्री साल्वे ही मूर्ख है अक्लमंद नहीं।

SHRI N. N. PANDEY : Hon. Minister has just now stated that in 1960 there were fifty thousand Jhuggi-Jhonpri in Delhi but after Government has provided accommodation for 60 thousand, one lakh are still there. Will the Government conduct any survey to collect correct statistics about them so that these people may be settled or some alternative accommodation be provided to them ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : श्रीमन् जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इसके लिये हमें योजना को भवन निर्माणोन्मुखी बनाना होगा तथा जब तक वे भवन निर्माण का कोई विशाल कार्यक्रम आरम्भ नहीं करते, यह समस्या नहीं सुलझाई जा सकती। इसके साथ तेजी से नगरीय-करण की विशाल समस्या भी है। इसलिए इसका विस्तार से उत्तर देना इस समय मेरे लिये कठिन है।

भारत में विदेशी तेल कम्पनियों का भावी ढाँचा

*1626 **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने भारत में विदेशी तेल कम्पनियों के भावी ढाँचे के बारे में सरकार को एक टिप्पण प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या आयोग इस पक्ष में है कि तीनों विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण न करके सरकार को उसके अधिकांश शेयर खरीद लेने चाहिए; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रप्पन : इस प्रस्ताव पर इसी सभा में चर्चा हुई थी और तत्कालीन पेट्रोलियम और रसायन मंत्री डा० त्रिगुण सेन ने यह स्वीकार किया था कि इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह एक अलग मामला है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ? उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : इस प्रश्न का उत्तर कि क्या योजना आयोग ने इस आशय का कोई टिप्पण भेजा है, "नहीं" है। किन्तु जहाँ तक केवल इस प्रस्ताव का संबंध है, वह सरकार के समक्ष है।

श्री चन्द्रप्पन : मैं आपकी बात नहीं सुन सका।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न योजना आयोग के बारे में था और उन्होंने इस आधार पर जानकारी दे दी है।

श्री चन्द्रप्पन : तो यदि सरकार इस बात को मानती है कि यह प्रस्ताव सरकार के समक्ष है तो उस प्रस्ताव पर इस समय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है चाहे यह प्रस्ताव योजना आयोग से न भी आया हो ?

श्री पी० सी० सेठी : मैंने बताया है कि योजना आयोग ने इस प्रकार का कोई टिप्पण नहीं भेजा, किन्तु यह प्रस्ताव सरकार के समक्ष है और मैं कई बार कह चुका हूँ कि सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है।

यमुनापार पटपड़गंज रोड की बस्तियों के निवासियों द्वारा प्रदर्शन

*1629. **श्री विजयपाल सिंह** :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुनापार पटपड़गंज रोड की बस्तियों के लगभग 10,000 निवासियों ने अनधिकृत बस्तियों के संबंध में सरकार की नीतियों के विरोध में प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर हाल ही में प्रदर्शन किया था;

(ख) क्या प्रदर्शनकारियों ने बाद में प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया था;

(ग) यदि हाँ, तो प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में क्या मुख्य माँग की है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों ने प्रधान मंत्री के निवास स्थान के बाहर प्रदर्शन किया था ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) उनकी माँगें निम्न प्रकार हैं :

(i) शकरपुर खास और खुरेजी खास ग्रामों की राजस्व सम्पदाओं में आज तक अर्जित/अधिसूचित की गई भूमि पर बनाये गये सभी अनधिकृत निर्माणों की बृहत-योजना में निर्धारित किए गए भूमि-उपयोग को ध्यान में रखे बिना नियमित और अनुमोदित किया जाए ।

(ii) सभी अनधिकृत प्लाटधारियों को फ्री-होल्ड के अधिकार दिए जाने चाहिए ।

(iii) नियमित किये जाने पर विकास-प्रभारों की दर 20 रुपये के बजाए 15 रुपये प्रति वर्ग गज होनी चाहिए ।

(iv) क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए तैनात की गई पुलिस को वापस बुला लेना चाहिए ।

(घ) इन माँगों पर सरकार के विचार क्रमश: निम्नलिखित हैं :

(i) इस प्रकार की माँग को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की आशा करना शायद ही उचित होगा ।

(ii) भूमि जो सार्वजनिक हित में अर्जित की गई, का स्वामित्व सरकार में ही निहित रहना चाहिए । अत: प्लाटों का आबंटन यदि कोई है, केवल पट्टे के आधार पर ही किया जा सकता है । सरकार की नीति भूमि को केवल पट्टे के आधार पर न कि फ्री-होल्ड आधार पर देने की है ।

(iii) यह विकास पर खर्च की गई वास्तविक लागत पर निर्भर करेगा ।

(iv) अर्जित/अधिसूचित की गई भूमियों पर और अधिक अतिक्रमण रोकने के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्र में पुलिस की गश्त बनाये रखी जाए ।

MR. RAMAVTAR SHASTRI : Mr. Speaker, is it a fact that at the time of last General Election the Prime Minister and leaders of Jan Sangh visited the colony across the

Yamuna and gave assurance to the residents of that area that they would not be removed from there ? It is also a fact that most of the residents of this area are Govt. servants and the Delhi Development Authority is bent upon to remove them.....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Is it relevant to ask here all these things about Jan Sangh leaders ?

SHRI RAMAVTAR SHASTRI ; Mr. Vajpayee, did you not go there ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : We can also go there if it becomes neassesry ?

SHRI RAMAVTAR SHASTRI : Had they given assurance and if so, why the Govt. are harassing them by posting police force there and will the Govt. stop this harassment in view of the assurance given ?

श्री आई० के० गुजराल : केवल एक आश्वासन दिया गया था और मैं उस आश्वासन को दोहराता हूँ, कि जो मकान इस समय बनाये जा रहे हैं अथवा जो हाल ही में बनाये गये हैं उन्हें नियमित नहीं किया जायेगा और उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जायेगा, किन्तु जो लोग पहले से यहाँ रह रहे हैं उन्हें दूसरे स्थान पर रहने के लिये जगह दी जायेगी ।

SHRI VIJAY PAL SINGH : I would like to know what was Govt. doing when those people purchased land, got them registered and raised buildings on them ? Why the Govt. intends to demolish the buildings now ?

श्री आई० के० गुजराल : महोदय, जिस समय प्लाट खरीदे गये तो उन्हें खरीदने वालों को यह बात पूरी तरह से मालूम थी कि वे प्लाट अधिसूचना के अन्तर्गत थे । यही कारण है कि, यदि मेरे माननीय मित्र रजिस्ट्रेशन और अन्य बातों को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि बेईमानी करने वाले कालोनाइजरों ने यह बात स्पष्ट रूप से बताई है कि वे अपने स्वत्व को बेच रहे हैं, किन्तु इन प्लाटों को खरीदने वाले जिन स्वत्वों का उपयोग कर रहे हैं वे स्वत्व कालोनाइजरों के पास नहीं थे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

छावनी बोर्डों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट की क्रियान्विति

*1622. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या **रक्षा** मंत्री छावनी बोर्डों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट की क्रियान्विति के बारे में 21 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2657 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन को बार बार ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि छावनी बोर्डों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के 3 मार्च, 1960 के पंचाट की कुछ महत्वपूर्ण मदों को आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो जिन सूचियों को क्रियान्वित नहीं किया गया है उनमें उल्लिखित प्रत्येक मद के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) सभी मदों को कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). अखिल भारतीय छावनी बोर्ड कर्मचारी संघ ने सरकार को समय समय पर राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट को क्रियान्वित करने के संबंध में उठने वाले मामलों की ओर ध्यान दिलाया है। इनमें से अधिकांश मामले व्यक्तिगत मामलों से संबंधित व्याख्या से संबंधित हैं। इनमें से एक को छोड़ कर शेष का अंतिम निर्णय हो गया है। शेष बचा हुआ मामला विचाराधीन है।

केवल सामान्य वाद पद जिस पर अंतिम निर्णय होना है वह भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण तथा चिकित्सा सुविधा इत्यादि से संबंधित नियमों के बनाने से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन छावनी निधि कर्मचारी नियम, 1937 जो कि भर्ती, पदोन्नति, तथा स्थानान्तरण से संबंधित थे दूसरी बार भारत के राजपत्र में 1960 में प्रकाशित किए गए थे। संघ ने सुझाव दिया है कि कर्मचारियों को एक छावनी से कमांड के भीतर दूसरी छावनी में स्थानान्तरित करने के क्षेत्र को बढ़ा दिया जाय। यह विचाराधीन है।

(ग) यह मदें सरकार के विचाराधीन हैं तथा यथासंभव शीघ्र निपटा दी जायेंगी।

किराये संबंधी विवरण भेजने के लिए प्रक्रिया में सुधार

*1627. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशालय उन मामलों में भी वर्षों बाद किराये संबंधी विवरण भेजता है जिनमें कर्मचारियों के वेतन बिलों से धन राशि पहले ही काटी जा चुकी होती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या संबंधित कर्मचारियों से उन कटौतियों के प्रमाण-पत्र वेतन वितरण अधिकारियों से लेकर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है जबकि उक्त जानकारी निदेशालय द्वारा स्वयं प्राप्त की जानी चाहिए;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रक्रिया में सुधार करने लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि सम्पदा निदेशालय सामान्य प्रक्रिया के रूप में किराया-माँग-विवरणों को कई वर्षों के बाद भेजता है। किराये के लेखों को 1966 में पुनर्गठित किया गया था तथा 1966 से पूर्व के लेखों का सामान्य पुनरीक्षण इसके पश्चात किया गया।

निरन्तर प्रयत्नों के बावजूद भी दिसम्बर, 1970 तक वसूलियों की एक बड़ी संख्या बिना लेखे जोखे के रह रही थी। यह उचित समझा गया कि जिन आबंटियों के विरुद्ध बकाया वसूलियाँ प्रतीत होती लगें, उन्हें सूचित किया जाए ताकि वे हमें संबंधित अधिकारियों से वसूली के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हमें सहायता दे सके। ऐसी पद्धति को विशेष उपाय के रूप में उन लेखों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है जो बिना समाधान के रह रहे थे।

(ख) केवल अप्रैल, 1966 से पहले की अवधि से संबंधित मामलों में कर्मचारियों को पत्र लिखे गये थे। हमने साथ साथ ही ऐसे आबंटियों के कार्यालयों को अपेक्षित वसूलियों के बारे में प्रमाण-पत्र भेजने लिए लिखा था।

राजपत्रित अधिकारियों को, जो अपना वेतन स्वयं लेने वाले अधिकारी हैं, यह अनुरोध किया गया था कि वे अपेक्षित वसूलियों के ब्यौरे की सूचना भेजें।

(ग) तथा (घ). ये पत्र पुराने लेखों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए सम्पदा निदेशालय द्वारा आरम्भ किए गये एक विशेष अभियान के परिणामस्वरूप थे। इसके अतिरिक्त अपेक्षित वसूलियों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों को पार्टियाँ भेजी जाती है। 1966 से पूर्व किराये के लेखे भवन-वार रखे जाते थे, परन्तु अप्रैल 1966 से इस पद्धति को विभाग-वार लेखों में बदल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर सुव्यवस्था हो गई। किराया-वसूली अनुसूचियाँ अब सीधे खजानों के विभिन्न अदा करने वाले कार्यालयों से भी एकत्रित की जाती है।

निरोध अभियान

*1628. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1971 के 'टाइम्स वीकली' नई दिल्ली में 'निरोध कैम्पेन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो लेख में की गई टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) लघु क्षेत्र के कितने कारखाने बन्द हो गये हैं तथा उनके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के दम्पत्तियों को मुफ्त बाँटे जाने के लिए क्लिनिकों को सप्लाई किए गए निरोधों का अनेक व्यक्तियों द्वारा सरलता से व्यापार किया जा रहा है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) निरोधों को तैयार करने वाले लघु क्षेत्र के कारखाने औषध एवं अंगराग अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित विशेष नमूने के अनुसार निरोध प्रदान करने में असमर्थ थे। निरोध तैयार करने के लिये लघु उद्योग क्षेत्र में चार एकक थे। इस मन्त्रालय को यह जानकारी नहीं है कि इनमें से कितने बंद हो गये हैं।

(घ) निरोधों की नि:शुल्क वितरण की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए व्यावसायिक योजना के वास्ते पैक किए गए निरोध समय समय पर नि:शुल्क वितरण हेतु भेजे गये थे।

विवरण

व्यापक सामान्यानुमानों के अलावा जो निराधार हैं, इस लेख में तीन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है :

(1) निरोध के प्रयोग की अवधि, जो पहले दो वर्ष थी, में एक वर्ष की वृद्धि कर दी गई है ताकि मौजूदा सामिग्री का प्रयोग किया जा सके।

टिप्पणी : सामान्यतया निरोध के प्रयोग की अवधि औषध एवं अंगराग अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित की जाती है। औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सलाह पर औषध नियन्त्रक (भारत) ने निरोध के सुरक्षित प्रयोग की अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष किया है।

(2) गाँवों में निरोध की खपत कम है।

टिप्पणी : लेखक ने स्पष्टत: व्यावसायिक निरोध की बिक्री के बारे में कहा है जो मुख्यत: नगरीय क्षेत्रों में की जाती है। उसने परिवार नियोजन केन्द्रों और उपकेन्द्रों द्वारा निरोध का विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, मुफ्त वितरण किए जाने की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस समय व्यावसायिक निरोध की मासिक बिक्री 55 लाख निरोध है और मासिक मुफ्त वितरण 1 करोड़ से अधिक है।

(3) निरोध तैयार करने वाले एकक माँग के अभाव में उत्पादन की पूर्ण क्षमता तक कार्य करने में समर्थ नहीं हो सके हैं।

टिप्पणी : हो सकता है कि भूतकाल में ऐसा हुआ हो परन्तु हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड और लंदन रबर कम्पनी, दोनों के पास अब पर्याप्त आर्डर हैं। हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 12 करोड़ निरोध और लंदन रबर कम्पनी की 7 करोड़ 50 लाख निरोध प्रति वर्ष है। संभरण एवं निपटान महानिदेशालय को इस विभाग द्वारा दी गई कुल माँग 15 करोड़ 50 लाख निरोध बैठती है जिसमें से संभरण एवं निपटान महानिदेशालय ने 6 करोड़ निरोधों का पहले ही आर्डर दे दिया है। निरोध की माँग स्थायी रूप से बढ़ रही है और भविष्य में और भी अधिक आर्डर प्राप्त होंगे। गत समय में सरकार के पास उपहार स्वरूप प्राप्त किये गये आयातित निरोध का भंडार था जिससे माँग को पूरा करने में सहायता मिली परन्तु इस वर्ष के अंत तक आयातित भंडार के समाप्त हो जाने की संभावना है।

गदर पार्टी के वीरों के स्मारक के निर्माण के लिए प्रारूप

*1630. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन में तत्कालीन भारतीय राजदूत श्री एम० सी० छागला के आग्रह पर कुछ वर्ष पूर्व अमरीका में गदर पार्टी के वीरों के एक स्मारक के निर्माण के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया था;

(ख) इस प्रारूप को तैयार करने पर स्मारक समिति ने कुल कितनी धन राशि खर्च की थी;

(ग) क्या प्रस्तावित स्मारक के निर्माण में इस प्रारूप का उपयोग किया जायेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य के कब आरंभ होने की आशा है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ). गदर पार्टी के शहीदों के सम्मान में, सान फ्रांसिसको में, एक उपयुक्त स्मारक बनाने के कुछ प्रस्तावों पर पहले विचार हुआ है। यह निर्णय किया गया है कि गदर पार्टी शहीदों के सम्मान में दो रिहायशी मकानों का निर्माण किया जाय जिन पर स्मारक पट्टिका हो। इन मकानों के किराये से जो धनराशि प्राप्त हो उसका उपयोग गदर पार्टी स्मारक की दो छात्रवृत्तियाँ देने में किया जाएगा। इस संबंध में केलिफोर्निया विश्वविद्यालय के साथ बातचीत में काफी प्रगति हो चुकी है और उम्मीद है कि इन मकानों का विस्तृत नक्शा तैयार करने के लिए शीघ्र ही कोई आर्कीटेक्ट भी तय कर लिया जाएगा। आशा है इन मकानों का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

राजधानी में दन्त चिकित्सा कालेज

*1631. **श्री रामाचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में दंत चिकित्सा कालेज खोलने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"गोल्ड स्पाट" के बारे में विज्ञापन फिल्में

*1632. **श्री के० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'गोल्ड स्पाट' पेय में किसी ताजे फल का रस होता है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्रमश: सेंसर प्रमाण-पत्र संख्या 62535 दिनांक 10 फरवरी, 1971 और संख्या 62644 दिनांक 9 मार्च, 1971 के अन्तर्गत सिनेमाघरों में आजकल दिखाई जा रही अपनी विज्ञापन फिल्मों "गैट ए टेस्ट आफ समथिंग फ्रैश" तथा "ए टिंगलिंग टेस्ट आफ फ्रैशनैस" में इस उत्पाद के साथ ताजे संतरे दिखाये जाने के लिये उपर्युक्त उत्पाद के निर्माता के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस मामले में जाँच की जा रही है।

New Project for Rural Drinking Water Schemes in Madhya Pradesh

*1633. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether the Central Government have not given adequate grants to the Government of Madhya Pradesh for undertaking several new projects in the rural areas under the drinking water scheme; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING (SHRI UMA SHANKER DIKSHIT) : (a) and (b). Rular Water Supply Programmes are included in the State sector. Under the Fourth Five Year Plan, Central assistance is being given to the State Governments by way of block loans and block grants in the ratio of 70% and 30% respectively without any specific reference to any scheme or head of development.

The responsibility for formulating rural water supply schemes, their phasing, allocation of funds and implementation of the schemes rests with the State Governments. It is also for the State Government to draw a phased programme for rural water supply and implement the same from the resources available to them. However, to ensure implementation of Rural Water Supply Schemes, Plan outlays are earmarked by the Planning Commission at the time of Annual Plan's discussions.

कलकत्ता में आर्डिनेंस कारखानों के महानिदेशक का पद समाप्त करना

*1634. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में आर्डिनेंस कारखानों के महानिदेशक का पद समाप्त कर दिया जायेगा; और

(ख) क्या आर्डिनेंस कारखानों के महानिदेशक के कार्यालय को दो भागों में विभक्त कर के उनके कुछ हिस्सों को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानान्तरित करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). डायरेक्टर जनरल, आर्डिनेंस फैक्टरीज के कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए एवं उस संगठन को सुपरवाही बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। तद्यपि डायरेक्टर जनरल

आफ आर्डिनेंस फैक्टरीज के कार्यालय के किसी भाग को पश्चिम बंगाल से बाहर भेजने का कोई इरादा नहीं है ।

बंगला देश के मामले में भारत को सोवियत संघ का परामर्श

*1635. **श्री सी० चित्तिबाबू :**
श्री पीलू मोदी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी पत्र 'इजवेस्तिया' ने एक टिप्पणी में भारत और पाकिस्तान को एक से शब्दों में यह सलाह दी है कि दोनों देश भारतीय उप महाद्वीप की स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने का प्रयत्न करें; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । 19 जुलाई के इस समाचार-पत्र के एक लेख में 'पाकिस्तान के पूर्वी भाग की जनता के विरुद्ध बल प्रयोग' की निन्दा की गई थी । इस लेख में उनकी 'हालत में सुधार लाने' के भारत के प्रयासों की सराहना की गई थी और इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया था कि 'उनके उचित अधिकारों और हितों को ध्यान में रखते हुए' कोई राजनीतिक समाधान निकाला जाए ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इकनामिक एण्ड बिजनेस डिवेलपमेंट फाउन्डेशन और सी० एम० डी० ए०, कलकत्ता के बीच विवाद

*1636. **डा० रानेन सेन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इकनामिक एण्ड बिजनेस डिवेलपमेंट फाउन्डेशन ने, जो कलकत्ता में बेरोजगार इंजीनियरों की सहकारी फर्म है, सी० एम० डी० ए० द्वारा पहले से लिए गए ठेकों की कार्य-दरें बढ़ाने से इन्कार किये जाने के कारण, सी० एम० डी० ए० का सम्पूर्ण कार्य बन्द करने का निर्णय किया है ?

(ख) क्या फाउन्डेशन ने यह शिकायत की है कि वर्तमान स्वीकृत कार्य-दरें इतनी कम हैं कि बहुत परिश्रम करने पर भी एक इंजीनियर को प्रति माह 88 रुपये से अधिक नहीं मिल पाता; और

(ग) यदि हाँ, तो दोनों संस्थाओं के बीच चल रहे विवाद को निपटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग). प्रतिष्ठान, जो कि डेवलेपमेन्ट कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लि० का एक प्रभाग है, ने कलकत्ता की बस्तियों के 7 समूहों के सुधार कार्य के लिए, प्रेसीडेन्सी सर्किल की 1970-71 की दर अनुसूची से 40 प्रतिशत अधिक पर निविदा दी थी। इसकी निविदा स्वीकार कर दी गई तथा प्रतिष्ठान को कार्य दे दिया गया। तदनन्तर प्रतिष्ठान ने अपनी निवेदित दरों पर 15 प्रतिशत अधिक की माँग की और इस कारण कार्य को निलम्बित कर दिया।

2. राज्य के मुख्य इंजीनियरों के एक दल (पेनल) ने, 1970-71 की दर-अनुसूची तथा वस्तुओं के वर्तमान बाजार दरों की जाँच करने के पश्चात यह सिफारिश की, कि अनुसूची से 27½ प्रतिशत अधिक की वृद्धि व्यवहार्य तथा उचित थी। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान की 15 प्रतिशत की और अधिक वृद्धि (40 प्रतिशत से ऊपर) की माँग उचित नहीं है। इस ओर भी ध्यान दिलाया जा सकता है कि जब सी० एम० डी० ए० ने बस्ती सुधार कार्य के लिए निविदाएँ आमन्त्रित की थीं, बहुत से अन्य ठेकेदारों ने अनुसूची में अंकित दरों के बराबर दरों से लेकर 22 प्रतिशत अधिक तक दर लिखी थी तथा ऐसे ठेकेदारों को दिया गया काम सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है।

3. तथापि 16 समूहों के संबंध में कार्यादेश का एक दूसरा लाट, बातचीत के बाद, अनुसूची दरों से 37½ प्रतिशत अधिक पर (सामग्री के भावों में वृद्धि के कारण, वृद्धि की व्यवस्था के साथ) प्रतिष्ठान को, बेकार इंजीनियरों को उसके काम देने की क्षमता को देखते हुए, प्रदान किया गया।

4. प्रतिष्ठान ने इस कार्य पर इंजीनियरों को जिन शर्तों पर रखा है, उनका सरकार को ज्ञान नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए जा रहे मकानों के निर्माण की धीमी गति

*1637. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे मकानों के निर्माण की गति प्रस्तावित गति की अपेक्षा धीमी है;

(ख) इन दो वर्गों के अधीन पहले से पंजीकृत आवेदकों को कब तक मकान दिये जाने की संभावना है;

(ग) निर्माण गति को तेज करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं; और

(घ) नए आवेदकों के नाम कब पंजीकृत किए जायेंगे ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, नहीं।

(ख) मध्यम आय वर्ग के तथा निम्न आय वर्ग में पंजीकृत व्यक्तियों को क्रमश: अप्रेल, 1972 तथा जून, 1972 तक फ्लैट आबंटित किए जाने की आशा है।

(ग) निर्माण की गति को तेज करने के उपाय किए गए हैं। 9,680 फ्लैट पहले ही निर्माणाधीन हैं।

(घ) इस बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शीघ्र ही निर्णय घोषित किए जाने की संभावना है।

भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के अत्यधिक मूल्य

*1638. **श्री रोबिन सेन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, ब्रिटेन, जापान, पाकिस्तान तथा श्रीलंका की अपेक्षा भारत में गैसोलीन तथा मिट्टी के तेल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं;

(ग) भारत में इन उत्पादों की उत्पादन लागत अधिक होने के क्या मुख्य कारण हैं; और

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य को कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). 1-1-1971 को रुपयों में प्रति किलोलिटर विक्रय मूल्य :

	मिट्टी का तेल उत्तम किस्म	मोटर गैसोलीन
पाकिस्तान	582·12	1212·75
श्रीलंका	231·00	987·80
यू० के०	452·10	1287·00
जापान	499·92	1105·99
यू० एस० ए० (न्यूयार्क)	उपलब्ध नहीं	718·88
भारत (बम्बई)	470·20	1424·59

(ग) और (घ). शोधनशाला में प्रत्येक उत्पाद की उत्पादन लागत का हिसाब लगाना संभव नहीं, क्योंकि शोधन परिचालनों में उनका संयुक्त रूप से उत्पादन किया जाता है और उत्पादित उत्पादों का सापेक्ष उत्पादन समय-समय पर और प्रत्येक परिष्करणशाला में भिन्न-भिन्न होता है जो विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय मूल्य समय-समय पर नियुक्त की गई तेल मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। इस समय ये मूल्य तेल मूल्य समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।

भारत में उत्पादन शुल्क की ऊँची दरों के कारण कुछ उत्पादों के विक्रय मूल्य संबंधित देशों की तुलना में ऊँचे हैं। आयातित अशोधित तेल की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

कलकत्ता और उसके आस-पास के क्षेत्रों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी

*1639. **श्री गदाधर साहा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और उसके आस-पास के क्षेत्रों में इस समय पीने के पानी की बहुत कमी है;

(ख) क्या वहाँ जल सप्लाई की व्यवस्था ठप्प होने वाली है; और

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, हाँ।

(ख) कलकत्ता महानगर जिला क्षेत्र में पीने के पानी की कमी तो है ही परन्तु वहाँ जल सप्लाई की व्यवस्था ठप्प होने की कोई संभावना नहीं है।

(ग) कलकत्ता महानगर जिला क्षेत्र में पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये 44·27 करोड़ रुपये की लागत वाली 19 योजनाओं की मंजूरी दे दी गई है तथा चौथे आयोजन में इन योजनाओं के लिये 28·81 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इनमें से दो योजनायें तो पूरी हो गयी हैं तथा अन्य योजनायें क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। चालू वर्ष के दौरान और अधिक राहत पहुँचाने के लिये कुछ अतिरिक्त योजनाओं को शुरू करने के मामले पर भी विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में कुष्ठ रोग के मामले

*1640. **डा० सरदीश राय :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में, मुख्यतया बर्दवान, पुरुलिया, बीरभूमि तथा बाँकुरा जिलों में कुष्ठ रोग तेजी से फैल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिम बंगाल में वर्ष 1969-70 और 1971 में, जिलेवार, कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी-कितनी रही है;

(ग) क्या अस्पताल में इन रोगियों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है; और

(घ) कुष्ठ रोग को अन्य राज्यों में फैलने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, नहीं। इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि पश्चिम बंगाल और खासतौर पर बर्दवान, पुरुलिया, बीरभूमि और बाँकुरा जिलों में कुष्ठ रोग का प्रकोप बढ़ रहा है।

(ख) रोग व्यापकता संबंधी आँकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में अनुमानतः 2·4 लाख कुष्ठ रोगी हैं। प्रत्येक जिले के बारे में अलग-अलग सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) आजकल कुष्ठ रोगियों को अस्पताल में भरती होने के लिये प्रोत्साहित नहीं किया जाता। केवल गम्भीर रोगी ही अस्पताल में भरती किये जाते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में कुष्ठ रोगियों को इलाज के लिये भरती करने वाली 17 संस्थायें हैं जिनमें 2,506 पलंग हैं। इसके अलावा इस राज्य में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 23 कुष्ठ रोग नियंत्रण एकक भी काम कर रहे हैं।

(घ) इस बीमारी को देश में फैलने से रोकने के लिये राज्य/संघ शासित सरकारों के सहयोग से 1955 में देश भर में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में इस कार्यक्रम को केन्द्रीय पुरोनिधानित कार्यक्रम बना दिया गया है और राज्यों को इसके लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 208 कुष्ठ रोग नियंत्रण एकक और 1298 सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा, कुष्ठरोग नियंत्रण के क्षेत्र में काम कर रहे कई ऐच्छिक संगठनों को भारत सरकार अनुदान दे रही है।

मानव गर्भ निरोधक के रूप में यूरिया का प्रभावशाली सिद्ध होना

*1641. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भ निरोधक के रूप में यूरिया प्रभावशाली सिद्ध हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे एक गर्भ निरोधक की कितनी लागत होगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ ने 'सैन्टस्क्वैयर' नामक गर्भरोधक तैयार किया है जिसका मुख्य कारगर घटक यूरिया है। इस समय इस गर्भरोधक की प्रभावकारिता के क्लीनिकी परीक्षण किये जा रहे हैं। तथापि प्रयोगशाला में किये गए परीक्षणों से पता चला है कि यूरिया एक कारगर शुक्राणुनाशक एजेन्ट है।

(ख) केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ में क्लीनिकी परीक्षणों के लिए सैन्टस्क्वेयर की फिलहाल बड़ी कम मात्रा तैयार की जा रही है। इसकी एक यूनिट की वर्तमान लागत एक पैसे से भी कम बताई गई है।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् की बैठक तथा बंगला देश के शरणार्थी

*1642. **श्री के० मालन्ना :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् ने जनेवा में हुए अपने 51वें अधिवेशन में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की समस्या पर विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उस विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या कोई प्रस्ताव पास किया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया परन्तु बहस निम्नलिखित विषयों पर सफल हुई :

(1) भारत में शरणार्थियों की बाढ़ से उत्पन्न गम्भीर स्थिति और आवश्यकताओं पर संसार का ध्यान आकर्षित करने, और विशेष रूप से इस तथ्य पर जोर देने में कि यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न बन गया है ।

(2) समस्या की महत्ता और जटिलता को पूरी तरह समझ लेने और इस संदर्भ में भारत पर लादे गये बोझ की ओर ध्यान आकर्षित करने और भारत की ओर अधिक तादाद में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता को समझाने में; और

(3) अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यह मनवा लेने में कि शरणार्थियों की विश्वसनीय गारंटियों के अन्तर्गत स्वेच्छा से वापिस जाना आवश्यक है और इसके लिए पूर्वी बंगाल में उचित स्थितियाँ उत्पन्न करनी पड़ेंगी ।

ग्रेटर कैलाश—भाग 2, नई दिल्ली में मकानों का निर्माण

*1643. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली लैण्ड एण्ड फाइनैंस कम्पनी और सरकार के मध्य कई वर्षों से चल रहे मतभेदों के कारण ग्रेटर कैलाश—भाग 2, नई दिल्ली के प्लाटधारियों को 'ई' ब्लाक को छोड़कर अन्य सभी ब्लाकों में मकानों का निर्माण करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या कम्पनी और सरकार के मध्य विवाद की अवधि के दौरान निर्माण-लागत लगभग 70 प्रतिशत बढ़ गयी है तथा उसमें और अधिक विलम्ब होने से प्लाटधारियों पर और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार एक निश्चित तिथि तक सभी मतभेदों को सुलझाने और प्लाटधारियों को मकानों का निर्माण आरम्भ करने की अनुमति देने का है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) दिल्ली नगर निगम ने 'ई' ब्लाक से अन्य ब्लाकों में निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि कालोनाइज़रों ने अनुमोदित सर्विस प्लानों के अनुसार पूरी सेवाओं की व्यवस्था नहीं की है।

(ख) निर्माण की लागत बढ़ती जा रही है परन्तु वृद्धि की ठीक-ठीक सीमा बताना संभव नहीं है।

(ग) सरकार का कालोनाइज़रों के साथ कोई मतभेद नहीं है। निगम द्वारा लेआउट अनुमोदित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर कालोनाइज़रों द्वारा सेवाओं की व्यवस्था को पूरा करना अपेक्षित था। उन्हें अपेक्षित स्तर की सर्विसिज़ की व्यवस्था करने के लिए निगम द्वारा एक वर्ष का समय बढ़ाने की अनुमति दी गई है। वृद्धि का समय दिसम्बर, 1971 में समाप्त होगा तथा यह आशा है कि कालोनाइज़र इस बढ़ाई गई अवधि के दौरान अपेक्षित सेवाओं का प्रबन्ध कर देंगे।

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) में ठेका-प्रणाली का समाप्त किया जाना

*1644. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक इंजीनियरिंग सेवा में ठेका-प्रणाली को समाप्त करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रणाली कब से समाप्त कर दी जायेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका में गदर पार्टी स्मारक के लिए बजट में व्यवस्था

*1645. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गदर पार्टी की स्मृति में सेन फ्रैंसिस्को में एक स्मारक का निर्माण करने तथा दो छात्रवृत्तियाँ शुरू करने के लिए 1969-70 के बजट में 82,933 डालर की व्यवस्था की गई थी;

(ख) क्या गदर पार्टी ने सेन फ्रैंसिस्कों में 7000 वर्ग फुट भूमि के प्लाट पर बना एक

भवन और कुछ पुराने फर्नीचर की अपनी सम्पत्ति देश की स्वाधीनता के लिए बलिदान देने वालों के लिए स्मारक बनाने हेतु सरकार को सौंप दी थी;

(ग) क्या उक्त स्मारक बनने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त स्मारक का कब तक निर्माण हो जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी, हाँ।

(ग) विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया है कि गदर पार्टी शहीदों के सम्मान में दो रिहायशी मकानों का निर्माण किया जाए जिन पर स्मारक पट्टिका लगी हो। इन मकानों के किराए से प्राप्त राशि का उपयोग दो गदर पार्टी स्मारक छात्रवृत्तियाँ देने के लिए किया जाएगा। इस संबंध में केलिफोर्निया विश्वविद्यालय के साथ बातचीत में काफी प्रगति हो चुकी है और उम्मीद है कि इन मकानों का विस्तृत नक्शा तैयार करने के लिए शीघ्र ही कोई आर्कीटैक्ट तय कर लिया जाएगा।

(घ) आशा है कि इन मकानों का निर्माण-कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

पूर्वी क्षेत्र में भारतीय तेल निगम के उत्पादों की चोरी

*1646. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में काफी मात्रा में तेल लाने ले जाने के लिए लगाये गये प्राइवेट टैंक-ट्रकों के ठेकेदारों द्वारा भारतीय तेल निगम के उत्पादों की बड़े पैमाने पर चोरी किये जाने की कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या भारतीय तेल कर्मचारी संघ (पूर्वी शाखा) ने आरोप लगाया है कि ट्रक ठेकेदारों द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिल कर लगभग 20 करोड़ रुपये के भारतीय तेल निगम उत्पादों की चोरी की गई है; और

(घ) क्या इस मामले में कोई जाँच की गई है और इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क). कलकत्ता स्थित भारतीय तेल निगम की पूर्वी शाखा में प्राइवेट टैंक-ट्रकों के ठेकेदारों द्वारा उत्पादों की चोरी करने की केवल दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं अर्थात (1) नवम्बर, 1970 में राजबंध स्थित इसके अपने संस्थापक प्रबंधक से और (2) फरवरी, 1971 में किसी ग्राहक की ओर से।

(ख) पहले मामले में, उत्पाद की पूरी लागत की वसूली के अतिरिक्त और जाँच करने

के लिए एक जाँच समिति नियुक्त की गई है। दूसरे मामले में, समिति ने जाँच कर ली है और इसकी सिफारिशों पर विचार हो रहा है। कार्यवाही के निलम्बित रहने तक, उत्पाद की पूरी लागत वसूल कर ली गई है।

(ग) और (घ). दिनांक 28 मई, 1971 को इस आशय की एक शिकायत प्राप्त हुई है और सही स्थिति का पता लगाने तथा उन मामलों में जिनमें, अनियमितताएँ ध्यान में आयें, उत्तरदायित्व ठहराने की दृष्टि से भारतीय तेल निगम को इसकी जाँच करने के लिये कहा गया है। भारतीय तेल निगम की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री टुन्कू अब्दुल रहमान द्वारा भारत तथा पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश

*1647. **श्री पी० के० देव :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेशिया के भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा "इस्लामिक सचिवालय" के वर्तमान महासचिव श्री टुन्कू अब्दुल रहमान ने बंगला देश के प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को श्री रहमान से औपचारिक तौर पर कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने अखबारों में ये खबरें देखी हैं कि टुन्कू अब्दुल रहमान ने प्रेस रिपोर्टरों से कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके उन्हें प्रसन्नता होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार का रवैया सर्वविदित है, जो यह है कि बंगला देश की समस्या का समाधान पाकिस्तान के सैनिक शासकों और बंगला देश की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच होना है। बंगला देश का मामला भारत-पाकिस्तान का मामला नहीं है अत: इसके लिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का कोई प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन का प्रवेश

*1648. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश के प्रश्न पर चर्चा की जायेगी; और

(ख) यदि हाँ तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र में चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत ने सदा चीन लोक जनगणराज्य की सरकार के अधिकार का समर्थन किया है ।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

*1649. **श्री प्रसन्नाभाई मेहता** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये करने के बारे में सिफारिश की है; और

(ख) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) जी, हाँ ।उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय सम्पत्ति पर ऊपरी सीमा लागू करने के एक एक से केन्द्रीय कानून के केन्द्र के सुझाव से अपनी सहमति प्रकट की है ।

उन्होंने आगे यह कहा है कि निर्धारित ऊपरी सीमा से अधिक नगरीय सम्पति के लिये जाने के ऐवज में मुआवजे का आधार सारे देश में एक समान हो तथा यह कि नगरीय सम्पत्ति की ऊपरी सीमा लागू हो जाने के बाद भी, आय कर, धन-कर आदि के रूप में भारी करों के लगाने की वर्तमान नीति भी जारी रहनी चाहिये तथा ऐसे करों का उचित भाग केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए ।

(ख) हमने राज्य सरकारों से यह स्वयं कहा था कि इस विषय पर एकसे केन्द्रीय कानून के गुण-दोष पर विचार करें । हमने उन्हें यह भी सूचित किया था कि यदि ऐसे कानून के पक्ष में सर्वसम्मति प्रकट की जाती है, तो राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया जायेगा कि वे अपनी विधान सभाओं में इस विषय पर कानून बनाने की संसद को शक्ति देने के लिए आवश्यक प्रस्ताव पारित करने की व्यवस्था करें । हम कई राज्यों से सुस्पष्ट उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

हिन्दुस्तान लेटेक्स, त्रिवेन्द्रम में भ्रष्टाचार

*1650. **श्री वयालार रवि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान लेटेक्स, त्रिवेन्द्रम के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वे शिकायतें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) जी, हाँ ।

(ख) इन शिकायतों में, त्रिवेन्द्रम की निरोध फैक्टरी में स्टाफ की अनियमित नियुक्तियों और जनरल मैनेजर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगाये गए थे ।

(ग) पूरी तरह जाँच करने के पश्चात् अनियमित नियुक्तियों संबंधी आरोप निराधार पाये गए । दूसरी शिकायतों की जाँच-पड़ताल की जा रही है ।

दिल्ली की आवासीय कालोनियों से डेरियों का हटाया जाना

7175. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ डेरियों ने सफदरजंग एनक्लेव की मुख्य सड़कों पर भी कब्जा जमा रखा है और बस्ती में अस्वास्थ्यप्रद वातावरण उत्पन्न कर रही हैं;

(ख) क्या कृष्णानगर में बहुत सी डेरियों ने वाणिज्यिक आधार पर प्रजनन के उद्देश्य से बहुत से भैंसें रखे हुए हैं;

(ग) क्या अन्य बस्तियों के लोग भी अपनी भैंसें प्रजनन के लिए यहाँ लाते हैं;

(घ) क्या कृष्णानगर के डेरी मालिक प्रजनन के लिए सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग करते हैं जिससे राहगीरों को बाधा होती है तथा जनता के लिए परेशानी हो जाती है;

(ड़) क्या बस्ती के निवासियों द्वारा निगम प्राधिकारियों से की गयी शिकायतों का कोई परिणाम नहीं निकला है; और

(च) इस आवासीय कालोनी, जहाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बहुत अधिक मूल्य पर प्लाट बेचे हैं, से डेरियाँ हटाने के लिए सरकार का विचार कौन से कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ड़) और (च). दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उनके अधिकार-क्षेत्र के अधीन बस्तियों में अस्वच्छता फैलाने वाली अनधिकृत डेरियाँ रखने वाले दोषी व्यक्तियों पर अभियोग चलाये जा रहे हैं।

भारत श्रीलंका समझौते संबंधी इकरारनामे को पूरा करने के फलस्वरूप हुए राज्यविहीन व्यक्ति

7176. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा श्रीलंका द्वारा समझौते संबंधी इकरारनामे को पूरा करने के पश्चात तीन लाख से अधिक व्यक्ति राज्यविहीन हो जायेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं, 1964 के भारत-श्रीलंका करार में 8,25,000 लोगों को नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था है और करार के सफल क्रियान्वयन के बाद उनकी संतान राज्यहीन रह जाएगी;

(ख) इस प्रश्न के समाधान के लिए किसी प्रस्ताव का सूत्रपात करना अभी असामयिक होगा। 1964 के भारत-श्रीलंका करार में इस बात की व्यवस्था है कि ऐसे लोगों की स्थिति और भविष्य पर उपयुक्त समय पर दोनों सरकारें अलग से विचार-विमर्श करेंगी।

सामुदायिक विकास योजनाओं पर व्यय

7177. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत असम के कौन-कौन से नगर आते हैं; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में तीसरी और चौथी योजना के दौरान, राज्यवार और वर्षवार, अब तक कितना व्यय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) नगर सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत असम का कोई नगर नहीं आता।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिवार नियोजन केन्द्र

7178. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम, मेघालय, नागालैंड, नेफा, मनीपुर तथा त्रिपुरा में इस समय कितने परिवार नियोजन केन्द्र हैं;

(ख) इन पर वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में कितना धन व्यय किया गया;

(ग) क्या कुछ जातियों के नेता परिवार नियोजन कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

(ख) व्यय का एक विवरण परिशिष्ट-2 पर है।

(ग) और (घ). साम्प्रदायिक आधार पर परिवार नियोजन के किसी संगठित विरोध की सरकार को जानकारी नहीं है। यद्यपि हो सकता है कुछ स्थानों में राजनीतिक नेताओं ने परिवार नियोजन के विरुद्ध विचार व्यक्त किये हों। परिवार नियोजन कार्यक्रम एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जो लोगों की शिक्षा और प्रेरणा पर निर्भर करता है। अतः जो परिवार नियोजन का विरोध करते हैं उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती। तथापि लोगों के मस्तिष्क में कार्यक्रम के बारे में यदि कोई मिथ्या धारणा होती है तो उसे दूर करने के लिए अविच्छिन्न शिक्षा और प्रेरणा अभियान के द्वारा प्रयत्न किया जाता है।

विवरण

परिशिष्ट 1

भारत के कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में नगरीय परिवार नियोजन केन्द्रों और उप-केन्द्रों की संख्या का विवरण :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	नगरीय केन्द्र	ग्रामीण मुख्य केन्द्र	ग्रामीण उप-केन्द्र
1. असम	15	67	385
2. मेघालय	7*	2	16*
3. नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
4. नेफा	शून्य	शून्य	शून्य
5. मनीपुर	3	11	70
6. त्रिपुरा	1	23	48

*पुष्टि की जा रही है।

परिशिष्ट 2

व्यय का विवरण

राज्य	1968-69 रुपये	1969-70 रुपये	1970-71 रुपये
असम	22,40,000	33,50,000	33,25,000*
मेघालय	शून्य	शून्य	4,00,000* 71-72 में स्थापित
नागालैण्ड	शून्य	26,243†	शून्य
नेफा	शून्य	शून्य	3,604†
मनीपुर	2,48,000	1,56,000	5,01,000*
त्रिपुरा	3,92,000	3,88,000	5,37,819*

*स्वीकृत अस्थायी भुगतान के आधार पर अनुमानित व्यय; वास्तविक व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

† मैडिकल स्टोर डिपुओं द्वारा वस्तु रूप में सप्लाई किए गए प्रचलित गर्भनिरोधकों का मूल्य । 1970-71 तक नागालैण्ड और नेफा में परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम के रूप में आरम्भ नहीं किया गया था ।

पैराफिन मोम का उत्पादन

7179. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969, 1970 तथा 1971 में भारत में कितने-कितने मीटरी टन पैराफिन मोम बनाया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने-कितने मीटरी टन पैराफिन मोम निर्यात किया गया;

(ग) आन्तरिक उपभोक्ताओं/औद्योगिक एककों आदि को पैराफिन मोम किस प्रक्रिया के अनुसार आबंटित किया जाता है;

(घ) क्या कुछ व्यक्ति अथवा निजी कम्पनियाँ सीधे असम आयल कम्पनी से अत्यधिक मात्रा में पैराफिन मोम प्रति वर्ष प्राप्त करती हैं और यदि हाँ, तो उन व्यक्तियों या कम्पनियों के क्या नाम हैं और वर्ष 1969 तथा 1970 में उनमें से प्रत्येक को कितनी मात्रा में पैराफिन मोम दिया गया; और

(ड़) क्या सरकार को यह पता है कि पैराफिन मोम का काला बाजार-मूल्य इसके फैक्टरी बाह्य मूल्य से बहुत अधिक है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1969, 1970 तथा 1971 में पैराफिन मोम का उत्पादन निम्न प्रकार था :

1969	39324 मीटरी टन
1970	36670 मीटरी टन
1971	17729 मीटरी टन (जनवरी-जून)

(ख) 1969, 1970 तथा 1971 में पैराफिन मोम की निम्नलिखित मात्राएँ निर्यात की गई थीं :

1969	4533 मीटरी टन
1970	3330 मीटरी टन
1971	1267 मीटरी टन (जनवरी-जून)

(ग) देश में पैराफिन मोम के वितरण पर कोई औपचारिक नियंत्रण नहीं है। किन्तु 1967 से असम आयल कम्पनी तथा उनके वितरकों के परामर्श से यह प्रबंध किया गया है कि राज्य सरकारों के उद्योगों के निदेशक अपने अपने राज्यों में उपभोक्ताओं की पैराफिन मोम की वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वितरण करने वाली कम्पनियों के स्थानीय ऐजेंट मूल्यांकन के अनुसार इसे वास्तविक उपभोक्ताओं को दें। तब से यह पद्धति चालू है।

(घ) मैसर्स अग्रवाल वैक्स कं०, तिनसुकिया और मैसर्स असम कैन्डल मैन्युफैक्चरिंग कं०, गोहाटी नामक दो ऐसी कम्पनियां हैं जिन्हें आसाम आयल कम्पनी द्वारा उनके साथ कुछ वर्ष पहले, जब मोम आसानी से उपलब्ध था, किये गये करारों के अन्तर्गत 1970 तक आसाम आयल कम्पनी द्वारा सीधे रूप से प्रत्येक को प्रतिवर्ष 2500 मीटरी टन मोम बेचा जाता था। 1971 में मैसर्स आसाम कैन्डल मैन्युफैक्चरिंग कं० को 10000 मीटरी टन मोम दिया गया है।

(ङ) सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

असम पेट्रो-केमिकल उद्योग समूह की स्थापना

7180. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में पैट्रो-केमिकल उद्योग समूह की स्थापना के लिए किसी स्थान का अन्तिम रूप से चुनाव कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह स्थान कौन सा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). स्थल चयन समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रायोजना के प्राधिकारियों के संभाव्य रिपोर्ट में यह

सिफारिश की है कि इस पैट्रो-रसायन उद्योग समूह को बोंगेगांव में स्थापित किया जाना चाहिए। संभाव्य रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में पुनर्वास केन्द्र

7181. **श्री वरके जार्ज** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में पुनर्वास केन्द्र की परियोजना योजना में सम्मिलित है; और

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के ई० एफ० सी० ज्ञापन को स्वीकृति दे दी है और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी, हाँ।

(ख) ई० एफ० सी० ज्ञापन की अभी जाँच की जा रही है। पुनर्वास केन्द्र के भवन के निर्माण का प्रारम्भिक अनुमान दरों की दिल्ली सूची, 1970 पर आधारित था और इसको तकनीकी बोर्ड ने पहले ही अनुमोदित कर दिया था। तदन्तर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दरों की सूची का संशोधन किया गया। तदनुसार, दरों की संशोधित सूची के अनुसार अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

दिल्ली के पुलिस विभाग के लिए अंशदायी सरकारी स्वास्थ्य सेवा

7182. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने पुलिस विभाग में अंशदायी सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू की है;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन का विचार दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में भी उपरोक्त योजना को लागू करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो उपरोक्त योजना शिक्षा विभाग में कब तक लागू कर दी जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) 1 अप्रैल, 1971 से दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(ख) और (ग). इस बारे में अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को प्लाटों का आबंटन

7183. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह निर्णय किया है कि वह अपने 15 प्रतिशत प्लाट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आबंटित करेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो ये प्लाट किन आय-समूह के व्यक्तियों को आबंटित किये जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). जी, हाँ। निम्न आय वर्ग के व्यक्ति (आय सीमा 7200 रुपये प्रति वर्ष) 125 वर्ग गज तक के प्लाटों के आबंटन के पात्र होंगे, और मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति (आय सीमा 7201 रुपये से 18,000 रुपये प्रति वर्ष तक) 126 से 200 वर्ग गज तक के प्लाटों के आबंटन के पात्र होंगे।

यूनानी तिब्बी औषधियों का विकास

7184. **श्री राम भगत पस्वान** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औषधियाँ अधिनियम के अनुरूप भारत में आयुर्वेदिक तथा अन्य औषधियों के समान यूनानी, तिब्बी औषधियों के किए जाने वाले विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अखिल भारतीय यूनानी, तिब्बी सम्मेलन, दिल्ली-6 के कार्यालय मंत्री ने इस बारे में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में, जो आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के शिक्षा मानक और इन पद्धतियों के चिकित्सकों के पंजीकरण को विनियमित करने के लिए बनाया गया है, भारतीय चिकित्सा की एक ऐसी केन्द्रीय परिषद् गठित करने का उपबन्ध है जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के लिए अलग-अलग समितियाँ हों और उनमें प्रत्येक पद्धति के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हों। इस अधिनियम की धारा 9 (3) के अधीन यूनानी समिति यूनानी चिकित्सा पद्धति संबंधी किसी भी ऐसे कार्य को करने के लिए सक्षम होगी जो केन्द्रीय परिषद् के सामर्थ्य के अन्तर्गत आता हो बशर्ते वह परिषद् द्वारा दी जा सकने वाली सामान्य अथवा विशेष हिदायतों का भी पालन करेगी। इस प्रकार यूनानी समिति एक स्वतन्त्र तथा अन्य समितियों के समान एक समिति है।

(ख) जी, हाँ। अखिल भारतीय यूनानी तिब्बिया सम्मेलन के महामंत्री से 25 जुलाई, 1970 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें भारतीय चिकित्सा की आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पद्धतियों के लिए अलग-अलग स्वतन्त्र केन्द्रीय परिषदों का सुझाव दिया गया था।

(ग) संसद ने जिसने दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रस्तुत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1970 पर विचार किया था, भारतीय चिकित्सा की इन प्रत्येक पद्धतियों के लिये अलग-अलग केन्द्रीय परिषद् बनाने का समर्थन नहीं किया।

आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में एक बेरियम रसायन संयंत्र का लगाया जाना

7185. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिले के राजमपेट ताल्लुक में माँगमपेट के निकट बेरियम रसायन संयंत्र लगाने हेतु लाइसेंस के लिए कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण दिल्ली की सरकारी कालोनियों की मार्केटों में अनधिकृत निर्माण

7186. **श्री जी० एस० मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली की कुछ सरकारी कालोनियों में मार्केटों के दुकानदारों को आबंटित की गयी दुकानों के बरामदों में कुछ अनधिकृत निर्माण किये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत वर्ष के दौरान ऐसे अनधिकृत निर्माण के विषय में किन-किन क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) ऐसे अनधिकृत निर्माण वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) साउथ दिल्ली में नानकपुर, बाबू मार्केट और राम कृष्ण पुरम (सैक्टर I, III तथा VI) की सरकारी कालोनियों की मार्केटों की दुकानों के बरामदों में अनधिकृत निर्माण के बारे में गत एक वर्ष के दौरान रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

(ग) बाबू मार्केट के दुकानदारों को ऐसे अतिक्रमणों के लिए 'कारण बताओ' नोटिस

जारी कर दिये गये हैं। आर० के० पुरम के सैक्टर I तथा III के संबंध में दिल्ली नगर निगम से अनुरोध किया गया है कि वह अपने उप-नियमों के अधीन कार्यवाही करे। नानकपुरा और रामकृष्ण पुरम (सैक्टर VI) की मार्केटों के मामले में कार्यवाही की जा रही है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए पदों का आरक्षण

7187. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ने अपने नियंत्रण में सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के प्रत्याशियों के लिए आरक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है;

(ख) अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित तकनीकी सहायक के पदों पर पदोन्नति करने हेतु उन विभागीय प्रत्याशियों, जिनके पास आपरेशन रूम सहायक के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का न्यूनतम अनुभव है, के चयन के लिए उक्त संस्थान में 14 जुलाई, 1969 को इण्टरव्यू हुआ था;

(ग) क्या अपेक्षित अनुभव वाले अनुसूचित जाति के उपयुक्त प्रत्याशियों के उपलब्ध होने के बावजूद भी आरक्षित पदों पर अन्य सामान्य प्रत्याशी की नियुक्ति की गई; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, हाँ।

(ख) अस्पताल के विभिन्न कार्यों पर तकनीकी सहायक के पदों पर भरती के लिए साक्षात्कार 14 और 16 मई, 1969 को किया गया था न कि 14 जुलाई, 1969 को। उन विभागीय उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे, जिन्होंने विशेष क्षेत्रों / आपरेशन थियेटरों के काम, सर्जिकल अनास्थेशिसिया, सी० एस० एस० आर०, ब्लड बैंक और अस्पताल प्रयोगशाला में तकनीशियनों के बराबर के पदों पर पाँच वर्ष काम कर लिया हो। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों में से प्रत्येक के उम्मीदवार के लिये एक-एक स्थान आरक्षित किया गया था।

(ग) जी, नहीं। आरक्षित पद नहीं भरा गया था।

(घ) अनुसूचित जातियों का केवल एक आवेदक था। उसे तकनीकी सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था।

जयपुर में ग्राम्य आवास मंत्रियों का सम्मेलन

7188. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम्य-आवास की समस्या पर विचार करने के लिए जुलाई, 1970 में जयपुर में आयोजित ग्राम्य-आवास के राज्य मंत्रियों की बैठक में क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थीं;

(ख) क्या इन सिफारिशों के अनुसार ग्राम्य आवास संबंधी गहन कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए जिलों के चयन के विषय में सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से कोई आँकड़े प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) बैठक में प्राप्त हुए निष्कर्षों का सारांश अनुलग्नक में दिया है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) राज्य सरकार ने मोटे तौर पर निम्नलिखित विवरण दिया है :

(i) चुने गए जिलों का नाम	श्री काकुलम, आन्गोल, कुरनूल मेड़क, महबूबनगर (अंशतः)
(ii) चुने गए जिलों में भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के परिवारों की संख्या	15,640
(iii) भूमिहीन परिवारों के लिए निःशुल्क आवास-स्थलों की व्यवस्था के लिए भूमि के अर्जन करने के लिए अपेक्षित निधि	12·30 लाख रुपये
(iv) भूमिहीन परिवारों को मकानों के निर्माण के लिए अपेक्षित धन	187·70 लाख रुपये

विवरण

जयपुर की बैठक में प्राप्त निष्कर्षों का संक्षेप

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों, विशेषतया भूमिहीन कृषि मज़दूरों के लिए आवास स्थलों की व्यवस्था तथा उनके लिए मकानों के निर्माण, की प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए । जहाँ सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है वहाँ भूमिहीन कृषि मज़दूरों को बिना लागत

के (अथवा नाममात्र लागत पर) आवास स्थल उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपने साधनों में से अपेक्षित भूमि अर्जित की जानी चाहिए ।

(ख) साधनों की कमी तथा समस्या की विशालता को देखते हुए, ग्रामीण आवास कार्यक्रमों को सारे राज्य भर में अपने अल्प साधनों के फैलाने के बजाये चयनात्मक आधार पर आरम्भ किया जाना चाहिए । प्रत्येक राज्य को प्रत्येक एक करोड़ की जनसंख्या के पीछे ग्रामीण आवास के तेज कार्यक्रम आरम्भ करने लिए एक जिले को चुनना चाहिए । एक करोड़ से कम की जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य आदि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, एक जिले को चुन सकते हैं ।

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए अपेक्षित व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण के रूप में दिया जाना चाहिए और शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकारों को स्वयं वहन करना चाहिए । इस कार्यक्रम के लिए दी जाने वाली सहायता, यदि कोई है, के प्रश्न पर बाद में विचार किया जाये ।

(घ) चुने हुए जिलों के शीघ्र सर्वेक्षण द्वारा, राज्य सरकारों को, सरकारी तथा अन्य भूमि की उपलब्धता और अपेक्षित आवास स्थलों की संख्या, निर्माण किये जाने वाले मकानों की संख्या और इस उद्देश्य के लिए वांछित निधियों का मूल्यांकन करना चाहिए । ऐसे मकानों के निर्माण के लिये अपनाये जाने वाली विशिष्टियों को भी सुनिश्चित करना चाहिये ।

(ड़) उपरोक्त (घ) के ब्यौरे को केन्द्रीय निर्माण आवास और नगर विकास विभाग को सितम्बर, 1970 तक भेज देना चाहिये, ताकि मामले पर आगे विचार हो सके और तुरन्त उपयुक्त उपाय किये जा सकें ।

(च) इस परिकल्पित विशाल कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, पूंजी के अतिरिक्त, संस्थागत साधनों को जुटाना आवश्यक होगा । इसके लिए और अध्ययन की जरूरत होगी ।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए मकान

7189. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर मकानों की व्यवस्था करते हेतु ठोस कार्यक्रम बनाने की समस्या पर विचार किया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को निशुल्क आवास-स्थलों की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों

आदि को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने के लिए एक योजना बनाने का प्रस्ताव है । योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

हथकरघा बुनकरों के लिए आवास योजना

7190. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक श्रमिकों और समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों के लिए एकीकृत आर्थिक सहायता-प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए हथकरघा बुनकर पात्र हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अप्रैल, 1966 से विशेषकर हथकरघा बुनकरों के लिए आरम्भ की गई आवास योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1971-72 में उनके राज्यवार आवास योजनाओं संबंधी प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना निम्न आय वाले उन कामगारों को रिहायशी वास देने के लिये उद्दिष्ट है, जो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 की धारा 2 (1) में आते हैं और जो माईन्ज़ एक्ट 1952 की धारा 2 (एच) के अर्न्तगत अभिप्रेत, कोयला और अभ्रक की खानों से अन्य, खानों में नियोजित हैं, तथा जो समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिये है, जिनकी मासिक आय 350 रुपये से अधिक नहीं है । योजना की सीमा में आने वाले हथकरघा बुनकर अन्य पात्र कामगारों / व्यक्तियों के साथ उसके अर्न्तगत बनाये गये मकानों के आबंटन के लिये पात्र हैं । योजना के अर्न्तगत किसी पेशे अथवा व्यापार विशेष के व्यक्तियों के लिए एक मात्र मकानों के निर्माण के लिये पृथक-पृथक परियोजनाएं आरम्भ नहीं की जातीं ।

गृह निर्माण सहकारी समितियों को रोहतक रोड पर भूमि का आबंटन

7191. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली गृह निर्माण सहकारी समितियों को रोहतक रोड दिल्ली क्षेत्र में भूमि आबंटित की गई हैं;

(ख) क्या इन सहकारी समितियों ने भूमि की लागत के रूप में 2 करोड़ रुपये की राशि पहले ही सरकार के पास जमा कर रखी है;

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें भूमि कब आबंटित की गई थी और इन समितियों ने धनराशि कब जमा करवाई थी;

(घ) क्या इन सहकारी समितियों को भूमि का कब्जा दे दिया गया है; यदि हाँ तो यह कब्जा कब दिया गया था और यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं और इन समितियों को भूमि का कब्जा कब तक दे दिया जायेगा; और

(ड़) क्या इन समितियों के नक्शे भी अभी तक पास नहीं किये गये हैं और इन्हें कब तक पास किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) रोहतक रोड पर 16 सहकारी आवास निर्माण समितियों को भूमि आबंटित की गई है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) आबंटन अप्रेल, 1968 में किये गये थे । अधिकांश अदायगियाँ 1966 से 1968 तक की अवधि में प्राप्त हुई थीं ।

(घ) 13 सहकारी समितियों को भूमि का वास्तविक कब्जा अप्रेल, 1969 और मई, 1970 के बीच दिया गया था । एक समिति ने रोहतक रोड क्षेत्र में भूमि के आबंटन को स्वीकार नहीं किया । शेष दो समितियों के मामलों में दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

(ड़) दिल्ली विकास प्राधिकरण को 11 समितियों से ले-आउट प्लान प्राप्त हुए हैं । इन समितियों से 9 के ले-आउट प्लान शीघ्र ही अनुमोदित होने की संभावना है । शेष दो समितियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने ले-आउट प्लानों में संशोधन करने को कहा गया है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र मोतियाखान में भू-स्वामियों द्वारा भूमि का हस्तान्तरण

7192. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली का मोतियाखान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है;

(ख) क्या यह भूमि प्रारम्भ से अब तक कई हाथों बिक चुकी है;

(ग) पिछले 10 वर्षों के दौरान भू-स्वामियों द्वारा यह भूमि कितनी बार बेची गई और इसका ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या भूमि के स्वामित्व का यह हस्तान्तरण दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की साँठ-गाँठ से किया जा रहा है;

(ड़) इस समय मोतियाखान में 100 वर्ग गज के छोटे प्लाट के लिये 'पगड़ी' का धन

कितना मिलता है और क्या इस गैर कानूनी और अनधिकृत बिक्री के द्वारा कुछ दलाल लाखों रुपया कमा रहे हैं; और

(च) भूमि के इस अवैध क्रय-विक्रय को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या भूमि के हस्तान्तरण के लिये दायित्व निर्धारित करने के लिये कोई जाँच कराने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग). दिल्ली विकास प्राधिकरण का अभिलेखों के अनुसार गत 10 वर्षों की अवधि में 420 मामलों में स्थानों का हस्तान्तरण एक बार तथा 24 मामलों में दो बार हुआ।

(घ) जी, नहीं।

(ड़) दिल्ली विकास प्राधिकरण को मालूम नहीं।

(च) अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को पब्लिक प्रिमीसिज (इविक्शन आफ अनआथोराईज्ड आक्यूपेंट्स) अधिनियम, 1958 के अधीन बेदखल किया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम को अधिकारातीत घोषित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप आगे कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

गृह निर्माण संबंधी ऋण देने की अधिकतम सीमा का बढ़ाया जाना

7193. **श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण देने के उद्देश्य से मकान/फ्लैट को अधिकतम लागत सीमा को कर्मचारियों के मासिक वेतन के 75 गुने से अधिक करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निश्चय किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

आदिवासियों के लिए परिवार नियोजन

7194. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिधी जिले के परिवार नियोजन अधिकारियों ने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीधे सादे आदिवासियों के मामलों में मानवीय भावनाओं का सर्वथा परित्याग कर दिया है; और

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर 'हाँ' में है तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख). परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वैच्छिक कार्यक्रम है और इसे तदनुसार राज्यों में क्रियान्वित किया जाता है। इसके लिये शिक्षा और प्रेरणा की पद्धति अपनाई गई है और यदि कोई अधिक उत्सुक परिवार नियोजन कार्यकर्त्ता इससे विचलित होता है तो यह उसकी एक व्यक्तिगत गलती है। जब कभी ऐसी गलतियाँ ध्यान में आती हैं तो उनकी जाँच कर उचित कार्यवाही की जाती है। राज्य के अधिकारियों से विदित हुआ है कि उन्हें पहले के जिला परिवार नियोजन अधिकारी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि उसने कुछ लोगों पर परिवार नियोजन की सेवाएँ स्वीकार करने के लिये आवश्यकता से अधिक जोर देने का प्रयत्न किया था। उसका स्थानान्तरण कर दिया गया था और राज्य के अधिकारियों द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही है।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए ब्रिटिश सहायता

7195. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के संसद सदस्यों के एक दल ने अपनी सरकार को बंगला देश के शरणार्थियों को और सहायता देने के लिए सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ब्रिटेन की सरकार की इसमें क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 5 अगस्त, 1971 को हाउस आफ कामन्स की बैठक के दौरान, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य श्री रेगीनाल्ड प्रेन्टिस ने ब्रिटेन तथा अन्य देशों से अनुरोध किया है कि वे भारत को सहायता देने के और आश्वासन दें ताकि भारत पूर्व बंगाल से आने वाले 70 लाख से अधिक शरणार्थियों की समस्या से निपट सके।

(ख) जहाँ तक हमारी जानकारी है, ब्रिटिश सरकार ने बंगला देश के शरणार्थियों की और सहायता के लिए अभी तक कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया है।

श्रीनगर लद्दाख सड़क

7196. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर से सोमरी होते हुए लद्दाख तक की सड़क बुरी स्थिति में है;

(ख) क्या पर्यटकों की दृष्टि से इसके महत्व के अतिरिक्त इसका कोई सामरिक महत्व भी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसकी स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सड़क की सतह समय और इस्तेमाल के कारण कुछ जगहों पर टूट फूट गई थी।

(ख) सामरिक एवं विकास दोनों दृष्टियों से सड़क महत्वपूर्ण है।

(ग) टूटी फूटी जगहों की मरम्मत की जा रही है।

इसरायल के साथ राजनयिक संबंध

7197. **श्री निहार लास्कर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में केवल इसरायल ही एक ऐसा देश है जिसने भारत सरकार द्वारा बंगला देश के आंदोलन के संबंध में की गई कार्यवाही और अपनाये गये दृष्टिकोण का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस देश ने यह चाहा है तथा इच्छा प्रकट की है कि भारत और इसरायल के मध्य राजनयिक संबंध स्थापित करने का यही अवसर है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इसरायल और अन्य कई देशों ने शरणार्थियों की दुर्दशा कम करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की है।

(ख) सरकार ने उन प्रेस रिपोर्टों को देखा है, जिनमें कुछ इसरायली अधिकारियों ने दोनों देशों में राजनयिक संबंध स्थापित करने की इच्छा प्रकट करते हुए वक्तव्य दिए थे।

Criteria for Appointment of Ambassadors

7198. SHRI BIBHUTI MISHRA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have laid down any qualifications and criteria for appoinment to the posts of Ambassadors; and

(b) if so, what ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) For the posts of Ambassadors, the Government selects either distinguished public men who have rendered meritorious service to the nation or senior service men who have proved their ability in various posts in India or abroad. In either case the persons chosen for these high posts have to satisfy the Foreign Minister and the Prime Minister that they will be able to represent India correctly, faithfully and with dignity and will be able to protect and promote our national interests in the country of their accreditation.

दीरक और तेंगपाणी पर पुल का निर्माण

7199. **श्री सी० सी० गोहेन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीरक और तेंगपाणी पर पुल निर्माण करने का काम एक ठेकेदार को दे दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त ठेका कब दिया गया था और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग). ठेका 26 अगस्त, 1967 को दिया गया था । कार्य 6-12-1969 तक पूर्ण हो जाना था । कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं थी तथा अन्त में ठेकेदार ने कार्य को अप्रैल, 1970 से छोड़ दिया था । बचे हुए कार्य के लिए निविदाएँ पूर्व ठेकेदार के जोखिम पर तथा व्यय पर प्राप्त हो गई हैं और उनकी संवीक्षा की जा रही है । इन निविदाओं के अनुसार, कार्य 1973 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

भारत द्वारा विदेशों को दी गई वित्तीय सहायता

7200. **श्री के० लकप्पा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने विदेशों को वर्ष 1969 और 1970 में अलग-अलग, कितनी आर्थिक सहायता दी;

(ख) प्रत्येक देश को किस प्रयोजन के लिए कितनी सहायता दी गई है;

(ग) उपरोक्त अवधि में कितना ब्याज प्राप्त हुआ; और

(घ) भारत द्वारा विदेशों को वर्ष 1971 और 1972 के दौरान अनुमानित कितना ऋण तथा सहायता दी जाएगी ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 1969-70 और 1970-71 के वित्त वर्षों के दौरान भारत द्वारा विदेशों को क्रमश: 17·42 करोड़ रुपए और 14·49 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई । यह राशि उस सहायता के अतिरिक्त है जो 'स्काप', 'यूनीडो' आदि बहुपक्षीय एजेन्सियों के जरिए दी जाती है ।

(ख) उत्तर निम्नलिखित है :

(i) 1969-70

देश का नाम	दी गई सहायता की राशि (रुपयों में)	जिस प्रयोजन के लिए सहायता दी गई उसका नाम
1	2	3
1. नेपाल	12,01,00,000	नेपाल के आर्थिक विकास के लिए ।
2. भूटान	5,02,77,000	विकास प्रयोजनों के लिए ।
3. अफगानिस्तान	21,00,000	100 बिस्तर वाला बाल अस्पातल का निर्माण तथा कन्धार-जाहिदान सड़क का सर्वेक्षण ।
4. अंगोला	4,000	भारत में अंगोलियाई राष्ट्रिकों का प्रशिक्षण ।
5. बर्मा	87,000	भारत में बर्मी राष्ट्रिकों का प्रशिक्षण ।
6. श्रीलंका	27,000	भारत में श्रीलंकाई नागरिकों का प्रशिक्षण ।
7. इथोपिया	1,40,000	डाक्टरों, अध्यापकों और तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति ।
8. फिजी	5,000	सर्वेक्षण दल की प्रतिनियुक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में फिजी राष्ट्रिकों का प्रशिक्षण ।
9. जाम्बिया	1,000	पेडी थ्रेसर की सप्लाई की लागत ।
10. इंडोनेशिया	1,000	प्रतिनियुक्त अध्यापकों, उम्मीदवारों का रेल किराया ।
11. ईराक	23,000	भारत में ईराकी राष्ट्रिकों का प्रशिक्षण ।
12. कीनिया	34,000	उपस्कर की सप्लाई ।
13. लाओस	10,000	प्रतिनियुक्त भारतीयों पर खर्च ।
14. मलयेशिया और सिंगापुर	68,000	मलयेशिया और सिंगापुर को भेंट में दिये गये पुष्पक वायुयान और ग्लाइडर आदि की बकाया अदायगी ।
15. मालदीव	2,000	मालदीव में प्रतिनियुक्ति के लिए अध्यापक चुनने का खर्च ।
16. पी० डी० आर० वाई० (अदन)	3,00,000	पी० डी० आर० वाई० में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण और अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति तथा भारत में उनके मनोनीत व्यक्तियों के प्रशिक्षण पर खर्च ।
17. सोमालिया	6,50,000	डाक्टरों, अध्यापकों, आशुलिपिकों आदि की प्रतिनियुक्ति ।
18. सीरिया	26,000	सीरियाइयों का प्रशिक्षण ।

1	2	4
19. संयुक्त अरब गणराज्य	1,70,000	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण ।
20. यमन अरब गणराज्य	4,000	तकनीकी प्रशिक्षण आदि ।
21. जाम्बिया	60,000	विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति ।
22. विविध	1,28,000	भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन भारत का दौरा करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों का यात्रा खर्च ।
जोड़	17,42,17,000	
(ii) 1970-71		
1. नेपाल	9,02,16,000	नेपाल के आर्थिक विकास के लिए ।
2. भूटान	4,71,40,000	विकास कार्यों के लिए ।
3. अफगानिस्तान	55,80,000	100 शैय्याओं वाला बच्चों का अस्पताल बनाने के लिए तथा कंधार जहीदान सड़क के लिए ।
4. इथोपिया	1,83,000	डाक्टर, अध्यापक और तकनीकी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति ।
5. फिजी	29,000	सर्वेक्षण दल की प्रतिनियुक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में फिजी नागरिकों को प्रशिक्षण ।
6. कीनिया	2,000	तकनीकी सहायता ।
7. मलयेशिया	82,000	मारा के मनोनीत व्यक्तियों को प्रशिक्षण ।
8. सोमाली	6,96,000	डाक्टर, अध्यापक, आशुलिपिकों आदि की प्रतिनियुक्ति ।
9. पी० डी० आर० वाई०	3,38,000	तकनीकी प्रशिक्षण आदि के लिए ।
10. नाइजीरिया	29,000	तकनीकी प्रशिक्षण अनुदेशकों की प्रतिनियुक्ति ।
11. मारीशस	98,000	साज समान की सप्लाई ।
12. लीबिया	7,000	विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति ।
13. संयुक्त अरब गणराज्य	4,00,000	संयुक्त अरब गणराज्य राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण ।
14. भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन भारत का दौरा करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों पर किया गया गया व्यय	1,93,000	
कुल	14,49,93,000	

(ग) उन अनुदानों पर ब्याज नहीं लगाया गया है जो इन देशों को मैत्री भावना से तथा मित्र देशों के आर्थिक विकास में सहायता देने की हमारी नीति के अनुसार दिया गया है। इन्हें दिये गये ऋण से जो ब्याज प्राप्त हुआ उसका ब्यौरा इस प्रकार है :

जिस देश को ऋण दिया गया	ब्याज प्राप्त हुआ	
	1969	1970
1. नेपाल (एक करोड़ रुपया)	95,816	1,02,807
2. श्रीलंका (दो करोड़ रुपया)	1,52,870	—
3. श्रीलंका (पाँच करोड़ रुपया)	9,64,166	19,58,025
4. श्रीलंका (पाँच करोड़ रुपया)	—	5,61,420
5. इंडोनेशिया (दस करोड़ रुपया)	—	1,74,43,514
	रु० 12,12,852	रु० 2,00,65,766

(घ) (i) अनुदान :

1971-72 एवं 1972-73 में भारत द्वारा विदेशों को दी जाने वाली अनुमानित आर्थिक सहायता :

	1971-72	1972-73
(क) नेपाल	रु० 11·08 करोड़	1972-73 के अनुमान अभी तक तैयार नहीं हुए हैं।
(ख) भूटान	रु० 5·00 करोड़	
(ग) भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम	रु० 1·00 करोड़	
	कुल रु० 17·08 करोड़	

(ii) ऋण :

1971-72 में भारत द्वारा विदेशों को 6·675 करोड़ रुपये के वित्तीय ऋण दिये जाने का अनुमान है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

7201. **श्री के० मालन्ना :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का विचार 100 करोड़ रुपये की लागत वाले राका तांबे के कारखाने के दूसरे चरण के निर्माण में सहायता देने का है;

(ख) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना से अब तक औद्योगिक परियोजनाओं की कहाँ तक सहायता की है;

(ग) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हीट ट्रान्सफर उपकरण के सम्पूर्ण भाग देता है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने राखा कापर प्रोजेक्ट फेज II (राखा ताँबा प्रायोजना चरण II) के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को इण्डियन डिजायन इंजीनियरिंग के रूप में नियुक्त किया है। इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा आवश्यक डिजायन, इंजीनियरिंग अधिप्राप्ति सहायता और निर्माण पर्यवेक्षक सेवाओं का प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

(ख) 1965 में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना से लेकर, इस कम्पनी ने 63·89 करोड़ रुपये के मूल्य की प्रधान प्रायोजनाओं को सेवाएँ प्रदान की हैं। इस समय कार्यन्वयन कि जा रही बड़ी प्रायोजनाओं तथा उन प्रायोजनाओं जिनके निकट भविष्य में उनके द्वारा कार्यान्वित किए जाने की संभावना है, का कुल मूल्य 221·79 करोड़ रुपये है। पेट्रोलियम शोधनशालाओं के क्षेत्र में कम्पनी ने स्थल पर अनेक शोधनशालाओं तथा स्थल दूर की समस्त शोधनशालाओं के लिए शोधनशाला प्रक्रिया डिजायन के निष्पादन द्वारा भारत तथा अधिक उन्नत देशों के बीच विद्यमान तकनीकी अन्तराल को पर्याप्त रूप में कम किया है। कम्पनी अब अपतट पद्धतियों के लिए इंजीनियरिंग, अलौह धातु क्षेत्र में संयंत्रों तथा कार्य कर रहे संयंत्रों (विशेषरूप से संरक्षण की समस्याओं के संबंध में) की देखरेख हेतु तकनीकी सेवाओं को अब अच्छी प्रकार संभाल रही है।

(ग) इंजीनियर्स इंडिया लि० ने पेट्रोलियम शोधनशालाओं और पेट्रोरसायन, उर्वरक तथा अन्य रसायन संयंत्रों के लिए अपेक्षित समस्त किस्मों के ताप विनिमय यंत्रों (हीट एक्सचेंजर्स) के लगभग 90 प्रतिशत के लिए डिजायन/उपकरण की पेशकश की है। एक समझौते के अन्तर्गत जिस पर अब बातचीत हो रही है, इंजीनियर्स इंण्डिया लि० उपयुक्त उद्योगों के लिए फय फायर्ड हीटर्स की व्यवस्था करने में समर्थ होगी।

(घ) अमरीका के मैसर्स ल्यूमस कम्पनी जो एक अंतर्राष्ट्रीय विख्यात फर्म है तथा जिसे ताप विनिमय यंत्रों (हीट एक्सचेंजर्स) के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त है, से उपलब्ध जानकारी के आधार पर इंजीनियर्स इंड़िया लि०, शैल एण्ड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स (Heat Exchangers) आफ कार्बन, इस्पात एवं मिश्रधातु निर्माण (Steel and Alloy Construction) फिक्सड ट्यूब शीट आदि, फ्लोटिंग हैड और यू-ट्यूब्ज़ आदि) विस्तृत धरातल ताप विनिमय यंत्र, (Extended Surface Heat Exchangers), वायु कुण्डली ताप विनिमय यंत्र (Air-coiled Heat Exchangers), वायलर पानी तापक (Feed water heaters), सरफेस कण्डैन्सर्स (सतह संघनित्र), वेस्ट हीट बायलर्स आदि जैसे विभिन्न किस्मों के ताप विनिमय यंत्रों का अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर डिजायन तैयार करने में अब पूर्णतया समर्थ है।

Financial Assistance to Madhya Pradesh for Prevention of Blindness

7202. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given any financial assistance to the Government of Madhya Pradesh for prevention of blindness in Madhya Pradesh;

(b) if so, the amount of financial assistance given during the last three years, year-wise;

(c) the results achieved so far therefrom; and

(d) the additional measures proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha in due course.

नायलोन कपड़ा तन्तु रेशा के निर्माण के लिए उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम का आवेदन-पत्र

7203. **श्री बक्शी नायक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम ने नायलोन कपड़ा तन्तु रेशे का निर्माण करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह आवेदन-पत्र कब दिया गया था;

(ग) क्या इस अनुरोध की जाँच कर ली गई है, और यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या किसी अन्य राज्य सरकार को नायलोन कपड़ा तन्तु रेशे का निर्माण करने के लिये कोई लाइसेंस दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). जी, हाँ। 5 जुलाई, 1970 को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किये गये प्रेस नोट के उत्तर में अगस्त, 1970 में उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम, भुवनेश्वर से एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ). प्रेस नोट के उत्तर में प्राप्त हुए अन्य प्रार्थना-पत्रों के साथ यह प्रार्थना-पत्र भी सरकार के विचाराधीन है।

फिल्में दिखाने हेतु विदेशी मिशनों के लिये आचार संहिता

7204. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी मिशनों को कोई भी फिल्म दिखाने की स्वतंत्रता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे उचित समझती है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन मिशनों के लिए कम से कम भारत की राजधानी में कोई आचार संहिता तैयार करने का है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ, वियना अभिसमय के सिद्धांतों के अनुसार अपने भवन के अन्दर ही, और भारत भी उस अभिसमय का सदस्य है। उनके भवनों से बाहर दिखाई जाने वाली फिल्में, ऐसी फिल्म दिखाने से संबद्ध सामान्य नियमों और विनियमों से नियंत्रित होती हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

लद्दाख में खेत अनुसंधान प्रयोगशाला के मुर्तसी फार्म में अनुसंधान

7205. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**
श्री त्रिदिब चौधरी :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेत अनुसंधान प्रयोगशाला के मुर्तसी फार्म ने जम्मू और कश्मीर में लद्दाख के जिले के ऊँचे स्थानों में अनुसंधान किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य उपलब्धियाँ क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हाँ। खेत अनुसंधान प्रयोगशाला के द्वारा ऊँचे स्थानों में कृषि के लिए मुर्तसी फार्म में अनुसंधान किए जा रहे हैं।

(ख) प्रयोगशाला की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं :

1. ऊँचे स्थानों पर खेती के लिए सबसे उपयुक्त सब्जियों के बीजों का चयन करना। इसका परिणाम यह हुआ है कि स्थानीय स्रोतों के द्वारा सेना को पूर्ति की जाने वाली सब्जी की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।

2. सबसे अच्छे किस्म के गेहूं का चयन जो कि ऊँचे स्थानों पर उगाने में सबसे उपयुक्त है जिसके फलस्वरूप 14,000 फुट की ऊँचाई पर प्रथम बार गेहूँ की खेती हुई है।

3. ट्रेंचों में शीघ्र बीजांकुर उगाने के लिए एक सरल तरीका बनाया गया था जिसमें अत्यन्त शीत के दौरान पौलीथीन को प्रयोग करते हैं जिससे उसी ऋतु में एक स्थान पर दो फसलें पैदा करने की क्षमता हो जाती है। इसे विस्तृत रूप में स्थानीय किसानों ने अपना लिया है।

4. सुधारे गए किस्म के आलुओं को खेती के लिए चुना गया है तथा आलूओं को बोने के लिए सर्वोत्तम समय को निश्चित कर लिया गया है। इसी प्रकार से मटर की सबसे अच्छी किस्म को लद्दाख में खेती के लिए चुन लिया गया है।

5. शलजम के प्रतिरोपण में सफलता प्राप्त हो गई है।

6. लेह में ट्यूबवैल से सिचाई की संभावनाओं को स्थापित कर लिया गया है।

7. अत्यन्त शीत ऋतु में भी पौल्ट्री फार्मिंग (मुर्गी पालन) करने के तरीके खोज निकाले गए हैं।

8. स्थानीय पशुओं को जर्सीब्रीड के साथ संकर बनाकर उच्च स्तर का बनाया गया है तथा उसका प्रदर्शन भी किया गया है।

शरणार्थियों के लिये हैजे के टीकों की कमी

7206. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरणार्थियों के लिए हैजे के टीकों की भारी कमी है और अब तक केवल एक तिहाई शरणार्थियों को टीके लगाये जा सके हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो अधिक टीके प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (ए० के० किस्कु) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में हैजा वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से भी यह वैक्सीन उपहारस्वरूप प्राप्त हो रही है।

Conversion of Leh-Manali Road into a Pucca Road

7207. SHRI KUSHAK BAKULA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Leh-Manali Road has not been made a pucca road, so far it is in a deplorable condition; and

(b) if so, when it is likely to be made a pucca road ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) and (b). Leh-Manali Road is in a satisfactory condition.

Development of Homoeopathic System

7208. SHRI S. D. SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1433 on the 7th June, 1971 and state :

(a) the names of the private institutions which have been given financial assistance for the development of Homoeopathic system of medicine during the current financial year; and

(b) the criteria followed for giving financial assistance to the private institutions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI D. P. CHATTOPADHAYAYA) : (a) Financial assistance is given by the Government for development of Homoeopathy and for research by the Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy.

During the current financial year, the Homoeopathic Education Society, Bombay has been sanctioned an ad-hoc grant of Rs. 1 lakh for development in respect of College building equipment and staff on ad-hoc basis.

The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy has given financial assistance in the form of grant-in-aid to the institutions mentioned below for conducting research. The first instalment of Rs 13,000/- recurring per institute has been released so far.

1. Athurasramam Homoeopathic Medical College and Hospital, Kottayam.
2. Devatray Charitable Homoeopathic Hospital and Trust, Aligarh.
3. Dr. Guru Raju Government Homoeopathic College and Hospital, Gudivada (Andhra Pradesh).
4. D. N. De Homoeopathic Medical College and Hospital, Calcutta.
5. Calcutta Homoeopathic Medical College and Hospital, Calcutta.
6. K. N. Medical College & Hospital, Bhagalpur (Bihar).
7. Midnapore Homoeopathic Medical College and Hospital, Midnapore (West Bengal).
8. Belgaum Homoeopathic Medical College and Hospital, Mysore.

(b) The criteria and the pattern of assistance for giving financial assistance to private institution for the development of Homoeopathic Education during the 4th Plan period has not yet been finalised since replies from concerned State Governments are awaited.

The research schemes for financial assistance are scrutinised by the Scientific Advisory Board (Homoeo) and sanctioned by the Executive Committee/Governing Body of the Council in accordance with the policy of the Council, the prescribed financial pattern and subject to availability of funds.

Post of Cultural Attache in Indian Embassy in Nepal

7209. SHRI S. D. SINGH : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) since when the post of Cultural Attache in the Indian Embassy in Nepal has been lying vacant;

(b) whether Government propose to fill up this post or propose to abolish it for ever;

(c) the name of the last Cultural Attache in Indian Embassy in Nepal;

(d) whether Government have received any complaint against him which is being enquired into; and

(e) if so, the main features thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) The post has been lying vacant since 16-2-1970, but the work was being looked after by other officers.

(b) The post will be filled shortly and a suitable person has been already selected.

(c) Dr. Indu Shekhar.

(d) There is no complaint against him which is being enquired into. He relinquished office on retirement.

(e) Does not arise.

Housing Schemes in Bihar

7210. SHRI S. D. SINGH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the names of Housing Schemes in progress in Bihar with the assistance provided by the Central Government under the Housing Scheme;

(b) whether Central Government have received any representation from Bihar Government in this regard; and

(c) if so, their reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) The following Social Housing Schemes introduced by the Ministry of Works and Housing are in operation in Bihar :

(i) Integrated Subsidised Housing Soheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of Community.

(ii) Low Income Group Housing Scheme.

(iii) Slum Clearance/Improvement Scheme.

(iv) Village Housing Projects Scheme.

(v) Middle Income Group Housing Scheme.

(vi) Rental Housing Scheme for State Government Employees.

(vii) Land Acquisition and Development Scheme.

All these schemes are included in the State sector of the Plan. Block Central assistance, which is being given to the State Government during the Fourth Five Year Plan, is not tied to any specific Scheme or head of development. It can be utilised for any Plan Scheme, including Housing Schemes, according to the requirements and priorities determined by the State Government.

(b) No such representation has been received in the Ministry of Works and Housing.

(c) Does not arise.

चंडीगढ़ में विवाहित व्यक्तियों के लिये आवास स्थानों का निर्माण

7211. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चंडीगढ़ में काम कर रहे रक्षा स्थापनाओं के विवाहित सिविल कर्मचारियों के लिये आवास स्थान बनाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त स्थापना के नाम क्या हैं और आवास स्थानों के अधिकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हाँ। सरकार सिविलियन कर्मचारियों के लिए जो चंडीगढ़ में या उसके निकट विरचना मुख्यालयों तथा यूनिटों में जिनका वहाँ स्थित होना प्रस्तावित होगा प्राधिकृत संख्या शक्ति का 15 से 25% तक विवाहित आवास देने की व्यवस्था करने पर सहमत हो गई है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) चण्डीगढ़ या उसके निकट स्थित प्रतिष्ठानों/यूनिटों के नाम प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

गैर-प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नसबन्दी

7212. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी को नसबन्दी आपरेशन करने की अनुमति दी जाय जो उचित रूप से प्रतिक्षित न हो और जिसके पास सक्षम प्राधिकारियों का प्रमाण-पत्र न हो; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). काफी समय पहले, 1967 में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए हिदायतें जारी की थीं कि जिलों के चिकित्सा अधिकारियों को नसबन्दी आपरेशन करने में प्रशिक्षित किया जाए। इन डाक्टरों को प्रशिक्षित करने का दायित्व जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन को सौंपा गया था।

मधुबनी, दरभंगा में शिक्षित बेरोजगारों को पेट्रोल पम्पों के लाइसेंस देना

7213. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल पम्पों के लिए लाइसेंस देने के मामले में स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) क्या बिहार के दरभंगा जिले में मधुबनी के पूर्वी क्षेत्र में लाइसेंस देते समय इस सिद्धांत को ध्यान में रखा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) डीलरशिप के लिए पात्रता की शर्तों में एक शर्त यह है कि बेरोजगार स्नातक उसी सिविल जिले के हों जहाँ डीलरशिप का काम करना है अथवा उसी राज्य के अन्तर्गत दूसरे सिविल जिले के हों जिसकी सीमा पहले जिले से मिलती हो। संबंधित जिलों के नाम डीलरशिप के लिये छापे गये विज्ञापनों में दिये जाते हैं। इस आधार पर पात्रों/अभ्यार्थियों में से किसी को प्राथमिकता दिए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) भारतीय तेल निगम ने दरभंगा जिले में मधुबनी में फुटकर विक्रेता डीलरशिप के लिये कोई विज्ञापन नहीं दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Contracts for drilling of petrol, gas and oil

7214. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) the names of the Companies to which contracts have been given at present for the drilling of petrol, gas and oil;

(b) whether lakhs of rupees have been misappropriated through any contract given under the agreement; and

(c) if so, the particulars thereof ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI P. C. SETHI) : (a) A Contract has been signed recently with M/s Offshore International S. A. of U.S.A., in connection with Oil and Natural Gas Commission's plan to undertake drilling in deep offshore waters, in Bombay High structure and adjoining areas. O.I.S.A. would provide a limited number of drilling personnel to ONGC for conducting this drilling, in the initial stages, which is likely to commence late in 1972. O.I.S.A. would also be training a certain number of ONGC's technicians for this purpose.

(b) No, Sir,

(c) Does not arise.

Transport arrangement for children of employees of Guard Training Centre, Kota

7215. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the transport arrangements made for the school-going children of the civilians and officers living in the Kota Guard Training Centre;

(b) whether the motor vehicle engaged for this purpose is only meant for the school-going children of the Military Officers residing there; and

(c) the transport arrangements made for the children of the low paid Civilian employees living there ?

THE MINISTER OF DEFENCE : (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

कलकत्ता में बंगला देश के अधिकारियों से इंटरव्यू

7216. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री एम० एम० जोजफ :
श्री मल्लिकार्जुन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तय हुआ था, स्विस सरकार के प्रतिनिधियों ने कलकत्ता में बंगला देश मिशन के अधिकारियों से इंटरव्यू किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इंटरव्यू के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कलकत्ता और ढाका से भारतीय तथा पाकिस्तानी राजनयिकों की शीघ्र वापसी हो सकेगी ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) कलकत्ता में भूतपूर्व पाकिस्तान उप हाई कमीशन के उन सभी सदस्यों ने, जिन्होंने बंगला देश के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की थी, पाकिस्तान को प्रत्यावर्तित न किये जाने की इच्छा प्रकट की है ।

(ग) इसके बाद, ढाका और कलकत्ता के मिशनों के सदस्यों के शीघ्र देश-प्रत्यावर्तन के लिए स्विस सरकार के सद्प्रयत्नों के जरिए भरसक कोशिश की जा रही है और स्विस राजदूत के जरिए भेजे गये प्रस्ताव के प्रति पाकिस्तान की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

केन्द्र-चालित अस्पतालों के कार्यकरण संबंधी समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन

7217. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग और विलिंगडन अस्पतालों, आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साईन्सेज़, नई दिल्ली तथा चण्डीगढ़ स्थित पोस्टग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट के प्रशासन तथा इंजीनियरी सेवाओं की देख-रेख के लिए सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समिति ने क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले हैं तथा क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). सरकार को अब तक इस कार्यकारी दल के प्रारूप-प्रतिवेदन के भाग-I का ही प्रारूप मिला है। किन मुद्दों पर तुरन्त अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है इस बात को देखने के लिए प्रारूप-प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

Indian Doctors to be trained in U.S.A. in Heart Surgery

7218. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state the names of Doctors proposed to be sent to America for training in heart surgery during 1971 together with other particulars thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. KISKU) : There is no proposal as yet to send Indian doctors to America for training in heart surgery during 1971.

Allotment of Land to Families of Jawans killed/wounded during Indo-Pak conflict

7219. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government had formulated any scheme for distributing land among the families of jawans killed and wounded during the Indo-Pak conflict; and

(b) the number of families allotted land in Uttar Pradesh as also the number of those, which are yet to be allotted land ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : The distribution of land is done through the State Governments and most of the State Governments have accorded

priority to the dependents of Jawans killed in action as well as those disabled in action, in this matter.

(b) Collection of the requisite figures will take considerable time because the distribution of land is done by the local offices of State Governments.

Appointment of Ayurvedic Doctors for Indian Army

7220. SHRI MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint qualified Ayurvedic Doctors alongwith qualified Allopathic Doctors for serving the Indian army; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली के नागरिकों को शुद्ध जल की सप्लाई

7221. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नागरिकों को शुद्ध जल की सप्लाई सुनिश्चित करने की कोई योजना सरकार ने बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). इस समय वजीराबाद, चन्द्रावल और ओखला के जल शोधन संयंत्रों और नलकूपों तथा रैनी कुओं से अनुमानत: 47 गैलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिल्ली में शुद्ध जल दिया जा रहा है । इन विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जल की कुल क्षमता 18 करोड़ 60 लाख गैलन प्रतिदिन है जिसमें से 17 करोड़ 30 लाख गैलन प्रतिदिन उपयोग में लाया जा रहा है । चौथे पंचवर्षीय आयोजन में निम्नांकित योजनाओं के माध्यम से जल की पूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है :

(1) रैनी कुएं ।

(2) राम गंगा परियोजना ।

अतिरिक्त रैनी कुओं की योजना से प्रति दिन एक करोड़ 50 लाख गैलन अतिरिक्त जल उपलब्ध होने की आशा है । एक कुएँ का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और शेष कुओं का कार्य संभवत: वर्ष 1972 के अन्त तक पूरा हो जायेगा । रामगंगा परियोजना के अधीन मुख्य नलों को बिछाने का कार्य पहले ही हाथ में लिया जा चुका है । वजीराबाद के दूसरे संयंत्र की उपयोग में न

लाई जाने वाली जल-क्षमता को उपयोग में लाने का भी विचार है और ओखला संयंत्र से जल की पूर्ति बन्द करने का प्रस्ताव है।

नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल के एक कर्मचारी की मृत्यु

7222. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल के एक कर्मचारी की उक्त अस्पताल में 24 जनवरी, 1971 को मृत्यु हो गई थी;

(ख) क्या सरकार को सर गंगाराम अस्पताल कर्मचारी संघ, दिल्ली के अध्यक्ष की ओर से इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि उक्त कर्मचारी की मृत्यु प्रबंधकों द्वारा उसे परेशान किये जाने के कारण हुई है;

(ग) क्या इस संबंध में जाँच कराने की माँग की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली, जो कि एक गैर-सरकारी संस्थान है, ने सरकार को सूचित किया है कि उस अस्पताल के कर्मचारियों की कोई रजिस्टर्ड यूनियन नहीं है। उन्होंने यह भी बतलाया है कि अस्पताल के किसी भी कर्मचारी, मृत व्यक्ति या उसके संबंधियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने किसी प्रकार से परेशान किये जाने के बारे में कभी भी कोई शिकायत नहीं की है। तथापि उन्होंने कहा है कि इस मामले में नई दिल्ली के एक न्यायाधीश द्वारा जाँच की गई है।

(घ) जिला न्यायाधीश, दिल्ली से सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गदर पार्टी के स्मारक के बारे में अमरीका में भारतीयों की माँग

7223. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमेरिका में भारतीयों की, विशेषकर पंजाबियों की इस माँग से अवगत है कि सरकार या तो वायदे के अनुसार गदर पार्टी के वीरों के लिए स्मारक निर्मित कराये अथवा इस प्रयोजन के लिए जो सम्पत्ति तथा राशि दान दी गयी थी, उसे वापस करे; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, नहीं। सरकार को जायदाद लौटाने की माँग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अमरीका में रहने वाले भारतीयों की यह इच्छा है कि स्मारक जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। सरकार भी यही चाहती है।

(ख) सरकार स्मारक निर्माण के लिए 6,22,000 रुपए की राशि देने को राजी हो गई है। सेन फ्रांसिस्को में दो रिहायशी मकान बनाने का प्रस्ताव है जिन पर समुचित स्मारक-पट्टिका होगी, इनसे प्राप्त होने वाले किराये की राशि का उपयोग गदर पार्टी के शहीदों की याद में दी जाने वाली दो छात्रवृत्तियों के लिए होगा। आशा है, निकट भविष्य में इसे कार्य-रूप दिया जाएगा। सेन फ्रांसिस्को में हमारे महा-कौंसलर को इसे पूरा करने का निदेश दिया गया है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के लिए बजट व्यवस्था

7224. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** :
श्री आर० बालकृष्ण पिल्लै :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की वार्षिक बजट व्यवस्था के लिए प्रति वर्ष अनुदानों के रूप में भारत की संचित निधि से धनराशि दी जाती है; और

(ख) क्या भारत में चिकित्सा संबंधी अनुसंधान कार्य करने के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन निधि, पी० एल० 480 निधि, फोर्ड फाउन्डेशन निधि आदि जैसी विदेशी निधियाँ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा भारत सरकार की स्पष्ट अनुमति से तथा भारत सरकार की ओर से ही प्राप्त की जाती हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). इस परिषद् को विश्व स्वास्थ्य संगठन, सार्वजनिक कानून 480 की निधि तथा अन्य विदेशी एजेन्सियों से धन मिलता है। चिकित्सा कार्य पर अनुसंधान करने के लिए विदेशी एजेन्सियों से वित्तीय सहायता लेने के मामले में यह परिषद् भारत सरकार की पूर्वानुमति ले लेती है। तत्पश्चात् परिषद् भारत सरकार के नाम पर धन प्राप्त नहीं करती वरन् सीधे प्राप्त कर लेती है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के लेखों की लेखा-परीक्षा

7225. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के प्रभारी मंत्री भारतीय चिकित्सा एवम् अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव उक्त परिषद् के उपाध्यक्ष हैं और कार्यकारी परिषद् के सभी सदस्य स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है;

(ख) क्या भारत सरकार के अन्य विभागों की भाँति ही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के लेखों की जाँच भी प्रति वर्ष नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् जोकि एक पंजीकृत संस्था है, के नियमों और विनियमों के अनुसार परिषद् के शासी निकाय और प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के मंत्री होंगे और स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के सचिव उसके उपाध्यक्ष होंगे ।

परिषद् की शासी निकाय के सदस्यों में सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं जबकि प्रबन्ध समिति के सदस्यों में सामान्यतया केवल सरकारी व्यक्ति होते हैं ।

(ख) और (ग). भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को सहायतार्थ अनुदान दिया जाता है और मुख्यतः भारत सरकार इसका सारा खर्चा वहन करती है । परिषद् के उप-नियमों के अन्तर्गत परिषद् में लेखा परीक्षक का दायित्व भारत के नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा या इस काम के लिए उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा निभाया जायेगा । परिषद् के लेखों के लेखा परीक्षण के संबंध में भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक और उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को इस संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार प्राधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक को सरकारी लेखों के संबंध में प्राप्त हैं । विशेष रूप से उन्हें पुस्तकों, लेखों, सम्बन्धित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों एवं कागजातों की माँग करने और परिषद् के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार भी होगा ।

Problem of Drinking Water in Indore Division in Madhya Pradesh

7226. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to solve the problem of drinking water in Indore Division in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the main features thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. KISKU) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मदुरै मैडिकल कालेज में ग्लेन्कोमा क्लिनिक की स्थापना

7227. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र लोक स्वास्थ्य सेवाओं के सहयोग से मदुरै मैडिकल कालेज में एक ग्लेन्कोमा क्लिनिक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता

7228. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चिकित्सा स्नातकोत्तर-पाठ्यक्रम के विकास के लिए उड़ीसा सरकार को देय धनराशि की पूरी अदायगी कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उक्त धनराशि अभी देनी शेष रहती है; और

(ग) उक्त धनराशि कब दी जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग). वर्ष 1966-67 और 1967-68 में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के मैडिकल कालेजों के निम्नलिखित विभागों का दर्जा बढ़ाया :

(1) 1966-67—एस० सी० बी० मैडिकल कालेज, कटक का बाल चिकित्सा विभाग और शल्य चिकित्सा विभाग ।

(2) 1967-68—बी० एस० एस० मैडिकल कालेज, बुर्ला का शरीर विज्ञान विभाग । इन उपर्युक्त विभागों के लिए 1967-68 और 1968-69 के वर्षों में राज्य सरकार को उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गये वार्षिक वित्तीय विवरण में दिये गये वास्तविक खर्च के आधार पर क्रमशः 5 लाख और 4·50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी ।

1969-70 और 1970-71 में उड़ीसा मैडिकल कालेज के निम्नलिखित विभागों का दर्जा बढ़ाने की अनुमति दी गई थी :

(1) 1969-70—एस० सी० बी० मैडिकल कालेज, कटक का स्त्री-रोग एवं प्रसूति विज्ञान विभाग ।

(2) बी० एस० एस० मैडिकल कालेज, बुर्ला का स्त्री-रोग एवं प्रसूति विज्ञान विभाग ।

इन विभागों के उन्नयन के लिए 1969-70 और 1970-71 के वर्षों में राज्य सरकार को उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गये वार्षिक वित्तीय विवरण में दिये गए वास्तविक खर्च के आधार पर क्रमशः 1·95 लाख और 2·66 लाख रुपये दिए गए ।

1971-72 वर्ष के दौरान इस राज्य सरकार के लिए 4 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का अस्थायी आबंटन किया गया है ।

राज्य सरकार से इन विभागों के उन्नयन के ऊपर किए गए खर्च के संबंध में कतिपय सूचना माँगी गई है और इस सूचना के प्राप्त हो जाने के पश्चात, यदि उनको कुछ बकाया देय हुआ तो उसकी अदायगी के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

माध्यमिक स्कूलों में परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा देना

7229. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या माध्यमिक स्कूलों में परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा देने की कोई योजना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : स्कूलों में परिवार नियोजन की शिक्षा देने की कोई योजना नहीं है, तथापि स्कूल पद्धति में जन-संख्या गतिकी में शिक्षा आरम्भ करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

परिवार नियोजन का प्रचार करने के लिए संगठनों को विदेशी सहायता

7230. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में ऐसे कोई संगठन हैं जिनको परिवार नियोजन का प्रचार करने के लिए विदेशों से धन प्राप्त हो रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : भारत सरकार ने निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठनों को अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की पी० एल०-480 निधि में से अनुदान प्राप्त करने की स्वीकृति दी है :

(1) पाथफाइण्डर फन्ड	7·50 लाख
(2) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल	5·00 लाख
(3) युनाइटेड प्लांटर्ज एसोसिएशन आफ साऊथ इण्डिया	1·84 लाख
(4) क्रिश्चियन मैडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया	10·00 लाख

2. भारतीय जनसंख्या परिषद् और भारतीय परिवार नियोजन प्रतिष्ठान द्वारा फोर्ड प्रतिष्ठान से 67,000 डालर और 1,00,000 डालर का अनुदान पाने की भी सरकार ने स्वीकृति दे दी है।

(3) 'द इंटरनेशनल प्लान्ड पेरेंटहुड फैडरेशन, लंदन' भारतीय परिवार नियोजन संघ, बम्बई को सहायता दे रहा है।

बालासोर प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंट सेन्टर में सिविल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति

7231. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों के साथ हुए समझौते के अनुसार बालासोर प्रूफ एण्ड एक्सपेरिमेंट सेन्टर में एक सिविल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करने का फैसला कर लिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : प्रूफ एवं एक्सपेरिमेंटल संस्थान, बालासोर, के लिए असैनिक श्रम अधिकारी के पद की मंजूरी का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सूनाबेदा में प्रशिक्षुओं द्वारा आत्महत्या की घटनायें

7232. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूनाबेदा में गत वर्ष दो प्रशिक्षु-छात्रों ने एम० आई० जी० अधिकारियों द्वारा उन्हें विभिन्न प्रकार की मानसिक यातनायें दिये जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या रिपोर्ट है ?

(ग) क्या ये दोनों छात्र परीक्षा में असफल हो गये थे और क्या उन्होंने अपनी पहली परीक्षा में बहुत अच्छा परिणाम दिखाया था; और

(घ) क्या एम० आई० जी० अधिकारियों पर उड़ीसा के हितों के विरुद्ध प्रान्तीयता की भावना से कार्य करने का आरोप लगाया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). कोरापुट डिवीजन के दो अप्रेंटिस प्रशिक्षार्थियों द्वारा सुनाबेदा से 50 मील दूर नवरंगपुर नामक स्थान में आत्महत्या किए जाने की सूचना है। ये प्रशिक्षार्थी, मार्च, 1971 के बाद से हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में नहीं थे। ऐसी सूचना है कि वे मृत्यु के समय गैर सरकारी रोजगार में थे। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के द्वारा उन्हें किसी प्रकार की मानसिक यातनाएं नहीं दी गई थीं।

ऐसा मालूम हुआ है कि राज्य सरकार ने उन परिस्थितियों की जाँच का आदेश दिया है जिसके कारण उन दो प्रशिक्षणार्थियों की मृत्यु हुई। एच० ए० एल० को राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) उनमें से एक प्रशिक्षणार्थी का कार्य नियकालिक परीक्षा में सामान्य के औसत स्तर से नीचे था जबकि दूसरा प्रशिक्षणार्थी परीक्षाओं में पूर्णतया अनुत्तीर्ण हो गया।

(घ) जी, नहीं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप, स्थानीय आवेदकों की बहाली जोकि अक्तूबर, 1969 में 38 प्रतिशत थी वह अब बढ़कर 55 प्रतिशत हो गयी है।

हल्दिया में उर्वरक, लुबरीकेटिंग तेल, सोडा ऐश, मैथेनोल तथा नैफ्था क्रेकर संयंत्रों का स्थापित किया जाना

7233. **श्री त्रिदिब चौधरी :**
श्री समर गुह :
श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में बनने वाले तेल-शोधक कारखाने पर आधारित एक पैट्रो-रसायन उद्योग समूह विकसित करने के लिये पैट्रो रासायनिक उद्योगों जैसे उर्वरक, लुबरीकेटिंग तेल, सोडा ऐस, मैथेनोल तथा नैफ्था क्रेकर के विभिन्न संयंत्र आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार को हल्दिया में ऐसे उद्योग आरम्भ करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से अथवा निजी फर्मों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और क्या केन्द्रीय सरकार स्वयं ही इन्हें सरकारी क्षेत्र में आरम्भ करना चाहती है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर विचार करने तथा हल्दिया में इन उद्योगों को आरम्भ करने की स्वीकृति देने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). हल्दिया में सरकारी क्षेत्र में सोडा ऐश और मैथेनोल यूनिटों के साथ-साथ एक उर्वरक कारखाना स्थापित

करने का प्रस्ताव है। एक गैर-सरकारी पार्टी ने मेथेनोल यूनिट और दूसरी ने समेकित अनुप्रवाही यूनिट के साथ नेफ्था भंजक (नेफ्था क्रेकर) की स्थापना के लिए आवेदन किया है।

(ग) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

दिल्ली के मैडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० के छात्रों को प्रवेश

7234. **श्री के० मालन्ना :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मैडिकल कालेजों में इस वर्ष बहुत से छात्रों को एम० बी० बी० एस० में दाखिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन छात्रों के माँ-बाप ने मंत्री महोदय को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस ज्ञापन में उल्लिखित बातों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). प्री-मैडिकल छात्र अभिभावक संघ के अध्यक्ष से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें यह लिखा हुआ है कि दिल्ली में रहने वाले प्री-मैडिकल के छात्रों को जिन्होंने कुल योग में 65% अंक प्राप्त किये हैं और यहाँ तक कि विशेष योग्यता भी प्राप्त की है, इस वर्ष मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में अपर्याप्त सीटों के कारण दाखिला नहीं दिया गया है और निवास संबंधी प्रतिबंध के कारण दिल्ली के प्री-मैडीकल छात्रों के लिये एम० बी० बी० एस० कोर्स में भर्ती होने के लिये अन्य सभी राज्यों के मैडीकल कालेजों के दरवाजे बन्द हैं। सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस विषय में हस्तक्षेप करे और कुल योग में 65% अंक प्राप्त करने वाले और विशेष योग्यता प्राप्त प्रथम श्रेणी वाले दिल्ली निवासी प्री-मैडीकल छात्रों को एम० बी० बी० एस० कोर्स में दाखिला दिलाये।

भारतीय सुरक्षा दल के विरुद्ध आन्दोलन को तीव्र करने के लिए नागा नेता द्वारा दिए गए निदेश

7235. **श्री के० मालन्ना :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोही नेता ने जो इस समय भारत छोड़कर लन्दन में रह रहे हैं; नागाओं से बसे क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा दल के विरुद्ध विद्रोह तीव्र करने के लिए कोई निदेश दिए हैं;

(ख) क्या नागाओं द्वारा हमारे सीमा सुरक्षा दल के कोई व्यक्ति हताहत हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). सरकार इससे अवगत है कि फीजो, भूमिगत नागाओं को गैरकानूनी गतिविधियों में तेजी लाने की सलाह देता रहा है। नागा विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही करते समय सुरक्षा सेना के कुछ सैनिकों को क्षति सहनी पड़ी है, तद्यपि वे निरन्तर सतर्कता बरत रहे हैं।

मनाली में उर्वरक उद्योग समूह के विलम्ब से चालू करने के कारण परामर्शदाताओं की अमरीकी फर्म द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा

7236. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड के मनाली स्थित उर्वरक उद्योग समूह के लिए अमरीकी परामर्शदात्री फर्म ने उर्वरक उद्योग समूह के चालू करने में विलम्ब के कारण क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी कार्यवाही करने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस फर्म द्वारा कानूनी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा कर्मचारियों को राजनीतिक साहित्य सप्लाई करने पर प्रतिबन्ध

7237. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कर्मचारियों को निजी अध्ययन के लिए ऐसा साहित्य लेने की अन्तिम अनुमति नहीं है, जो सरकार द्वारा राजनीति से संबंधित समझा जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कुछ समाचार-पत्रों, साप्ताहिक तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे पत्र-पत्रिकाओं की सूची तथा प्रतिबन्ध लगाने के कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने सशस्त्र सेना के कार्मिकों द्वारा किसी प्रकार के साहित्य को निजी अध्ययन के लिए खरीदने पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं । समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं संबंधित यूनिट अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीदते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Augmentation of the production of Caustic Soda

7238. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether the production of caustic soda in the country is not sufficient at present to meet the demand; and

(b) if so, the action being taken by Government to increase the production ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI DALBIR SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The following steps have been taken :

(a) Applications for the establishment of additional capacity for the manufacture of caustic soda have been invited recently through a press notice. Proposals submitted to the Government are under examination present.

(b) Arrangements have been made for import and supply of certain essential items to the manufacturers to maintain/improve their production.

C.G.H.S. Dispensaries in Delhi and Bombay

7239. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) the number of dispensaries functioning in Delhi and Bombay under the Central Government Health Scheme;

(b) the number of families benefited under the said scheme during the last two years;

(c) whether Doctors are having heavy work-load in the said Dispensaries;

(d) whether the number of compounders and Dressers etc. is not sufficient keeping in view the work load there; and

(e) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI D. P. CHATTOPADHYAYA)

(a) **No. of dispensaries.**

	Delhi	*Bombay*
Allopathic Static	60	13
Allopathic (Sub-dipensaries)	1	3
Mobile Van	2	1
Homeopathic	2	—
Ayurvedic	5	—

(b) **Number of families benefitted.**

	Delhi	*Bombay*
1969-70	1,63,062	22,530
1970-71	1,70,000	23,446

(c) to (e). As a result of the general increase in the number of beneficiaries and with the recent extension of the Scheme to the Delhi Police, the work load has increased in the dispensaries.

Recently the staff Inspection Unit of the Ministry of Finance have undertaken a work study of Allopathic Dispensaries in Delhi. Their report and recommendations are under examination.

The Administrative Staff College of India are also carrying out a study of the working of C. G. H. S. Dispensaries with a view to suggest improved procedures to minimise the waiting time of a patient, to have better doctor-patient relationship and to ensure optimum utilisation of staff.

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय

7240. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली के केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों की सेवाएं बहुत खराब हैं और इन औषधालयों में गिरते हुऐ स्तर की औषधिआँ सप्लाई की जाती हैं;

(ख) क्या नार्थ एवेन्यू स्थित औषधालय की सेवा असंतोषजनक है और अधिकारियों का रवैया अत्यन्त कठोर है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन औषधालयों के प्रशासन को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). सन् 1970 में प्रति एक लाख रोगियों के पीछे 2·17 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों के विरुद्ध शिकायतें की हैं।

इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की योग संहिता में सम्मिलित 429 औषधियाँ/दवाइयाँ केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अधीन खरीदी जाती हैं, उनका स्टाक रखा जाता है तथा वे रोगियों को सप्लाई की जाती हैं। जो दवाइयाँ खरीदी जाती हैं उनका विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जाता है। यदि कोई औषधि घटिया किस्म की पाई जाती है तो इस मामले को तहकीकात के लिए भारत के औषध नियन्त्रक को भेज दिया जाता है और वे औषधियाँ बदलने के लिए निर्माताओं को वापिस कर दी जाती हैं। 1970 के दौरान 429 औषधियों में से 10 औषधियाँ घटिया किस्म की पाई

गई । केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के नार्थ एवेन्यू स्थित औषधालय में कार्य कर रहे किसी कर्मचारी द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने की हाल ही में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

इन औषधालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशालय समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहता है जिनमें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे हितग्राहियों के साथ उचित व्यवहार करें और अपना समय नष्ट न करें । संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाई गई हितग्राहियों की सच्ची शिकायतों को दूर करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

कलकत्ता नगर के विकास के लिए परियोजनाओं की प्रगति

7241. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता नगर के विकास के लिए परियोजनाओं में अब तक कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने प्रगति में और तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना अनुलग्नक में दी गई है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 831/71.]**

(ग) भारत सरकार कलकत्ता की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर पूरी-पूरी निगरानी रखे हुए है, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है । प्रगति में तेजी लाने के लिए कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने धन देने, सामग्री उपलब्ध करने, सभी स्तरों पर तकनीकी जाँच जैसे आवश्यक कदम उठाये हैं ।

पश्चिम बंगाल के आदिवासियों में टी० बी० का फैलना

7242. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात का पता है कि पश्चिम बंगाल के माल्दा जिले के 'वरिन्द' क्षेत्र में टी० बी० रोग के फैलने के कारण वहाँ के रहने वाले आदिवासी बड़ी संख्या में घर छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं;

(ख) क्या उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में किन उपायों पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपने कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों पर खर्च की गई धनराशि

7243. **डा० रानेन सेन :**
श्री भोला मांझी :
श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने सितम्बर, 1967 को हड़ताल के बाद अपने कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों पर अब तक कितनी वास्तविक धनराशि खर्च की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : सितम्बर, 1967 की हड़ताल के बाद से आज तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने न्यायालय में अपने कर्मचारियों से संबंधित मुकदमों पर 1,59,153·62 रुपये की राशि व्यय की है। (सितम्बर, 1968 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में कोई हड़ताल नहीं हुई) ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए मकानों के निर्माण के लिए केरल को वित्तीय सहायता

7244. **श्री एम० के० कृष्णन:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए मकान बनाने हेतु वर्ष 1969-70 और 1970-71 में केरल को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए सरकार का विचार केरल को दी जा रही वित्तीय सहायता की राशि में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो कितनी सहायता दी जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). केन्द्र द्वारा चलाये गये कार्यक्रम में, केवल मेहतरों, मार्जकों, चर्मकारों, चमड़ा उतारने वाले आदि अस्वच्छ पेशों में लगे व्यक्तियों के काम करने तथा रहन-सहन की स्थिति को सुधारने के लिए, एक संयुक्त योजना है न कि सामान्य रूप से सभी अनुसूचित जातियों / जन-जातियों के लिए । संयुक्त योजना में की गई व्यवस्था दो चल रही योजनाओं के लिए उद्दिष्ट है, अर्थात : (i) नगर पालिकाओं / स्थानीय निकायों को हाथगाड़ी, ठेले, खुरचों आदि की खरीद के लिए, सहायक अनुदान तथा (ii) मेहतरों, मार्जकों, चर्मकारों तथा चमड़ा-निकालने वालों के लिए मकान बनाने के

लिए सहायता और अनुसूचित जातियों के (क) अस्वच्छ पेशों में लगे सदस्यों अथवा (ख) भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास-स्थलों की व्यवस्था करना है। इस संयुक्त योजना के लिए केरल सरकार को 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता क्रमश: 2·00 लाख रुपये तथा 3·5 लाख रुपये है। इस योजना के लिऐ चतुर्थ योजना का नियतन पहले ही निश्चित किया जा चुका है तथा राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है। उसकी प्रमात्रा को बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

2. चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ (1969-70) से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कल्याणार्थ आवास योजनाओं सहित, राज्य-क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को खण्ड-ऋणों और खण्ड-अनुदानों के रूप में इकट्ठी दी जा रही है जो किसी योजना विशेष अथवा विकास शीर्ष से संबद्ध नहीं है। तदनुसार, राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं में खण्ड केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं। अत: अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के लिए मकानों के निर्माण के लिए, भारत सरकार द्वारा उसकी प्रमात्रा बढ़ाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संबंध में केरल सरकार द्वारा 1969-70 तथा 1970-71 में किया गया व्यय नीचे दिया गया है :

वर्षों के दौरान व्यय (लाख रुपयों में)

	1969-70	1970-71
	वास्तविक	परिकल्पित
अनुसूचित जातियाँ	3·25	1·00 मकानों के निर्माण के लिए।
	0·74	0·50 बाल-स्थलों की व्यवस्था के लिए
	0·73	0·30 मकानों के निर्माणार्थ ब्याज-रहित ऋण देने के लिए।
अनुसूचित जन-जातियाँ	1·58	1·50 मकानों के निर्माण के लिए।

मानवीय स्वास्थ्य पर फेनिल पेय का प्रभाव

7245. **श्री निहार लास्कर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री कोका-कोला के प्रभाव के बारे में 5 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3884 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक पेय जैसे ताजे सन्तरे और अन्य फलों के रस और ताजे नीम्बू स्क्वैश में एसिड होने के कारण ये पेप्सी अल्सर और आंत्र शोथ के रोगियों के लिए हानिकारक है;

(ख) क्या फलों के रस वाले पेय-जल जैसे गोल्ड स्पॉट, लिमका आदि भी एसिड युक्त हैं और ये पेप्सी अल्सर और आंत्र शोथ के रोगियों के लिए हानिकारक हैं;

(ग) क्या मसालेदार पेय जैसे जलजीरा, रिमझिम आदि पेप्सी अल्सर और आंत्र शोथ के रोगियों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं; और

(घ) क्या काफी और चाय जैसे गर्म पेय पेप्सी अल्सर और आंत्र शोथ के रोगियों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा गुजरात में उर्वरक कारखाने की स्थापना

7246. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा कैमिकल्स लिमिटेड ने गुजरात राज्य में अपने उर्वरक कारखाने का निर्माण आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) कारखाने की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मैसर्स टाटा कैमिकल्स को दिये गये आशय-पत्र में निम्नलिखित क्षमताओं का उल्लेख किया गया था :

(i)	उत्पाद पैटर्न	(मीटरी टन/प्रतिवर्ष)
	(क) ट्रिपल सुपरफास्फेट/डाय-अमोनियम फास्फेट	3,00,000
	(ख) अमोनिया	22,10,000
	(ग) यूरिया	2,00,000
	(घ) अमोनियम क्लोराइड	80,000

(ii) कम्पनी की उपरोक्त उर्वरकों के प्रयोग से तथा पोटाश के आयात, अर्थात 100,000 मीटरी टन K_2O तक, से प्रतिवर्ष 850,000/900,000 मीटरी टन उच्च विश्लेषण उर्वरक का उत्पादन करने की योजना है ।

संश्लिष्ट प्रक्षालकों का निर्माण करने वाली फर्में

7247. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जो साबुन बनाने के लिए संश्लिष्ट प्रक्षालकों का उपयोग कर रही हैं; और

(ख) संश्लिष्ट प्रक्षालक बनाने वाली फर्मों के नाम क्या हैं; तथा उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार को इस बात का पता नहीं है कि साबुन बनाने के लिए कौन-कौन से साबुन निर्माता संश्लिष्ट प्रक्षालकों का उपयोग कर रहे हैं। तथापि, दो निर्माता लान्ड्री केक के आकार में संश्लिष्ट प्रक्षालकों का उत्पादन कर रहे हैं।

(ख)

संश्लिष्ट प्रक्षालकों के निर्माताओं के नाम	स्थापित क्षमता (मीटरी टन/प्रतिवर्ष)
1. (क) हिन्दुस्तान लीवर लि०, बम्बई यूनिट	10,000
(ख) हिन्दुस्तान लीवर लि०, कलकत्ता यूनिट	13,000
2. स्वास्तिक आयल मिल्स, बम्बई	11,880
3. टाटा आयल मिल्स कं० लि०, बम्बई	10,000
4. कुसुम प्राडक्ट्स लि०, कलकत्ता	2,700
	47,580

इंडियन ड्रग्ज और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में इंजीनियरी की मान्यता प्राप्त डिग्रीधारी अधिकारियों की संख्या

7248. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्ज और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 500 रुपये और इससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या क्या है और इनमें से कितने अधिकारियों के पास इंजीनियरी की मान्यता प्राप्त डिग्री हैं; और

(ख) क्या सरकारी उपक्रमों में स्थाई इंजीनियरों की सेवा को बिना कारण बताये ही समाप्त किया जा सकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 335, इनमें से 119 के पास इंजीनियरी की डिग्री है।

(ख) स्थाई अधिकारियों की सेवाओं को केवल उनकी नियुक्ति की शर्तों तथा संबंधित उपक्रमों की सेवा संबंधी शर्तों के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है।

डी० डी० टी० के हानिकारक प्रभाव के बारे में विचार-विमर्श

7249. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों में व्यापक अनुसंधान के परिणामस्वरूप डी० डी० टी० तथा अन्य कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हानिकारक समझा गया है;

(ख) क्या इस संबंध में दिल्ली में विशेषज्ञों की एक बैठक हुई थी; और

(ग) विशेषज्ञों की राय क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी, हाँ। डी० डी० टी० पर विस्तृत अनुसंधान के परिणामस्वरूप कुछ बाहरी देशों ने जिसमें अमरीका, स्वीडन, नार्वे एवं इंगलैंड सम्मिलित हैं, हाल ही में डी० डी० टी० के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(ख) 4 नवम्बर, 1970 को दिल्ली में विशेषज्ञों की एक बैठक हुई थी।

(ग) विशेषज्ञों का सर्वसम्मत विचार यह था कि भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ मलेरिया जैसे कुछ कीट-जन्य रोग अभी भी व्याप्त हैं, डी० डी० टी० का उपयोग किया जाता रहना चाहिए क्योंकि उपलब्ध कीट-नाशकों में यह सर्वाधिक प्रभावकारी, कम खर्चीला और अपेक्षतः सुरक्षित कीट-नाशक बना है।

कृत्रिम रेशे और कृत्रिम रबड़ उद्योग का विकास

7250. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृत्रिम रेशे और कृत्रिम रबड़ उद्योग के लिए देश में कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, और जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है;

(ख) क्या, यद्यपि तीसरी और चौथी योजना में उक्त उद्योग के विकास के लिए उचित जोर दिया गया है फिर भी इस संबंध में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है; और

(ग) इस बारे में क्या प्रयास करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). 1968 में सेल्यूलोज रहित संश्लिष्ट तन्तु तथा संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन क्रमशः लगभग 10,000 मीटरी टन तथा 25,000 मीटरी टन से बढ़कर 1970 में 16,000 मीटरी टन तथा 30,000 मीटरी टन

हो गया है । इन आँकड़ों से ज्ञात होता है कि हाल ही में संश्लिष्ट तन्तु तथा रबड़ उद्योगों में पर्याप्त विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त 1973-74 की अनुमानित माँग की व्यवस्था के लिए लगभग 57,000 मीटरी टन सेल्यूलोज रहित संश्लिष्ट तन्तु और 20,000 मीटरी टन संश्लिष्ट रबड़ की अतिरिक्त क्षमता के लिए स्वीकृति दी गई है तथा उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। कुछ और क्षमता के शीघ्र अनुमोदन की संभावना है। कतिपय कच्चे माल के लिए क्षमताएँ स्थापित हो चुकी हैं तथा अन्य कच्चे माल के लिए क्षमताएं निर्माणाधीन हैं।

बम्बई स्थित होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज में वित्तीय संकट

7251. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई स्थित होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और वह बन्द होने की स्थिति में पहुँच गया है;

(ख) क्या सरकार को कई अपीलें और अभ्यावेदन भेजे गये हैं जिनमें नागरिकों के असंतोष का उल्लेख किया गया है; और

(ग) कालेज की सहायतार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) होम्योपैथी मेडिकल कालेज चलाने वाली होम्योपैथी शिक्षा संस्था, बम्बई के कर्मचारियों से इस बारे में पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस संस्था के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में उसे मदद देना महाराष्ट्र सरकार का काम है क्योंकि उपस्नातक चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, उसने होम्योपैथी शिक्षा संस्था, बम्बई को आवास, उपस्कर तथा कालेज के कर्मचारियों की वर्तमान सुविधाओं के अतिरिक्त विकास कार्य के लिए तदर्थ आधार पर 1,00,000 रुपये का अनुदान पहले ही मंजूर कर दिया है ।

पश्चिम बंगाल और बिहार में मलेरिया के मामले

7252. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार में मलेरिया फैलने के कितने मामले दर्ज किये गये;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में देश भर में और विशेषकर पश्चिम बंगाल और बिहार में मलेरिया फैलने के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो मलेरिया की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा कच्चे माल का आयात

7253. **श्री राबिन सेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा अपने उपयोग के लिए कच्चे माल का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हाँ ।

(ख)	1969-70	2,090·3 मीटरी टन
	1970-71	1,410·9 मीटरी टन

आसनसोल कोयला क्षेत्र में पीने के पानी की भारी कमी

7254. **श्री राबिन सेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल कोयला क्षेत्र में पानी की भारी कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहाँ पानी की सप्लाई प्रणाली बन्द होने वाली है; और

(घ) उक्त समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में पीने के पानी के लिये नलकूपों का लगाना

7255. **श्री राबिन सेन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में सरकार तथा अन्य निकायों द्वारा पीने के पानी के कितने नलकूप लगाये गये;

(ख) उनमें से कितने नलकूप काम नहीं कर रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बच्चों की कल्याण सेवा को प्रोत्साहन

7256. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों की कल्याण संबंधी सेवा को प्राथमिकता देने का है;

(ख) क्या सरकार ने इसके लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) समाज कल्याण योजनाओं में बच्चों की कल्याण संबंधी सेवाओं को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है ।

(ख) बच्चों की कल्याण सेवाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं को पहले ही चौथी योजना में शामिल कर लिया गया है ।

(ग) इन योजनाओं में ये निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं :

(1) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार और बाल-कल्याण परियोजना ।

(2) प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के लिए पूर्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(3) 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाड़ियों के माध्यम से पोषण कार्यक्रम ।

(4) विकलांग बच्चों की शिक्षा और कल्याण ।

(5) निराश्रित बच्चों का कल्याण ।

(6) बच्चों की विभिन्न कल्याण संबंधी योजनाओं के लिए स्वेच्छिक संगठनों की सहायता ।

कैंसर की रोकथाम के लिये अनुसंधान योजना

7257. **श्री गदाधर साहा :**
श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकार :
श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर को प्रारम्भिक अवस्था में रोकने के लिये विशिष्ट अनुसंधान करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन संस्थानों और संगठनों के नाम क्या हैं जो कैंसर के रोग निदान और इलाज के संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) और (ख). आरम्भिक अवस्था में कैंसर की रोकथाम करने के लिए दो प्रकार के अध्ययन करने पड़ते हैं, वे हैं :

(i) अर्बुद जिन कारणों से होता है उनमें वातावरणीय घटक किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं इसका अध्ययन ।

(ii) कैंसर का आरम्भिक अवस्था में पता लगाना ।

राज्य सरकारों और कैंसर संस्थाओं से सूचना माँगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का जहाँ तक संबंध है उसने मुँह के कैंसर, ग्रीवा के कैंसर और वक्षस्थल के कैंसर आदि कतिपय महत्वपूर्ण विद्यमान कैंसरों के बारे में अध्ययन आरम्भ किया है। कतिपय कैंसरों का आरम्भिक अवस्था में ही पता लगाने का मान्य तरीका यह है कि अपपल्रित कोशिकाओं का अध्ययन किया जाय, मुँह में कैंसर के लिये मुंह के लेप, ग्रीवा के कैंसर के लिये ग्रीवा के लेप और वक्षस्थल के कैंसर के लिये वक्षस्थल श्वास लेप का अध्ययन किया जाय । इस बीमारी का आरम्भिक अवस्था में पता लगाने के लिए ऊपर बताये गये अध्ययनों में, इन तरीकों का उपयोग किया जा रहा है । यद्यपि विभिन्न मेडिकल कालेजों के विकृति विज्ञान और नैदानिक चिकित्सा विभागों द्वारा कैंसर अनुसंधान और उपचार के विभिन्न पहलुओं पर काम किया जा रहा है, परन्तु जो संस्थायें केवल कैंसर अनुसंधान का कार्य कर रही हैं, वे इस प्रकार हैं :

1. भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, बम्बई ।

2. कैंसर संस्थान, मद्रास ।

3. चितरंजन राष्ट्रीय केंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता ।

4. केंसर अनुसंधान यूनिट, विकृति-विज्ञान विभाग, एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा ।

5. केंसर अनुसंधान का जे० के० इन्स्टीट्यूट, कानपुर ।

6. अन्तर्राष्ट्रीय केंसर केन्द्र नेय्यूर, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु ।

7. केंसर अस्पताल, अहमदाबाद ।

डाक्टर रहित ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र

7258. **श्री गदाधर साहा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं, जिनमें डाक्टर नहीं हैं, और यदि हाँ, तो भारत में ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : जी, हाँ । बिना डाक्टरों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बिना डाक्टरों वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	चल रहे प्राथमिक स्वा० केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
	राज्य शासित क्षेत्र		
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	416
2.	असम	1	104
3.	मेघालय	–	9
4.	बिहार	52	587
5.	गुजरात	11	251
6.	हरियाणा	–	89
7.	हिमाचल प्रदेश	22	73
8.	जम्मू तथा कश्मीर	--	69
9.	केरल	–	162
10.	मध्य प्रदेश	12	446
11.	महाराष्ट्र	–	385
12.	मैसूर	1	265
13.	नागालैंड	–	9

1	2	3	4
14.	उड़ीसा	14	312
15.	पंजाब	2	127
16.	राजस्थान	3	232
17.	तमिलनाडु	–	375
18.	उत्तर प्रदेश	71*	807
19.	पश्चिम बंगाल	–	238
	संघ शासित क्षेत्र		
20.	दिल्ली	–	5
21.	मनीपुर	–	15
22.	त्रिपुरा	–	23
23.	नेफा	–	77
24.	पांडिचेरी	–	11
25.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	–	1
26.	लक्ष, मिनिकाय तथा अमिन दिवि द्वीप समूह	2	7
27.	गोवा, दमन तथा दीव	–	15
28.	दादर तथा नगर हवेली	–	2
29.	चण्डीगढ़	–	–
	योग	203	5112

* 17 डाक्टरों के नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

बंगला देश के मामले को राष्ट्र मंडल में उठाने के लिए कनाडियन संसदीय प्रतिनिधि मंडल का सुझाव

7259. **श्री पी० के० देव :**
श्री राज राज सिंह देव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडियन संसदीय शिष्टमंडल ने, जिसने हाल में भारत की यात्रा की थी, यह सुझाव दिया था कि बंगला देश के मामले को हल करने के लिये राष्ट्रमण्डल पहल करे; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता में हनुमान अस्पताल और मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी का बन्द होना

7260. **डा० सरदीश राय :**
श्री मनोरंजन हाजरा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हनुमान अस्पताल और मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी के बन्द होने से कलकत्ता वासियों को हो रही कठिनाइयों और कष्टों का पता है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बन्द पड़े अस्पतालों को पुन: खुलवाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ). हनुमान अस्पताल, उत्तरी हावड़ा और मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी, कलकत्ता, गैर सरकारी संस्थाएँ हैं ।

मुख्यत: परिलब्धियों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी और सेवा शर्तों में सुधार की माँग पर प्रबन्धकों एवं कर्मचारी संघ के बीच झगड़े के कारण वे कुछ समय से कार्य नहीं कर रहे हैं । पश्चिम बंगाल सरकार का स्वास्थ्य विभाग किसी मान्य समझौते के लिये प्रयत्न कर रहा है ।

भारत द्वारा अमरीका से बेकार युद्ध-उपकरणों की खरीद

7261. **डा० सरदीश राय** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अमरीका से बेकार युद्ध उपकरण खरीदे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उक्त बेकार उपकरणों के लिये गत तीन वर्षों में अमरीका को कितनी धनराशि का भुगतान किया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं । वास्तव में हाल के वर्षों में घातक हथियारों की खरीददारी इस स्रोत से बिल्कुल नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सेना में काम कर रहे लोअर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नतियाँ

7262. **डा० सरदीश राय** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में काम कर रहे ऐसे लोअर डिवीजन क्लर्कों की संख्या कितनी है जिन्हें 20 वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर लेने के बाद भी अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है; और

(ख) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है कि लोअर डिवीजन क्लर्कों को 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर पदोन्नत कर दिया जाये ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

वियतनाम में शांति

7263. **डा० सरदीश राय** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम में शांति स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने और कोई कदम उठाने का विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार, हिन्द-चीन से संबंधित सभी पार्टियों से बातचीत करती रहती है ताकि उस क्षेत्र में शांति पुनः स्थापित हो सके । सरकार का मत है कि दक्षिण वियतनाम की अस्थाई क्राँतिकारी सरकार के नवीनतम सात-सूत्री शांति प्रस्ताव पिछले प्रस्तावों से काफी अच्छे हैं और समस्या का शांति-पूर्वक बातचीत के जरिये निपटाने का आधार प्रदान करते हैं । उन्होंने सभी संबंधित पार्टियों को इससे अवगत करा दिया है ।

उत्तरी/दक्षिणी कोरिया में भारतीय पर्यटक

7264. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश** मंत्री उत्तरी/दक्षिणी कोरिया में गये भारतीयों के संबंध में 2 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6613 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पर्यटक को सरकार द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई; और

(ख) प्रत्येक मामले में यात्रा करने के क्या प्रयोजन थे ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) दौरे के कारण बताने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—832/71.]**

1971-72 में नए मेडिकल कालेज

7265. **श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में 1971-72 के दौरान कुछ नये मेडिकल कालेज स्थापित करने के बारे में विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है और वे कहाँ-कहाँ स्थापित किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). 1971-72 के दौरान दिल्ली में एक मेडिकल कालेज खोलने का निश्चय किया गया है।

उत्तर प्रदेश में झाँसी स्थित मेडिकल कालेज, जिसका काम कुछ वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, अब 1971 के शिक्षा-सत्र के लिए छात्रों को दाखिल करेगा।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण

7266. **श्री वी० एन० पी० सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद ने अस्त्रों के निर्माण में क्या प्रगति की है; और

(ख) सरकार का विचार प्रक्षेपणास्त्रों के विकास और डिजाइन का काम स्वदेशी अनुभव से अथवा विदेशी सहयोग से करने का है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). भारत डायनामिक्स लिमिटेड में प्रक्षेपणास्त्रों का उत्पादन जुलाई, 1971 से आरंभ हो गया है। एक विदेशी फर्म के तकनीकी सहयोग से इन प्रक्षेपणास्त्रों का उत्पादन हो रहा है। भविष्य में देशीय तकनीकी जानकारी के द्वारा इन प्रक्षेपणास्त्रों के उत्पादन के लिए, अनुसंधान एवं विकास प्रयत्न भी जारी है।

जापान में नैफ्था का निर्यात किये जाने के कारण मद्रास तेल शोधक कारखाने को हानि

7267. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनाली उर्वरक संयंत्र के चालू होने में दो वर्ष का विलम्ब होने के कारण मद्रास तेल शोधक कारखाने को लगभग 50 लाख रुपए की हानि हुई है क्योंकि नैफ्था का उपयोग करने के लिए यह संयंत्र तेल शोधक कारखानों के साथ-साथ बनाया जाना था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या तेल शोधक कारखानों को अपना नैफ्था कम मूल्य पर जापान को निर्यात करना पड़ा था जिससे कि हानि हुई; और

(ग) यदि हाँ, तो सस्ते मूल्य पर निर्णय करने की बजाय क्या नैफ्था को और दो वर्ष तक एकत्रित रखना उचित नहीं था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). इस बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स को विमानों की सप्लाई

7268. **श्री राजदेव सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व जब भारत ने अपने क्षेत्र पर से पाकिस्तानी विमानों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया था तो पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स को कुछ अमरीकी विमान उधार दिए गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये विमान बैंकाक से ढाका तक शटल उड़ानों द्वारा आधुनिक किस्म के शस्त्रास्त्रों का परिवहन करते रहे हैं; और

(ग) क्या उस देश (थाईलैंड) में स्थित हमारे दूतावास से इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अमरीकी विदेश विभाग ने हमारे राजदूतावास को सूचित किया है कि पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स की अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सेवाओं के उपयोग के लिए दो वायुयान पट्टे पर देने के लाइसेंस अमरीकी वाणिज्य विभाग द्वारा 16 जून को जारी किए गए थे ।

(ख) सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

तेल की खोज में सभी एजेंसियाँ

7269. **श्री राजदेव सिंह** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गत तीन वर्षों में तेल की कोई उल्लेखनीय खोज नहीं की है;

(ख) क्या देश में कुछ अन्य एजेंसियाँ तेल की खोज के कार्य में लगी हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त अवधि में उन एजेंसियों का कार्य कैसा रहा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इस अवधि में तेल का अन्वेषण महत्वपूर्ण स्तर पर किया है। किन्तु यह ठीक है कि गत 3 वर्षों में तेल का कोई महत्वपूर्ण भंडार नहीं मिला है।

(ख) आयल इंडिया लिमिटेड।

(ग) तीन वर्ष (1968-70) की अवधि में, आयल इंडिया लिमिटेड ने निंगरू क्षेत्र में दो अन्वेषी कुओं का व्यधन किया जो शुष्क पाये गए और दमदम क्षेत्र में 4 ऐसे कुएं, जिनमें से एक में तेल निकलता है और दूसरे में गैस।

मनीपुर में श्रमिकों के लिए कम मजूरी दर

2770. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर लोक निर्माण विभाग के अधीन काम करने वोले ठेकेदारों को कम मजूरी दर और विशेषकर लोक-टाक परियोजना और मनीपुर लोक निर्माण विभाग के बीच एक से काम के लिये मजूरी दरों में भारी अन्तर के कारण पर्याप्त श्रमिकों के मिलने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस अंतर को दूर करने के लिये कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो लोक-टाक परियोजना और मनीपुर लोक निर्माण विभाग को विशेषकर भूमि के कार्य के लिये वर्तमान मजूरी दरें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मनीपुर लोक निर्माण विभाग के दरों की वर्तमान अनुसूची के अनुसार, भूमि के कार्य की दर मिट्टी की किस्म के अनुसार 1·20 रुपये से 8·40 रुपये प्रति घन मीटर के बीच पृथक-पृथक है। मनीपुर लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाए गए ठेकेदार आमतौर पर अनुसूची की इन दरों के बीच ही दर बताते हैं। लोक-टाक परियोजना के विभिन्न कार्यों की दरें भी मनीपुर लोक निर्माण विभाग की वर्तमान दर-अनुसूची पर आधारित हैं, और लोक-टाक परियोजना और मनीपुर लोक निर्माण विभाग के एक जैसी किस्म के कार्यों की दरों में कोई अन्तर नहीं है।

मनीपुर से डाक्टरों का स्थानांतरण

7271. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों मे मनीपुर से कितने डाक्टरों को स्थानांतरित किया गया और क्या उनके स्थान पर दूसरे डाक्टर नियुक्त किये गए हैं;

(ख) क्या मनीपुर में कुछ "आउट पोस्ट" औषधालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की बहुत कमी है;

(ग) क्या मनीपुर में इस समय डाक्टरों की कमी है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमशंकर दीक्षित) : (क) मनीपुर सरकार के अधीन काम कर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चार अधिकारियों को जनरल ड्यूटी अफ़सर ग्रेड—I में नियुक्त करने के बाद उन्हें मनीपुर क्षेत्र से बाहर तैनात किया गया है। परन्तु उन्होंने अपनी नई नियुक्ति के स्थानों पर अपना कार्यभार नहीं संभाला है। जैसे ही वे अपने स्थानों पर चले जायेंगे इन पदों पर जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड—II तैनात कर दिये जायेंगे।

(ख) और (ग). 1 अप्रैल, 1971 तक जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड—II के 94 स्वीकृत पदों में से केवल 8 पद खाली हैं और ये अधिकतर बाहर के औषधालयों और मनीपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हैं, इन थोड़े से खाली पदों को भी भरने का प्रयास किया जा रहा है।

जनरल अस्पताल, मनीपुर में आपरेशन थियेटर

7272. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल अस्पताल, मनीपुर में मुख्य आपरेशन थियेटरों में आपातकालीन बिजली की व्यवस्था नहीं है और इसके परिणामस्वरूप बिजली की सामान्य व्यवस्था ठप्प हो जाने पर गम्भीर बड़े आपरेशनों के दौरान सर्जनों और रोगियों को प्रायः कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हाँ, तो आपतकालीन बिजली की व्यवस्था कब तक की जायेगी; और उसकी पहले से व्यवस्था न किए जाने के कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) और (ख). इस समय जनरल अस्पताल, मनीपुर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत मुख्य बिजली व्यवस्था ठप्प होने पर आपातकालीन डीजल सेट से बिजली दी जा सके। फिर भी, पचास किलोवाट क्षमता का एक डीजल सेट अस्पताल के अहाते में स्थापित किया गया है। अस्पताल को बिजली देने की व्यवस्था को मुख्य बिजली व्यवस्था से इस जेनरेटर में बदलने का वांछित काम प्रगति पर है।

देश में रक्तदान

7273. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता द्वारा रक्तदान करने के लिए देश में एक व्यापक आन्दोलन आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

'ल्यूकेमिया' के उपचार के लिए अनुसंधान

7274. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री एम० कतामुतु :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ल्यूकेमिया' के उपचार के लिए हाल ही में मद्रास में कोई अनुसंधान किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख). तमिलनाडु सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

देश में शिशु चिकित्सा अस्पताल खोलने के लिये विशेष योजना

7275. **श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शिशु चिकित्सा अस्पताल खोलने के लिए एक विशेष योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

बने बनाये मकान उपलब्ध कराने के लिये बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को प्रोत्साहन

7276. **श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को बने बनाये मकान उपलब्ध कराने के संबंध में प्रोत्साहन देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने इस प्रकार की समितियों को क्या प्रोत्साहन देने की पेशकश की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) (क) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वायु सेना के पुराने विमानों के स्थान पर नये विमानों का लाया जाना

7277. **श्री भोला मांझी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना में आज भी कुछ वायुयान हैं जो काम के नहीं रहे हैं तथा पुराने पड़ गये हैं;

(ख) क्या इन वायुयानों को बदल कर अधिक आधुनिक और प्रभावशाली वायुयान रखने को कोई योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). कोई भी वायुयान जिसकी उपयोगिता समाप्त हो गई हो तथा अप्रचलित हो गया हो सेवा में नहीं रखा गया है । पुराने ढंग के वायुयानों की सीमित संक्रियात्मक उपयोगिता होने के कारण उन्हें हटाने की तथा उनके स्थान पर अधिक आधुनिक तथा प्रभावशाली वायुयानों के लाने की प्रावस्था है । यह लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में कर्मचारियों की सेवाओं का समाप्त किया जाना

7278. **श्री सरजू पाण्डे :**
श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में सितम्बर, 1968 की हड़ताल के बाद तथा कर्मचारियों और आयोग के बीच मजूरी-पुनरीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद सेवा से निकाले गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनमें से कोई कर्मचारी मजदूर संघ संबंधी गतिविधियों/सितम्बर, 1968 की हड़ताल से संबद्ध था; और

(घ) क्या उनमें से किसी को बाद में सेवा में बहाल किया गया है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार सितंबर, 1967 की हड़ताल (सितंबर, 1968 में आयोग में कोई हड़ताल नहीं हुई थी) और दिनांक 20 जनवरी, 1968 को आयोग और कर्मचारियों के बीच वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के उपरान्त आयोग के आठ कर्मचारियों को आयोग की सेवाओं की समाप्ति के आदेश पारित किये गये । इस संबंध में वे कर्मचारी सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें विभागीय कार्यवाही के पश्चात पदच्युत किया गया अथवा हटाया गया था ।

(ख) इन आठ कर्मचारियों की सेवाएँ उनमें कार्य एवं आचरण से संबंधित कारणों से समाप्त की गई थीं ।

(ग) जी हाँ, परन्तु व्यापार संघ संबंधी क्रियाविधियों अथवा हड़ताल में भाग लेने के कारण उनकी सेवाएँ समाप्त नहीं की गई थीं ।

(घ) सेवाएँ समाप्त किये गये आठ कर्मचारियों को बाद में पुनः पदस्थ किया गया था ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में बंगला देश के शरणार्थियों के बारे में प्रिंस सदरुद्दीन द्वारा पाकिस्तानी मत का समर्थन किया जाना

7279. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1971 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चायुक्त प्रिंस सदरुद्दीन ने पाकिस्तान के इस मत का समर्थन किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद् बंगला देश के शरणार्थियों के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकती; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यह कहना ठीक नहीं होगा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के इस विचार का समर्थन किया था कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक परिषद, पूर्व बंगाल से भारत में शरणार्थियों की बाढ़ के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता । उन्होंने जो कहा था वह यह है कि इस प्रश्न से उनका संबंध शरणार्थी हाई कमिश्नर के रूप में नहीं है बल्कि समूचे संयुक्त राष्ट्र तंत्र की ओर से नामोद्दिष्ट 'केन्द्र बिन्दु' के रूप में है । चूंकि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक परिषद की कार्यसूची का विषय, हाई कमिश्नर के रूप में उनकी गतिविधियों के संबंध में 1970-71 वर्ष की रिपोर्ट था इसलिए उनका कहना यह था कि अगर उन्हें शरणार्थी समस्या के संबंध में रिपोर्ट देनी है तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक परिषद को उन्हें विशेष

रूप से प्राधिकृत करना होगा । उन्हें इसके लिए प्राधिकृत कर दिया गया था और उन्होंने 16 जुलाई, 1971 को "इकोसोक" को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी ।

Drinking Water Facilities in Madhya Pradesh

7280. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state the target fixed in regard to making drinking water available in the Madhya Pradesh State, particularly in rural areas during the year 1971-72 ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. KISKU) : According to the available information, the State Government expects to extend during 1971-72 piped water supply to about 500 villages and construct 400 wells under rural water supply programme.

During this period, 18 continuing urban water supply schemes are also proposed to be completed.

Houses in Urban and Rural Areas of Madhya Pradesh

7281. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) the progress made in construction of houses in urban and rural areas of Madhya Pradesh upto June, 1970;

(b) how it compares with the progress made during the last three years in Madhya Pradesh, year-wise as also the progress made in other States;

(c) the amount earmarked for construction of houses in urban and rural areas in the Fourth Five Year Plan and the number of houses likely to be ready by the end of this plan;

(d) the approximated shortage of houses in Madhya Pradesh and the number of additional houses required to be constructed every year in view of the increasing population;

(e) whether the shortage of houses would be overcome by the end of the Fourth Five-Year Plan; and

(f) if so, the particulars in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) According to progress reports received from the State Government, the total number of houses sanctioned and completed in Madhya Pradesh upto June, 1970 under various social housing schemes of this Ministry was 35,140 and 26,370 respectively.

(b) According to the information available in this Ministry, the position is as follows :

No. of houses

	Sanctioned		*Completed*	
	In all States	*In M. P. only*	*In all States*	*In M. P. only*
1968–69	27,420	2,550	18,160	370
1969–70	13,760	1,760	17,780	1,510
1970–71	35,920	620	6,030	310

(c) The Fourth Five Year Plan contains the following provisions for housing programmes concerning the Ministry of Works and Housing :

	(*Rs. in crores*)
I. STATE SECTOR (including Union Territories)	123·91
This does not include provision for Slum Clearance Scheme, which is included under Urban Development for which a provision of Rs. 69·36 crores has been made in the Plan.	
II. CENTRAL SECTOR	
(a) Office and residential accommodation for Central Government employees	30·00
(b) Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers	2·00

Besides the above provisions, a sum of Rs. 10 crores has been provided in the Fourth Plan as the share-capital of the Housing and Urban Development Corporation. This amount is also likely to be used for assisting the State Government in their housing programmes. No physical targets have been laid down in the Fourth Plan.

(d) to (f). State-wise estimate of housing shortage is not available. The Working Group on Housing for the Fourth Plan had estimated the shortage of housing in the country as a whole at the beginning of the Fourth Plan to be 837 lakh dwelling units (119 lakhs in the urban areas and 718 lakhs in the rural areas) on the assumption that every family should have a liveable dwelling unit of a reasonably permanent character. In view of the magnitude of the problem and the constraint on resources, there is no possibility of the housing problem in Madhya Pradesh (or in other States) being solved by the end of the Fourth Plan.

Housing Facilities in Madhya Pradesh

7282. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether any scheme has been formulated to provide housing facilities in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the particulars thereof; and

(c) the target fixed for providing houses and house plots to rural people of the State during 1971-72 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) and (b). At present the following social housing schemes, introduced by the Ministry of Works and Housing earlier, are being implemented by the Government of Madhya Pradesh :

1. Integrated Subsidised Housing Scheme for Industrial Workers and Economically Weaker Sections of Community.

2. Low Income Groap Housing Scheme.

3. Slum Clearance/Improvement Scheme.

4. Village Housing Projects Scheme,

5. Middle Income Group Housing Scheme.

6. Land Acquisition and Development Scheme.

7. Rental Housing Scheme for State Government employees. All these Schemes are in the State Sector of the Fourth Five Year Plan. The State Governments are free to formulate and implement housing projects under these Schemes and incur expenditure therefor within the approved Plan Outlay. They are also free to allocate the block Central assistance to various development programmes (including Housing) according to their own requirements and priorities. The amount to be spent on each scheme and the physical target etc. to be achieved thereunder are also to be determined by the State Governments.

(c) The Government of Madhya Pradesh have allocated a sum of Rs. 10 lakhs in their annual plan for 1971-72 for Village Housing Projects Scheme and a physical target of 333 houses has been proposed by them. No target for provision of house-plots under this Scheme has been indicated by them.

Malaria Eradication Programme for Madhya Pradesh

7283. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya pradesh has not received adequate financial assistance from the Central Government for Malaria Eradication Programme;

(b) if so, whether Government would give some additional special assistance keeping in view the backwardness of the State; and

(c) the amount of assistance given for the said programme during the last three years ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. KISKU) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

गुजरात राज्य उर्वरक निगम का कार्यकरण

7284. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गुजरात राज्य उर्वरक निगम के बहुत से अशंधारियों की इस माँग की ओर दिलाया गया है कि कम्पनी के अंश 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत किया जाये ।

(ख) क्या वर्तमान निदेशक बोर्ड ने इस माँग का विरोध किया है;

(ग) क्या इस कम्पनी को गैर सरकारी तथाकथित संयुक्त क्षेत्र से, जिसमें गैर सरकारी क्षेत्र की प्रभुता है, वास्तविक सरकारी क्षेत्र के नियंत्रण में लाने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी के मामलों की कोई जाँच करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि० में गुजरात सरकार के हिस्से 49% से बढ़ाकर 51% कर दिये जायें।

(ख) भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ). इन मामलों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाना है।

बंगला देश के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही

7285. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री बी० के० दासचोधरी :

क्या **विदेश** मंत्री इस आशय के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि महत्वपूर्ण देशों की सरकारें बंगला देश के शरणार्थियों की समस्या को सुलझाने के लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठातीं तो भारत को इस संबंध में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में सरकार का क्या तथा कब कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : माननीय सदस्य का आशय संभवत: प्रधान मंत्री द्वारा 24 मई को संसद में दिए गए वक्तव्य से है। सरकार को अब भी आशा है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तानी सैनिक शासकों पर प्रभाव डालेगा जिससे कि बंगला देश के लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ राजनीतिक समझौते के जरिए ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि भारत में आए शरणार्थी अपने घरों को लौट सकें। यदि यह आशा पूरी न हुई तो क्या कदम उठाए जाएँगे, इसका अभी इस स्थिति में बस अनुमान ही लगाया जा सकता है।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन बिस्तर

7286. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन सरकारी अस्पतालों द्वारा अंकित जनसंख्या के आधार पर आंकी गई कुल आवश्यकता देखते हुए इन अस्पतालों में आपातकालीन बिस्तरों की संख्या इस आवश्यकता का सातवाँ भाग नहीं है; और

(ख) क्या इन अस्पतालों में डाक्टरों और विशेषज्ञों आदि द्वारा इन रोगियों की चिकित्सा संबंधी कार्य नियम भी समान नहीं हैं, और यदि हाँ, तो सरकारी अस्पतालों में ऐसे बिस्तरों की संख्या बढ़ाने तथा रोगियों की चिकित्सा करने संबंधी समान नियम लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गवर्नमेंट आर्डनेंस फैक्टरी इन्टर कालेज, कानपुर में काम करने वाले अध्यापकों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

7287. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट आर्डनेंस फैक्टरी इंटर कालेज, अरमापुर, कानपुर में आठ दस वर्ष से इन्टर कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों का दर्जा अभी तक लेक्चरर के दर्जे में नहीं बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हाँ तो इस असामान्य विलम्ब का क्या कारण है; और

(ग) इस अन्याय को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). कालेज में लेक्चरर नाम का कोई पद नहीं है। अध्यापकों के दो ग्रेड हैं, नामत: रुपए 250-470 (उन अध्यापकों के लिए जो इन्टरमीडिएट कक्षा को पढ़ाते हैं) और रुपये 170-330 (अन्य अध्यापकों के लिए)। आयुध कारखाना, कानपुर, के इन्टर कालेज में अभी 8 पद 250-470 रुपये के ग्रेड में हैं। जून, 1969 में एक पुनरीक्षण समिति ने 4 पदों का 250-470 रुपए के वेतनमान में ग्रेड बढ़ाने की सिफारिश की थी। जून, 1970 में राज्य के शिक्षा अधिकारियों ने आवश्यकता का अनुमोदन किया था। इन चार पदों के ग्रेड बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

कोठारी आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना

7288. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों के महानिदेशक के अधीन आयुध कारखानों के स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों के संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो असाधारण विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या रेलवे जैसे अन्य मंत्रालयों ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (घ). इस संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया है तथा अन्य मंत्रालय जिनके पास ऐसे स्कूल हैं उनसे परामर्श किया गया है। इनमें से कुछ स्कूलों के वेतनमान थोड़े से कम हैं उन वेतनमानों से जिनको कि रेलवे ने निर्धारित किया है तथा केवल उसी ने मंत्रालयों में से कोठारी आयोग के वेतमानों को स्वीकार किया था। यह मामला इस मंत्रालय की विभागीय परिषद में चर्चा के लिए जे० सी० एम० योजना के अंतर्गत लाया गया था तथा इन सब मदों पर ध्यान रखते हुए स्टाफ पक्ष को परामर्श दिया गया था कि इस मामले को जे० सी० एम० के अन्तर्गत राष्ट्रीय परिषद में उठाया जाय क्योंकि इससे अनेक मंत्रालय, जो अध्यापकों को रोजगार में रखते हैं, प्रभावित होंगे।

विदेशों को भेजे गये प्रतिनिधिमंडल

7289. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**
डा० कर्णी सिंह :
श्री बयालर रवि :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में सरकारी अधिकारियों के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के विदेशों में ले जाने के क्या विशिष्ट उद्देश्य थे;

(ख) विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों की उपलब्धियाँ क्या हैं;

(ग) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं और उन्होंने किन किन देशों का दौरा किया था; और

(घ) उक्त दौरों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

भारत के दौरे पर विदेशी शिष्टमंडल

7290. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 और 1970-71 में विदेशों से कितने तथा कौन-कौन से सरकारी, गैर-सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्ति, शिष्टमंडल तथा सद्भावना मिशन सरकार के निमंत्रण पर भारत के दौरे पर आये ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : विदेश के गैर-सरकारी विशिष्ट अतिथियों की भारत-यात्रा के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

1969-70 में कुल मिलाकर 450 विशिष्ट सरकारी अतिथि, प्रतिनिधिमण्डल तथा सद्-भावना मिशन भारत की यात्रा पर आए ।

1970-71 में जिन विशिष्ट सरकारी अतिथियों, प्रतिनिधिमंडलों और सद्भावना मिशनों ने भारत की यात्रा की थी उनकी संख्या एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

पंजाब की ग्रामीण जनता में कुकरों का रोग

7291. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की 79·1 प्रतिशत ग्रामीण जनता कुकरों के रोग से पीड़ित है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस रोग की चिकित्सा के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने 1960-62 के दौरान भूतपूर्व पंजाब के 17 जिलों का जो सर्वेक्षण किया था उससे विदित हुआ कि वहाँ पर औसतन 79·1% व्यक्ति रोहे से पीड़ित हैं। इस समय स्थिति क्या है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि उपर्युक्त सर्वेक्षण के बाद कोई दूसरा सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) पंजाब राज्य को राष्ट्रीय रोहे नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है।

(2) राज्य सरकार से कहा गया है कि वह उत्साहपूर्ण ढंग से कार्यक्रम को चलाये और वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करे। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 100% केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(3) राज्यों को ऐण्टीबायोटिक आइण्टमेंट भी मुफ्त दिया जा रहा है।

अमरीका में 'गदर पार्टी' की सम्पत्ति का उत्तराधिकार

7292. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में 'गदर पार्टी' की सम्पत्ति को वर्ष 1948 में सेन फ्रांसिस्को के 'सिटी कोर्ट' के माध्यम से भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो हस्तान्तरण की शर्तें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). 5 वुड स्ट्रीट, सेन फ्रांसिस्को, अमरीका स्थित जायदाद का वास्तविक हस्तांतरण 1949 में हुआ था और तब से भारत सरकार स्थानीय अधिकारियों का इस जायदाद का कर देती आई है। इसका कानूनी हस्तांतरण 26-6-1952 को हुआ (अर्थात् अदालत के एक आदेश द्वारा इस जायदाद पर बिना किसी देनदारी के भारत सरकार का स्वामित्व स्वीकार किया गया)। इस जायदाद का हस्तांतरण बिना किसी शर्त के हुआ था।

'गदर पार्टी' के वीरों के लिए एक स्मारक बनाने संबंधी पत्र-व्यवहार

7293. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'गदर पार्टी' के वीरों के स्मारक के निर्माण के संबंध में फरवरी और मार्च, 1964 में लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, सरदार हुकम सिंह तथा स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुए पत्र-व्यवहार का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह ने 18 फरवरी, 1964 को स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को एक निजी पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि सेन फ्रांसिस्को के भारतीय लोगों ने गदर पार्टी शहीदों के सम्मान में एक स्मारक बनाने के लिए उनसे बहुत आग्रह किया है। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 12 मार्च, 1964 को उत्तर दिया था कि हिन्दुस्तान गदर पार्टी स्मारक समिति के अध्यक्ष को सूचित कर दिया गया है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण सरकार के लिए स्मारक बनाना कठिन है और मामले की पुनः जाँच हुई।

निजी मकान वाले अधिकारियों को सरकारी मकानों का आबंटन

7294. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली अथवा दिल्ली के आस पास जिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पास अपने नाम से अथवा अपने निकट संबंधियों के नाम से निजी मकान हैं, उन्हें सरकारी मकानों की सुविधा देने की अनुमति के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है; और

(ख) कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के पास ऐसे निजी मकान हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 1 मई, 1966 से उन सरकारी कर्मचारियों को, जिनके तैनाती के स्थान पर अपने मकान हैं, सामान्य पूल वास के आबंटन के उद्देश्य के लिये उन (कर्मचारियों) के समान घोषित किया गया है, जिनके अपने मकान नहीं हैं। सरकार ने 1968 में और 1970 में तैनाती के स्थान पर अपने मकानों वाले सरकारी कर्मचारियों को सामान्य पूल वारस के आबंटन से संबंधित नीति का पुनरीक्षण किया था और यह निर्णय किया था कि जहाँ तक सामान्य पूल के आबंटन का संबंध है, अपने मकानों वाले अधिकारियों तथा उन अधिकारियों के बीच जिनके अपने मकान नहीं हैं, में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये।

(ख) लगभग एक वर्ष पहले, सम्पदा निदेशालय द्वारा एकत्रित किये गये कुछ सांख्यकीय ब्यौरे के अनुसार 2,938 सरकारी कर्मचारियों के अपने मकान हैं। इनमें से 539 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो सामान्य पूल वास के दखल में थे।

Amendment of Cantonment Board Act, 1924

7295. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether a demand has been continuously made in the country during the last many years for making necessary amendments in the Cantonment Board Act, 1924;

(b) if so, whether Government have prepared a Bill to this effect;

(c) if so, the salient features thereof; and

(d) the time by which the said amending Bill is proposed to be introduced by Government in the Lok Sabha ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) A number of suggestions for amendments to the Cantonments Act, 1924 have been received from time to time.

(b) A preliminary draft Bill is under examination.

(c) Amendments to the Cantonments Act, 1924 include, *inter alia* :

(1) Introduction of free and compulsory primary education in accordance with the directive principles of State policy;

(2) Increase in the tenure of office of the members of the Cantonment Boards from 3 to 5 years;

(3) Giving statutory effect to executive orders already issued in regard to democratisation of Cantonments;

(4) Further democratisation of Cantonment administration consistent with the nature of Cantonments as Military stations;

(5) Rectification of defects in certain provisions of the Act; and

(6) Removal of difficulties experienced in the administration of the Act.

(d) The Bill would be introduced in Parliament as soon as feasible.

Persons Recruited in Army in Danapur Cantonment

7296. SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the total number of persons recruited in the Army in Danapur Cantonment during 1969-70 and upto June, 1971;

(b) the number out of them belonging to minority communities, community-wise;

(c) whether no person belonging to a particular minority community has been recruited in Bihar Regiment No. 1 and Bihar Regiment No. 10; and

(d) if so, the name of the said community and the reasons for not recruiting anyone from this community into the army ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) to (b). Separate figures of recruitment carried out at Danapur Cantonment are not readily available and are being ascertained. The requisite information will be laid on the Table of the House as soon as available.

अमरीकी नीति के संदर्भ में बंगला देश की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन

7297. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, बंगला देश के मामलों में यथास्थिति बनाए रखने संबंधी अमरीका की कथित नीति के संदर्भ में बंगला देश की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). बंगला देश के संबंध में भारत की नीति का निर्धारण उसके अपने राष्ट्रीय हितों और बंगला देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यद्यपि अन्य देशों के रुख को स्वभावतः ध्यान में रखा जाता है किन्तु उससे हमारी नीति निर्धारित नहीं होती है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा पुनः तैयार करना

7298. **श्री बी० के० दासचोधरी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन संयुक्त राष्ट्र की नई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा पुनः तैयार करने के लिए सुझाव देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार कौन सी मुख्य बातें प्रस्तुत करना चाहती है;

(ग) क्या सरकार उस स्थिति पर विचार कर रही है जो संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रवेश से उत्पन्न हो सकती है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) . सरकार का विश्वास है कि चीनी लोक गणराज्य द्वारा समुचित ढंग से भाग न लेने पर संयुक्त राष्ट्र अनेक समस्याओं को हल करने में कठिनाइयों का सामना करता रहेगा और इसमें वह सर्व व्यापकता नहीं रहेगी जो इसके लिए अपेक्षित है।

लाल किला, दिल्ली के सामने नेता जी की मूर्ति का लगाया जाना

7299. **श्री बी० के० दासचोधरी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने लाल किला, दिल्ली के सामने नेताजी की मूर्ति लगाने के स्थान को अन्तिम रूप से चुन लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कितनी जल्दी स्थापित किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Invention of Ayurvedic Treatment for Heart Attack

7300. SARI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether the Uttar Pradesh Ayurvedic College has invented treatment for heart attack resulting from absence of adequate blood circulation in arteries;

(b) if so, the particulars thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) & (b). The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy has sponsored research in the State Ayurvedic College, Lucknow, on the effects of Nerium Indicum (Karavir), an indigenous drug, used in Ayurvedic practice in cardtiac diseases. This study is being carried out in collaboration with the King George Medical College, Lucknow.

(c) Since the study has not yet been completed it is premature at this juncture to arrive at any firm conclusion.

एस० ए० 315 हैलीकोप्टरों का निर्माण

7301. **श्री एस० राधाकृष्णन्** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर ने फ्रांस की फर्म से एस० ए० 315 हैलीकोप्टरों के निर्माण के बारे में किये गये करार के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) फ्रांस की फर्म से किये गये समझौते की शर्तें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (बंगलौर डिवीजन) फ्रांस की एस० एन० आई० ए० एस० के लाइसेंस के अन्तर्गत एस०-315 हैलीकोप्टर्स के निर्माण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है। प्लाँट, मशीनरी और अन्य सामग्रियों के लिये आर्डर दिये जा रहे हैं।

(ग) व्यवसायिक प्रथा को ध्यान में रखते हुए करारनामे की शर्तों को प्रकट करना संभव नहीं है।

मद्रास उर्वरक उद्योग समूह का निर्माण कार्य विदेशी फर्म को सौंपा जाना

7302. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड का निर्माण-कार्य एक विदेशी फर्म को सौंपा गया है;

(ख) इस संबंध में उपरोक्त फर्म किन शर्तों पर सहमत हुई है;

(ग) इस परियोजना का कार्य आरम्भ होने से पूर्व इस परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान था; और

(घ) अब तक कितनी राशि खर्च की गई और इस परियोजना को पूरा करने में अभी कितने धन की और आवश्यकता होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). जी, हाँ । संयुक्त राज्य अमरीका के मैसर्स कैमीकल कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन को, टर्न-की (Turn-key) आधार पर, प्रधान ठेका निम्नलिखित शर्तों पर दिया गया है :

(i) उनको 2,27,15,500 डालर तथा 18,58,80,500 रुपये की एक मुक्त धनराशि अदा की जायेगी;

(ii) यह धनराशि, सामग्री तथा मजदूरी की लागत में वृद्धि के कारण समायोजनों और वृद्धियों एवं परिवर्तनों के अन्तर्गत देय है । भुगतान की जाने वाली यह धनराशि, भारत सरकार को देय शुल्कों से भी मुक्त है ।

(ग) 84 करोड़ रुपये ।

(घ) 30 जून, 1971 तक 50·9 करोड़ रुपये । प्रायोजना को पूर्ण करने के लिए इस समय 13·75 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है ।

नई दिल्ली स्थित केरल के हस्तशिल्प एम्पोरियम के लिए वैकल्पिक प्लाट

7303. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नई दिल्ली स्थित हस्तशिल्प एम्पोरियम के लिए कोई वैकल्पिक प्लाट देने के बारे में केन्द्र सरकार से निवेदन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) चूँकि कोई अन्य प्लाट उपलब्ध नहीं है, अत: पहले किया गया आबंटन बना रहेगा ।

नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल में प्रेम कुमारी की मृत्यु

7304. **श्री माधुर्य्य हालदर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री विलिंगडन अस्पताल में कुमारी प्रेम कुमारी की मृत्यु के बारे में 16 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 871 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच विभागीय जाँच कराई गई है, और यदि नहीं, तो जाँच कराने में क्या बाधाएँ हैं;

(ख) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय का विचार इस जाँच कार्य को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दूसरी तकनीकी जाँच की गई है। नियमित विभागीय जाँच कराने के लिये चार्ज-शीट तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) . उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, इस जाँच को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपने के प्रश्न पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है।

ओपिन टेंडर बेसिस गवर्नमेंट साईकिल कान्ट्रेक्टर्स एसोसियेशन

7305. **श्री माधुर्य्य हालदर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) ओपिन टेंडर बेसिक गवर्नमेंट साईकिल कान्ट्रेक्टर्स एसोसियेशन किस तिथि से अपने मामले के बारे में अनुरोध कर रही है;

(ख) उनकी क्या माँगे थीं तथा उनमें से कितनी पूरी कर दी गई हैं;

(ग) क्या एसोसियेशन के सेकेट्री ने मंत्री महोदय से भेंट की थी और यदि हाँ, तो उस मुलाकात में क्या निर्णय किया गया था; और

(घ) अन्तिम निर्णय कब लिया गया था और उन्हें कब सूचित किया गया था ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) सरकारी साईकिल-स्टेंडों के विस्थापित ठेकेदारों (खुले टेंडर से दिनांक 25 जुलाई, 1969) का एक पत्र प्राप्त हुआ था, बाद में विस्थापित शब्द को हटा दिया गया।

(ख) संस्था की मागें निम्नलिखित थीं :

(i) 'खुले टेण्डर' के आधार पर के सरकारी साईकिल स्टेंड के ठेकेदारों को विस्थापित ठेकेदारों के समान समझा जाना चाहिए।

(ii) ठेके को स्थायी आधार पर दिया जाना चाहिए;

(iii) साईकिल स्टेंड को 'लाटरी' के आधार पर आबंटित किया जाना चाहिए;

(iv) यदि एक साईकिल स्टेंड को स्थायी आधार पर आबंटित नहीं किया जा सकता तो उसे कम से कम 10/15 वर्ष की अवधि के लिए आबंटित करना चाहिए ।

(v) उन्हें साईकिलों, मोटर-साईकिलों तथा स्कूटरों आदि के मालिकों से अधिक पैसे लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वे सरकार को विस्थापित ठेकेदार द्वारा दिये जाने वाले किराए से अपेक्षाकृत अधिक किराया अदा करते हैं; और

(vi) टेंडरों का आमन्त्रण केवल साईकिल स्टैंड के ठेकेदारों की संस्था तक की सीमित होना चाहिए।

(ग) संस्था के सचिव, तत्कालीन मंत्री से 31 अक्तूबर, 1969 को मिले थे, तथा उस बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया। संस्था के प्रतिनिधियों को यह सूचित किया गया था कि ऊपर (ख) में उल्लिखित क्रम सं० (i), (ii), (iii) तथा (vi) पर के उनके अनुरोध स्वीकार्य नहीं हैं, तथा उनके मद संख्या (iv) तथा (v) के अनुरोधों पर विचार किया जा सकता है। किन्तु बाद में उन्हें भी स्वीकार नहीं किया गया।

(घ) अन्तिम निर्णय संस्था को 29-1-1970 को सूचित कर दिया था। संस्था के प्रतिनिधि 11-2-1971 को मंत्री महोदय से पुनः मिले तथा पुनर्विचार के बाद, सरकार एक वर्ष के बजाय 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये सहमत हो गई, और तदनुसार 22-6-1971 को आदेश जारी कर दिये गये।

दिल्ली में निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन साईकिल स्टैंड

7306. **श्री माधुर्य्य हालदर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली में उनके मंत्रालय के अधीन कितने साईकिल-स्टैंड हैं।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : दिल्ली तथा नई दिल्ली में निर्माण और आवास मंत्रालय के नियंत्रण में साईकिल स्टैंडों की संख्या दस है।

मुनीरका, नई दिल्ली के ग्रामवासियों की दयनीय स्थिति

7307. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुनीरका, नई दिल्ली-22 के ग्रामवासियों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाया गया है क्योंकि वे अत्यधिक अस्वास्थ्यप्रद वातावरण में रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पेय-जल, सार्वजनिक शौचालय आदि की सभी नागरिक सुविधायें देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन ग्रामवासियों को ये सभी सुविधायें कब तक प्रदान कर दी जायेंगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित):

(क) से (ग). सही स्थिति का पता लगाया जा रहा है और वांछित सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Chinese Soldier Surrendered to Indian Army

7308. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether a Chinese Soldier had surrendered himself to the Indian army in Sikkim Sector during the first fortnight of July, 1971; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) Yes, Sir.

(b) It will not be in the public interest to disclose any details regarding the above.

British Emblem on Main Gate of Rashtrapati Bhavan, Simla

7309. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether the main gate and other places in the Rashtrapati Bhavan at Simla still bear the emblem of the British Crown; and

(b) whether Government propose to replace it with the national emblem of India ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) Except for one emblem on the outer facade of the main building above the entrance, all other British emblems have been removed since long.

(b) Yes, Sir. Orders have been issued for its immediate removal.

दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत होम्योपैथी के औषधालय

7310. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत होम्योपैथी के औषधालयों में अपर्याप्त सुविधायें हैं जिनके कारण इस इलाज को करवाने वाले रोगियों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय ऐसे कितने औषधालय चल रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले होम्योपैथिक के इलाज के लिये और अधिक औषधालय खोलने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन दो होम्योपैथिक औषधालय काम कर रहे हैं।

इनमें से एक गोल मार्केट में है और दूसरा रामकृष्णपुरम में । यद्यपि आपात किस्म के गम्भीर रोगियों के लिए पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं, फिर भी होम्योपैथिक डाक्टरों पर कार्यभार कुछ ज्यादा है ।

(ग) और (घ). 1971-72 के दौरान एक और औषधालय खोलने का प्रस्ताव है । इसके स्थान के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में खुदाई कार्य में लगे हुए रूसी वैज्ञानिक

7311. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में खुदाई के कार्य में लगे हुए अधिकांश रूसी वैज्ञानिकों के स्थान पर भारतीय विशेषज्ञों को इस बीच लगा दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सब कितने रूसी विशेषज्ञ हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों को रूस और अन्य देशों में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा है जिसमें वे विदेशी विशेषज्ञों द्वारा किये जा रहे कार्य को स्वयं सभाल सकें; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) पन्द्रह ।

(ग) और (घ). जी, हाँ । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपने अधिकारियों को इस प्रायोजन के लिये समय समय पर विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भेजता रहा है। रूस को सम्मिलित करते हुए विभिन्न देशों में अब तक कुल 439 अधिकारियों ने प्रशिक्षण पाया है । इस समय विदेशों में चार अधिकारी प्रशिक्षण पा रहे हैं । उनमें से दो कनाडा में हैं, एक ईरान में और एक नीदरलैंड में है । उनकी विशेषज्ञताओं के क्षेत्र भूगर्भ विज्ञान, भूभौतिकी और अतटीय व्यधन से संबंधित हैं ।

बंगला देश के शरणार्थियों के लाने ले जाने के लिए अमरीकी परिवहन विमानों का प्रयोग बन्द करना

7312. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश से आये शरणार्थियों को लाने/ले जाने के लिए चार अमरीकी विमानों को उपयोग में न लाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शरणार्थियों के शीघ्र परिवहन के लिए कौन से अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध किये गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). अमरीकी एयर-लिफ्ट मिशन ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 जुलाई, 1971 को अपना कार्य समाप्त कर दिया ।

(ग) जिन क्षेत्रों में अमरीकी वायुयानों का प्रयोग किया जा रहा था वहाँ अब शरणार्थियों को ले जाने के लिए भारतीय वायुसेना के वायुयानों, रेल और सड़क वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है ।

पोदीने के सत्त का उत्पादन और उपभोग

7313. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पोदीने के सत्त का अथवा तेल के रूप में प्रतिवर्ष कुल कितना उपभोग होता है; और

(ख) देश में प्रति वर्ष इसका कुल उत्पादन कितना होता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). मेंथोल आमतौर पर भेषज, कान्तिवर्द्धक वस्तुओं तथा सिगरेटों आदि में प्रयोग किया जाता है। इसकी खपत का मूल्यांकन नहीं किया गया है । तथापि, गत तीन वर्षों में मेंथोल का उत्पादन निम्न प्रकार था :

1968	56 मीटरी टन
1969	65 मीटरी टन
1970	80 मीटरी टन

वर्तमान आयात नीति, अर्थात अप्रैल, 1971 से मार्च, 1972 तक मेंथोल के आयात पर पाबन्दी है । तो भी, 1970 का उत्पादन देश में मेंथोल की खपत का सूचक समझा जा सकता है ।

कलकत्ता स्थित मैसर्स स्मिथ स्टेनीस्टीड एण्ड कम्पनी में कदाचार और कुप्रबन्ध के बारे में अभ्यावेदन

7314. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता स्थित मैसर्स स्मिथ स्टेनीस्टीड एण्ड कम्पनी में कदाचार और कुप्रबन्ध के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन कदाचारों और कुप्रबन्ध के बारे में कोई जाँच करवाई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी जाँच का क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

के० जी० मेडीकल कालेज, लखनऊ को उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए अनुदान

7315. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए के० जी० मेडीकल कालेज, लखनऊ को कोई सहायता अनुदान देने की मंजूरी दी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार के० जी० मेडीकल कालेज को उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान कार्यों के लिए केन्द्रीय संस्थान के रूप में अपने अधिकार में लेने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा/दन्त शिक्षा के विकास की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अधीन भारत सरकार ने के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी और जनरल सर्जरी विभागों का दर्जा बढ़ाने की अनुमति दे दी है । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मेडीकल कालेज, लखनऊ में विभिन्न विषयों की 3,73,150 रु० की कुल लागत वाली 25 अनुसंधान योजनाओं का भी खर्च चला रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

कानपुर स्थित कैंसर के जे० के० संस्थान को अनुदान

7316 **श्री बी० आर शुक्ल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत दो वर्षों में कानपुर स्थित कैंसर के जे० के० संस्थान को कोई अनुदान दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार उक्त संस्थान को इस वित्तीय वर्ष में कोई अनुदान दे रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में इस संस्थान से अनुदान के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

ब्रिटेन में भारतीयों को तंग किया जाना

7317. **श्री राज राज सिंह देव :**
श्री वयालार रवि :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलैंड के कई भागों में बहुत से भारतीयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में भारतीय उच्चायुक्त ने ब्रिटिश विदेश कार्यालय और गृह मंत्रालय से विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप विदेश मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) युनाइटेड किंगडम में भारतीय राष्ट्रिकों को परेशान किए जाने की घटनाएँ समय-समय पर लन्दन स्थित हमारे हाई कमीशन की जानकारी में आई हैं ।

(ख) और (ग). इस तरह की घटनाओं की ओर फौरन ही ब्रिटेन के गृह तथा विदेश कार्यालयों के प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया, जिन्होंने आवश्यक जाँच पड़ताल के बाद प्रत्येक मामले पर अपनी रिपोर्ट दी । जिस किसी मामले में जरूरी हुआ विरोध भी किया गया । हमें यह आश्वासन दिलाया गया है कि युनाइटेड किंगडम में इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है ।

दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक यथा होम्योपैथिक डाक्टर

7318. **डा० जी० एस० मेलकोटे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक डाक्टरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना में इस समय कार्य कर रहे आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक डाक्टरों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमाधारियों के वेतनमानों की श्रेणियाँ बनाई गई हैं; और

(ग) क्या सरकार रोगियों को विशेषज्ञ-परामर्श देने हेतु चिकित्सा की इन दोनों पद्धतियों के विशेषज्ञ डाक्टरों की एक सूची तैयार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जैसा कि एलोपैथिक प्रणाली के मामले में किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत काम कर रहे आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों की कुल संख्या इस प्रकार है :

आयुर्वेदिक चिकित्सक	13
होम्योपैथिक चिकित्सक	5

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में आयुर्वेद चिकित्सा के अन्तर्गत आयुर्वेद परामर्शदाता चिकित्सक और स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के सलाहकार विशेषज्ञ परामर्श देते हैं ।

स्थल सेवा में पुनर्नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन में तदर्थ वृद्धि का लाभ

7319. **डा० जी० एस० मेलकोटे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन रक्षा-कर्मचारियों को, जिनकी मासिक पेंशन 50 रुपये से कम है पुनर्नियुक्त किये जाने पर, उनकी पेंशन में तदर्थ वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता;

(ख) क्या इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पुनर्नियुक्ति पर वेतन निर्धारित करते समय उनकी पेंशन को हिसाब में नहीं लिया जाता; और

(ग) जब उनकी पेंशन वेतन निर्धारण में नहीं जोड़ी जाती, तो उनकी कुल आय से जिसमें पेंशन भी सम्मिलित है मकान किराया काटने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ, रक्षा कार्मिकों को जब वे सिविल पदों पर पुनर्नियुक्त होते हैं पेंशन में तदर्थ वृद्धि नहीं दी जाती है ।

(ख) जी हाँ, 50 रुपए प्रति माह तक की पेंशन राशि को सिविल पदों पर पेंशनरों के पुनर्नियुक्त होने पर वेतन के नियतन में हिसाब में नहीं लिया जाता है बशर्ते कि वह सेवा से 55 वर्ष की आयु से पूर्व सेवा निवृत्ति हुए हों । ऐसे पेंशनर पेंशन के अतिरिक्त वेतन प्राप्त करते

हैं । इसमें वह पेंशन भी शामिल होती है जो वेतन को नियत करते समय हिसाब में नहीं ली गई थी ।

(ग) 50 रुपए प्रति माह की पेंशन को वेतन के नियतन करते समय हिसाब में न लेना एक रियायत है जो कि केवल उसी प्रयोजन के लिए इन सेवा निवृत्त रक्षा कार्मिकों को दी गई है । सरकारी आवास के लिए किराया वसूल करने के नियम में व्यवस्था है कि पूरे वेतन पर कटौती की जावे तथा पुनर्नियुक्ति पर वेतन नियतन के लिए दी जाने वाली रियायत को इसके साथ न लिया जाय, क्योंकि समान रियायत किराया वसूली के लिए रियायत तद्नरूपी होगी ।

आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने के संबंध में मानकीकृत विशिष्टियाँ

7320. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत तैयार की गई औषधियों को मानकीकृत विशिष्टियों के अन्तर्गत बेचा जायेगा;

(ख) क्या जामनगर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में भी एक परीक्षण प्रयोगशाला होगी; और

(ग) अन्य किन प्रयोगशालाओं को यह कार्य सौंपा जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद ने अत्यधिक लोकप्रिय और आम उपयोग में आने वाली आयुर्वेदीय औषधों का मानकीकरण करना शुरू कर दिया है । मानक तैयार होने पर इन औषधों को निर्दिष्ट मानकों के अन्तर्गत बेचा जायेगा ।

(ख) और (ग). मानकों को प्रकाशित करने के बाद उपयुक्त समय पर जामनगर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं को, परीक्षण प्रयोगशालाओं में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

Raising of an Adivasi Regiment in Army

7321. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to raise an Adivasi Regiment with a view to increasing the number of Divisions in the Indian army and keeping in view the country's security; and

(b) Government's stand in this regard ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) No, Sir.

(b) It is not the policy of Government now to form regiments after any particular class. In order to raise a new division, it is not necessary to form regiments after particular classes.

चकराता में स्थल सेना के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत

7322. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चकराता के वरिष्ठ स्थल सेना अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन अधिकारियों के रैंक क्या हैं;

(ग) क्या उनमें से एक अधिकारी ने, जो जयगुरू सम्प्रदाय नामक एक बनावटी धार्मिक संस्था का महामंत्री है, मुनीकीरती में एक नागरिक की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). सूचना सुनिश्चित की जा रही है एवं सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

नागाओं द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के मारे गये कर्मचारी

7323. **श्री निहार लास्कर** :
श्री के० मालन्ना :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जुलाई, 1971 को कोहिमा में हेमिगकुल के निकट छिपे नागाओं ने अचानक आक्रमण करके केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दो कर्मचारियों की हत्या कर दी थी तथा अन्य बहुत से कर्मचारियों को घायल कर दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में नागाओं ने अपनी गतिविधियों में वृद्धि कर दी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ग). 14 जुलाई, 1971 को पेदी से हेनोनकुनग्ला जाते समय सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस के एक कान्वाय पर, जिसमें दो गाड़ियाँ थीं, नागा विद्रोहियों के एक दल ने घात लगाकर आक्रमण किया । इस घटना में एक हेड कान्सटेबल और एक कान्सटेबल चालक मारे गये ।

(ग) जी, नहीं । इस क्षेत्र में नागा विद्रोहियों की गतिविधियों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है ।

Indian Medical and Health Services Act

7324. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether the Central and State Governments have implemented the Indian Medical and Health Services Act; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. KISKU) : (a) and (b). The All India Services Act, 1951, as amended in 1963 provides for the creation of certain new All India Services, which include the Indian Medical and Health Service. Though the Indian Medical and Health Service has been formally constituted with effect from the 1st February, 1969, recruitment to the Cadres of this Service in the various States has not yet been made. This is due to the fact that as many as seven States viz., Tamil Nadu, Mysore, Maharashtra, Assam, Jammu and Kashmir, West Bengal and Punjab which had earlier agreed to participate in the Service subsequently withdrew or expressed their reservations about the constitution of the Service. The Government of India is considering whether the recruitment to the Indian Medical and Health Service should be made. No final decision has yet been made.

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की दूरस्थ क्षेत्रों में नियुक्ति

7325. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारियों की भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सुरक्षा दल के अधीन दूरस्थ क्षेत्रों में नियुक्ति की गई है तथा इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि उनकी पत्नियाँ भी डाक्टर हैं और दिल्ली में कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या इन डाक्टरों के उपर्युक्त आधार पर दिल्ली में स्थानान्तरण के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे कितने मामले हैं तथा उनकी प्रार्थना स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) दिल्ली में कार्य कर रहे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-II के निम्नलिखित अधिकारियों को जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-I में पदोन्नत किया गया है और उन्हें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के अधीन नियुक्त किया गया है :

1. डा० बैद्य नाथ साह
2. डा० प्रेम प्रकाश गुप्ता

3. डा० देव रतन मलिक
4. डा० बलबीर सिंह खेड़ा
5. डा० वाणी कुमार घोष
6. डा० सिद्धेश्वरी दयाल
7. डा० आनन्द प्रकाश माथुर
8. डा० विश्व मित्र बागले

इनके अतिरिक्त, जनरल ड्यूटी अफसर ग्रेड-II के एक अधिकारी डा० राजासिंह सेठी को दिल्ली से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में स्थानांतरण कर दिया गया है।

(ख) और (ग) . उपर्युक्त 1 से 8 डाक्टरों में से किसी ने भी अभी तक इस कारण से स्थानांतरण के लिए निवेदन नहीं किया है कि उनकी पत्नियाँ दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य कर रही हैं। 1967 में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के पश्चात डा० सेठी को आरम्भ में ही भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में नियुक्त किया गया था। उन्होंने, उस समय इस आधार पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस से स्थानांतरण माँगा था कि वे दिल्ली में स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने उस समय इस आधार पर स्थानांतरण नहीं माँगा था कि उनकी पत्नी दिल्ली में कार्य कर रही हैं। सरकार में उनके अनुरोध को मान लिया गया था और उनका अध्ययन पूरा हो जाने के पश्चात 7-10-1969 को उन्हें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में काम पर उपस्थित होने का निदेश दिया गया। आदेश जारी हो जाने के काफी दिनों के बाद उन्होंने मई-जून, 1971 में सरकार को सूचित किया कि उनकी पत्नी दिल्ली नगर निगम में चिकित्सा स्नातक के रूप में कार्य कर रही हैं। किन्तु, उनकी पत्नी के बारे में विस्तृत ब्यौरा तथा वह किस रूप में कार्य कर रही हैं, इसकी ठीक जानकारी नहीं दी गई है। क्योंकि डा० सेठी ने शुरू में जिस प्रयोजन के लिए स्थानांतरण माँगा था वह पूर्ण हो गया है अतः प्रारम्भ में जिस स्थान पर उनकी नियुक्ति की गई थी उन्हें वहाँ अपने कार्य पर उपस्थित हो जाने के लिए निदेश दे दिया गया है।

दिल्ली में केन्द्रीय अस्पतालों के मेडिकल सुपरिन्टेंडेंटों की पदावनति

7326. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्र सरकार के दो अस्पतालों के मेडिकल सुपरिन्टेंडेंटों की पदावनति कर दी गई है और अब वे अपने से कनिष्ठ अधिकारियों के अधीन कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों पर पदासीन अधिकारियों की क्या विशेष योग्यताएँ हैं तथा क्या उन्हें अस्पताल के प्रशासकीय कार्य के अतिरिक्त अपने क्लिनिक संबंधी कार्य करने की भी अनुमति है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अधीक्षक एवं शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता

और निदेशक, केन्द्रीय विकलांग संस्थान के पदों का पदनाम अब इस प्रकार कर दिया गया है :

मूल पदनाम	संशोधित पदनाम
1. चिकित्सा अधीक्षक एवं शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता ।	शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता
2. निदेशक, केन्द्रीय विकलांग संस्थान ।	निदेशक, केन्द्रीय विकलाग संस्थान तथा चिकित्सा अधीक्षक ।

सफदरजंग अस्पताल में जो व्यक्ति पहले चिकित्सा अधीक्षक एवं शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता के पद पर काम कर रहे थे उन्हें अब शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता के नये पद पर नियुक्त कर दिया गया है और केन्द्रीय विकलांग संस्थान के निदेशक के पद पर काम कर रहे व्यक्ति को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में निदेशक, केन्द्रीय विकलांग संस्थान तथा चिकित्सा अधीक्षक के नये पद पर नियुक्त किया गया है । ये दोनों पद, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपर टाइम ग्रेड- I में हैं इसलिए पहले के चिकित्सा अधीक्षक एवं शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता को शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता के नये पद पर नियुक्त कर दिये जाने पर कोई पदावनति नहीं हुई है ।

विलिंग्डन अस्पताल में शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता और चिकित्सा अधीक्षक, तथा काय चिकित्सा (के० स्वा० यो०) के परामर्शदाता के नये पदनाम अब इस प्रकार कर दिये गये हैं :

मूल पदनाम	संशोधित पदनाम
1. शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता और चिकित्सा अधीक्षक ।	शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता
2. काय चिकित्सा के परामर्शदाता (के० स्वा० यो०)	काय चिकित्सा के परामर्शदाता (के० स्वा० यो०) तथा चिकित्सा अधीक्षक)

काय चिकित्सा (के० स्वा० यो०) और चिकित्सा अधीक्षक, विलिंग्डन अस्पताल के पद पर इस समय हाल में ही पदोन्नत एक सुपरटाइम ग्रेड-I अधिकारी काम कर रहे हैं । शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता का नया पद इस समय खाली पड़ा है। जो व्यक्ति पहले शल्य चिकित्सा के परामर्शदाता और चिकित्सा अधीक्षक, विलिंग्डन अस्पताल के पद पर काम कर रहे थे उन्हें अब स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय में नव-सर्जित विशेष कार्य अधिकारी (शल्य चिकित्सा) के पद पर नियुक्त किया गया है ।

(ग) जो व्यक्ति इस समय निदेशक, केन्द्रीय विकलांग संस्थान तथा चिकित्सा तथा चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल के पद पर काम कर रहे हैं, वे विकलांग में विशिष्ट ज्ञान रखते हैं और इसी प्रकार जो व्यक्ति इस समय काय चिकित्सा (के० स्वा० यो०) और

चिकित्सा अधीक्षक, विलिंग्डन अस्पताल के पद पर काम कर रहे हैं, वे कार्य चिकित्सा में विशिष्ट ज्ञान रखते हैं तथा ये दोनों व्यक्ति अस्पताल प्रशासन देखने के अलावा नैदानिक कार्य भी करते हैं।

बैरल निर्माताओं को कच्चा माल देना

7327. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 12 जुलाई, 1971 को तारांकित प्रश्न संख्या 1063 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैरल निर्माताओं को स्वदेशी या आयातित कच्चा माल दिये जाने के लिए औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्त का उनके मंत्रालय द्वारा लागू किया जाना अनिवार्य है; और

(ख) यदि हाँ तो क्या मंत्रालय ने ऐसे मामलों में औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को लागू कर दिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री० पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख). प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) ने अपनी 85 वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 2.119, 2.120 तथा 2.122 में बैरल उद्योग के लिए कच्चे माल के नियतन के विषय का उल्लेख किया था। इन तीन पैराग्राफों का उद्धरण (एक्सट्रैक्ट) तुरत संदर्भ के लिए संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—833/71.**] प्राक्कलन समिति की सिफारिश का प्रवर्तनशील अंश, पैराग्राफ 2 120 का अन्तिम वाक्य है, जिसे निम्न प्रकार पढ़ा जाए :

"इस संबंध में सरकार द्वारा अन्तिम रूप में तय की जाने वाली व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि विनिर्माताओं द्वारा तेल कम्पनियों को बैरलों की सप्लाई उचित दरों, अपेक्षित मात्राओं तथा यथासमय की जाती है ताकि अन्तिम प्रयोगकर्त्ताओं को लूब आयल की अबाध्य सप्लाई सुनिश्चित हो।"

उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसार, 18-12-69 को औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा एक अन्तर-मंत्रालीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पेट्रोलियम विभाग और आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के परिणामस्वरूप बैरल निर्माताओं पर एक शर्त लगाई गई थी कि तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा किए जाने वाले नियतनों का 75 प्रतिशत, बैरल विनिर्माताओं द्वारा तेल कम्पनियों को सप्लाई किए जाने वाले बैरलों के निर्माण के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

उत्पादन विवरणिओं की एक प्रणाली भी तैयार की गई थी, जिसके अन्तर्गत बैरल निर्माताओं को, उनके द्वारा प्राप्त किये गए कच्चे माल के उपयोग की त्रैमासिक विवरणियां तकनीकी विकास महानिदेशालय को प्रस्तुत करनी होंगी। प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी 85 वीं

रिपोर्ट के पैरा 2.122 में की गई सिफारिशों के अनुसार इन विवरणियों की और जाँच की जायेगी। यह प्रणाली अब लागू है।

भारतीय तेल निगम द्वारा बैरल व्यापार

7328. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 12 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1063 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम को बैरल के व्यापार में 58·36 लाख रुपये का लाभ हुआ है जैसा कि उन्होंने दावा किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो लाभ के ये आँकड़े किस आधार पर तैयार किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). बम्बई में भारतीय तेल निगम की बैरल संबंधी पूर्वानुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उक्त निगम ने 9 लाख बैरलों की सप्लाई हेतु मुहरबंद सरकारी टेण्डर जनवरी, 1971 को आमंत्रित किये थे।

इन मुहरबंद टैण्डरों में जो टैण्डरकर्त्ताओं की उपस्थिति में 25 जनवरी, 1971 को खोले गये थे, उद्धृत (दिये गये) दरों के आधार पर, भारत बैरल्स के मुहरबंद टैण्डरकृत कथित मूल्य (कोटेशंस) की तुलना में मैसर्स स्टील कन्टेनर्स के उद्धृत न्यूनतम दरों को स्वीकार करने पर, निगम को लगभग 58·36 लाख रुपये का लाभ हुआ। अतः स्टील कन्टेनर्स को आदेश (आर्डर) दिये गये।

इसके परिणामस्वरूप भारतीय तेल निगम को होने वाले वित्त संबंधी लाभ निम्नलिखित हैं :—

(1) आयातित इस्पात से 6 लाख बैरलों के निर्माण मूल्य में 10·80 लाख रुपये का लाभ (भारत बैरल्स और स्टील कन्टेनर्स को टैण्डरकृत दरों में प्रति बैरल 1·80 रुपये का अंतर था)।

(2) देशीय इस्पात से 3 लाख बैरलों की कुल लागत में 39·06 लाख रुपये का लाभ (स्टील कन्टेनर्स के प्रतिबैरल 54·94 रुपये मूल्य की तुलना में भारत बैरल्स ने प्रति बैरल 67·96 रुपये उद्धत किए)।

(3) 6 लाख बैरलों के निर्माण के लिए भारतीय तेल निगम के आयातित इस्पात के प्रयोग के कारण बचत से 8·50 लाख रुपये का लाभ (भारत बैरल्स ने भारतीय तेल निगम के आयातित इस्पात में से प्रति मीटरी टन से 38 बैरल के निर्माण की तुलना में केवल स्टील कन्टेनर्स ने प्रति मीटरी टन से 39 बैरलों के निर्माण की पेशकश की)। यह बचत विदेशी मुद्रा में है।

निर्माताओं को अलाट की गई इस्पात चादरों में से उनके द्वारा निर्मित बैरलों का आबंटन

7329. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 12 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1063 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा लगाई गई इस शर्त को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि निर्माताओं को अलाट की गई इस्पात चादरों में से उनके द्वारा निर्मित 75 प्रतिशत बैरल तेल कम्पनियों को आवश्यक सप्लाई किये जाने चाहिए;

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं, विशेषकर जब प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस संबंध में सिफारिश की है; और

(ग) क्या अपनाई जा रही नीति से पक्षपात किये जाने वाले कुछ कारखाने एक पारी से अधिक पारियों में काम करेंगे जबकि अन्य कारखाने अपनी क्षमता का भी प्रयोग नहीं कर सकेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). प्राक्कलन समिति (चौथी लोक सभा) ने अपनी 85 वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 2.119,2.120 तथा 2.122 में बैरल उद्योग को कच्चे माल के नियतन के विषय का उल्लेख किया था। इन तीन पैराग्राफों का उद्धरण (एक्सट्रैक्ट) तुरन्त संदर्भ के लिए संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—834/77.]** प्राक्कलन समिति की सिफारिश का प्रवर्तनशील अंश, पैराग्राफ 2.120 का अन्तिम वाक्य है जिसे निम्न प्रकार पढ़ा जाए :

"इस संबंध में सरकार द्वारा अन्तिम रूप में तय की जाने वाली व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि विनिर्माताओं द्वारा तेल कम्पनियों को बैरलों की सप्लाई उचित दरों, अपेक्षित मात्राओं तथा यथासमय की जाती है ताकि अन्तिम प्रयोगकर्त्ताओं को लूब आयल की अबाध्य सप्लाई सुनिश्चित हो।"

उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसार 18-12-69 को औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा एक अन्तर-मंत्रालीय बैठक गठित की गई थी जिसमें पेट्रोलियम विभाग और अर्थ-विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उक्त बैठक में लिये गए निर्णयों के परिणामस्वरूप बैरल-निर्माताओं पर एक शर्त लगाई गई थी कि तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा किये जाने वाले आबंटनों का 75 प्रतिशत, बैरल विनिर्माताओं द्वारा तेल कम्पनियों को सप्लाई किए जाने वाले बैरलों के निर्माण के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

उत्पादन विवरणियों की एक प्रणाली भी तैयार की गई थी, जिसके अन्तर्गत बैरल निर्माताओं को, उनके द्वारा प्राप्त किये गए कच्चे माल के उपयोग की त्रैमासिक विवरणियाँ तकनीकी विकास महानिदेशालय को प्रस्तुत करनी पड़ेंगी। प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी 85वीं रिपोर्ट के पैरा 2.122 में की गई सिफारिशों के अनुसार इन विवरणियों की और जाँच की जायेगी। यह प्रणाली अब भी लागू है।

(ग) पक्षपात किए जाना वाला यूनिट जैसी कोई बात नहीं है। सामान्य रूप में भारतीय तेल निगम, टैण्डर-कर्त्ताओं के समक्ष खोले गए प्रतियोगी मुहरबन्द टैण्डरों के आधार पर बैरलों के लिए अपने आर्डर (आदेश) देता है। इसी प्रकार विदेशी तेल कम्पनियाँ भी अपने वाणिज्यक लाभों को ध्यान में रखते हुए आदेश देती हैं। जब तक युक्त प्रतियोगिता विद्यमान है, तब तक उन यूनिटों की जो प्रतियोगी के रूप में आने में असमर्थ हैं, तुलनात्मक रूप में कम व्यापार मिलेगा।

बंगला देश के शरणार्थियों में ब्रिटिश पासपोर्ट धारी

7330. **श्री चित्तिबाबू** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के शरणार्थियों में से ऐसे कितने हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं;

(ख) क्या ब्रिटेन ने इन शरणार्थियों को लेना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनको ब्रिटेन भेजने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

बम्बई में नौसेना के सिविल कर्मचारियों के काम के घंटे

7331. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको नौसेना के सिविल कर्मचारियों द्वारा उनके काम के घंटों में 9·30-17·00 से 7·00-16·00 में परिवर्तित करने के एडमिरल सुपरिन्टेन्डेन्ट के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किये जाने के बारे में पता है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). जी, नहीं। तथापि नैवल डौकयार्ड तथा इसकी स्थापनाओं की दो पालियों के समय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव निम्न प्रकार से विचाराधीन है :

	वर्तमान समय	**प्रस्तावित समय**
पहली पाली		
सोमवार से शुक्रवार तक	08·30 से 13·15 तक	सब दिन 07·30 से 12·00 तक
	15·15 से 14·00 तक	12·00 से 12·30 तक
	(ब्रेक)	(ब्रेक)
	14·00 से 17·15 तक	12·30 से 15·30 तक
शनिवार	08·30 से 13·30 तक	

दूसरी पाली

सोमवार से शुक्रवार तक	21·30 से 01·30 तक	सब दिन 15·15 से 19·45 तक
	01·30 से 02·00 तक	19·45 से 20·15 तक
	(ब्रेक)	(ब्रेक)
	02·00 से 04·50 तक	20·15 से 23·15 तक
शनिवार	18·00 से 22·40 तक	

Inscription of Murals and Other Works at Rajghat Samadhi and Shanti Vana, Delhi

7332. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 17 on the 24th May, 1971 and state :

(a) the time by which the work of inscription of murals and selected works of Mahatma Gandhi at Rajghat is expected to be completed;

(b) the progress made so far in the work of raising the level of South Eastern part of the Shanti Vana;

(c) whether the work on the 5th and 6th mounds has since been started; and

(d) if so, the progress made so far in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) The question of putting up murals is under consideration of the Rajghat Samadhi Committee whose decision is awaited. On receipt of the Committee's decision the work will be taken in hand.

(b) 75% of the work has been completed.

(c) Yes, please.

(d) *Mound 5 :* 15% of the work has been completed.
Mound 6 : 32% of the work has been completed.

ध्रुवक और चिल्का पर काम करने वाले व्यक्तियों को समयोपरि भत्ते का न दिया जाना

7333. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1970 में भारी जोखिम तथा कठिनाइयों में पोरबन्दर में एस० एस० अमपुरिया से भट्टी का तेल निकालने का कार्य के लिए तैनात ध्रुवक तथा चिल्का जलपोतों पर काम करने वाले व्यक्तियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : संबंधित व्यक्तियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी के

लिए आम नियमों में व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए सरकार की विशेष मंजूरी आवश्यक थी और इसे बाद में दे दिया गया है।

बम्बई में डाकयार्ड सहकारी बैंक के धन का तथाकथित दुर्विनियोग

7234. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में डाकयार्ड सहकारी बैंक के एक लाख तीस हजार रुपये का दुर्विनियोग किया गया है; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नौसैनिक डाकयार्ड औद्योगिक कैंटीन, बम्बई के लेखों के लेखा परीक्षित विवरण का तैयार किया जाना

7335. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसैनिक डाकयार्ड औद्योगिक कैंटीन, बम्बई की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति को देखते हुए वर्ष 1970-71 के लेखों का लेखापरीक्षित विवरण तैयार करने में प्राधिकारी असफल रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, नहीं। नैवल डाकयार्ड इंडस्ट्रीयल कैंटीन, बम्बई के 1970-71 वर्ष के लेखे का निरीक्षण चारटर्ड एकाउन्टेंटों के द्वारा किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति

7336. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली के अधिकृत पदाधिकारी तथा सामान्य सदस्यों के नाम और पते क्या हैं;

(ख) समिति ने प्रत्येक सदस्य से कितनी राशि एकत्र की है तथा सरकार को कुल कितनी अदा की है तथा समिति को कुल कितने मूल्य की भूमि दी गई है; और

(ग) उन सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी शेयर सर्टिफिकेट, पास बुक आदि दिये जाने हैं और उन्हें अब तक सर्टिफिकेट, पास बुक आदि न दिये जाने के क्या कारण हैं तथा यह कार्य कब तक किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति के सदस्यों को प्लाटों का आबंटन

7337. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**
डा० कर्णी सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति के जिन सदस्यों को प्लाट दिये गये हैं उनके नाम तथा पते क्या हैं, और क्या समिति ने सारे प्लाटों का आबंटन कर दिया है; और यदि नहीं, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा;

(ख) समिति को किन शर्तों पर भूमि दी गई थी और समिति द्वारा भूमि का विकास तथा सदस्यों को इसका आबंटन कब तक किया जाना था;

(ग) क्या कालोनी, जिसको समिति बनाना चाहती है, का नक्शा दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा मंजूर कर दिया गया है; और

(घ) क्या समिति ने भूमि का पूरा भुगतान कर दिया है; और यदि नहीं, तो उनकी ओर कितनी राशि बकाया है और उसका भुगतान उन्हें कब तक करना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार निर्धारित पद्धति के अनुकूल दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सदस्यों को प्लाटों का आबंटन नहीं किया गया है । आबंटन के शीघ्र ही किये जाने की आशा है ।

(ख) सोसाइटी भूमि के विकास को जून, 1973 के अन्त तक पूरा करने की आशा करती है । सदस्यों को प्लाटों के आबंटन का प्रश्न विकास कार्य के पूरा होने तथा सोसाइटी द्वारा रिहायशी प्लाटों के संबंध में सोसाइटी के नाम चिर-स्थायी पट्टे निष्पादित करने के बाद ही केवल उठेगा ।

एक विवरण जिन शर्तों पर सोसाइटी को भूमि का आबंटन किया गया था, संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—835/71.]**

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सोसाइटी ने लेखे के आधार पर 12,39,815·00 रुपये इस शर्त पर अदा कर दिये हैं कि चिरस्थायी पट्टे के निष्पादित होने से पहले कालोनी के विकास पूरा होने पर उसका समायोजन हो जाए ।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली में कथित अनियमितताएं

7338. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**
डा० कर्णी सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति, दिल्ली के किस वर्ष तक के खातों की लेखापरीक्षा हो गई है;

(ख) लेखापरीक्षा के दौरान क्या अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ग) इन अनियमितताओं के लिये समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) समिति के लेखापरीक्षकों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों की तथा उसके पश्चात् वर्ष 1970-71 के वर्षों की आय-व्यय का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह-निर्माण समिति के सदस्यों और प्रबन्धकों के बीच विवाद

7339. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :**
डा० कर्णी सिंह :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली के उन दो दलों में कोई विवाद था जिन्होंने स्वयं को अधिकृत पदाधिकारी घोषित किया था और इस संबंध में न्यायालय में भी मुकदमा दायर किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो न्यायालय ने क्या फैसला दिया था तथा समिति के कार्यों का निपटान करने के लिये किस दल को पूर्ण अधिकार दिया गया था;

(ग) यदि मामला अभी भी न्यायालय में अनिर्णीत है, तो क्या न्यायालय ने दोनों दलों

के सदस्यों से कोई धन इकट्ठा न करने तथा समिति के खाते से कोई राशि न निकालने के संबंध में कोई आदेश जारी किये हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या समिति अथवा इसके पदाधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में कोई अन्य मामले भी अनिर्णीत पड़े हैं; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भर्ती कार्यालयों के माध्यम से सेना में भर्ती का तरीका

7340. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी क्षेत्र विशेष में स्थित भर्ती कार्यालयों के माध्यम से सेना में भर्ती के ढंग क्या हैं;

(ख) क्या बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए भर्ती करने वाले किसी दल ने गत दो वर्षों में सहरसा जिले का दौरा नहीं किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) उम्मीदवार भर्ती कार्यालयों में भर्ती के लिये रिपोर्ट करते हैं । इसके अतिरिक्त भर्ती करने वाले दल भी भर्ती करते हैं, उन्हें भीतरी भागों का दौरा करने के लिए अनुदेश हैं ।

(ख) यह सच है कि किसी भी भर्ती करने वाले दल ने गत दो वर्षों में सहरसा का दौरा नहीं किया है ।

(ग) कारणों को सुनिश्चित किया जा रहा है तथा सदन के पटल पर रख दिये जाएँगे ।

स्थल सेना के रिजर्व अफसरों के वेतनमान

7341. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल सेना में रिजर्व अफसरों के वेतनमान क्या हैं; और

(ख) सरकार रिजर्व के अफसरों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नियमित रिजर्व अफसरों (सामान्य सेवा) को निम्नलिखित प्रतिधारण फीस मिलती है :

क्लास 'ए'	400 रुपये प्रति वर्ष
क्लास 'बी' } क्लास 'एस' }	200 रुपये प्रति वर्ष
क्लास 'एक्स'	कोई नहीं

रिजर्व अफसर जब सेवा के लिए बुलाये जाते हैं तब सामान्यतया उन्हें रेंक के वेतन और भत्ते मिलते हैं, जैसे सेना के नियमित अफसर को ग्राह्य होते हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सिविल कर्मचारियों को जो क्लास 'ए', 'बी' तथा 'एस' के होते हैं और यदि उन्हें सिविल के वेतन और भत्ते सेना के वेतन और भत्तों की अपेक्षा अधिक अनुकूल होते हैं तो ऐसे मामले में उनके सिविल वेतन का संरक्षण दिया जाता है। क्लास 'एक्स' अफसर जिन्हें पेंशन मिलती है, सेवा के लिए पुनः बुलाए जाने की अवधि में पेंशन मिलना बन्द हो जाता है।

(ख) 1 मार्च, 1968 से 'ए' क्लास के रिजर्व अफसरों की प्रतिधारण फीस को 300 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ा कर 400 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है।

अभी प्रतिधारण फीस की दर को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बिहार रेजीमेंट में आदिवासी और संथाल लोगों की भर्ती

7342. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार रेजीमेंट में सिपाही के पदों पर केवल आदिवासी और संथाल लोगों को ही भर्ती किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, सारे बिहारी और उड़िया जिनमें संथाल और आदिवासी शामिल हैं, बिहार रेजीमेंट में भर्ती के लिए योग्य हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा पुलिस द्वारा त्रिपुरा सरकारी प्रेस की सामग्री का कथित पकड़ा जाना

7343. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा पुलिस ने हाल ही में त्रिपुरा सरकार प्रेस की सामग्री से लदा एक ट्रक पकड़ा था;

(ख) क्या प्रेस अधीक्षक बिना किसी अधिकार के ही इस सामग्री को कलकत्ते की एक फर्म को भेज रहा था; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रेस के अधीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). भ्रष्टाचार-निरोधी शाखा द्वारा 19–7–1971 को कुछ प्रेस-सामग्री का वजन किया गया था तथा उसे प्रेस-अधीक्षक द्वारा अनधिकृत रूप से प्रेस-सामग्री बेचने के आरोप के संबंध में पूछताछ करने के लिए उप-पुलिस अधीक्षक की अभिरक्षा में रखा गया।

(ग) मामला जाँचाधीन है।

जी० बी० अस्पताल, अगरतल्ला का विस्तार

7344. **श्री बीरेन दत्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने अगरतल्ला स्थित जी० बी० अस्पताल का तुरन्त विस्तार किये जाने की माँग की है;

(ख) क्या यह माँग भी की गई है कि आपात स्थिति के लिए टैन्ट लगा कर आवास की व्यवस्था की जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (ग). जी, हाँ । बंगला देश से काफी संख्या में विस्थापितों के आने से पलंगों के लिए अतिरिक्त आवास की व्यवस्था करनी आवश्यक हो गई है । इस तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए टैन्ट लगाये गये हैं ।

Conversion of Single Room Class IV Quarters into Double Room Quarters in New Delhi

7345. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to convert single-room Class IV quarters at Sewa Nagar and other places in New Delhi into double-room quarters with the provision of shutter on the ventilators in order to prevent rain water entering the rooms; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) No, Sir.

(b) As single room quarters are pretty old, conversion of those quarters into double room quarters will be structurally difficult. However, in all new construction two rooms are being provided in Type I quarters.

Night Duty Allowance for Employees of C. G. H. S. in Delhi

7346. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether the employees put on Night Duty in the C. G. H. S. Dispensaries in Delhi have to perform 12 to 14 hours duty and Night Allowance is not paid to them;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government are providing for the payment of Night Duty Allowance to the said employees on the pattern of the Central Government employees ?

THE MINISTER FOR HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT) : (a) to (c). The following two categories of employees are required to perform night duty in C. G. H. S. Dispensaries :

(i) Male Medical Officers who are placed on night duty in the "Functioning" (day and night) Dispensaries. These officers are put on night duty by rotation. Depending on the number of dispensaries in the area catered by a Functioning Dispensary and the number of doctors in such dispensaries, a doctor is likely to be called upon to perform night duty once in six to eight weeks.

While on night duty, he only attends to/pays domiciliary visits in cases of emergency.

The doctor is normally given a day off after he puts in night duty. The question of giving night duty allowance to doctors on the pattern of the administrative staff does not arise.

(ii) Chowkidars are on watch and ward duty in the Dispensaries from 7-30 P. M. upto 7 A. M. in Summer and upto 8 A. M. in Winter.

Night duty is a condition of their service as is elsewhere and the question of giving them Night Duty allowance does not arise.

शिमला मेडिकल कालेज को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना

7347. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिमला मेडिकल कालेज को हिमाचल प्रदेश सरकार से अपने नियंत्रण में लेने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समय मेडिकल कालेज में प्रोफेसरों और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय इस चिकित्सा कालेज में 8 प्राध्यापक और 261 छात्र हैं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लाभ में कमी

7348. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष 1969-70 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का लाभ कम हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो कितना लाभ या हानि हुई है; और

(ग) इसके क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का लाभ वर्ष 1968-69 में 1293·14 लाख रुपये से घटकर 1969-70 में 1070·37 लाख रुपये रह गया था। कुल मिलाकर 222·77 लाख रुपये की कमी हुई। इस कमी का पहला कारण यह था कि उन क्षेत्रों से जहाँ व्यापारिक उत्पादन इस वर्ष आरम्भ हुआ था, वित्तीय लाभ इतना नहीं हुआ जिससे कि अन्वेषण और विकास पर होने वाले व्यय में वृद्धि, जिसे आलोच्य वर्ष में बट्टे खाते में डाला गया, को पूरा किया जा सके और दूसरा कारण था बोनस/अनुग्रह-पूर्वक भुगतान में वृद्धि।

दिल्ली में कोढ़ से पीड़ित भिखारी

7349. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कोढ़ से पीड़ित भिखारियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी रोकथाम तथा उनके उपचार हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अमरीकी दूतावास द्वारा जारी किया गया वक्तव्य

7350. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जुलाई, 1971 के 'पेट्रियाट' में 'इण्डिया जस्ट फस्पि' शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने भारत स्थित अमरीकी दूतावास को ऐसे वक्तव्य जारी करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) अमरीकी दूतावास द्वारा प्रेस रिपोर्ट की तरह का ऐसा कोई औपचारिक वक्तव्य सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

नासिक में औजूर स्थित मिग फैक्टरी द्वारा पंचायत कोकर का भुगतान

7351. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नासिक जिले में औजूर स्थित मिग फैक्टरी ने पंचायत को कर का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाना है;

(ग) कर का भुगतान अब तक न किये जाने का क्या कारण है; और

(घ) उक्त राशि का भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). महाराष्ट्र सरकार को गाँव की पंचायत द्वारा बिना समपरिमाण सेवा के भारी कर लगाए जाने के विषय में एक प्रतिवेदन दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि 1968-69 से 1971-72 के चार वर्षों के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को 30 सितम्बर, 1971 से पहले 6 लाख रुपये की एकमुश्त राशि की अदायगी करनी है। गाँव की पंचायत को 1 लाख रुपये की अदायगी पहले ही की जा चुकी है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा शेष 5 लाख रुपयों की अदायगी 30 सितम्बर, 1971 से पहले कर दी जायेगी।

नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में विधेयक

7352. **श्री के० मालन्ना** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते हुए असंतुलन का मुकाबला करने के लिए नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने हेतु विधेयक लाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और गोआ, दमन और दीव के संघ क्षेत्रों में नगरीय सम्पत्ति पर सीमा लागू करने के एक एक से केन्द्रीय कानून के केन्द्र के सुझाव से सहमति प्रकट की है। महाराष्ट्र सरकार ने यह सूचित किया है कि वे भी इस मामले में यथासंभव शीघ्र कानून बनाने के हक में है। तथापि, उन्होंने कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर संकेत किया है जिन पर शीघ्र विचार किया जाना है ताकि कानून को पेश किया जा सके। शेष राज्य सरकारों से अन्तिम उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है। उन्हें स्मरण करा दिया गया है।

कोचीन तेलशोधक कारखाना चालू होने से लेकर अब तक फिलिप्स कम्पनी द्वारा लाभ की राशि को स्वदेश भेजा जाना

7353. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन तेल शोधक कारखाना चालू होने के बाद फिलिप्स कम्पनी ने अपने हिस्से के लाभ की कुल कितनी राशि अमेरिका को भेजी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) गत तीन वर्षों में फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी को निम्नलिखित लाभाशों (कटौती किये गये आय कर को घटाने के पश्चात् घोषित किया गया सकल लाभांश) का भुगतान किया गया है तथा उक्त कम्पनी ने शुद्ध राशि भेजी है :

वित्तीय वर्ष	भेजी गई शुद्ध राशि रुपये
1967-68	29,33,270·00
1968-69	29,33,270·00
1969-70	29,15,287·00

(ख) सरकार और फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी के बीच हुए समझौते के अनुसार यह धनराशि भेजी गई है ।

कोचीन तेल शोधक कारखाने में विदेशी

7354. **श्री वयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन तेल शोधक कारखाने में काम कर रहे विदेशियों की संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : केवल चार ।

विदेशों में भारतीय उच्चायुक्तों में कर्मचारी

7355. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश** मंत्री लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बारे में 28 जून, 1971 के अतारांतिक प्रश्न संख्या 3285 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश स्थित भारतीय उच्चायुक्तों के कार्यालयों में देश-वार कितने कर्मचारी काम करते हैं; और

(ख) क्या अधिकारियों की संख्या कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) लंदन में कर्मचारियों से संबद्ध एक विवरण 28 जून, 1971 को सदन की मेज पर रखा गया था । अन्य हाई कमीशनों से संबद्ध एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) उपर्युक्त सभी भारतीय हाई कमीशनों में कर्मचारियों की संख्या घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इनमें विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की आवश्यकताओं की विदेश मंत्रालय द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है और कार्यदक्षता तथा बचत को ध्यान में रखते हुए फेर-बदल की जाती है ।

विवरण

भारत के हाई कमीशनों में कर्मचारियों की संख्या
(भारत का हाई कमीशन लंदन के अलावा)

क्रम सं०	देश का नाम	भारत आस्थानीय		स्थानीय	कुल
		राजपत्रित	अराजपत्रित		
1.	आस्ट्रेलिया (कैनबरा)	6	8	11	25
2.	आस्ट्रेलिया (सिडनी)	2	4	4	10
3.	कनाडा (ओटावा)	8	11	17	36
4.	श्रीलंका (कोलम्बो)	17	22	75	114
5.	श्रीलंका (कैंडी)(क)	3	8	31	42
6.	फिजी (सूवा)	2	3	7	12
7.	घना (अक्रा)	6	9	23	38
8.	गुयाना (जार्ज टाउन)	3	1	6	10
9.	कीनिया (नैरोबो)	9	13	32	54
10.	मलेशिया (कुआलालम्पुर)	9	11	48	68
11.	यलावी (ब्लेन्टायर)	3	2	4	9
12.	मारिशस (पोर्ट लुई)	5	6	16	27
13.	न्यूजीलैंड (वैलींग्डन)	3	2	2	7
14.	नाइजीरिया (लागोस)	5	10	19	34
15.	पाकिस्तान (करांची) (क)	10	96	20	126
16.	पाकिस्तान (इस्लामाबाद)	14	80	17	111
17.	पाकिस्तान (ढाका) (ख)	16	84	26	126
18.	सिंगापुर	7	11	29	47
19.	तंजानिया (दारे-स-स्लाम)	9	8	13	30
20.	ट्रिनिडाड (पोर्ट आफ स्पेन)	4	6	12	22
21.	उगांडा (कम्पाला)	4	4	9	17
22.	जम्बिया (लुसाका)	7	6	5	18
		152	405	426	983

(क) सहायक हाई कमीशन

(ख) उप हाई कमीशन

चकरी हवाई अड्डे से मिग विमान की बैटरियों की चोरी

7356. **श्री दयालार रवि :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई मास में चकरी हवाई अड्डे से मिग विमान की 14 बैटरियों की चोरी हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस चोरी में वायु सेना के कितने कर्मचारियों का हाथ था; और

(ग) वायु सेना के भण्डारों में चोरियाँ रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 18-19 जुलाई, 1971 की रात को एयर फोर्स स्टेशन, चकरी से 14 मिग बैटरियाँ, बैटरी चार्जिग कमरे से चोरी गई थीं । वह बैटरियाँ अब प्राप्त कर ली गई हैं । 14 बैटरियों में से 4 को ठीक पाया गया, किन्तु शेष में से सिलवर प्लेटें निकाल ली गई थीं ।

(ख) चोरी में वायुसेना का एक कारपोरल फँसा है । वह दो अन्य सिविलियनों (जो वायु सेना के कर्मचारी नहीं हैं) के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है ।

(ग) सुरक्षा के पहलू को देखने के लिए जाँच अदालत को गठित करने का आदेश दे दिया गया है तथा उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है । सिफारिशों के प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी । उसी बीच में सुरक्षा की व्यवस्था को पुलिस की गश्त बढ़ा कर समग्र रूप से कड़ा कर दिया गया है । बाड़ के निकट एक पुलिस चौकी स्थापित कर दी गई है ।

दिल्ली में गैर-सरकारी इमारतों में सरकारी उपक्रमों के अधिकारी

7357. **श्री पी० एंथनी रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी उपक्रमों ने दिल्ली में अपने अधिकारियों को गैर-सरकारी इमारतों में जगह दी है;

(ख) इसके लिए प्रति मास कुल कितनी धनराशि दी जाती है; और

(ग) 31 मार्च, 1971 तक इमारत के मालिकों को कुल कितनी धनराशि दी गई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों के कब्जे में क्वार्टर

7358. **श्री पी० एंथनी रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी क्वार्टर सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों के कब्जे में हैं; और

(ख) कितने सरकारी क्वार्टरों में अलाटियों द्वारा आगे रखे गये किरायेदारों को अलाटी की मृत्यु के बाद क्वार्टर में रहने की अनुमति दी गई ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में 232 रिहायशी एकक सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों के दखल में हैं ।

(ख) आबंटी की मृत्यु होने पर, उप-किरायेदार को दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल के किसी वास को रखने की अनुमति नहीं दी गई है ।

विदेशों में भारतीय राजनयिक प्रतिनिधि

7359. **श्री पी० एंथनी रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे भारतीय उच्चायुक्तों तथा राजदूतों की संख्या कितनी है जो कि सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : तीन ।

भारत स्थित विदेशी मिशनों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ

7360. **श्री पी० एंथनी रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित प्रत्येक विदेशी मिशन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्र-पत्रिकाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) ये किन भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें भारत में विदेशी मिशनों द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की संख्या एवं उनकी भाषाओं की जानकारी दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—836/71.**]

इनमें से दो मिशनों की अपेक्षित सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएँ

7361. **श्री पी० एंथनी रेड्डी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित प्रत्येक भारतीय मिशन कितने पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है; और

(ख) ये पत्र-पत्रिकाएँ किस-किस भाषा में प्रकाशित होती हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—837/71.]**

भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन-पत्र देने हेतु समयावधि को बढ़ाना

7362. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के ऐसे व्यक्तियों ने जिन्होंने पहले श्रीलंका की नागरिकता के लिए आवेदन-पत्र दिये थे, श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त से इस बात का स्पष्टीकरण माँगा है कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन-पत्र देने की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी क्या वे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन-पत्र दे सकते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार समयावधि को बढ़ायेगी; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो कब तक के लिए समयावधि को बढ़ाया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस प्रकार के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ।

(ख) और (ग). सरकार का यह विचार है कि जो आवेदन-पत्र पहले ही प्राप्त हो चुके हैं उनकी जाँच पहले की जाए, जिससे 1964 करार के क्रियान्वयन की दिशा में अवाध गति से प्रगति हो । यह करार कई वर्षों तक चलता रहेगा, अत: इस मामले पर यथासमय ध्यान दिया जाएगा ।

बंगला देश के शरणार्थियों के शिविरों में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों का तैनात किया जाना

7365. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने बंगला देश से आये शरणार्थियों के शिविरों में अपने प्रेक्षक तैनात करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भारत सरकार और पाकिस्तान मरकार के नाम एक स्मारक पत्र, दिनांक 19 जुलाई, 1971 में यह सुझाव दिया कि शरणार्थियों के सुरक्षित तथा व्यवस्थित ढंग से और अपनी इच्छा से पूर्वी बंगाल लौटने का काम आसान बनाने के लिये, दोनों सीमाओं पर, (भारत-पूर्वी बंगाल) शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर के कार्यालय से सीमित संख्या में प्रेक्षक रखे जाने पर वे दोनों सरकारें सहमत हों।

(ख) भारत सरकार ने 2 अगस्त, 1971 को महासचिव के प्रस्तावों का उत्तर दिया, जिस में यह कहा गया कि इस प्रकार के प्रेक्षकों के रखने से पूर्वी बंगाल, अपने घर में, लौटने के लिए शरणार्थियों में आवश्यक विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार का विश्वास उत्पन्न करने के लिए एक मात्र रास्ता यह है कि पूर्वी बंगाल की जनता तथा उनके निर्वाचित नेताओं की इच्छाओं के अनुसार, पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक प्राधिकारी, पूर्वी बंगाल की स्थिति के लिए कोई राजनीतिक समाधान ढूढ़ निकालें। यह बतलाया गया कि संयुक्त राष्ट्र के कार्मिकों के रखने की आवश्यकता अगर है भी तो वह पूर्वी बंगाल के आन्तरिक हिस्सों में है, जिससे उस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिति सामान्य बनाने तथा सुरक्षा की विश्वसनीय गारंटी के साथ शरणार्थियों को लौटने में समर्थ बनाने के लिए पश्चिम पाकिस्तान के प्राधिकारियों के सच्चे प्रयासों का सुनिश्चय हो सके। इस तथ्य की ओर महासचिव का ध्यान दिलाया गया कि भारत ने अपनी भूमि पर संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों के वास्तविक रूप से रहने की अनुमति दी। नई दिल्ली स्थित शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के हाई कमीशन के कार्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें शरणार्थी-शिविरों में आने-जाने की छूट है। इनके अतिरिक्त जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लगभग 1,000 से अधिक विदेशी प्रेक्षकों ने इन शरणार्थी शिविरों का दौरा किया है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि घर लौटने से किसी भी शरणार्थी को भारत रोक नहीं रहा है। जिस ढंग से भारत सरकार इन शिविरों को चला रही है, उसकी उन्होंने सराहना की है। इस संदर्भ में यह समझा गया कि भारतीय सीमा पर संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों के रखने से कोई लाभ नहीं होगा। सच तो यह है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों के रखने से यह परिणाम निकलेगा कि पूर्वी बंगाल की स्थिति को गलत ढंग से भारत और पाकिस्तान का विवाद समझा जाएगा, और इस प्रकार लोगों का ध्यान समस्या के उस मूल कारण से हट जाएगा, जो पूर्वी बंगाल में सैनिक प्राधिकारियों की दमनकारी नीतियाँ हैं और जनमत तथा उनके मौलिक और मानवीय अधिकारों की अवहेलना है। अतः भारत सरकार ने यह बतलाया है कि अगर इस बात का परोक्षरूप से भी यह संकेत मिलेगा कि वह शरणार्थियों को घर लौटाने से रोक रहा है तो वह इस पर अपनी नाराजगी प्रकट करेगी।

दिल्ली में 'आवास तथा गंदी बस्ती' संबंधी विशेषज्ञ समिति

7366. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आवास और गन्दी बस्ती के बारे में एक विशेषज्ञ समिति ने अध्ययन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अध्ययन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) सरकार ने दिल्ली में आवास और गन्दी बस्तियों पर हाल ही में विशेषज्ञ द्वारा अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं की है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली के अस्पतालों में औषधियों की कमी

7367. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान स्थानीय समाचार-पत्रों में प्राय: रोजाना छप रहे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के अस्पतालों में इस समय औषधियों की कमी है;

(ख) क्या दिल्ली के अस्पताल उनके लिये निर्धारित अनुदान राशि के अधिकांश को पहले ही खर्च कर चुके हैं और शेष अवधि के लिए औषधियाँ तथा उपकरण खरीदने के लिए उनके पास अब बहुत ही थोड़ी राशि बची है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और क्या उसका विचार दिल्ली के अस्पतालों के लिये और अधिक राशि मंजूर करने का है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) से (ग). सरकार ने इन समाचारों को देखा है ।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में औषधियों की कमी नहीं है तथापि, दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों में औषधियों की कुछ कमी है ।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि जहाँ कहीं अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी उसकी 1971-72 के संशोधित बजट में व्यवस्था करदी जाएगी ।

"रैबीज़" रोग के उपचार के लिये टीकों की भारी कमी

7368. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में उन टीकों की अत्यधिक कमी है जो "रैबीज़" रोग के उपचार के लिये उपयोग में लाया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इन टीकों की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में फिलहाल, "रैबीज़" रोग के उपचार के लिये टीकों की कमी नहीं है ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

चीनियों द्वारा चुम्बी घाटी में लम्बी दूरी तक मार करने वाली बन्दूकों का लगाया जाना

7369. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम की सीमा पर स्थित चुम्बी घाटी में चीनियों ने लम्वी दूरी तक मार करने वाली बन्दूकें लगा रखी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये बन्दूकें भारतीय सीमावर्ती जिले में दार्जिलिंग तक मार करने की स्थिति में हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

कोसीपुर स्थित जी० एस० फैक्टरी में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

7370. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसीपुर स्थित जी० एस० फैक्टरी के दो कर्मचारी हाल ही में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से मारे गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 18 जुलाई, 1971 की रात्रि को गन शैल फैक्टरी के एक कर्मचारी पर एक पुलिस सिपाही ने गोली चलाई जिससे 19 जुलाई, बहुत सवेरे उसकी मृत्यु हो गई । 20-7-71 की रात्रि को इन्सपेक्टोरेट आफ आर्मामेन्ट के एक कर्मचारी को अज्ञात व्यक्ति (यों) द्वारा छुरा घोंपने से अपने घर के निकट मृत पाया गया ।

(ख) काशीपुर स्थित गन एण्ड शैल फैक्टरी के कर्मचारी की मृत्यु से संबंधित तथ्य यह है कि वह अपने एक मित्र के साथ बीबी बाजार स्थित रेस्टोरेन्ट में 11 बजे रात्रि को गया । दो अन्य व्यक्ति, जो सादा पोशाक में पुलिस के सिपाही थे, वहाँ उपस्थित थे । जबकि वे सब

शराब पी रहे थे और नशे में थे तब तक बहस शुरू हो गयी जिसमें एक सादा वस्त्र पहने सिपाही ने गन शैल फैक्टरी के कर्मचारी पर गोली चलाई, उसे बाद में अस्पताल ले जाया गया जहाँ दूसरे दिन 19 जुलाई को प्रातः उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा व्यक्ति जो फैक्टरी का कर्मचारी नहीं था, उस पर भी गोली चलाई गई थी और उसकी मृत्यु घटना स्थल पर हो गयी। सिपाही के विरुद्ध धारा 302/207/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है जिसकी संख्या काशीपुर पुलिस स्टेशन संख्या 228 दिनांक 19-7-71 है।

उत्तर प्रदेश में संस्थाओं/कालेजों/स्कूलों को आबंटित फालतू सैनिक गाड़ियाँ

7371. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान काकोरी शहीद शिक्षा संस्था, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, काकोरी शहीद हाई स्कूल, मिरानपुर कटरा, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, काकोरी शहीद हाई स्कूल, खुतार, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश और काकोरी शहीद इण्टर कालेज, जलालाबाद, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश को फालतू सैनिक गाड़ियों के कोटे से कितनी गाड़ियाँ आबंटित की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : गत तीन वर्ष की अवधि में, काकोरी शहीद एजूकेशन सोसाइटी शाहजहाँपुर, को उस सोसाइटी द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए, 2 जीप और एक ट्रक आबंटित किये गये।

मंगलौर उर्वरक कारखाना

7372. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर पत्तन परियोजना क्षेत्र के समीप एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा इस उद्देश्य के लिये विशाल भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) उक्त कारखाने के अब तक बन कर तैयार न हो जाने के क्या कारण हैं;

(ग) श्रमिकों को रोजगार देने की दृष्टि से इस कारखाने की क्षमता कितनी है; और

(घ) इस कारखाने पर मदवार अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हाँ। बताया जाता है कि प्रायोजना के लिए लगभग 315 एकड़ अर्जित किये गये हैं।

(ख) विलम्ब का मुख्य कारण यह था कि मैसर्स मालावार कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिन्हें इस प्रायोजना को कार्यान्वित करना है, वित्तीय तथा विदेशी सहयोग के लिए संतोषजनक प्रबंधक नहीं कर सके। किन्तु उन्होंने प्रायोजना की कार्यान्विति के लिए इंजीनियरी सेवाओं, उपकरणों की सप्लाई इत्यादि के लिए विदेशी पार्टियों के साथ हाल ही में करार किए हैं। इस पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) जब कारखाने में उत्पादन शुरू हो जायेगा तो लगभग 700 व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने की आशा है ।

(घ) बताया जाता है कि जैसा नीचे दिया गया है लगभग 65 लाख रुपये खर्च किये गये हैं :

	(लाख रुपयों में)
पदोन्नति संबंधी लागत	7·50
इंजीनियरी शुल्क	24·75
जुलाई, 1971 तक आवर्ती व्यय	26·60
अन्य व्यय	6·15
	65·00

Pilot Project for Urban Community Development Areas in U. P.

7373. DR. GOBIND DAS RICHHARIYA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to refer to the reply given to U. S. Q. No. 119 on the 24th May, 1971 regarding Urban Community Development Scheme and to state :

(a) the broad features of the projects to be undertaken in Uttar Pradesh under Urban Community Development Scheme; and

(b) the steps proposed to be taken by Government for development areas on the basis of pilot projects ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. KISKU) : (a) & (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

एडवर्ड केवेन्टर दिल्ली की ओर से अभ्यावेदन

7374. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एडवर्ड केवेन्टर दिल्ली, ने 25 मार्च, 1971 को कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अभ्यावेदन संबंधी प्रमुख बातें क्या-क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) डेरी चलाने के लिए उनको आबंटित भूमि के भाग पर वे बिक्री के लिए रिहायशी प्लाटों का निर्माण करना चाहते हैं । प्रार्थना पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

दिनांक 12–7–71 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4511 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTING STATEMENT TO U. S. Q. NO. 4511 DATED 12-7-71

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : 12 जुलाई, 1971 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4511 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में यह बताया गया था कि 1969-70 में कुल 6 करोड़ 27 लाख 50 हजार निरोधों का उत्पादन किया गया। यह एक टाइपिंग त्रुटि थी। वास्तव में यह संख्या 6 करोड़ 27 लाख 50 हजार न होकर 5 करोड़ 27 लाख 50 हजार थी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मुजीबुर्रहमान को फाँसी दिये जाने के बारे में पाकिस्तान के प्रेसीडेंट याह्या खाँ का कथित वक्तव्य

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं विदेश मंत्री का ध्यान *निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व* के विषय की ओर दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वह इस *संबंध में एक वक्तव्य दें* :

"पाकिस्तान के प्रेसीडेन्ट याह्या खाँ का कथित वक्तव्य कि शेख मुजीबुर्रहमान को फाँसी दी जा सकती है।"

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : राष्ट्रपति याह्या खाँ के वक्तव्य के संबंध में समाचार-पत्रों की इन रिपोर्ट पर सरकार गहरी चिंता व्यक्त करती है कि शेख मुजीबुर्रहमान का "कोर्ट मार्शल" होगा और वे यह नहीं कह सकते कि तथाकथित पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली की जब बैठक होगी उस समय शेख जिन्दा रहेंगे या नहीं। स्वयं राष्ट्रपति याह्या खाँ ने अपने एक प्रारम्भिक वक्तव्य में इस बात का संकेत दिया था कि शेख मुजीबुर्रहमान "पाकिस्तान के भावी प्रधान मंत्री हैं"। अवामी लीग पार्टी के नेता के रूप में जिस ने पूर्वी पाकिस्तान से 169 स्थानों में 167 स्थान जीते और इस प्रकार पाकिस्तान के नेशनल एसेम्बली में उनका स्पष्ट रूप से बहुमत था, शेख मुजीबुर्रहमान का न केवल बंगला देश के जानेमाने नेता के रूप में बल्कि सम्पूर्ण पाकिस्तान के जाने माने नेता के रूप में बेजोड़ स्थान है। इस वर्ष 25 मार्च के बाद जो हुआ वह सम्पूर्ण संसार को विदित है। जनमत की अवहेलना और खुल्लमखुल्ला सैनिक अत्याचार और बंगला देश की जनता के मौलिक मानवीय अधिकारों का कुचला जाना स्वयं में निन्दनीय है। जनमत का सम्मान करने तथा बंगला देश के निर्वाचित तथा अविवाद्य नेता के रूप में शेख मुजीबुर्रहमान को मान्यता देने के बदले पाकिस्तान सरकार ने आतंक का साम्राज्य स्थापित कर दिया है और

नर संहार की सुबद्ध योजना चलाई है जिसकी मिशाल हाल के समय में मिलती नहीं। शेख मुजीबुर्रहमान के विरुद्ध हास्यजनक मुकदमा चलाना मानवीय अधिकारों का घोर उल्लंघन है और सम्पूर्ण विश्व द्वारा इसकी निन्दा की जानी चाहिए।

शेख मुजीबुर्रहमान और उनके परिवार की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए, जो या तो अपने घर में नजरबंद हैं या जेल में हैं, हमने बार बार अपनी चिंता व्यक्त की है। हमने विदेशी सरकारों को अपनी चिंता व्यक्त कर दी है और उनसे कहा है कि इस संबंध में वे पाकिस्तान सरकार पर अपना प्रभाव डालें। अगर शेख मुजीबुर्रहमान या उनके परिवार और दोस्तों के जीवन को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाया गया तो बंगला देश में वर्तमान स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है और पाकिस्तान के वर्तमान शासक इन परिणामों के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में 500 संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता की तरह हम भी चिंतित हैं। हम मानवीय अंत:करण से अपील करते हैं कि वह पाकिस्तान के राष्ट्रपति की प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएँ। हम इस प्रस्तावित कार्रवाई की निन्दा करते हैं और इससे गंभीर परिणाम निकलने की पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हैं।

श्री समर गुह : लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों ने विश्व चेतना जागृत करने, शेख मुजीबुर्रहमान के विरुद्ध मुकदमे को बन्द कराने और उनकी बिना शर्त और तुरन्त रिहाई की दिशा में तुरन्त कदम उठाने के लिए ऊथांट को एक ज्ञापन भेजा है। परन्तु सरकार ने शेख मुजीबुर्रहमान को शीघ्र रिहा करवाने और उसकी सुरक्षा के संबंध में कौन से कारगर कदम उठाये हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक कारगर उपाय यह है कि बंगला देश को तुरन्त मान्यता देकर शेख मुजीबुर्रहमान को बंगला देश का प्रेसीडेन्ट मान लिया जाये। सरकार को इस संबंध में तुरन्त निर्णय लेना चाहिए।

बंग बन्धु शेख मुजीबुर्रहमान बंगला देश की केवल 7·50 करोड़ जनसंख्या के ही नेता नहीं हैं; वह बंगला देश के केवल प्रेसिडेन्ट ही नहीं हैं अपितु इस समय विश्व में लोकतंत्र के उच्चतम गरिमा के प्रतीक हैं। विश्व इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं मिलता जो एक देश की पूरी जनता का प्रिय नेता रहा हो परन्तु शेख मुजीबुर्रहमान को वह स्थान प्राप्त है। उनको चुनावों में 98·9 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए जबकि चुनाव पाकिस्तान के सैनिक-शासन की देखरेख में हुए। इतना अधिक बहुमत आज तक किसी सैनिक अथवा तानाशाही को कभी नहीं मिला है।

हमें अपनी गांधीवादी परम्परा पर गर्व है। महात्मा गांधी अहिंसक असहयोग आन्दोलन के जन्मदाता हैं। शेख मुजीबुर्रहमान अहिंसायुक्त तरीकों को अपनाने के बारे में उनसे भी आगे बढ़ गये हैं। बंगला देश की पूरी जनता को उनमें पूर्ण विश्वास है और 25 मार्च से पूर्व याह्या खाँ के किसी आदेश का सार्वजनिक जीवन या सार्वजनिक प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं होता था। विश्व के किसी भाग में ऐसा नही हुआ है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल को शपथ दिलाने से इन्कार कर दिया हो परन्तु श्री टिक्का खाँ को शपथ दिलाने के मामले में ऐसा हुआ।

श्री याह्या खाँ ने नादिर शाह का वंशज होने का दावा ठीक ही किया है। उन्होंने नादिर शाह की भाँति ही शेख मुजीबुर्रहमान पर मुकदमा चलाने का निर्णय किया है। उन्होंने यह कहकर कि आगामी अक्तूबर में पाकिस्तान की तथाकथित नेशनल ऐसेम्बली की बैठक से पूर्व शेख को फाँसी की सजा दी जा सकती है, अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की धमकी दी है। बंगला देश में इसकी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया होगी। बंगला देश में रहने वाले पाकिस्तान के 40 लाख लोगों तथा पाकिस्तान की $5\frac{1}{2}$ डिवीजन सेना को भी खतरा हो जायेगा। यदि शेख मुजीबुर्रहमान को फाँसी दी गई तो पाकिस्तान की सेना का एक भी सिपाही बंगाल की खाड़ी को पार नही कर सकेगा। अतः याह्या खाँ को शेख मुजीबुर्रहमान को कोई दण्ड देने का दुःसाहस नहीं करना चाहिए। मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह शेख मुजीबुर्रहमान की जीवन की सुरक्षा तथा उनकी शीघ्र रिहाई के लिए पूरा प्रयास करें।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार बंगला देश को तुरन्त मान्यता देकर शेख मुजीबुर्रहमान को बंगला देश का प्रेसीडेंट मानने का विचार रखती है। मेरे मत के अनुसार रहमान के जीवन की सुरक्षा तथा उनकी रिहाई के लिए यह सबसे उत्तम उपाय है। दूसरे क्या संसद् सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करेगी जिसमें शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन को सुरक्षित रखने तथा उनको शीघ्र रिहा करने की माँग की जाये और विश्व समुदाय से पाकिस्तान की सरकार पर दबाव डालने की अपील की जाये ताकि वे शेख मुजीबुर्रहमान के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का साहस न करें। तीसरे, मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि संसद्-सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल विभिन्न देशों में विश्व-चेतना जागृत करने के लिए विदेशों में भेजा जाये। सरकार रूस के साथ रक्षा सन्धि की घोषणा करने वाली है। मै सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या शेख मुजीबुर्रहमान की व्यक्तिगत सुरक्षा तथा उनकी शीघ्र रिहाई के मामले पर श्री ग्रोमिको के साथ बातचीत की गई है। अन्तिम, क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को ले जाने का विचार रखती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात से सहमत हूँ कि शेख मुजीबुर्रहमान महान लोकतांत्रिक नेता हैं। उन्होंने चुनावों में ही सराहनीय विजय प्राप्त नहीं की अपितु वह बंगला देश की जनता के एकमात्र प्रिय नेता हैं। इतना ही नहीं सम्पूर्ण विश्व के स्वतंत्रता-प्रिय लोग उनका आदर करते हैं। इसीलिए हमने याह्या खाँ द्वारा शेख मुजीबुर्रहमान को फाँसी दिये जा सकने के कथित समाचार की निन्दा की है।

बंगला देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना एक पृथक विषय है। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे शेख मुजीबुर्रहमान की रिहाई के प्रश्न के प्रति हमारे रवैये से किसी प्रकार की नरमी का आभास हो। सभी परिस्थितियों में उनको रिहा करवाने और उन्हें हास्यास्पद मुकदमे से, जिसको आरम्भ करने का प्रेसीडेन्ट याह्या खाँ ने संकेत दिया है, बचाने के लिए समूचे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रयास करना चाहिए।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि इस पावन सभा द्वारा संकल्प पारित किया जाये। यदि कोई ऐसा संकल्प है तो मैं उसका स्वागत करूँगा। मैं उसके पक्ष में हूँ। वास्तव में जिस ढंग से इस सुझाव के प्रति इस समूची सभा में प्रतिक्रिया हो रही है, उससे इस स्थिति में शेख

मुजीबुर्रहमान के प्रति हमारी सहानुभूति स्पष्ट हो जाती है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि सैनिक शासन उन्हें रिहा कर दे तो यह उनके ही हित में होगा। सैनिक शासन को इस समस्या का समाधान ढूँढ़ने के लिए उनके साथ बातचीत करनी चाहिए।

जहाँ तक अध्यक्ष महोदय से अपील करने का संबंध है, इसके बारे में अध्यक्ष महोदय ही निर्णय दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे क्या सलाह देते हैं ? मुझे क्या करना चाहिए ?

श्री स्वर्ण सिंह : दूसरे प्रश्न के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने पहले ही रूस समेत सभी मित्र देशों के साथ इस प्रश्न के बारे में बातचीत की है कि उनको पाकिस्तान के सैनिक शासकों पर इस प्रकार की स्थिति लाने के लिए प्रभाव डालना चाहिए जिससे वहाँ सैनिक अत्याचार बन्द हो जायें और वहाँ के सैनिक शासक एक संतोषजनक हल ढूँढ़ने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत आरम्भ करें। अधिकतर सरकारों ने वचन दिया है कि वे प्रेसीडेन्ट याह्या खाँ के साथ इस मामले को उठायेंगे।

अन्तिम प्रश्न के बारे में माननीय सदस्य ने बताया है कि उन्होंने महासचिव को एक ज्ञापन भेजा है। मुझे विश्वास है कि इसका प्रभाव न केवल संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों पर, अपितु विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ेगा। परन्तु इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इसको किसी औपचारिक रूप से लिया जा सकता है ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : विदेश मंत्री के इस कथन से प्रोत्साहन मिला है कि हम पाकिस्तान की कार्यवाही की निन्दा करते हैं और पाकिस्तान की सरकार को इसके गम्भीर परिणामों की चेतावनी देते हैं। परन्तु मुझे इस बात की चिन्ता है कि यह केवल हास्यास्पद मुकदमे के पश्चात सैनिक न्यायालय द्वारा शेख मुजीबुर्रहमान को फाँसी का दण्ड देने का ही प्रश्न नहीं है अपितु इसका अर्थ मानवता, संसदीय लोकतंत्र और बंगला देश में धर्मनिर्पेक्षता का दमन होगा। मैं जानता हूँ कि बंगला देश में जब तक एक भी बच्चा जीवित है मुजीबुर्रहमान को फाँसी नहीं दी जा सकती। परन्तु मैं अपनी सरकार से यह आशा करता हूँ कि इसकी निन्दा करने, समूचे विश्व के अन्तःकरण से अपील करने और पाकिस्तान सरकार को इसके गम्भीर परिणामों की चेतावनी देने के अतिरिक्त बंगला देश की सरकार को मान्यता दी जाये।

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अमरीका, पाकिस्तान और चीन के बीच गठबंधन से भारत की रक्षा करने के संबंध में रूस के विदेश मंत्री तथा हमारी सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह समझौता हो जाने के पश्चात बंगला देश को मान्यता देने का साहस भारत करेगा। मंत्री महोदय इसके बारे में बतायें।

श्री स्वर्ण सिंह : मान्यता के बारे में सरकार का दृष्टिकोण समय-समय पर स्पष्ट किया गया है और इस समय उसकी पुनरावृत्ति करना उचित नहीं है। इसलिए मैं मान्यता के प्रश्न के

बारे में अधिक नहीं कहना चाहता । जहाँ तक परिणामों के बारे में बताने का प्रश्न है, उचित यही है कि उनके बारे में कुछ नहीं कहा जाये ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मंत्री महोदय के वक्तव्य तथा श्री समरगुह के प्रश्न के उत्तर में उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि सरकार इस समय मान्यता के बारे में कोई वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं है परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वह एक ऐसा औपचारिक संकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकते जिसमें सर्वसम्मति से यह विचार व्यक्त किया जाये कि इस सभा को इस पर गहरी चिन्ता है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने जो वक्तव्य दिया है उस पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि वे हमारे रवैये का समर्थन करते हैं । यदि सभा हमारी नीति का समर्थन करने के लिए एक संकल्प पारित करे तो मैं इसका स्वागत करूँगा ।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने उचित समय पर विदेशी सरकारों को अपनी चिन्ता के बारे में बता दिया है और उनसे पाकिस्तान की सरकार पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा है । परन्तु हमने देखा है कि एक किसिंगर ने पीकिंग में और दूसरा याह्या खाँ ने, जो इस्लामाबाद में किसिंगर है, राजनीतिक षड़यन्त्र का नाटक किया है । क्या सरकार को मालूम है किसिंगर की चाउ-एन-लाई के साथ बैठक के तुरन्त बाद याह्या खाँ ने शेख मुजीबुर्रहमान को फाँसी देने की धमकी दी परन्तु, निक्सन प्रशासन ने इस अत्यन्त गम्भीर प्रश्न के बारे में कुछ नहीं कहा । मैं विदेश मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि निक्सन प्रशासन के इस मौन के बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? दूसरे, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि यदि याह्या खाँ मुजीबुर्रहमान को नुकसान पहुँचाता है तो उस स्थिती में बंगला देश के लोगों को याह्या खाँ के दमन से बचाने के लिए भारत सरकार भारत के लोगों विशेष रूप से युवकों को स्वाधीनता आन्दोलन और मुक्ति फौज में भाग लेने के लिए कहेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई निरन्तर जारी रखने तथा विस्थापितों के विषय में पाकिस्तान के रवैये का समर्थन करने के मामले में संयुक्त राज्य अमरीका ने जो रुख अपनाया है उसका हमने विरोध किया है । ऐसा मैंने पहले भी सभा में कहा है ।

जहाँ तक भारत के लोगों को मुक्ति फौज में सम्मिलित होने के लिए कहने के सुझाव का संबंध है इसके बारे में कोई सरकारी कार्यवाही करने की अपेक्षा राजनीतिक कार्यवाही करना अधिक अच्छा होगा ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया (नंदयाल) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि आमानवीय कार्य न करने के लिए याह्या खाँ पर दबाव डालने के लिए दूसरे देशों से आग्रह किया गया है । परन्तु क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे । क्या मंत्री महोदय को यह भी मालूम है कि एडवर्ड कनेडी जैसे प्रसिद्ध सैनेटर द्वारा प्रतिनिधि सभा में आग्रह किए जाने के बावजूद भी अमरीका ने पाकिस्तान को सहायता देना बन्द नहीं किया है । क्या इन परिस्थितियों में मंत्री

महोदय बड़े देशों को पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए राजी कर सकेंगे। क्या मंत्री महोदय रूस जैसे मित्र देशों की सहायता से इस मामले को राष्ट्र संघ तथा मानव अधिकार आयोग के समक्ष यह देखने के लिए ला सकेंगे कि याह्या खाँ को इस तरह की घृणित कार्यवाही करने से रोका जाता है।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने कई देशों के सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा अपनाये गये रवैये का जो ब्यौरा दिया है वह ठीक ही है। ऐसे देश भी जिनके प्रतिनिधि यह कहते हैं कि वे सैनिक शासकों को अत्याचार करने से रोकने के लिए प्रयास करेंगे, खुलेआम ऐसा कहने से कतराते हैं। रूस के प्रेसीडेन्ट पादगोर्नी तथा कुछ अन्य समाजवादी देशों के प्रतिनिधि अपवाद हैं। परन्तु हमें याह्या खाँ को ऐसी कार्यवाही करने से रोकने के लिए प्रभाव डालने के संबंध में इन देशों से अनुनय विनय करने के प्रयास करते रहना चाहिए।

इस प्रश्न को मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्र संघ में उठाया जा सकता है। हम इसे किसी उचित ढंग से संयुक्त राष्ट्र संघ या मानव अधिकार आयोग में उठाने का विचार रखते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 992 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—824/71.**]

मैसूर नगरपालिका अधिनियम

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं मैसूर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर नगरपालिका अधिनियम, 1964 की धारा 323 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मैसूर नगरपालिका (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती) नियम, 1971 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो मैसूर राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 102 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—825/71.**]

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1969-70 का प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) सभा पटल पर रखता हूँ :

भाग 1—प्राक्कलन

भाग 2—मुगल लाइन लिमिटेड के कार्य का मूल्यांकन

भाग 3—राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के कार्य का मूल्यांकन

भाग 4—राष्ट्रीय अखबारी कागज तथा कागज मिल लिमिटेड के कार्य का मूल्यांकन की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—827/71.]

चैकोस्लोवाकिया से पाइपों के आयात के बारे में विवरण

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : मैं ध्यानाकर्षण के विषय पर प्रश्नों के उत्तर देते हुए चैकोस्लोवाकिया से पाइपों के आयात के बारे में 17 जून, 1971 को सभा को दी गई कतिपय जानकारी को शुद्ध करने के लिए एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—826/71.]**

कहवा बोर्ड कर्मचारी (आचरण) संशोधन नियम और इलायची बोर्ड सेवा नियम

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कहवा अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कहवा बोर्ड कर्मचारी (आचरण) संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1054 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—828/71.]**

(2) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इलायची बोर्ड सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो, भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1055 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—829/71.]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि लोक सभा द्वारा 31 जुलाई, 1971 को पास किये गये वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1971 के संबंध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा 5 अगस्त, 1971 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 31 जुलाई, 1971 को पास किये गये कृषिक पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1971 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

ग्यारहवाँ प्रतिवेदन

श्री ईरा सेझियान (कुम्बकोनम) : महोदय, मैं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे), 1970 तथा विनियोग लेखे (रेलवे) 1968-69 के बारे में लोक लेखा समिति का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

भारत और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच शांति, मित्रता और सहयोग की संधि

STATEMENT RE : TREATY OF PEACE, FRIENDSHIP AND CO-OPERATION BETWEEN INDIA AND U.S.S.R.

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वर्ण सिंह वक्तव्य दें।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं सदन की मेज पर शांति, मित्रता और सहयोग की उस संधि की एक प्रति रख रहा हूँ जो आज ही भारत और सोवियत संघ के बीच हुई है और जिस पर भारत सरकार की ओर से मैंने तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की ओर से वहाँ की सरकार के विदेश मंत्री श्री अ० अ० ग्रोमिको ने हस्ताक्षर किये हैं।

भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता और सहयोग को और सुदृढ़ करने की दिशा

में यह संधि एक अगला कदम है और इस रूप में भारत सरकार इसका स्वागत करती है। हमें पूरा विश्वास है कि न केवल हमारे दोनों देशों के बीच बल्कि इस समूचे क्षेत्र के लिये शांति, सुरक्षा तथा विकास को स्थायित्व प्रदान करने की दिशा में यह संधि एक कारक सिद्ध होगी। किसी तीसरे देश का विरोध इस संधि का लक्ष्य नहीं है। वास्तव में, हमें यह आशा है कि यह संधि इस क्षेत्र के अन्य देशों और भारत के बीच की इस तरह की संधियों के एक प्रतिमान का कार्य करेगी। इस क्षेत्र के देशों में इस तरह की संधियाँ होने से यहाँ भी शांति स्थिर होगी और इन देशों की स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता को बल मिलेगा।

मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूँ कि यह संधि सच्चे अर्थ में एक शांति संधि है। इससे गुटनिरपेक्षता की हमारी नीति सुदृढ़ होगी जिसके सम्मान का इस संधि में सुस्पष्ट उल्लेख है। हम सच्चे हृदय से यह आशा करते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति को और बल मिलेगा तथा यह हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में एक प्रभावकारी साधन और सर्वत्र शांति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति को बनाये रखने में और संसार में जगह-जगह के तनाव को कम करने में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक बनेगी।

यह शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि है और एक अनाक्रमण संधि भी। इसमें एक यह विश्वसनीय आश्वासन भी है कि आक्रमण या उसकी धमकी की स्थिति में यह महान संविदाकारी पक्ष इस तरह की धमकी को दूर करने तथा अपने देशों की शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समुचित प्रभावकारी कदम उठाने के लिये तत्काल आपस में सलाह-मश्विरा करेंगे। हमारी प्रादेशिक अखण्डता तथा प्रभुसत्ता पर आक्रमण की निगाह रखने वाले किसी देश के लिये यह एक निवारक का कार्य करेगी। इसलिये, तत्वत: यह युद्ध के विरुद्ध शांति की संधि है।

महोदय, आज विश्व की तस्वीर बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। विश्व की विभिन्न शक्तियों का विन्यास बदल रहा है। गुटनिरपेक्षता की हमारी नीति एक गतिशील नीति है जो इन परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुरूप अपने आपको ढाल सकती है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि शांतिवादी हमारी नीति आज भी उतनी ही दृढ़ है जितनी पहले थी। किसी दूसरे देश के क्षेत्र पर हमारी बुरी निगाह नहीं है। साथ ही, हम किसी देश के आक्रमण को अथवा आक्रमण की धमकी को भी बरदाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी देश के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। शांति की रक्षा के लिये और युद्ध को रोकने के लिये हम यथा-शक्ति प्रयत्न करेंगे।

भारत गणतंत्र और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच शांति, मित्रता और सहयोग की संधि

दोनों के बीच वर्तमान सच्ची मित्रता के संबंधों को सुदृढ़ और सुविस्तृत करने की इच्छा रखते हुए,

इस विश्वास से कि मित्रता और सहयोग के अधिक विकास से दोनों राज्यों के मौलिक राष्ट्रीय हित तथा एशिया और सारे संसार में सुदीर्घ शांति को पोषण मिलता है,

विश्व शांति और सुरक्षा की दृढ़ता को संबंधित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के सतत् प्रयास एवं उपनिवेशवाद के अवशेषों को पूर्णतया एवं अन्तिम रूप से समाप्त करने के निश्चय से,

विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक प्रणालियों वाले राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहयोग के सिद्धांतों में अटूट विश्वास रखते हुए,

इस पूर्ण विश्वास के साथ कि संसार की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ संघर्ष द्वारा नहीं बल्कि मात्र सहयोग द्वारा ही सुलझाई जा सकती हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को मान कर चलते रहने के संकल्प की पुनः पुष्टि करते हुए, एक ओर भारत गणतंत्र और दूसरी और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ ने वर्तमान संधि करने का निश्चय किया है, जिसके लिये निम्नांकित पूर्णाधिकारी नियुक्त किये गये हैं :

भारत गणतंत्र की ओर से :

सरदार स्वर्ण सिंह
विदेश मंत्री

सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की ओर से :

श्री अ० अ० ग्रोमिको
विदेश मंत्री

जिन्होंने अपने प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत किये हैं और जिनको शुद्ध और सही माना गया है वे निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद एक

महान संविदाकारी पक्ष निष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि दोनों देश और उनकी जनता के बीच स्थायी शांति और मित्रता बनी रहेगी। प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा तथा दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। महान संविदाकारी पक्ष सच्ची मित्रता, अच्छी प्रतिवेशिता और व्यापक सहयोग के वर्तमान संबंधों को उपरोक्त सिद्धांतों तथा समानता एवं पारस्परिक लाभ के आधार पर विकसित और सुदृढ़ करते रहेंगे।

अनुच्छेद दो

प्रत्येक संभव प्रकार से दोनों देशों की जनता के लिए स्थायी शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में योगदान की इच्छा से प्रेरित होकर महान संविदाकारी पक्ष अपने इस संकल्प की घोषणा करते हैं कि वे एशिया और समूचे संसार में शांति बनाए रखने, उसे दृढ़ करने, शस्त्र दौड़ को रोकने तथा प्रभावकारी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य एवं सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए, जिनमें आणविक एवं परम्परागत अस्त्र-शस्त्र दोनों शामिल हैं, सतत प्रयास करते रहेंगे।

अनुच्छेद तीन

समस्त राष्ट्र और सभी देशों की जनता की समानता के, चाहे उनका कोई भी धर्म या जाति हो, उच्च आदर्श के प्रति अपनी निष्ठा से प्रेरित होकर महान संविदाकारी पक्ष उपनिवेशवाद और जातिवाद के सभी रूपों की निन्दा करते हैं और उन्हें पूर्णतया लुप्त कर देने के प्रयास के संकल्प में पुनः आस्था प्रकट करते हैं ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उपनिवेशवाद एवं जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष करने वाले सभी देशों की जनता की उचित आकाँक्षाओं का समर्थन करने के लिए महान संविदाकारी पक्ष दूसरे राज्यों के साथ सहयोग करेंगे ।

अनुच्छेद चार

भारत गणतंत्र सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की शांतिप्रिय नीति का सम्मान करता है जिसका उद्देश्य सभी राष्ट्रों के साथ मित्रता और सहयोग को सुदृढ़ करना है ।

सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ भारत की गुटमुक्त नीति का सम्मान करता है और इसमें पुनः आस्था प्रकट करता है कि विश्व-शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने तथा संसार में तनाव को कम करने में इस नीति का महत्वपूर्ण स्थान है ।

अनुच्छेद पाँच

विश्व शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने में गहरी अभिरुचि रखते हुए तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बड़ी महत्ता देते हुए महान संविदाकारी पक्ष दोनों राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाली मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में प्रमुख राज नेताओं के बीच गोष्ठी और विचारों के आदान-प्रदान, दोनों सरकारों के विशेष दूतों तथा सरकारी प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा एवं राजनयिक माध्यमों के द्वारा बराबर सम्पर्क बनाए रखेंगे ।

अनुच्छेद छः

दोनों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग को पूरी महत्ता देते हुए महान संविदाकारी पक्ष परस्पर लाभकारी एवं व्यापक सहयोग को इन क्षेत्रों में बराबर सुदृढ़ एवं विस्तृत करते रहेंगे तथा 26 दिसम्बर, 1970 के भारत-सोवियत व्यापार समझौते के अंतर्गत निकटस्थ देशों के साथ उल्लिखित विशेष व्यवस्था एवं वर्तमान समझौतों के अध्यधीन समानता, पारस्परिक लाभ तथा अति अनुग्रहीत राष्ट्र के प्रति व्यवहार के आधार पर व्यापार, परिवहन और संचार का विस्तार करेंगे ।

अनुच्छेद सात

महान संविदाकारी पक्ष विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, प्रेस, रेडियो, टेली-

विजन, सिनेमा, पर्यटन और खेल के क्षेत्रों में आपसी संबंध एवं सम्पर्क को और अधिक विकसित करेंगे ।

अनुच्छेद आठ

दोनों देशों के बीच विद्यमान परम्परागत मित्रता के अनुसार महान संविदाकारी पक्ष का प्रत्येक पक्ष निष्ठापूर्वक घोषित करता है कि वह किसी भी ऐसे सैनिक गठबंधन में, जो दूसरे पक्ष के विरुद्ध हो, न सम्मिलित होगा और न भाग लेगा ।

प्रत्येक महान संविदाकारी पक्ष वचन बद्ध है कि वह दूसरे पक्ष पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा तथा अपने क्षेत्र में किसी प्रकार के ऐसे कार्य को नहीं होने देगा जिससे दूसरे पक्ष को सैनिक क्षति होने की आशंका हो ।

अनुच्छेद नौ

प्रत्येक महान संविदाकारी पक्ष वचनवद्ध है कि वह किसी तीसरे पक्ष को, जो महान संविदाकारी पक्ष के दूसरे पक्ष के विरुद्ध सशस्व संघर्ष में लगा हो किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा । दोनों में से किसी पक्ष पर आक्रमण होने या आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर महान संविदाकारी पक्ष शीघ्र ही परस्पर विचार विमर्श करेंगे ताकि ऐसे खतरे को समाप्त किया जाये तथा दोनों देशों की शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रभावकारी कदम उठाये जायें ।

अनुच्छेद दस

प्रत्येक महान संविदाकारी पक्ष निष्ठापूर्वक घोषित करता है कि वह किसी भी एक या एक से अधिक राज्यों के साथ कोई भी गुप्त या प्रकट दायित्व अपने ऊपर नहीं लेगा जो इस संधि के प्रतिकूल हो । महान संविदाकारी पक्ष का प्रत्येक पक्ष यह भी घोषित करता है कि उसका किसी राज्य या राज्यों के साथ न कोई ऐसा वर्तमान दायित्व है और न भविष्य में वह कोई ऐसा दायित्व लेगा जिससे दूसरे पक्ष को किसी प्रकार की सैनिक हानि हो सकती हो ।

अनुच्छेद ग्यारह

यह संधि बीस वर्षों की अवधि के लिये की गई है और यदि महान संविदाकारी पक्षों में से एक पक्ष संधि के समाप्त होने के बारह महीने पूर्व दूसरे पक्ष के पास नोटिस देकर संधि को समाप्त करने की इच्छा घोषित न करे तो प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि के बाद स्वतः इसकी अवधि बढ़ जायेगी । यह संधि अनुसमर्थन के अध्यधीन होगी और अनुसमर्थन के दस्तावेज के आदान-प्रदान के दिन से लागू होगी । दस्तावेजों का यह आदान-प्रदान संधि पर हस्ताक्षर हो जाने के एक महीने के भीतर मास्को में होगा ।

अनुच्छेद बारह

महान संविदाकारी पक्ष के बीच इस संधि के किसी एक या एकाधिक अनुच्छेद की व्याख्या

में किसी प्रकार का अन्तर उत्पन्न होने पर शांतिपूर्ण उपायों, पारस्परिक सम्मान और सूझ बूझ द्वारा द्विपक्षीय ढंग से उसे निपटाया जायेगा ।

उपरोक्त पूर्णाधिकारियों ने वर्तमान संधि पर हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर दिये हैं, इन पर उन्होंने अपनी मुहर लगा दी है और इस संधि के सभी पाठ समान रूप से प्राधिकृत हैं ।

आज, नई दिल्ली में ईस्वी सन् एक हजार नौ सौ इकहत्तर के अगस्त मास के नवें दिन तदनुसार शक संवत एक हजार आठ सौ तिरानवे के श्रावण मास के अठारवें दिन यह संधि सम्पन्न हुई ।

भारत गणतंत्र की ओर से :

(ह०) स्वर्ण सिंह
विदेश मंत्री

सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की ओर से :

(ह०) अ० अ० ग्रोमिको
विदेश मंत्री

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : I want to go through the text of the statement Concerning the treaty and request that the matter be allowed to be discussed in the house tomorrow.

श्री समर गुह (कन्टाई) : इस विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए सभा द्वारा इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए ।

SHRI ATAL EIHARI VAJPAYEE : I want that the text of the treaty be cericulated among the members at the earliest possible.

संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (TWENTYSIXTH AMENDMENT) BILL

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, मुझे भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित करती हूँ ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : विधेयक पुर:स्थापित नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पुर:स्थापित हो गया । प्रधान मंत्री महोदया इसे पुर:स्थापित कर चुकी हैं ।

श्री पीलू मोदी : यह पहला अवसर है जबकि इस प्रकार का विधेयक सभा में पुर:स्थापित किया गया है ।

भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक

INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

यह एक सरल विधेयक है जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 29 का, जिसके अन्तर्गत यह उपबन्धित है कि डाकघर किसी भी तार को रोक सकेगा, यदि वह समझे कि उसमें दी गई जानकारी भड़काने वाली है तथा सामान्य हित में नहीं है, लोप करने का प्रस्ताव है । यह एक ऐसा विधेयक है जिसके लिये जनता बहुत अधिक माँग करती रही है । प्रेस परिषद ने माँग की है कि धारा 29 समाप्त की जानी चाहिये, क्योंकि 1969 में जमशेदपुर में एक पत्रकार को इस आधार पर गिरफ्तार किया गया था कि वह एक ऐसा तार भेज रहा था जिसमें कुछ गलत अथवा झूठी जानकारी दी हुई थी ।

इसके बाद राज्य सभा के सदस्य, श्री ए० डी० मणि एक गैर सरकारी विधेयक लाये तथा सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह इस मामले की जाँच करेगी तथा इसकी वांछनीयता पर विचार करेगी ।

अखिल भारतीय पत्रकार संघ भी अपनी कई बैठकों में इस धारा विशेष को हटाने की निरंतर माँग करता रहा है; क्योंकि पत्रकारों का विचार है कि इसके द्वारा तार विभाग को पत्रकारों को परेशान करने का साधन मिल जाता है ।

श्री शिव चन्डिका (बांका) : इस धारा के अन्तर्गत जमशेदपुर में मजदूर शिक्षा संस्थान के प्रधानाध्यापक को परेशान किया जा रहा है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस खण्ड का दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि तार विभाग के पास विधि संबंधी अथवा न्यायिक ज्ञान नहीं होता कि वह किसी जानकारी की किस्म अथवा प्रकृति निश्चित कर सके । इसके विपरीत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 तथा कुछ अन्य धाराओं में इस संबंध में समुचित व्यवस्था है । यही

कारण है कि इस विशेष धारा को, जिसका दुरुपयोग किये जाने की संभावना है, हटा दिया जाये ।

जहाँ तक विदेशी डाक के संबंध में दरों तथा अन्य जानकारी का सभा पटल पर रखने की अपेक्षा का संबंध है, यह इसलिये समाप्त किया जा रहा है क्योंकि पिछला अनुभव यह है कि प्रत्येक महीने न्यूनतम 10 अथवा 12 परिवर्तन होते हैं और इनमें कुछ परिवर्तन सभा भी नहीं रोक सकती । हम निश्चयपूर्वक इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि कनाडा, अफ्रीका, कांगो अथवा ब्राजील में कोई विशेष डाकखाना स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं । हम इस संबंध में कोई निर्णय नहीं कर सकते कि विदेशी मुद्रा का अवमूल्यन अथवा पुनर्मूल्यन किया जायेगा । इन सभी कारणों से हमारी विदेशी डाक की दरों में परिवर्तन होना अनिवार्य है । अतः सभा से मेरा अनुरोध है कि वह विधेयक के द्वारा हमें यह अनुमति प्रदान करे कि विदेशी डाक दरों की सभा पटल पर रखने की आवश्यकता न रहे । हाँ, इस बात का अवश्य ध्यान रखा जायेगा कि ये दरें डाक तार (पोस्टल) गाईड के खण्ड 2 में आवश्यक रूप से प्रकाशित की जाती रहें और इस पुस्तिका को सदस्यों की सूचनार्थ संसद ग्रंथालय में भेजा जाता रहे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : ने संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत किया जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 को प्रवर समिति को सौंपने का उल्लेख था और इस संबंध में उन्होंने दो दृष्टिकोण सामने रखे । एक यह कि तार को डाक द्वारा एक्सप्रेस पत्र के रूप में तथा तार के रूप में भेजे जाने के लिये एक ही दर वसूल की जाती है जिसका औचित्य जानने के लिये इस विधेयक को प्रवर समिति को अवश्य सौपना चाहिये । जहाँ तक मेरी जानकारी है 30 प्रतिशत तार डाक द्वारा भेजे जाते हैं । तार को यदि तार के रूप में न भेजकर एक्सप्रेस पत्र के रूप में भेजा जाता है तो उस पर वही दर नहीं लगायी जानी चाहिये जो कि तार पर लगती है ।

दूसरा यह कि विधेयक का उद्देश्य दंड संबंधी उपबंध को हटाना है । किन्तु वास्तविक अपराधियों को, जो गलत समाचार भेजते हैं, पकड़ने के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिए । किसी एक पत्रकार के नाम पर, दूसरा व्यक्ति, जो उसका विरोधी हो, कोई समाचार भेज सकता है और इस प्रकार दण्ड उसे मिलता है । अतः वास्तविक अपराधी का पता लगाने तथा उसे दंडित करने के लिये कोई तरकीब निकालनी आवश्यक है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हम धारा 29 को इसलिए हटा रहे हैं, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत जिम्मेदारी निर्धारित करने और वास्तविक अपराधी का पता लगाने हेतु आवश्यक पुलिस जाँच के लिये विस्तृत अधिकार हैं और इसको ध्यान में रखते हुए धारा 29 को रखने का कोई लाभ नहीं है ।

विदेशों के लिए दरें विशेष ढंग से निर्धारित की जाती हैं । हमारे कुछ ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय वायदे हैं जिनको हमें पूरा करना होता है । कुछ मुद्राओं के अवमूल्यन या पुनर्मूल्यन के कारण इन दरों में अन्तर है । अतः जिन कारणों से दरों में परिवर्तन होता है, वे हमारे वश की बात नहीं है । जो परिवर्तन होना है, वह अवश्य होगा, सभा का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

इस प्रकार जहाँ तक आन्तरिक दरों का संबंध है, विधि के अन्तर्गत मुझे इन्हें सभा पटल पर रखना होता है और इसमें मैं कोई परिवर्तन करना भी नहीं चाहता। मेरा श्री पंडा से अनुरोध है कि यह देखते हैं कि यह विधेयक 1960 से लंबित है, वह प्रवर समिति को सौंपने का अपना संशोधन वापस लेकर इस विधेयक को पास कराने में मेरी सहायता करें।

श्री डी० के० पंडा : मैं मंत्री महोदय की स्थिति समझता हूँ परन्तु मेरी असल बात का मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया, जो यह है कि यदि कोई व्यक्ति तार भेजता है और उसको तार के रूप में न भेजकर एक्सप्रेस पत्र के रूप में भेजा जाता है तो उस व्यक्ति से तार की दर क्यों ली जाती हैं, एक्सप्रेस पत्र दरें क्यों नहीं ली जातीं ? यदि मंत्री महोदय इस संबंध में मेरी तसल्ली कर दें तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वर्तमान उपबंध के अन्तर्गत यह अपेक्षित है की डाक घर तार को तार के रूप में ही भेजे जो कभी-कभी मशीन की खराबी के कारण बदलना पड़ जाता है। जहाँ तक डाक द्वारा भेजे जाने की बात है, यदि किसी व्यक्ति का तार डाक से भेजा जाता है तो उस तार पर डाक प्रभार को हटाकर बाकी धन उसे वापस किया जाना चाहिए। इस प्रकार का उपबंध पहले ही विद्यमान है। दुर्भाग्य से इसको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इस विषय में मैंने कठोर अनुदेश जारी कर दिए हैं कि यदि वह व्यक्ति उस धन राशि की माँग न भी करे तो हमें इस नियम का अनुसरण करना ही चाहिए। जहाँ कहीं हम किसी तार को तार के रूप में नहीं भेज पाते, वहाँ संबंधित व्यक्ति को डाक टिकटों या इस प्रकार की कोई अन्य रियायत देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री पंडा के संशोधन का क्या हुआ।

श्री डी० के० पंडा : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति है ?

कुछ सदस्य : हाँ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।
The amendment was, by leave withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2-4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2-4 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 2-4 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मंत्री महोदय ने टेलीफोन विभाग को पुलिस के हाथों ही सौंप दिया है । पश्चिम बंगाल में जब हम सत्तारूढ़ थे तो पुलिस द्वारा टेलीफोन विभाग की सहायता से उप मुख्य मंत्री के टेलीफोन को सुना जाता था ।

हमारे पास इस बात के पर्याप्य प्रमाण हैं कि कुछ इने गिने पत्र सैंसर किये गये अथवा नष्ट कर दिये गये । ग्राहकों की जानकारी के बिना पुलिस को डाक सैंसर करने की अनुमति है । मंत्री महोदय भले ही इससे इंकार करें परन्तु हमारे पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं ।

डाक सेवा के हर क्षेत्र में भारी गिरावट आई है । तारों को प्राय: साधारण डाक से भेज दिया जाता है । दुख की बात है कि विभाग अपनी एकाधिकार की स्थिति का लाभ उठाकर ग्राहकों का शोषण कर रहा है ।

अतिरिक्त विभागीय पोस्ट मास्टरों की स्थिति बहुत दयनीय है । उनका वेतन बड़ा कम है जिसे बढ़ाया जाना चाहिये ।

जहाँ तक उपग्रह संचार पद्धति का संबंध है, कलकत्ता की अवहेलना की जा रही है । यद्यपि विशेषज्ञों की राय कलकत्ता में केन्द्र स्थापित करने के पक्ष में है ।

डाकिये, जो कि विभाग का आधार स्तम्भ हैं, कार्य भार से दबे हुए हैं, मंत्री महोदय को उनकी ओर ध्यान देना चाहिये ।

मंत्री महोदय केवल इस बात के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं कि टेलेक्स को आर्थिक सहायता देकर प्रेस पर एकाधिकार स्थापित किया जाय । मुझे यह भी पता लगा है कि उन पर बहुत अधिक रकम बकाया पड़ी है । मेरा सुझाव है कि प्रादेशिक भाषाओं की टेलेक्स मशीनें बनायी जायें । इससे अनुवाद का कार्य घटेगा ।

केन्द्र में राज्यों के प्रतिनिधित्व वाला एक सर्वोच्च कार्यकारी निकाय बनाया जाय जो नीतियों का निर्धारण करे और उन्हें कार्यान्वित करे ।

आपके पास 100 लाइनों वाला एक टेलेक्स एक्सचेंज है जो अप्रैल, 1966 में पूना में खोला गया था । यद्यपि इस एक्सचेंज के पास अतिरिक्त क्षमता थी तथा अप्रैल, 1966 से मार्च, 1968 के दौरान टेलेक्स कनेक्शनों के लिये माँग भी थी फिर भी इन कनेक्शनों को देने में 19 महीने तक का विलम्ब किया गया जिससे सम्भावित राजस्व की हानि हुई ।

आपके विभाग की कुल बकाया रकम 196·38 लाख रुपये है । महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के परिशिष्ट 2 में बताया गया है कि विभाग की बकाया राशि जो 1964-65 में 0·53 लाख रुपये थी वह 1969-70, में बढ़कर 137·05 लाख रुपये हो गई । आपके विभाग में इतना अधिक कुप्रबन्ध है कि छोटे विधेयक लाने से कोई लाभ नहीं होगा । आपके विभाग की पूरी तरह से जाँच की जाने की आवश्यकता है ताकि यह विभाग जनता की अच्छी तरह से सेवा कर सके ।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

पिछले 5-6 वर्षों के दौरान डाक तथा तार विभाग की कार्यकुशलता बिगड़ती गई है। यद्यपि माननीय मंत्री महोदय ने अपना पद संभालने के बाद से इस विभाग में सुधार करने का प्रयत्न किया है तथापि आज डाले गये पत्र दो दिन बाद निकाले जाते हैं, आज बुक की गई तारें तीन दिन बाद बाँटी जाती हैं, छोटे शहरों में ट्रंक लाइनें कई कई दिनों तक खराब पड़ी रहती हैं ।

मजदूर संघ कर्मचारियों को काम न करने अथवा कम काम करने आदि के लिये उकसाते हैं । मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे इस सारे मामले की जाँच करें और यथाशीघ्र विभाग की कार्यकुशलता बढ़ायें ।

SHRI NARSINGH NARAYAN PANDEY (Gorakhpur) : I whole-heartedly support the Bill. The intention of the Bill is good and so is the amendment.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : डाक तथा तार विभाग के समस्त कार्यों में अत्यधिक गिरावट आ गई है । उड़ीसा में कई पोस्ट मास्टरों को, जिनका वेतन बहुत कम है, दो बार दण्डित किया गया, जबकि कानून के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता । यदि कुछ पोस्ट मास्टर किसी से दो रुपये स्वीकार कर लेते हैं तो उनको विभाग द्वारा और बाहर भी दण्डित किया जाता है । इससे उनके मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ता है । अब न्यायालयों में उन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं, और ये मुकदमे कई वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन हैं । बिहार में इस समय भी अनेक मुकदमों पर अभी तक न्यायालय ने कोई फैसला नहीं दिया है । इन सब मुकदमों को तत्काल निपटाया जाना चाहिए ।

कई बार टेलीफोन लाइन कट जाती है और अनेक बार शिकायत करने के बावजूद भी दूसरे या तीसरे दिन टेलीफोन ठीक करने के लिये कोई कर्मचारी आता है । इस ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये ।

गाँवों में डाक बाँटने वाले डाकियों का वेतन बहुत कम है तथा उनके वेतनमान में संशोधन करने के लिये तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

तार की दरें भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी भिन्न भिन्न तथा अनुचित दरें न वसूल की जायें ।

SHRI LAXMI NARAYAN PANDEY (Mandsaur) : The scope of the Bill is very limited. This Bill provides the amendment of two or three Sections. It is not understandable as to why the Government wants to delete Section 29. Today we are facing the problem of Bangla desh. There are a large number of spies in our Country, who are working for Pakistan and who might create trouble in the present situation. These spies might spread false and baseless news in various places, which could disturb peace and law and order situation of the country. So this provision should remain in the Act, otherwise the disturbing activities of the spies will increase tremendously.

The efficiency of the Posts & Telegraph Department should be improved. Unless the mismanagement prevalent in the Post offices is eradicated, the goal cannot be achieved.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEKER *in the chair*]

The revenues received from the increased rates of foreign telegrams should be properly utilised for increasing the efficiency of the P & T Department.

SHRI RUDRA PRATAP SINGH (Barabanki) : I support the Bill. 4th part of the Bill provides deletion of Section 29. There is an apprehension in the mind of some of the members that by deleting Section 29 of the Act, the Government wants to take some undue advantages. But it is not so. The Government is faced with the difficulty that even when it wants to take some democratic step, it does not get support from the opposition. The Government has rightly understood the feelings of the people and taken a very good decision in deleting section 29. This deletion is very essential to maintain the freedom of the journalists.

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : मैं सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने डाक तथा तार विभाग के कार्य-चालन की कमियों की ओर सभा का ध्यान दिलाया । इस संबंध में मुझे केवल इतना ही कहना है कि मैं इस विभाग की सेवाओं में सुधार करने का हर संभव प्रयत्न कर रहा हूँ; और मुझे आशा है कि इस कार्य में मुझे सभी दलों के सदस्यों तथा विभाग के कर्मचारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा ।

जहाँ तक विधेयक के उपबन्धों का संबंध है मैं सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने इसके विरोध में कोई बात नहीं की है । डा० पांडे ने केवल धारा 29 के बारे में शंका उठाई है । मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सरकार उस विशेष शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहती, क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 153 तथा 505 के अन्तर्गत अधिक सुरक्षित रूप से प्रयोग करने की स्थिति में है । चूँकि हमारे पास ऐसे उपबन्ध हैं जिनके आधार पर गलत या झूठी सूचना अथवा अफवाह पर कार्यवाही की जा सकती है और उन पर कार्यवाही करने की शक्ति सरकार के पास है, अतः हम यह आवश्यक नहीं समझते कि तार को रोकने की शक्ति तार बाबू को दी जाए । इससे इसके दुरुपयोग होने की संभावना हो सकती है ।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (सामान्य)

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)

वर्ष 1971-72 के लिए अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक माँगें (सामान्य) प्रस्तुत की गई ।

माँग संख्या	शीर्षक	माँग की राशि
		रुपये
25.	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायक अनुदान	1,20,00,00,000
66.	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	80,00,00,000

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : बंगला देश से आए शरणार्थियों को राहत देने के लिये अनुदानों की ये अनुपूरक माँगें पेश की गई हैं । मैं इन माँगों का समर्थन करते हुये विभिन्न राज्यों में राहत तथा पुनर्वास विभाग के, विशेषकर हमारे राज्य में, कार्यों के संबंध में कुछ बातें करना चाहता हूँ । यह संतोषजनक बात है कि भारत ने शरणार्थियों के लिये राहत-कार्य करने की जिम्मेदारी उठायी है, किन्तु सरकार को इससे कुछ अधिक कार्य करना चाहिये था । भारत सरकार को बंगला देश को तत्काल मान्यता देनी चाहिये और बंगला देश सरकार के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को पर्याप्त सहायता दे ।

जब तक बंगला देश मुक्त नहीं होता और याह्या खाँ की सरकार को बंगला देश से बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक भारत में शरणार्थियों का आना नहीं रोका जा सकता । अत: शरणार्थियों को सहायता देने के साथ साथ हमें अन्य बातों पर भी ध्यान देना है और सुनिश्चित करना है कि किस प्रकार मुक्ति फौज के सेनानियों की अधिक प्रभावशाली ढंग से सहायता की जा सकती है ।

हम शरणार्थियों के राहत के लिये 200 करोड़ रुपये की और व्यवस्था कर रहे हैं अत: मैं सरकार का ध्यान शरणार्थी शिविरों की ओर दिलाना चाहूँगा, विशेषकर त्रिपुरा के शरणार्थी शिवरों की ओर। उनकी दशा बड़ी दयनीय है । सरकार कहती है कि उन्हें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन

1·10 रुपये का राशन वितरित किया जाता है जबकि तथ्य यह है कि उन्हें 72 पैसे से अधिक का राशन नहीं दिया जाता। मैंने कई शरणार्थी-शिविरों का दौरा किया और देखा कि उन्हें वितरित किये जाने वाले राशन की मात्रा बहुत कम है। समस्त शरणार्थी शिविरों में नौकरशाही काम कर रही है और लोग वहाँ धन कमा रहे हैं।

अभी तक पूर्वी बंगाल अर्थात बंगला देश से 71 लाख शरणार्थी भारत आ चुके हैं, जिसमें से 2 अगस्त, 1971 तक 53 लाख 50 हजार पश्चिमी बंगाल में, 31 जुलाई, 1971 तक त्रिपुरा में 19 लाख, मेघालय में 3,17,000 लाख; 2,39,000 असम में और 9,000 बिहार में। सरकारी आँकड़ों के अनुसार त्रिपुरा में शरणार्थियों की संख्या 10,90,000 बतायी गयी है जोकि समाचार पत्रों में 12 लाख है। इनमें से केवल 24 हजार शरणार्थियों को त्रिपुरा से अन्य स्थानों पर ले जाया गया है परन्तु अभी भी वहाँ बहुत अधिक शरणार्थी हैं।

देश के विभाजन से पूर्व त्रिपुरा की जनसंख्या 5 लाख थी जो 1971 में 15 लाख हो गयी। जिसमें से 11 लाख शरणार्णी हैं। बंगला देश के शरणार्थियों के आ जाने पर त्रिपुरा की जनसंख्या में प्रति व्यक्ति पर 3 व्यक्ति के हिसाब से वृद्धि हो गयी है। इस शरणार्थी-बहुल राज्य की अर्थ व्यवस्था को बचाने के लिये और अधिक शरणार्थियों को वहाँ से अन्य स्थानों पर ले जाना चाहिये। शिविर के शरणार्थियों को घटी मात्रा में नहीं अपितु निर्धारित दर से राशन दिया जाय।

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा बमबारी करने तथा उसके कारण प्रतिदिन दो तीन व्यक्तियों के मरने जैसी समस्याएँ भी हैं। सनामुराई में 7 अगस्त को 5 तथा परसों ही अगरतल्ला में हमारे सीमा सुरक्षा दल के अनेक व्यक्ति तथा पूरन रासबिहारी और पठाबिल सिधी में भी बारूद की सुरंगों के विस्फोट से अनेक व्यक्ति मारे गये हैं। अतः इन क्षेत्रों में आंतक के समाप्त करने तथा सीमान्तवासियों की सुरक्षा के लिये सरकार को सभी सम्भव प्रयत्न करने चाहियें।

इस शरणार्थी समस्या से निबटने के लिये सरकार को अधिक विचार-पूर्वक व योजना पूर्वक कार्य करना चाहिये क्योंकि त्रिपुरा में आये 2 लाख शरणार्थी, जो चाय बागान में काम करते थे, सस्ती मजदूरी पर काम करने के लिये तैयार हैं, जिससे वहाँ के स्थानीय मजदूरों में बेरोजगारी तथा झगड़े की आशंकायें बढ़ गयी हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

अतः शरणार्थियों के लिये जो सहायता अनुदान व्यय किया जाय वह समुचित रूप से किया जाय जिससे संबंधित अफसरों की गड़बड़ी के कारण शरणार्थी अपने सहायता-अंश से वंचित न रह जायें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : बंगला देश के शरणार्थियों पर व्यय करने के लिए अनुदानों की अनुपूरक माँगों का समर्थन करने के साथ ही सरकार की सूचनार्थ मुझे कहना है कि बंगला देश में संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक रखे जा रहे हैं जिनमें से अधिकतर संचार-विशेषज्ञ है। ये मुक्तिवाहिनी द्वारा बंगला देश में नष्ट किये गये संचार-साधनों की मरम्मत करके याह्या शासन को मजबूत बना रहे हैं। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। इन प्रेक्षकों को

उक्त क्षेत्रों में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। शरणार्थी-सहायता-राशि स्वीकृत करने से पूर्व सरकार को अधिक व्यावहारिक कार्यक्रम बनाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि यह व्यय बढ़कर 1,500 करोड़ रुपये से भी अधिक हो जाय।

बंगला देश के शरणार्थियों पर इस अतिरिक्त भारी व्यय से सम्पूर्ण देश की अर्थ व्यवस्था पर बोझ पड़ रहा है। क्या सरकार देश में बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए तथा बंगला देश की सहायता हेतु बचत-बाण्ड जारी करेगी। इससे देश के सामान्य राजस्व-व्यय पर भार नहीं पड़ेगा और अधिक नोट छापने अथवा कराधान जैसे अन्य उपायों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती कि बंगला देश से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिए हमें अपनी सामर्थ्य से अधिक व्यय करने की आवश्यकता है।

शरणार्थी-शिविरों में ठहरे हुए 6 लाख शरणार्थियों पर अनुमानत: दिसम्बर, 1971 तक हमें कम से कम 260 करोड़ रुपये व्यय करने पड़ेंगे। परन्तु हम उन्हें सहायता देने के लिए वचन-बद्ध हैं, फिर चाहे यह संख्या कितनी भी क्यों न हो; हम उन्हें सहायता देते रहेंगे। परन्तु सोचने की बात यह है कि इस भार को हम कब तक सहन कर सकते हैं तथा याह्या खाँ द्वारा इस तरह हमारे ऊपर थोपी गयी शत्रुता को समाप्त करने के लिए तथाकथित विश्व-समुदाय को सामने लाने के लिए इस बीच में हम क्या उपाय कर सकते हैं।

हम यह देख चुके हैं कि इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी निष्क्रियतापूर्वक कार्य करके याह्या खाँ को काले कारनामों तथा पाकिस्तान को नरसंहार के लिए शह दी है। परन्तु अब कुछ क्रियाशील होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ भारत तथा बंगला देश में अपने प्रेक्षक भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के बड़े देशों के इरादों को पूरा करने के साथ-साथ परीक्षत: याह्या खाँ की सहायता की जा सके तथा भारतीय उपमहाद्वीप की तरह बंगला देश में जागती हुई स्वतंत्रता की चिंगारी को याह्या खाँ तथा उसके साथियों द्वारा सैनिक बूटों के नीचे अत्याचारपूर्ण तथा अमानवीय ढंग से भयंकर रक्तपात और दमन-चक्र द्वारा कुचला जा सके।

जहाँ तक विश्व जनमत जागृत करने का प्रश्न है, सोवियत रूस के अतिरिक्त संसार की अन्य सभी बड़ी शक्तियाँ अभी भी याह्या खाँ और उसके साथियों की सहायता कर रही हैं। अत: इस स्थिति में सरकार को देश को बता देना चाहिए कि हम शरणार्थियों पर अपनी इच्छा से धन व्यय कर रहे हैं क्योंकि हमारे सीमा पार के भाई बहिन वहाँ व्याप्त अत्याचारों को सहन न कर पाने के कारण हमारे देश में शरणार्थी बन कर आ रहे हैं। परन्तु हम अपने साथी सभी अन्तर्राष्ट्रीय संघों को यह बता देना चाहते हैं कि यह स्थिति देर तक नहीं चल सकती।

पाकिस्तान अब तक हमेशा भड़काने वाली कार्यवाहियाँ करता रहा है। उसने हमारी ही भूमि पर हमारे लोगों को मारा, भूमि छीनी तथा भारत के द्वारा लगातार विरोध-पत्र भेजे जाने पर भी विरोध-पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया उनकी परवाह नहीं की। अब उसने विस्थापितों की भयंकर समस्या हमारे सामने खड़ी कर दी है। हम सभी शरणार्थियों को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे देश का उनके प्रति कुछ कर्त्तव्य है।

परन्तु यदि ये शरणार्थी भारत में छः महीने अथवा उससे अधिक निर्धारित समय से अधिक समय तक रहते हैं तो उनके पालन-पोषण का भार तथा इस समस्या से निपटने की जिम्मेदारी विश्व समुदाय पर क्यों न डाली जाय ? हमें इस मामले को विश्व संगठन में अधिक सक्रियता से, अधिक मजबूती से उठाना चाहिये । परन्तु यह अत्यन्त हास्यास्पद बात रही है कि हम पाकिस्तान को विरोध-पत्र भेजते रहते हैं तथा संसार के समक्ष यह मामला दृढ़ता से पेश नहीं कर सकते । कूटनीतिज्ञता तथा नम्रता से कार्य लिया जाय परन्तु विश्व समुदाय को भी यह स्पष्ट रूप से बताया जाय कि इस मामले में कुछ न कुछ किया जाना चाहिये तथा यह कार्यवाही जितनी शीघ्र की जा सके उतना ही अच्छा है ।

मेरी समझ में नहीं आता कि यह समस्या इतनी व्यय साध्य होते हुए भी हम इस ओर ध्यान दे कर विश्व संगठन में इस मामले का जोरदार प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं ? राहत कार्य में संसार की सहायता माँगे बिना तथा अधिक बलपूर्वक समस्या के हल के लिए माँग रखे बिना हम इससे छूट नहीं सकते । यह भयंकर भार हमारे ऊपर बना ही रहेगा ।

हमने सोचा था कि बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों की संख्या बहुत कम होगी तथा राजनैतिक हल के पश्चात् उन्हें स्वदेश लौटाया जा सकेगा । परन्तु यह धारणा गलत सिद्ध हुई । अभी भी लाखों शरणार्थी भारत आ रहे हैं । इन शरणार्थियों को केवल सीमान्त क्षेत्रों पर भार न बनने देने के लिए उन्हें सम्पूर्ण भारत में विभिन्न प्रांतों में बाँट दिया गया ।

शरणार्थियों को विभिन्न राज्यों में ले जाने की समस्या भी बड़ी भयंकर है । अकेले परिवहन की समस्या ही विकट है । इसके अतिरिक्त कुछ राज्य इन शरणार्थियों को अपने यहाँ नहीं रखना चाहते जिसके लिये उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

सम्पूर्ण देश में निस्सन्देह बंगला देश के लोगों के लिए सहानुभूति है । बंगला देश के लोगों के धैर्य, उनकी सहनशक्ति तथा साहस की प्रशंसा की जा रही है । फिर भी इन दरिद्र व्यक्तियों को शरणार्थी रूप में कौन राज्य स्वीकार करना चाहेगा । मध्य प्रदेश में अवश्य ही इन लोगों को रखा जा सकता है क्योंकि इसके लिए वहाँ अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्थान उपलब्ध है । अन्य राज्यों ने इस संबंध में अपनी सामर्थ्यानुसार कार्य नहीं किया, फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा तथा मेघालय में शरणार्थी-समस्या असह्य हो उठी है । माननीय श्री खाडिलकर तथा मेरे अन्य मित्र इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं । त्रिपुरा को अपनी कुल जनसंख्या से भी अधिक शरणार्थी लेने पड़े । यद्यपि इनमें से अधिकतर कोई उत्पादक कार्य नहीं कर सकते परन्तु यदि कर भी सकें तो हमारे पास उनके लिए रोजगार के अवसर नहीं हैं । हम अपने देश-वासियों को ही रोजगार नहीं दे सकते । इस संबंध में कुछ न कुछ किया जाना चाहिये । शरणार्थियों को उन क्षेत्रों में भेज दिया जाना चाहिए जहाँ उन्हें पर्याप्त राहत सुविधायें मिल सकें । हमें आर्थिक नियोजन करना चाहिये । परन्तु सरकार जिस ढंग से प्रकोष्ठ स्थापित करके विलम्ब से कार्य कर रही है उससे समस्या का निपटारा सभंव नहीं है । शरणार्थियों को राहत देने का अर्थ उन्हें खाना कपड़ा देना नहीं अपितु उन्हें रोजगार देना है । इसके लिए हमें उन क्षेत्रों में लघु उद्योग खोलने पड़ेंगे । अपढ़ व अकुशल कारीगरों से कार्य लेने के लिए सड़क निर्माण कार्यक्रम चलाना होगा परन्तु इसके लिये समुचित योजना बनानी होगी क्योंकि बंगला देश के विस्थापितों के साथ उन क्षेत्रों के बेरोजगार भारतीयों को भी रोजगार देना होगा ।

शरणार्थी-शिविरों के प्रशासन में भी अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है। हम भी अपनी कमियों को जानते हैं जो हमारे सभी कार्यों पर अपना प्रभाव दिखाती हैं।

परन्तु बंगला देश के घटना-चक्र से हमारे अन्दर भाई चारे की जो भावना जागृत हुई है शायद उससे हममें किसी प्रकार का परिवर्तन आ सके जिससे हमारे अपने देशवासी न केवल बंगला देश के विस्थापितों की सहायता के लिए अपितु जिन क्षेत्रों में ये विस्थापित रखे जा रहे हैं, उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहायक बनने के लिए भी आगे आ सकें।

परन्तु इस संबंध में मुख्य बात यह है कि इस समस्या को स्थायी रूप नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में विश्व समुदाय को उसके दायित्व के प्रति सचेत करना है। हमें विश्व समुदाय को सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराना पड़ेगा। इसके लिये हमें अपने राजनैतिक सम्पर्क को बढ़ा कर अपनी गतिविधि तेज कर देनी चाहिये। बंगला देश को मान्यता देने से भी हमें काफी सहायता मिल सकती है। परन्तु सरकार इस संबंध में विचार किये बिना केवल 200 या 300 करोड़ रुपये की माँग कर रही है, जिस का कोई लाभ नहीं है। चाहे हम सभी अनुदानों की इन माँगों का कितना ही समर्थन करें परन्तु सरकार को इस संबंध में एक सक्रिय तथा सुदृढ़ नीति बनानी चाहिये तथा विश्व-समुदाय से इस समस्या का निपटारा कराने के लिये कहना चाहिये। भारत इस भार को अधिक देर तक सहन नहीं कर सकता अतः किसी प्रकार की राजनीतिक और कूटनीतिक कार्यवाही द्वारा भारत को भारमुक्त कराया जाय यह कार्यवाही केवल बंगला देश की मुक्ति ही हो सकती है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्रारम्भिक बजट में इस राशि को शामिल न करके भारत की जनता के साथ जबरदस्त धोखा किया गया है। हमने बार बार कहा था कि यह बजट असाधारण परिस्थितियों के उपयुक्त नहीं है परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा करके सदन के बुद्धिजीवियों तथा वित्त मंत्रालय के उत्साही तथा निष्ठावान बुद्धिजीवियों का अपमान किया गया था। प्रारम्भिक बजट में शरणार्थियों के पुनर्वास की इस समस्या को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया ? निश्चित रूप से सत्ताधारी दल ने ऐसा जान बूझकर किया।

भारत की जनता पर अपूर्व घाटे का भार बहुत अधिक हो गया है। परन्तु इस समय स्थिति समुद्र में बूंद के समान है। कल कौन जाने क्या हो ?

यदि इस पुनर्वास समस्या को ठीक ढंग से निपटाया जाय तो चालू वर्ष में मोटे तौर पर 600 करोड़ रुपये से कम खर्च नहीं होंगे। परन्तु जिस ढंग से ये अनुपूरक माँगें रखी गयी हैं उससे सरकार की अथवा देश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी।

ये असहाय लाखों व्यक्ति हमारे ही भाई-बन्धु हैं। उनके कल्याण तथा पालनपोषण के लिए हमें यथासंभव त्याग करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

इस समस्या को निपटाने के लिये ठोस राष्ट्रीय प्रयास जरूरी है। इसके लिये सर्वप्रथम मंत्री

महोदय को मितव्ययता का कार्यक्रम रखना चाहिये था। मंत्री महोदय को इस कार्य के लिये कम से कम 50 करोड़ रुपये का ऋण लेना चाहिये था। इससे लगता है कि सरकार अपने विकास कार्यक्रम के संबंध में सचेत है तथा देश के आर्थिक विकास की किसी मद में भी कटौती के लिये तैयार नहीं है। परन्तु हमें आशंका है कि इस कारण से विकास कार्यक्रम ही स्थगित हो जायेगा।

सरकार इस घाटे को हमसे छिपाना चाहती है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मित्र श्री त्रिदिब कुमार ने यह राशि 420 करोड़ रुपये बताई है, जो सही है। इससे पूर्व कीमतों में चिन्ता-जनक वृद्धि हुई है और ऐसी वृद्धि हाल ही में कभी नहीं हुई है। इस घाटे वाले बजट से सट्टे बाजों को, जो कीमतें बढ़ाने के लिये उत्सुक रहते हैं, प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिये सरकार यदि अनुपूरक माँग के स्थान पर अनुपूरक बजट प्रस्तुत करती तो अच्छा होता क्योंकि इससे मूल बजट की नये सिरे से व्यवस्था हो जाती।

इस संबंध में एक दो अन्य बातें भी विचारणीय हैं। शरणार्थियों की देखभाल के लिए 200 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त 13 करोड़ व्यक्ति बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश में भी सूखा पड़ा है। यदि इससे प्रभावित लोगों को भी सम्मिलित किया जाये तो यह संख्या 22 करोड़ हो जाती है जो कि देश की संख्या का 45 प्रतिशत है। बिहार में भी सूखा पड़ने का डर है और शरणार्थियों को सम्मिलित करने से यह संख्या 45-48 प्रतिशत तक पहुँच जाती है। यह सब कुछ छिपाने से स्पष्ट होता है कि सरकार इन लोगों की संकट के समय में सहायता नहीं करना चाहती। सदन इस बात को नज़र अन्दाज़ नहीं कर सकता और सरकार को इन लोगों के लिये भी राहत-कार्य की व्यवस्था करनी चाहिए।

मेरे अनुमान में अकेले बिहार ही में 200 करोड़ रुपये की राहत देने की आवश्यकता है। यदि करोड़ों पीड़ित पशुओं को छोड़ भी दिया जाये तो भी शायद 100 करोड़ रुपये की शीघ्र आवश्यकता होगी।

चूँकि चौथी पंचवर्षीय योजना को नये सिरे से तैयार करने के बारे में बताया जाता है, अतः इस दृष्टि से भी अनुपूरक बजट की आवश्यकता होगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में शरणार्थियों के कारण स्थिति भयावह हो जायेगी। सरकार ने यदि बंगला देश के प्रति सोच-विचार से नीति अपनाई होती तो हमें वर्तमान संकट का सामना नहीं करना पड़ता। हमने किसी वास्तविक समाधान के बारे में न सोच कर अपने आप को धोखे में रखा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मामले में किसी प्रकार की सहायतार्थ किसी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय दबाव नहीं पड़ा है और हमें अपने आप पर ही निर्भर रहना होगा।

हमने सोवियत रूस के साथ मित्रता-संधि की है। अवसर आने पर इस पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा, परन्तु हमें इस समस्या का समाधान स्वयं ही और अपने समाधानों से करना होगा और इस बारे में हम सरकार से आश्वासन चाहते हैं कि इसका उचित समाधान होगा।

एक बात और है कि सरकार ने शरणार्थियों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के रूप में 50 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई ऋण लिया है तो उसे

वापिस किया जाना चाहिये क्योंकि हम यह नहीं चाहते हैं कि अमेरिका एक ओर पाकिस्तान को अमानुषिक कार्यों के लिये सहायता दे और दूसरी ओर राहत के रूप में हमें थोड़ी सी सहायता दे। मैं चाहता हूँ कि हमें अमेरिका में अपने दूतावास को वाणिज्यिक स्तर पर ले आना चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बंगला देश की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है और मैं चाहता हूँ कि सदन को इस संबंध में कड़े शब्दों में अपनी भावनाएँ व्यक्त करनी चाहिएँ। सरकार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी अधिवेशन में कोई प्रतिनिधि-मण्डल न भेजकर मितव्ययता करनी चाहिये जिससे करोड़ों असहाय लोगों के लिये ही कुछ राशि बच रहे।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, जब बजट पेश किया गया था तो मैंने प्रधान मंत्री से कहा था कि संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए युद्धकालीन बजट पेश करना चाहिये।

शरणार्थियों के लिये 60 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गयी है वह बहुत कम है। मेरे मित्र ने 200 करोड़ रुपये का सुझाव दिया है। बंगला देश में अकाल की स्थिति होती जा रही है और मेरे अनुमान में शरणार्थियों की संख्या एक करोड़ 50 लाख हो जायेगी। फिर यह 200 करोड़ रुपये की राशि भी बहुत कम प्रतीत होगी। याह्या खाँ की संगठित फौज द्वारा लाखों लोगों को निकाला जा रहा है और हमारे लोगों की प्रतिक्रिया से प्रतीत होता है कि उन्हें यह सब मालूम नहीं है। सरकार ने इस संबंध में कोई जोरदार कार्यवाही नहीं की है, जो कि अनुचित है।

मेरे मित्र के अनुसार 400 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। आपने बताया है कि 15,000 प्रतिदिन अर्थात उपरोक्त 4 लाख शरणार्थी हर मास भारत में आ रहे हैं। कुछ ही महीने में यह संख्या बहुत बढ़ जायेगी। मेरा सुझाव है कि एक विशेष सत्र बुलाकर अनुपूरक बजट पेश करना चाहिये जिसमें ठीक राशि की व्यवस्था की जा सके। अन्यथा राशि बढ़ जायेगी और प्रत्येक व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके फलस्वरूप कीमतें जो पहले ही बहुत अधिक हैं और भी बढ़ेंगी। आज हमने सोवियत रूस के साथ मित्रता-संधि की है परन्तु मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यह भार हमें ही वहन करना पड़ेगा और कोई हमारा भार नहीं बँटायेगा।

हमें यह क्यों नहीं बताया जा रहा कि यह घाटा कैसे पूरा किया जायेगा ? देश में सूखे तथा वर्षा के कारण 200 करोड़ रुपये की हानि हुई है। सरकार को सम्पूर्ण स्थिति दर्शाते हुए बताना चाहिये कि यह बढ़ता हुआ घाटा किस प्रकार पूरा किया जायेगा।

शुरू-शुरू में कहा गया था कि विश्व जनमत याह्या खाँ को बदल देगा। अब कहा जा रहा है कि मुक्तिवाहिनी को विजय प्राप्त होगी। परन्तु यदि हम पर्याप्त सहायता नहीं करते तो यह विजय कैसे प्राप्त होगी। मुझे आशा है कि सरकार स्थिति से निपटने हेतु उचित कार्य-वाही करेगी।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : हम अनुपूरक माँगों का समर्थन करते हैं। हमारे यहाँ जो शरणार्थी आ रहे हैं वे पाकिस्तानी फौज द्वारा किये गये नरसंहार के कारण वहाँ से धकेले जा रहे

हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अभी लाखों की संख्या में और शरणार्थी आयेंगे । अत: 260 करोड़ रुपये की अनुदान की माँग इस कार्य के लिये अपर्याप्त होगी । इस संबंध में सरकार ने जो मानवीय रुख अपनाया है, इसके लिये हमें बड़ी प्रसन्नता है और हम प्रधान मंत्री के प्रयत्नों का समर्थन करते हैं ।

एक और बात जो मैं सदन के समक्ष लाना चाहता हूँ, वह है आन्ध्र में सूखे की स्थिति । वहाँ के मुख्य मंत्री ने कहा कि राहत कार्य के लिये 2 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी किन्तु आन्ध्र में एक तिहाई भाग में सदैव सूखा पड़ा रहता है । सरकार को आन्ध्र के लिये ही नहीं अपितु सारे देश के लिये अनुपूरक माँगें पेश करनी चाहिएँ ताकि सूखे से प्रभावित लोगों को राहत मिल सके ।

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Shajapur): Mr. Deputy Speaker, this supplementary Budget was a foregone conclusion as a provision of only 60 crore rupees was made in the budget in order to meet the situation created by the influx of Bangla Desh refugees.

This refugee problem has not confronted us for the first time. We have been facing this problem since the partition in 1947. They have again come from Burma, Ceylon and East African countries. This is all due to wrong policies of our Government. The Government's forecasts about the number of refugees have proved wrong as they are 80 lacs against estimated 30 lacs. In addition about 40-50 lacs of refugees are expected to cross over due to hunger and starvation. It is our traditional duty to provide shelter to the refugees. But are we really in a position to do so ?

If we had acted wisely from the very start, the problem could have been solved. But it is regrettable that Government never acts wisely. In case of Goa, they used to say, 'Let Salazar read the writing on the wall. There is no room for colonial rule in the world.' But we had to force them out. Nobody goes out unless he is compelled to. Problem of East Bengal is our internal affair and there is no need to internationalise it. It should be settled by us. It would have been better if we had helped Bangla Desh.

Lacs of refugees have crossed over to the Indian territory and Hon'ble Minister says that we consider them to be foreign citizens. Government should know it that these refugees, who have crossed and who shall cross, will never go back because there will be no normal situation in Pakistan so long as we are knocking the doors of Moscow and Washington. Pakistan has always witnessed dictatorship and why ask Big Powers to pressurize Pakistan for bringing democray in a small part. Every country keeps its national interest before it and Government should formulate its policies keeping this in view.

To-day, this house has warmly greeted the Indo-U. S. S. R. Treaty. Before it, we were free to decide any way. But now we will have to consult which means that, ultimately, we are dragged to consent. Mr. Deputy Speaker, we should take a lesson from this Supplementary Budget and take steps to prevent future influx of refugees as well as for those who have already come. We want this assurance from the Government.

श्री समर गुह (कन्टाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में प्रधान मंत्री आज अत्यन्त प्रसन्न हैं क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और मुझे आशा है कि स्वतन्त्रता दिवस पर वह बंगला देश को मान्यता देने की घोषणा कर देंगी । 200 करोड़ रुपये के बजट वाली बात तो

रोग के लक्षणों से निपटने के लिए है। परन्तु रोग तो तभी दूर होगा जब बंगला देश को मान्यता दी जायेगी।

प्रधानमंत्री एक व्यक्ति ही नहीं हैं, लोकतांत्रिक देश में वह सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके प्रत्येक कार्य से ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वह इस अत्यन्त महत्वपूर्ण समय में इस समस्या के प्रति गम्भीरता से कार्य कर रही हैं। बंगला देश की समस्या बंगला देश से ही संबंधित नहीं है परन्तु इसका संबंध तो खैबर से लेकर कोहिमा तक सम्पूर्ण महाद्वीप के साथ है।

एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होने जा रहा है। बंगला देश के कारण एक क्रान्ति आयेगी। इससे 1947 के विभाजन द्वारा उत्पन्न दुःखों का अन्त हो जायेगा। बंगला देश ने सम्पूर्ण महाद्वीप के लोगों को आशा की किरण दिखाई है। अब प्रधानमंत्री को इस संदर्भ में इतिहास का निर्माण करना है। अब यह देखना है कि प्रधानमंत्री किस प्रकार इस चुनौती को स्वीकार करती हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस वादविवाद में भाग लिया है और कुछ सुझाव दिये हैं।

यह 200 करोड़ रुपये की राशि अन्य अनुपूरक माँगों से सर्वथा भिन्न है क्योंकि यह राशि बंगला देश के लोगों की स्वतन्त्रता के लिये निवेश के रूप में है। मेरे वरिष्ठ साथी श्री खाडिलकर शरणार्थियों के पुनर्वास संबंधी वास्तविक कार्य के बारे में बताएंगे, अतः मैं उन वित्तीय प्रश्नों पर ही बोलूँगा जो कि माननीय सदस्यों ने उठाये हैं।

शरणार्थियों पर होने वाले 200 करोड़ रुपये के व्यय में से 50 करोड़ रुपये उस सहायता के संबंध में खर्च किये जाएंगे जिसके लिये हम पहले ही वचनबद्ध हैं। इसका अर्थ यह है कि घाटे की अर्थव्यवस्था 150 करोड़ रुपये की होगी। हम इस राशि को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। आने वाले समय में हम सारी अर्थव्यवस्था एवं बजट संबंधी स्थिति की पुनरीक्षा करेंगे और योजना से भिन्न व्यय में एवं और भी तरीकों से खर्च में कमी और बचत करेंगे। करों से भी अनुमान से अधिक आय की आशा है और इस विस्तृत पुनरीक्षा के अनुसार यदि संसाधन एकत्रित करने की और आवश्यता होगी तो यह कार्य भी किया जायेगा।

यह सौभाग्य की बात है कि शरणार्थियों के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों की स्थिति अच्छी ही रहेगी। हम चावल तथा खाद्य तेलों का अतिरिक्त आयात भी कर रहे हैं और अत्यधिक आवश्यक वस्तुओं के बारे में स्थिति सन्तोषप्रद है।

माननीव सदस्य श्री श्याम नन्दन मिश्र का सुझाव है कि अनुपूरक बजट लाया जाना चाहिए था। मैंने सरकार को तर्क दिया है कि सदन द्वारा कुछ ही दिन पूर्व पारित वित्त विधेयक में संसाधन एकत्रित करने संबंधी जोरदार प्रयत्नों का उल्लेख है। बजट पारित होने के एकदम बाद अनुपूरक बजट लाना संभव नहीं है। सारी स्थिति की पुनरीक्षा के पश्चात् यदि संसाधन एकत्रित करने की और आवश्यकता हुई तो सरकार ऐसा अवश्य करेगी। मैं इस संदर्भ में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विकास-कार्य भी निरन्तर जारी रखे जायेंगे क्योंकि यह तथा आन्तरिक

परिवर्तन हमारे देश के लोगों के लिये ही नहीं अपितु बंगला देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिये भी सहायक होंगे ।

अभूतपूर्व सूखे तथा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये राहत कार्य का भी उल्लेख किया गया है । 1971-72 के बजट में राज्य सरकारों को 35 करोड़ ऋण के रूप में तथा 15 करोड़ रुपये सहायता अनुदानों के रूप में देने की व्यवस्था की गयी है और यदि और रुपये की आवश्यकता हुई तो सरकार निश्चित रूप से आवश्यक संसाधन जुटायेगी ।

बंगला देश को मान्यता देने का जो प्रश्न उठाया गया है उसके राजनीतिक पहलू के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ । यह मामला कई बार उठाया गया है और सरकार का रुख स्पष्ट शब्दों में बताया जा चुका है । सरकार स्वतंत्रता संग्राम में बंगला देश के लोगों की सहायता करने के लिए वचनबद्ध है । इस पेचीदा स्थिति में सरकार को इस संबंध में अपनी नीति लागू करने की कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए ।

आज सुबह सदन ने सोवियत रूस के साथ शान्ति, मित्रता एवं सहयोग की सन्धि का बड़ी गर्म जोशी से स्वागत किया है परन्तु मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ राव जोशी यह सोचते हैं कि इससे हमारी निर्णय लेने की शक्ति सीमित हो गयी है । हमें इस प्रकार की राजनीति एवं विघटनकारी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों से निपटने के लिये संघर्ष करना होगा । जबकि यह ऐतिहासिक घटना घटी है और सारे सदन ने इसकी अत्यन्त सराहना की है माननीय सदस्य इस सन्धि का गलत अर्थ निकाल रहे हैं । उन्होंने कहा है कि हमें अपनी रक्षा के लिये बंगला देश में जाना चाहिए तो यह याह्या खाँ की भाषा ही प्रतीत होती है । यह खतरनाक सिद्धान्त तो हमें सबसे अलग कर सकता था । हमने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को जाग्रत करने का पूरा प्रयत्न किया है और इसकी प्रतिक्रिया हो रही है । माननीय सदस्य के विचार में यदि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की अन्तरात्मा सोयी हुई है तो इसमें सरकार का ही दोष है ।

महोदय, इन शब्दों के साथ ही मैं कुछ विशिष्ट मामलों का स्पष्टीकरण अपने वरिष्ठ साथी पर छोड़ता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1970-71 के लिये अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक माँगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं

The following supplementary demands for grants were put and adopted

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
25	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायक अनुदान	1,20,00,00,000
66	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	80,00,00,000

विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1971

APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1971

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से और कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से और कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूँ :

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से और कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से और कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2-3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2-3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2-3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मेरे साथी ने वित्तीय तथा बजट सम्बन्धी आलोचना का उत्तर दिया है परन्तु अधिकांशत: सभी ने इन माँगों का समर्थन किया है ।

इस सदन ने बंगला देश के लोगों के प्रति जो एकता एवं समर्थन व्यक्त किया है उसको दृष्टि में रखते हुए मैं उसके कार्य के बारे में बताऊँगा जो कि हमने इस संबंध में किया है । श्री मिश्र ने जो कहा है कि केवल 60 करोड़ की ही व्यवस्था क्यों की गयी है, इसके उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि यह तो नाम मात्र को है क्योंकि यह जिम्मेवारी मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की है और जैसा कि प्रो० हीरेन मुखर्जी ने बताया है कि उन्होंने ही फिलिस्तीन के शरणार्थियों का भार कई वर्षों तक वहन किया है । परन्तु, दुर्भाग्यवश, उनके अब तक जो प्रयत्न हैं वे समस्या के आकार को देखते हुए बहुत कम हैं ।

अब तक हमने नकदी तथा जिन्स के रूप में 9 करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं । यह बहुत निराशाजनक बात है परन्तु हमें आशा है कि खाद्य तथा परिवहन के संबंध में जो वचन दिये गये हैं वे पूरे किये जायेंगे । संसार अब समस्या के बड़े आकार से परिचित हो गया है । हमें आशा करनी चाहिए कि हमें और राहत प्राप्त होगी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण सहायता प्रदान करेंगे । अभी कल ही सहायता प्राप्त हुई है और ऐसी संभावना है कि परिवहन, वाहनों तथा जीपों एवं अन्य वस्तुओं की आवश्यकता शीघ्र पूरी हो जायेगी । इसी प्रकार खाद्य सामग्री के बारे में नये वचन दिये गये हैं ।

मेरे पास के आँकड़ों से पता चलता है कि हमें आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस इत्यादि से कितनी सहायता प्राप्त हुई है । आगामी दो मास में 35 करोड़ रुपये की खाद्य सामग्री प्राप्त होगी—पके बीज, 1,71,000 मीटरी टन, चावल 2,20,000 मीटरी टन, सोया बीन का तेल 15,000 मीटरी टन, दूध का पाउडर 7,000 मीटरी टन । हमें चावल तथा आश्रय संबंधी सामग्री की और आवश्यकता है । दूध के पाउडर तथा कतिपय पौष्टिक आहार की शीघ्र आवश्यकता है । मुझे आशा है कि अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण और सहायता का वचन देंगे ।

त्रिपुरा से एक माननीय सदस्य ने कहा था कि त्रिपुरा की जितनी जनसंख्या है वहाँ पर उतने ही शरणार्थी आ गये हैं और इससे प्रशासन पर अत्यधिक बोझ आ पड़ा है । श्री त्रिदिब चौधरी जैसे माननीय सदस्यों और विदेशियों ने शिवरों का दौरा किया है और प्रशासन के कार्य को सराहा है । बंगला देश की जनसंख्या का 10 प्रतिशत यहाँ पर आ चुका है । इस संबंध में प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है । आज ही अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण औक्सफैम का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस संकट के समय कार्य करने के लिये प्रशासन की बहुत सराहना की गयी है ।

श्री समर गुह : जब भी विदेशी प्रतिनिधि मन्डल आये हैं उन्होंने तो आलोचना ही की है। आप अपने कथन की पुष्टि के लिए कोई उदाहरण देंगे ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मुझे आज ही यह पत्र प्राप्त हुआ है और त्रिपुरा में प्रशासन की सराहना की गयी है। अभी हमने 50 करोड़ रुपये का ऋण लिया है जो हमें विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त होगा। 150 करोड़ रुपये का भार हमारी वित्त व्यवस्था पर है। आगामी सत्र से पूर्व बजट संबंधी सारी स्थिति की पुनरीक्षा की जायेगी। यह व्यवस्था हमने दिसम्बर के अन्त तक के लिए की है। मुझे बंगला देश के लोगों में पूर्ण विश्वास है और वे अपने देश को स्वतन्त्र कराने के लिए कृत संकल्प हैं। श्री जगन्नाथ राव जोशी समझते हैं कि यह समस्या निरन्तर चलती रहेगी और हमें यह भार वहन करना पड़ेगा। यह आलोचना ठीक नहीं है। श्री चिन्तामणि पाणिग्राही ने एक बात बताई है जिसे मैं नोट करूँगा। उन्होंने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य देशों से कुछ प्रेक्षक बंगला देश में गये हैं जो संचार व्यवस्था इत्यादि की मरम्मत कर रहे हैं। इन प्रेक्षकों की संख्या लगभग 100 बताई गयी है जिसमें कुछ इंजीनियर भी हैं और वे संचार लाइनों की मरम्मत कर रहे हैं। चूँकि इस समाचार की अभी पुष्टि नहीं हुई है अतः मैं कह नहीं सकता कि यह समाचार कहाँ तक ठीक है। परन्तु मुझे समाचार-पत्रों एवं अन्य स्वतन्त्र साधनों से पता चला है कि कुछ विदेशी तत्व बंगला देश में गये हैं जो यह कार्य कर रहे हैं ताकि याह्या खाँ की सेनायें, जो कुछ केन्द्रों तक सीमित हैं, अपनी गति-विधियों का आसानी से प्रसार कर सकें। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण इस प्रकार बंगला देश की सहायता कर रहा है तो यह कार्य जितना शीघ्र बन्द हो उतना ही अच्छा है। इससे तो उन लोगों पर उल्टा असर हो रहा है।

श्री के० डी० मालवीय (डुमरियागंज) : क्या ये लोग याह्या खाँ के निमन्त्रण पर आये हैं और इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं ठीक से कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने समाचार पढ़ा है और मैं कुछ भी नहीं कह सकता।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इतनी शरारतपूर्ण कार्यवाही कर रहा है तो उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता को अस्वीकार क्यों नहीं किया जाता ?

श्री आर० के० खाडिलकर : अब मैं सामने बैठे एक मित्र द्वारा कही गयी बात का उल्लेख करूँगा। उनके मतानुसार हमारी नीति असफल रही है। वे कहते हैं कि सोवियत रूस के साथ की गयी मित्रता की संधि से हमारी स्वतन्त्रता सीमित हो गयी है। मैं इस प्रकार की आलोचना का पूरी शक्ति के साथ विरोध करता हूँ और इसे गलत मानता हूँ। मैं केवल यही कहूँगा कि इससे हमारी स्वतन्त्रता को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। इससे हम पर आक्रमण की कम संभावना है और जिन्होंने इस प्रकार की योजनाएँ बनाई हैं वे उन्हें कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे।

इस मामले के अन्य पहलुओं पर मेरे साथी पहले ही बोल चुके हैं। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक पेश करता हूँ :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

पूर्व रेलवे में दुर्घटनाओं के संबंध में चर्चा

DISCUSSION RE : ACCIDENT ON THE EASTERN RAILWAY

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह चर्चा कलकत्ता के सियालदह डिवीजन में हुई दो दु:खदायी दुर्घटनाओं के बारे में है जिसमें क्रमश: 11 तथा 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । चूँकि यह चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत हो रही है इसलिये हमें जाँच के परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिए । ब्यौरा जाने बगैर इस चर्चा का केवल यही लाभ है कि हम हताहतों के विषय में शोक प्रकट कर रहे हैं । अत: रेल मंत्री को इस बारे में वास्तविक कारणों पर प्रकाश डालना चाहिए ।

मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि क्या संबंधित व्यक्तियों एवं रेलवे कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से मुआवज़ा दिया गया है और यह मुआवज़ा किस आधार पर निर्धारित किया गया है ।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K. N. TIWARY *in the chair*]

इस प्रकार की दुर्घटनायें पहले भी हुई हैं और पश्चिम बंगाल में गड़बड़ी की स्थिति के कारण ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति की आशंका है । अत: रेल मन्त्री को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि यह दुर्घटनायें किस कारण होती हैं जिन्हें दूर करके भविष्य में दुर्घटनायें रोकी जा सकें । मेरा सुझाव है कि संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये जो 15 दिन के अन्दर जाँच करके अपनी रिपोर्ट पेश करे ।

समाचार-पत्रों में यह बात आई है कि रेलवे सुरक्षा बल में कुछ व्यक्तियों को भर्ती कर रहे हैं । यह भी समाचार है कि यह कार्य पश्चिमी बंगाल सरकार को सौंप दिया गया है । पश्चिमी बंगाल में केन्द्र का शासन है और यह कार्य राज्य सरकार के सहयोग से शीघ्र होना चाहिए ताकि गड़बड़ी को रोका जा सके और रेल की पटरियों की सुरक्षा की जा सके । मैं ब्यौरे में नहीं जाना चाहता परन्तु यदि हमें जाँच की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती तो हम दुर्घटनाओं के कारणों पर विचार कर सकते थे और उपचारात्मक उपायों के संबंध में सुझाव दे सकते थे ।

यदि उचित लगे तो मेरा सुझाव यही है कि संसद् सदस्यों की एक समिति बनायी जाये जो दुर्घटना के कारणों की जाँच करे तथा उन्हें दूर करने के विषय में अपने सुझाव दे । परन्तु समिति को अपनी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी चाहिए और इस आधार पर कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिए ।

यद्यपि मैंने ही इस प्रस्ताव को मुख्य रूप से पेश किया है परन्तु मुझे एक अत्यावश्यक कार्य है इसलिए मुझे जाने की अनुमति प्रदान की जाये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : होटार और मगरहाट स्टेशनों के बीच जो दुर्घटना हुई उसके बारे में हमें केवल इतना ही मालूम है कि एक शाम को लगभग 7·30 बजे संचार बिल्कुल ठप्प हो गया था और अगले दिन सुबह लगभग चार बजे एक लाइट इंजिन चला और यह एक दूसरे लाइट इंजिन से टकरा गया । 40 मिनट के बाद एक पूरी रेलगाड़ी आई और इस इंजिन से टकरा गई और इस दुर्घटना में नौ या दस व्यक्ति हताहत हुए । मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस दुर्घटना के तुरन्त बाद मंत्री महोदय हमें इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दे सके कि संचार पूरी तरह से ठप्प हो जाने के बावजूद किसी के आदेश से एक लाइट इंजिन चलता है और दूसरे इंजिन से टकराता है तथा 40 मिनट बाद पूरी रेलगाड़ी इनसे टकराती है, नौ या दस व्यक्ति हताहत हुए और मामला समाप्त हो गया ।

इसके अतिरिक्त उल्टाडांगा रोड स्टेशन का मामला है । यह स्टेशन कलकत्ता शहर के परिसर में है । यह सियालदह से अगला स्टेशन है । इस स्टेशन पर रात दिन बहुत अधिक काम होता है परन्तु वहाँ पर यात्रियों को बहुत कम सुविधाएँ प्रदान की गई हैं । वहाँ पर एक भी लाउडस्पीकर की व्यवस्था नहीं है । स्टेशन में कई प्लेटफार्म हैं परन्तु वहाँ एक भी ऐसा शैड नहीं है जहाँ यात्री धूप या बारिश से बचने के लिए खड़े हो सकें । वहाँ पर्याप्त ओवरब्रिज भी नहीं हैं ।

31 जुलाई को लगभग 8·30 बजे जब उपनगरीय गाड़ी संख्या पी–398 डाउन उल्टाडांगा रोड स्टेशन की डाउन उपनगरीय लाइन पर खड़ी थी तो एक और डाउन उपनगरीय गाड़ी पीछे से आकर इस गाड़ी से टकरा गई । ऐसा कैसे हुआ ? इस गलती के लिये कौन जिम्मेदार था ? यह घटना किसी व्यक्ति की गलती के कारण हुई या तकनीकी गलती के कारण ? इस दुर्घटना में नौ व्यक्ति मारे गये । संभवतः हताहतों की संख्या इससे भी कहीं अधिक है । दूसरी दुर्घटना में इतने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कुछ और व्यक्तियों के मारे जाने की भी संभावना है । मेरी समझ में नहीं आता कि रेलवे कैसे काम कर रहा है ।

मैं इस विचार से सहमत नहीं कि संसद सदस्यों की एक छोटी समिति इन घटनाओं की जाँच करे । संसद सदस्यों का इससे क्या संबंध है, वे इन बातों को नहीं समझते । संसद सदस्यों द्वारा इसकी जाँच कराने की बात हास्यजनक है । बहुत से विशेषज्ञ हैं जो इसकी जाँच कर सकते हैं । बाद में मंत्री महोदय को इस संबंध में कोई युक्ति संगत विवरण प्रस्तुत करना चाहिए ।

सभा पटल पर जो दो विवरण रखे गये हैं वे युक्ति संगत नहीं प्रतीत होते । उनमें केवल यह जानकारी दी गई है कि एक ऐसी दुर्घटना हुई है, जो नहीं होनी चाहिये थी । मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस संबंध में क्या कहूँ । मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य की प्रतीक्षा करूँगा ।

जापान में कुछ समय पूर्व एक बहुत गम्भीर विमान दुर्घटना हुई । जापानी मंत्री दुर्घटना स्थल पर गये, उन्होंने कुछ मृतकों के संबंधियों के पैर छुए और उनसे क्षमा माँगी और टोक्यो वापस जाने के बाद उन्होंने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया । श्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी दक्षिण में हुई कुछ दुर्घटनाओं के बाद अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था । मैं श्री हनुमन्तैया से त्याग-पत्र

देने के लिये नहीं कह रहा क्योंकि मुझे मालूम है कि उन के स्थान पर किसी और को रेलवे मंत्री बना देने से इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। इसलिये मैं उनसे त्याग-पत्र देने के लिये नहीं कह रहा परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि अन्ततोगत्वा इन दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेवार कौन था ? इस सभा को यह बताया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को यह बहाना नहीं करना चाहिये कि पूर्वी रेलवे में जो कुछ हुआ वह होना ही था उसे कौन टाल सकता था। मंत्री महोदय को हमें बताना चाहिये कि यह कैसे हुआ और सरकार उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है जो इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं ?

श्री माधुर्य्य हालदार (मथुरापुर) : रेलवे मंत्री चाहे कुछ भी वक्तव्य दें या विभागीय जाँच की चाहे जो भी रिपोर्ट है मगरहाट और होटार के बीच हुई रेल दुर्घटना के लिए रेलवे मंत्रालय ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। होटार तथा मगरहाट के बीच वेटक नामक एक पुलिया है। उस स्थान पर भूमि के नीचे होटार तथा मगरहाट के बीच टेलीफोन संचार सेवा के लिये बिछाई गई तार को उत्पाती लोगों ने चुरा लिया। यह चोरी पहले 17-4-71 को हुई जिसके फल-स्वरूप इन दोनों में 5 घण्टे 10 मिनट तक संचार सम्पर्क नहीं रहा। उसके बाद 30-4-71 को 8 घण्टे तक इन दोनों स्टेशनों के बीच संचार व्यवस्था ठप्प रही। मई में चोरी के 13 मामले हुए जिससे कुल 148 घण्टे 50 मिनट तक संचार सम्पर्क बन्द रहा। इस तरह चोरियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। डाक तथा तार विभाग ने रेल प्रशासन को उस पुल की सुरक्षा के लिये तथा वहाँ चोरी न होने देने की व्यवस्था करने के लिए बराबर अनुरोध किया। परन्तु रेल प्रशासन ने इस संबंध में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने इन दोनों स्टेशनों के बीच बेतार जैसी कोई वैकल्पिक संचार व्यवस्था भी नहीं की। बेतार व्यवस्था दुर्घटना होने के बाद 6 जुलाई की प्रातः काल को की गई। रेलवे मंत्रालय रेलवे सुरक्षा दल पर करोड़ों रुपया व्यय कर रहा है। यदि वहाँ पर रेलवे सुरक्षा दल की नियुक्ति की गई होती तो तारों की चोरी न होती और संभवतः कोई दुर्घटना भी न होती।

अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ ने 22 जून, 1971 को यह मामला मंडलीय अधीक्षक, सियालदह के सामने रखा। होटार के सहायक स्टेशन मास्टर और स्टेशन मास्टर तथा सोनारपुर के सहायक स्टेशन मास्टर ने 10 जून, 1971 को सियालदह के मंडलीय अधीक्षक के समक्ष यह मामला रखा तथा यह कहा कि उन्हें यात्रियों तथा सियालदह नियंत्रण (कंट्रोल) के दबाव में काम करना पड़ा। यदि वे सियालदह नियंत्रण (कंट्रोल) के आदेशों के अनुसार काम नहीं करते तो उन्हें सजा दी जाती।

उस गाड़ी विशेष एस० डी० 103 अप के गार्ड को हाल ही में श्रेणी चार से टी० सी० सहायक (हेल्पर) के पद पर पदोन्नत किया गया। उसने गार्ड के कार्य का प्रशिक्षण नहीं लिया था फिर भी वह गार्ड के रूप में कार्य कर रहा था, क्योंकि वह डिवीजनल आप्रेटिंग सुप्रिटेण्डेण्ट का विशेष कृपा पात्र था। भाई भतीजावाद का यह एक उदाहरण है।

जैसाकि मैंने पहले ही कहा कि यातायात विभाग के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को यात्रियों तथा रेल प्रशासन दोनों के दबाव में कार्य करना पड़ता है। एस० डी० 103 अप के इस ड्राइवर को दण्ड की धमकी के कारण अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ा। उसके पास कुछ पैसा था जिसे वह ड्यूटी में जाने से पूर्व घर में जमा करवाना चाहता था परन्तु उसे ऐसा नहीं करने दिया गया।

अब मैं राहत कार्यों के संबंध में बोलने जा रहा हूँ । घायल व्यक्तियों को 400 रुपये प्रति व्यक्ति तथा मृतकों के निकट संबंधियों को 500 रुपये दिये जा रहे हैं । घायलों तथा मृतकों के बीच केवल 100 रुपये का अन्तर है ।

'रटेट्समैन' समाचार-पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि 25 रेलगाडियों को बन्द किया जा रहा है और रेलों की गति 60 मील प्रति घण्टा से घटाकर 40 मील कर दी जाएगी । इस तरह रेलवे प्रशासन चोरों के बदले यात्रियों को दण्ड देने जा रहा है । रेलवे मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर दें ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (दक्षिण कलकत्ता) : महोदय, होटार तथा मगरहाट के बीच हुई दुर्घटना तथा उल्टाडाँगा में हुई अभी हाल की दुर्घटना के बारे में हमें एक वक्तव्य मिला है जो सभा पटल पर रखा गया था । इस वक्तव्य में 6-7-71 को हुई पहली दुर्वटना का उल्लेख किया गया है कि शाम को 7·50 बजे से पूरी रात तक टेलीफोन, तार आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी । यह बात समझ में नहीं आती कि जब समूची संचार व्यवस्था ठप्प हो चुकी थी तो स्टेशन मास्टर या यार्ड मास्टर ने रेलवे ड्राइवरों को लाइट इंजिन चलाने के निदेश कैसे दिये । दूसरी ओर यह भी समझ में नहीं आता कि जब संचार व्यवस्था भंग हो चुकी थी तो यातायात अधीक्षक ने इन गाड़ियों को चलाने की सलाह कैसे दी ।

उल्टाडाँगा में हुई दूसरी दुर्घटना के संबंध में वहाँ के सिगनल प्राधिकारी यह जानते हैं कि उपनगरीप लाइन पर प्रति 15 मिनट के बाद सियालदह से राणाघाट अथवा सियालदह से कृष्णानगर तक यात्री गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं फिर सिगनल प्राधिकारियों ने इसी लाइन पर किसी अन्य गाड़ी को जाने की अनुमति कैसे दी ?

इसलिये मेरे विचार में इसकी सारी जिम्मेदारी रेलवे अधिकारियों की थी । उन्होंने अपने कर्त्तव्य पालन में लापरवाही की और इसके लिये उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए ।

भविष्य में रेलों में होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में रेल मंत्री को चाहिये कि ऐसे मामलों की जाँच करने के लिए रेलवे से भिन्न कोई अन्य उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जानी चाहिए ।

यदि गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्री किसी कठिनाई अथवा दुर्घटना में फँस जाते हैं और यदि इसके लिये रेलवे प्राधिकारी जिम्मेदार हैं तो रेलवे प्राधिकारियों को चाहिये कि वे इन यात्रियों को मुआवजा दें । मरने वालों के निकट संबंधियों को मुआवजा देने के बजाय रेलवे को चाहिए कि उन्हें रेलवे में उपयुक्त रोजगार दें । मंत्री महोदय बताएँ कि क्या वे इस सुझाव को मानने के लिये तैयार हैं ?

हमें पश्चिमी बंगाल में ताँबे की तारों तथा अन्य सामान की चोरी के संबंध में सदैव कठिनाई का सामना करना पड़ता है । चोरियाँ करने वाले केवल समाजविरोधी तत्व नहीं हैं अपितु इनके पीछे कुछ ऐसे व्यक्तियों का हाथ है जिन्हें राजनीतिक सरंक्षण प्राप्त है । सरकार को इसकी जाँच करवानी चाहिये । अन्त में मैं राजधानी एक्सप्रैस के बारे में कुछ कहना चाहूँगा जो

कि सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है । इस गाड़ी की टक्कर अथवा दुर्घटना कराने के कई प्रयत्न किए गए हैं । हाल ही में धनबाद के निकट एक ऐसा प्रयत्न किया गया है । इस प्रकार के संभावित खतरों तथा दुर्घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा करने के लिये समुचित कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री केशव देव मालवीय (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त दुर्घटनाए होना बहुत शोचनीय है । आशा है कि मंत्री महोदय इस मामले की जाँच करेंगे और सभा को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करेंगे कि ये दुर्घटनाएँ क्यों होती हैं और भविष्य में इन्हें रोकने के लिये क्या कदम उठाए जाएँगे ?

रेलों का यातायात बहुत अधिक बढ़ गया है । संभवतः इसकी व्यवस्था करना रेलवे बोर्ड के नियंत्रण से बाहर हो गया है । अब यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई है जिसके कारण रेलों के समूचे कार्यचालन में गिरावट आ गई है ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति पूरी हो गई । माननीय सदस्य बोल सकते हैं ।

श्री के० डी० मालवीय : सरकार को चाहिये कि वह रेलों द्वारा यात्रा करने की प्रवृत्ति अधिक प्रोत्साहित न करे । इस समय रेलों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है । मेरे विचार से विशेषकर बिहार तथा भारत के पूर्वी भाग में इस नीति से, चाहे तारों की चोरी का मामला हो, चाहे कुप्रबन्ध का, स्थिति में सुधार होने में सहायता मिलेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : आज रेल-सेवा की दशा इतनी खराब हो गई है कि मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय रेल में सफर करना मौत के मुँह में जाना है । गत वर्षों में रेल मंत्री द्वारा सियालदह डिवीजन की ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । अतः रेल प्राधिकारी केवल फिश प्लेटों को उखाड़ने और तोड़-फोड़ आदि का दोष नहीं बता सकते ।

उल्टाडांगा में हुई दुर्घटना में रेलवे ने मृतकों की जो संख्या बताई है वह वास्तव में, उस दुर्घटना में मरे व्यक्तियों की संख्या से कहीं कम है उलटाडांगा की दुर्घटना का कारण मोटरमैन पर अत्यधिक कार्यभार का होना कहा जा सकता है । थकावट के कारण वह लाल सिगनल नहीं देख सका जिसके कारण यह दुर्घटना हुई । वास्तव में ट्रेनों को बिना सिगनल के चलने दिया जाता है । यह भयंकर दुर्घटना भी इसी प्रकार हुई । सियालदह नियंत्रण कक्ष ने सहायक स्टेशन मास्टर को नियम विरुद्ध ट्रेन चलाने के लिये विवश किया । भूमिगत केबलों की भी अक्सर चोरी होती रहती हैं । रेलवे को केबलों की चोरी रोकने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये । उक्त पैसिंजर गाड़ी में एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी गार्ड का काम कर रहा था । इस दुर्घटना से केवल 1 मास पूर्व ही उसे गार्ड का काम करने की अनुमति दी गयी थी । चूँकि यह सारा कार्य नियम विरुद्ध था अतः उक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को जाँच आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने से बचाने के लिये अस्पताल में भरती करा दिया गया । जाँच आयोग द्वारा दुर्घटना की जाँच के कागजात तैयार कर लिये जाने के 7 दिन बाद ही उसे बाहर आने दिया गया । पुलिस ने भी इस मामले में संगत दस्तावेज नहीं देखे । वास्तव में इन दुर्घटनाओं की विभागीय जाँच न होकर न्यायिक जाँच की जानी चाहिये थी क्योंकि विभागीय जाँच केवल धोखा मात्र है ।

दुर्घटना ग्रस्त रेल यात्रियों को भी बीमे के अन्तर्गत कुछ धन देने की व्यवस्था के संबंध में सरकार को विचार करना चाहिये ।

केबल तारों की चोरी के संबंध में मेरे पास समाचार-पत्रों की कुछ कतरने हैं, जिनसे पता चलता है कि रेलवे के अनेक सुरक्षोपाय तथा सुरक्षा दल कुछ नहीं कर रहे हैं । दिनांक 2–8–71 के 'युगान्तर' में 3 लाख रुपये मूल्य के केबल की चोरी का उल्लेख है, जो रेलवे सुरक्षा दल के एक व्यक्ति के घर से बरामद हुआ था ।

सभापति महोदय : परन्तु इन सब बातों का दुर्घटना से क्या संबंध है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : केबिलों की बार-बार चोरी के कारण ही ये दुर्घटनायें हुई । रेलवे अधिकारियों की शह के कारण ही ये चोरियाँ होती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विचाराधीन दुर्घटना तक ही अपनी बात सीमित रखें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन सब चोरियों के पीछे पुलिस अधिकारियों, असामाजिक तत्वों का गिरोह काम कर रहा है । मंत्रालय को इसके लिये आन्तरिक व्यवस्था में सुधार करना चाहिये । रेलवे बोर्ड इस कार्य के सर्वथा अयोग्य सिद्ध हुआ है । हमें इस समस्या को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हल करना है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ये सभी बातें एक दूसरे से संबंधित हैं । कुंजरु समिति तथा राजाध्यक्ष समिति के प्रतिवेदन में भी कहा गया है कि निर्धारित समय से अधिक समय अपनी ड्यूटी पर बैठने से कर्मचारियों को होने वाली थकान के कारण ही ये दुर्घटनायें होती हैं । यद्यपि नियमत: रेलवे कर्मचारियों से दस घंटे तक ही कार्य लिया जा सकता है परन्तु कभी कभी उनसे 14 घंटे या उससे भी अधिक समय तक काम लिया जाता है । अत: रेलों की दुर्घटना को रोकने के लिये इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । दुर्घटनाओं की व्यापकता को देखते हुए इस समस्या को अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से हल किया जाय तथा प्रत्येक दुर्घटना की अलग अलग जाँच के स्थान पर सभी दुर्घटनाओं के कारणों की सामूहिक जाँच करके हल निकाला जाय । इस संबंध में रेलवे प्रशासन का कार्य भर्त्सना योग्य है । मेरे विचार में रेल-दुर्घटना में मरने वाले सभी व्यक्तियों को पर्याप्त हर्जाने की राशि दी जानी चाहिये ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI (Morena) : I would like to submit that these accidents take place only because of the fatigue of the over working staff. I would like to say something about the thefts. Certain elements are behind these thefts. These elements play with the lives of the people. Therefore, in order to find out the facts a judicial inquiry should be made into this accident.

SHRI RAMAWATAR SHASTRI (Patna) : Sir, I also want to read out some portions from the 'Movement—main organ of the All India Station Masters' Association in order to facilitate to find out some solution of this problem and on the basis of that information you may take some proper action. These portions are as follows :

"There was total failure of communications between Hotar and Magrahat on the previous night. Trains were run on special rules for running trains during total failure of communications on single line. Magrahat sent line clear enquiry by the last Up passenger train for 3 trains in a series, namely, Up Goods Special or SD 101 Up. SD 103 Up. Hotar granted line clear by last Dn. passenger train for three trains, namly SD 101 Up. Up Goods Special and SD 103 Up (leaving Magrahat at 4·44 hours). SD 101 Up first passenger train arrived Hotar safely. But there was one light engine to go to down direction to work up Goods Special for which line clear was granted.

"It is stated that the Section Controller forced the A. S. M on duty at Hotar to push the light engine in down direction as the up Goods Special was not supposed to come through line clear for the same was granted. Moreover, this light engine was to work that Goods Special. If the Goods Special was not running, there was a time lag of about 1½ hours till SD 103 Up starts at 4·44 hours. Under these compelling circumstances of threatening by controller in the name of officers to punish the A. S. M. if he did not push the engine, the A. S. M. on duty at Hotar pushed the engine in down direction with authority to proceed without line clear."

This may give a clear idea of the things. Mostly we blame only lower staff for these accidents but I want to mention it very clearly that if we continue to blame the lower staff the accidents will continue. In fact, the thing whether the higher officials like Section Controllers work efficiently, should be enquired into. No doubt, the lower at fault should be punished but this much should be done only after a proper enquiry. All this requires strictness. This will improve and remedy the situation. Proper inquiry of the railway officers should be made so that the lower staff may not be unduly victimised and real defaulters be caught and punished.

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैय्या) : अध्यक्ष महोदय, सदन निश्चित रूप से इन दुर्घटनाओं पर चिन्तित है। स्वयं मुझे भी इस प्रकार की दुर्घटनायें होने पर बड़ा दु:ख होता है। कई सदस्य विशेषत: मेरे मित्र श्री दास मुंशी इस दुर्घटना के कारण जानना चाहते हैं। श्री दास मुंशी का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जाँच की जाय। यदि रेलवे प्रशासन जाँच भी करे तो उस जाँच और निर्णय को निष्पक्ष तथा सत्य नहीं माना जा सकता। अत: एक स्वतंत्र अधिकरण द्वारा जाँच कराने के लिये सांविधिक व्यवस्था कर दी गयी है। समुचित अधिनियम में इस प्रकार के जाँच-आयोग के गठन की व्यवस्था है परन्तु यह आयोग रेल मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। जान-बूझ कर यह कार्य एक अलग मंत्री को सौंपा गया है। यह कार्य पर्यटन मंत्री को दिया गया है। इसी लिए संसद ने जाँच के लिये एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र अधिकरण का अधिनियम बना दिया है।

मुझसे अनेक सदस्यों ने दुर्घटनाओं के कारण पूछे हैं यदि ये कारण बता दिये जायें तो या तो इससे जाँच निष्पक्ष नहीं हो पायेगी अथवा न्यायालय में जाँच के दौरान ये कारण ठीक सिद्ध नहीं होंगे। अत: जाँच आयोग ही यदि इन कारणों को बताये तो अधिक उपयुक्त होगा। इन दोनों दुर्घटनाओं की भी जाँच की जा रही है तथा इनके संबंध में अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही सदन के समक्ष विचार तथा जाँच-पड़ताल हेतु प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस दुर्घटना के कारण निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का शोषण न किया जाय। कम से कम मेरे मंत्री काल में ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी उच्च अधिकारी को निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को सजा देने के लिये नहीं छोड़ा जा सकता। कर्मचारियों

से अधिक काम लेने तथा उन पर दबाव डालने की अनुमति नहीं है। इस संबंध में कुंजरु समिति की सिफारिश लागू की जा रही है। यदि इस नीति के विरुद्ध कार्य करने की शिकायतें मुझे कहीं से भी प्राप्त होंगी तो उन पर सख्ती से कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई भी अधिकारी किसी निम्न श्रेणी के कर्मचारी पर निर्धारित समय से अधिक समय तक कार्य करने के लिये दबाव डालेगा, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। दुर्भाग्यवश इस दुर्घटना में ड्राइवर की मृत्यु हो गयी परन्तु उससे अधिक समय तक कार्य नहीं लिया गया। 18 घण्टे के विश्राम के पश्चात् ही वह ड्यूटी पर आया था तथा ड्यूटी पर उसे उस समय केवल चार घण्टे ही हुये थे। अत: ड्राइवर के संबंध में थकान का सवाल ही नहीं उठता। फिर भी इस संबंध में समुचित जाँच की जायेगी। कम से कम इस समय कार्य के संबंध में नीति निर्धारित कर दी गयी है, उसका उल्लंघन नहीं किया जायेगा तथा उल्लंघन-कर्त्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। ड्राइवरों, गार्डों अथवा स्टेशन मास्टरों अथवा अन्य किसी कर्मचारी पर अधिक कार्य-भार डाले जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जहाँ तक दुर्घटना में मरने वालों के परिवारों को हर्जाने देने का संबंध है, उसके लिये निश्चित नियम हैं। इस दुर्घटना के संबंध में उन नियमों का पालन किया गया है। प्रत्येक मृतक के परिवार को 500 रुपये अनुग्रहार्थ दिये गये। इस राशि को हर्जाने की राशि नहीं कहा जा सकता। यह केवल मृतक के दाह संस्कार संबंधी अन्य व्यय के लिये दिये जाते हैं। इसे हर्जाने की राशि समझना अनुचित होगा। उसके लिये अधिनियम में अलग व्यवस्था है। यात्री गाड़ी की दुर्घटना में मरने वाले अथवा घायल होने वाले किसी भी व्यक्ति को 20,000 रुपये तक की राशि हर्जाने के रूप में दी जा सकती है। अत: हर्जाने की राशि के दावे का मामला उक्त मामले से अलग है। इसके लिये समुचित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

बंगाल में स्थिति अत्यन्त खराब है। सियालदह तथा हावड़ा स्टेशनों पर स्थिति यह है कि बिना टिकिट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, टिकिट लेकर यात्रा करने वालों की संख्या से बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि पास लेकर चलने वालों को जब गाड़ी में सीट नहीं मिलती तो वे भी बिना टिकिट यात्रा करने की सोचने लगते हैं। उस क्षेत्र में स्थिति निरन्तर बदतर होती जा रही है। हमें इस स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिये।

यदि ऐसे बिना टिकिट यात्रा करने वालों की संख्या कम हो, तो पुलिस उनसे निपट सकती है परन्तु जहाँ 1000 यात्रियों में से 900 व्यक्ति बिना टिकिट यात्रा करते हों, रेलवे के टिकिट चैक करने वाले कर्मचारियों के साथ मारपीट जैसा दुर्व्यवहार किया जाय वहाँ स्थिति को संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। यह बात मैंने मामले की पुष्टि तथा रेलवे प्रशासन तथा सरकारी तंत्र को ठीक सिद्ध करने के लिये ही कही हैं।

जहाँ तक चोरी की घटनाओं का संबंध है, मैं उस बारे में जहाँ तक रेलवे जिम्मेदार है, उसका दोष स्वीकार करता हूँ परन्तु इसके लिये केवल रेलवे प्रशासन को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

चोरी तथा अपराधपूर्ण गतिविधियों के कारण होने वाली इन दुर्घटनाओं के संबंध में

412 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिये हाल ही में राज्य स्तर पर रेलवे अधिकारियों तथा बंगाली अधिकारियों की कई बैठकें आयोजित की गई थीं। यद्यपि पिछले दो-तीन-महीनों में इस प्रकार के कम सम्मेलन हुये। मुझे आशा है कि इस संबंध में हमें विपक्ष के सदस्यों का सहयोग तथा सद्भावना भी प्राप्त होगी।

यहाँ पूछे गये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता क्योंकि इन दुर्घटनाओं की जाँच के लिये पहले ही सांविधिक जाँच की व्यवस्था कर दी गयी है। मैं अनेक माननीय सदस्यों के इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि इसके लिए संसद सदस्यों की एक समिति गठित की जाय। परन्तु यदि इन दुर्घटनाओं के क्षेत्रों से संबंधित संसद् सदस्य कोई जाँच करना चाहें तो उनकी बातों की ओर समुचित ध्यान दिया जायेगा। इसके लिए अलग से एक समिति की स्थापना की आवश्यकता मैं नहीं समझता क्योंकि प्रत्येक संसद् सदस्य को सुझाव देने, प्रशासन के दोष बताने का अधिकार है।

मैं अनेक माननीय सदस्यों के इस सुझाव का स्वागत करता हूँ कि राज्य की पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा दल में समुचित समन्वय रखा जाय। इसे पहले से लागू कर दिया गया है। पिछले तीन महीनों में हमने बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों के साथ कई बैठकें की हैं। उक्त राज्यों ने गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में हमें अपना पूर्ण सहयोग दिया है। इसके अतिरिक्त इसके लिये पश्चिम बंगाल में सेना की सहायता भी प्राप्त की जा रही है, जिससे आशा है कि रेलवे के कार्य-चालन में पर्याप्त संतोषजनक स्थिति पैदा हो सकेगी।

वास्तव में रेल-दुर्घटनायें अत्यन्त चिन्ता का विषय है तथा रेलगाड़ियों से यात्रा करना सुरक्षित नहीं रह गया है। यह मत मेरा नहीं अपितु वांचू समिति का है, जो दुर्घटनाओं की समस्या का हल निकालने के लिये नियुक्त की गयी थी। भारतीय रेल-प्रणाली संसार की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। हम प्रतिदिन 1000 रेल गाड़ियाँ चलाते हैं। अतः यदि उनमें से कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाय, तो इस बात को उक्त तथ्य से अलग करके तथा बढ़ा-चढ़ा कर नहीं देखा जाना चाहिये।

यह तथ्य है कि दुर्घटनाओं की संख्या कम होती जा रही है। जहाँ यह संख्या 1964-65 में 1293 थी अब 1970-71 में घटकर 840 रह गयी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : रेलवे सुरक्षा आयुक्त के प्रतिवेदन के पृष्ठ 20 पर डब्ल्यू० ए० एम०-1 इंजिनों के प्रयोग के विषय में कहा गया है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, हमारा संबंध यहाँ मंत्री महोदय के उन दो वक्तव्यों से ही है जो उन्होंने 6 जुलाई, 1971 तथा 31 जुलाई, 1971 की रेल-दुर्घटना के संबंध में दिये हैं। उक्त उद्धरण का यहाँ कोई अर्थ नहीं है।

श्री हनुमन्तैय्या : वर्तमान आँकड़ों से पता चलता है कि पिछले सालों में रेल-दुर्घटनाओं की संख्या कम होकर 1293 से 840 हो गयी है। मैं अपनी बात का औचित्य सिद्ध करने के लिये यह संख्या 830 नहीं बताऊँगा। फिर भी मैं इस बात के लिये यथासंभव प्रयत्न करूँगा कि कम से कम दुर्घटनायें हों।

*1969-70 में बिड़ला बन्धुओं तथा अन्य द्वारा कर अपवंचन

TAX EVASION BY BIRLAS AND OTHERS IN 1969-70

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : अवमूल्यन के पाँच वर्ष बाद देश को पता चला कि बिड़ला बन्धुओं को अवमूल्यन के किये जाने से पहले ही उसके बारे में खबर दे दी गई थी। एकाधिकारी संस्थाएँ इतनी प्रबल हैं कि वे मंत्रियों और बैंक के उच्च अधिकारियों को अपने प्रभाव में लाकर अपना काम निकालने में समर्थ हैं। अवमूल्यन से कुछ दिन पूर्व बिड़ला बन्धुओं को इस विषय में पहले ही से खबर देकर देश को विदेशी मुद्रा के रूप में 75 लाख रुपये की हानि हुई।

बिड़ला बन्धुओं ने हिन्दुस्तान इंजिनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी के संबंध में सरकार को वर्ष 1961-62 तथा 1962-63 का लेखा प्रस्तुत करते हुए 1·62 लाख रुपये का लाभ दिखाया, परन्तु इसके बाद सरकार को यह सूचना दी कि कम्पनी ने वास्तव में 72 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया था न कि 1·62 लाख रुपया का। सरकार ने इस बात की जाँच की और पाया कि यह राशि वास्तव में 72 लाख रुपये है। जिस पर सरकार ने तुरन्त 36 लाख रुपये कर की माँग की। इसके अतिरिक्त आयकर विभाग ने 6 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किये। अब बिड़ला बन्धुओं ने जुर्माने के रूप में 6 लाख रुपये की धनराशि के भुगतान के संबंध में न्यायालय में मुकदमा किया है।

जिस व्यक्ति (अधिकारी) ने इस सारे घोटाले का पता लगाया, उसको पदोन्नति का बहाना कर स्थानांतरण करके मार्ग से हटा दिया। उस व्यक्ति की सेवाओं का लाभ नहीं उठाया गया। वह व्यक्ति कुछ और भी जानकारी दे सकता था।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा संचालित एलविन मैटल वर्क्स का मामला है जो उस समय भी लाभ में चल रही थी। कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने इस कम्पनी का प्रबन्ध बिड़ला बन्धुओं को सौंपा जिन्होंने इससे अच्छा लाभ कमाया। तत्पश्चात वर्ष 1966-67 में ऐसा सुना गया कि इस उद्योग को सरकार अपने हाथ में ले सकती है। इस पर इस कम्पनी ने लाभ दिखाने के बजाय घाटा दिखाना शुरू कर दिया और 1966-67 में कम्पनी ने क्रमशः 56 लाख रुपये तथा 39 लाख रुपये का घाटा दिखाया और जब आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में इस संबंध में प्रश्न उठाया गया तो श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने बताया कि उन्हें लेखे में गोलमाल का संदेह है और कहा कि इस मामले में जाँच करायी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस मामले में जाँच कराई गई अथवा नहीं, यदि हाँ, तो क्या बिड़ला बन्धुओं को दोषी पाया गया। अकेले बिड़ला बन्धुओं द्वारा ही यह धोखेबाजी नहीं की जा रही बल्कि सभी 75 एकाधिकारी संस्थाएँ इस कार्य में लगी हुई हैं और खूब लाभ कमा रही हैं और लोग भी यह कर रहे हैं। जहाँ तक मूंदड़ा के एकाधिकारी निकाय का संबंध है, जब 25 मार्च, 1969 को राज्य सभा में प्रश्न पूछा गया, तो तत्कालीन वित्त मंत्री

*आधे घन्टे की चर्चा।

Half-an-hour discussion.

(श्री पी० सी० सेठी) ने सभा को बताया कि उन्हें 2·2 करोड़ रुपये के कर की बकाया राशि का भुगतान करना है परन्तु असल बात कुछ और ही है। पश्चिमी बंगाल के आयकर आयुक्त श्री के० ई० जानमन द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार यह राशि 2·80 करोड़ रुपये है और यह धनराशि भी कर-बकाया की प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत आती है। इस श्रेणी में कर की वह बकाया राशि आती है, जिसकी अवधि 9 महीने से अधिक और एक वर्ष से कम है। दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत एक वर्ष तीन माह तथा उससे ऊपर और तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत 2 वर्ष और उससे ऊपर की अवधि की बकाया राशि आती है। उन्हें बकाया के रूप में 2·5 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। अतः यह बकाया राशि 100 प्रतिशत से भी अधिक है। सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ? क्या वह कोई कार्यवाही करने में असमर्थ है ?

सरकारी अनुमान के अनुसार आयकर की बकाया राशि तथा कर अपवचंन दोनों को मिला कर यह राशि 1,500 करोड़ रुपये से अधिक बनती है। क्या यह अत्यंत दुखद बात नहीं है ? कोरे आश्वासन देने से कोई लाभ नहीं होगा यदि सरकार कुछ कदम उठाना ही चाहती है, तो उसे दृढ़तापूर्वक पग उठाने चाहियें।

महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 1970 को नमूने के तौर पर एक अध्ययन किया गया था। उस समय बकाया राशि 68,300 लाख रुपये थी। एक वर्ष पश्चात 31 मार्च, 1971 को यह बकाया राशि 96,000 लाख रुपया हो गई। अतः इस संबंध में कुछ अवश्य किया जाना चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह विमुद्रीकरण करे, काले धन का पता लगाने का यही एक मात्र तरीका है। कर-अपवंचन को रोकने के लिए वर्तमान विधान अपर्याप्त है। इन विधानों में प्रभावी ढंग से संशोधन किया जाना चाहिये ताकि कर-अपवंचकों और कर के भुगतान में धोखेबाजी करने वालों को कठोरता से दंड दिया जा सके।

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार अधिक मूल्य के बीजक तथा कम मूल्य के बीजक बनाने और सम्पति को बेचते समय उसका कम मूल्य दिखाने को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने जा रही है। इन्हीं तरीकों से कर-अपवंचन किया जाता है, काला धन बनाया जाता है और काले धन को अच्छे धन में बदला जाता है।

मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार का इन मामलों में, विशेषकर बिड़ला के संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी हमें संतोषजनक उत्तर देंगे।

SHRI KAMAL MISRA MADHUKAR (Kesaria) : I fail to understand the socialist structure which we are having. It does not mind big people indulging in all sorts of offences including the tax evasion. On the contrary it cannot allow the middle class to go unpunished whenever it is found that they have committed certain offence of tax evasion. Whether there is any arrangement to see that the officers responsible for assessing Birlas etc. are given increment only when their performance is found to be satisfactory. I would like to know whether Government have taken any step to see that the officers responsible for assessing big capitalists are not influenced by them in matters of tax assessment. I suggest that a phased programme be chalked out to avoid the tax evasion, which should be done according to some time schedule.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कर अपवंचन दिन प्रति दिन वृद्धि पर है। जब

कभी भी इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है तो संबद्ध पक्ष मामला न्यायालय में ले जाता है और फलस्वरूप मामला वर्षों तक लटका रहता है और इस बीच पैसा वसूल नहीं हो पाता। क्या सरकार आय कर विधि में संशोधन करने के लिये ऐसे कौन से दृढ़ कदम उठाने जा रही है जिससे कर की जिन राशि का दावा किया गया हो वह पहले ही मिल जाय, जिससे राजस्व में कोई हानि न हो, और बाद में यदि वह पक्ष मामला न्यायालय में ले जाना चाहे तो ले जा सके।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह पता चला है कि बिड़ला के कुछ आदमी सरकारी तंत्र में घुसे हुए हैं जिनके द्वारा उनको कैबिनेट के हर निर्णय का पता चल जाता है।

कम मूल्य तथा अधिक मूल्य के बीजक बनाने की बुराइयों से छुटकारा पाने के लिये मैं चाहता हूँ कि सरकार इस संबंध में शुरू से ही कार्यवाही करने का कार्यक्रम बनाये ताकि यह बुराई जड़ से समाप्त की जाय। मैं नहीं जानता कि सरकार के पास ऐसा कोई कार्यक्रम है अथवा नहीं और यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सामान्य बजट तथा वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान इस सभा में कर अपवंचन, करों की बकाया राशि, कम मूल्य के बीजक तथा अधिक मूल्य के बीजक बनाने और ऐसे अन्य मामलों पर चर्चा की गई थी। हमने इस विषय में सभी तथ्य पेश किये हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने कई विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय उपाय किये हैं।

मैं, बिड़ला बन्धुओं के संबंध में लोगों में व्याप्त इस धारणा को कि इस संबंध में कुछ नहीं किया गया और कर विभाग उदासीन रहा, दूर करना चाहता हूँ।

दिसम्बर, 1969 के बाद आरोपों पर की गई जाँच से तथा लेखाओं की अच्छी तरह से जाँच और परीक्षण करने के परिणामस्वरूप बिड़ला के 60 विभिन्न मामलों में कुछ और बातें मिली हैं। दिसम्बर, 1969 तक आय कर निर्धारण के जो मामले पुनः खोले गये थे उनकी संख्या 65 है। कर निर्धारण के जो मामले अब तक पूरे किये गये हैं, उनकी संख्या प्रथम वर्ग में 55 है और दूसरे वर्ग में 51 है। अतः यह स्पष्ट है कि लगभग 120 में से लगभग 106 कर निर्धारण पूरे किये गये हैं। आय कर विभाग विभिन्न करों को वसूल करने की दिशा में काफी दिलचस्पी ले रहा है। आय कर के संबंध में 28 करोड़ रुपये में से 25 करोड़ रुपये की माँग की गई है जिसमें 3 करोड़ रुपये अभी शेष रहते हैं। अधिलाभ कर और अधिकर के संबंध में 95 लाख रुपये की माँग थी जिसमें से 50 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है और 44 लाख रुपये की वसूली शेष रहती है। धन कर और दान कर की 33 लाख रुपये की माँग में से 31 लाख रुपये वसूल किये जा चुके हैं और शेष दो लाख रुपये वसूल किये जाने बाकी हैं। अर्थ दण्ड के संबंध में 1,46,000 रुपये वसूल किये जाने थे जिसमें से 25,000 रुपये वसूल किये जा चुके हैं और 1,21,000 रुपये वसूली के लिये शेष रहते हैं। इस तरह 30·21 करोड़ रुपये की माँग में से 26·10 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है और 4 करोड़ रुपये की वसूली अभी बाकी है। यह शेष राशि या तो विवादास्पद है या इसके मामले न्यायालय में लम्बित हैं। अतः स्पष्ट है कि बिड़ला संस्थान या अन्य किसी एकाधिकारी संस्थान के प्रति उदार होने का प्रश्न नहीं उठता।

माननीय सदस्यों के सुझावानुसार मैं इस बात से सहमत हूँ कि कर निर्धारण प्रक्रिया सरल होनी चाहिये। परन्तु प्रश्न यह है कि वैसे इसके मार्ग में कानूनी तथा अन्य अड़चनें हैं। वास्तव में कर अपवंचन की समस्या को हल करने के लिये देश में समुचित वातावरण पैदा करने की आवश्यकता है। जब तक इस देश में ऐसा वातावरण पैदा नहीं किया जाता जब तक बुराई को दूर करना बड़ा कठिन है। अन्य सामाजिक अपराधों की तरह कर अपवंचन भी एक जघन्य अपराध है और जब तक न्यायालय भी इस बात को महसूस नहीं करते तथा कर की चोरी करने वालों को दण्डित नहीं किया जाता, तब तक समस्या हल नहीं हो सकती।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 अगस्त, 1971/19 श्रावण, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, August, 10, 1971/Sravana 19, 1893 (Saka).

New India Printing Press, Khurja